ISBN : 978-93-92568-19-0

रायपुर जिले में भारत छोड़ो आन्दोलन का इतिहास

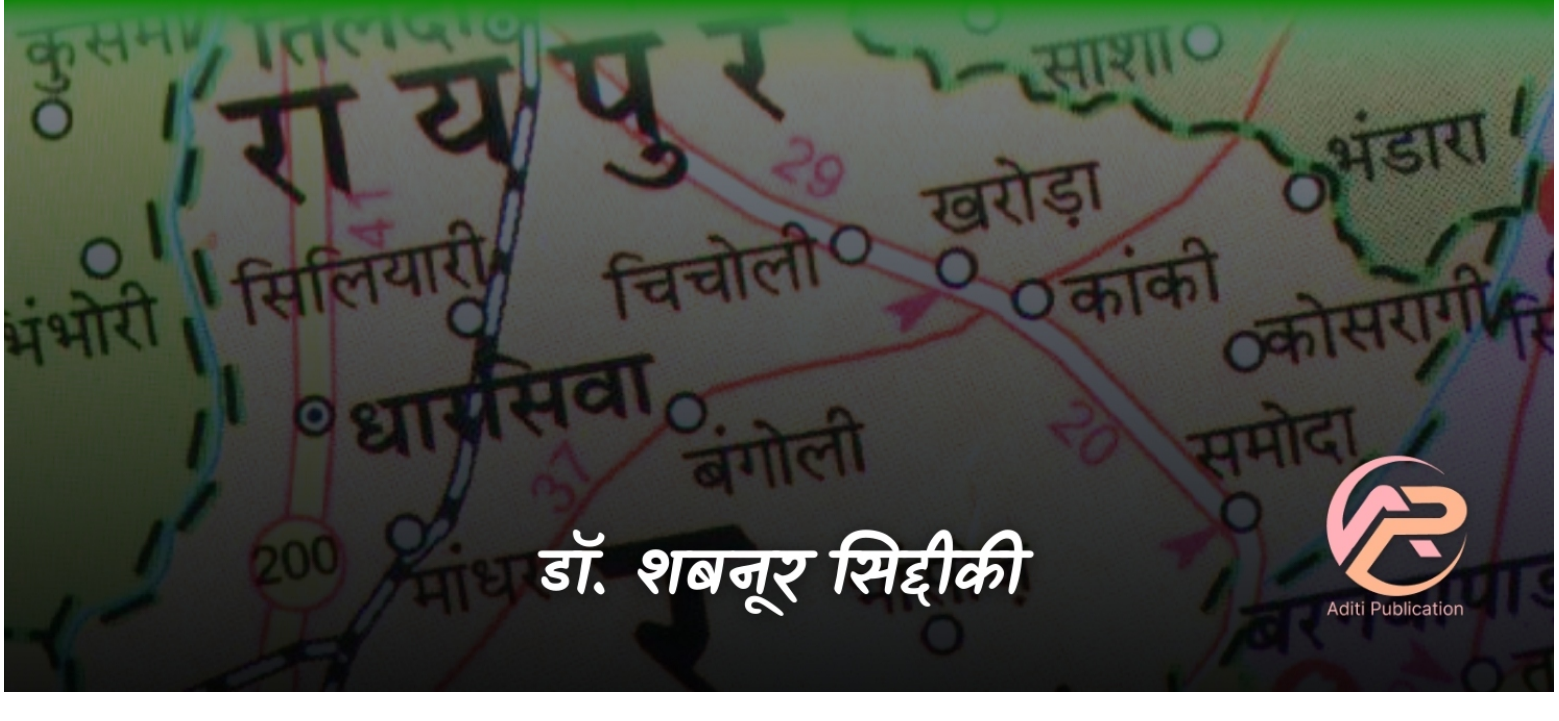

डॉ. शबनूर सिद्दीकी

Aditi Publication

रायपुर जिले में भारत छोड़ो आन्दोलन का इतिहास

लेखक

डॉ. शबनूर सिद्दीकी,

प्रध्यापक, इतिहास,

शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय,

धरसींवा, छत्तीसगढ़

Publisher

Aditi Publication, Raipur, Chhattisgarh, INDIA

रायपुर जिले में भारत छोड़ो आन्दोलन का इतिहास

2022
Edition - **01**

लेखक
डॉ. शबनूर सिद्दीकी,
प्रध्यापक, इतिहास,
शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय,
धरसींवा, छत्तीसगढ़

ISBN : **978-93-92568-19-0**

Copyright© All Rights Reserved
No parts of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission of original publisher.

Price : Rs. **349/-**

Publisher & Prnted by:
Aditi Publication,
Opp. New Panchajanya vidya Mandir, Near Tiranga Chowk,
Kushalpur, Raipur, Chhattisgarh, INDIA
+91 9425210308

प्राक्कथन

भारतीय इतिहास में बीसवीं शताब्दी का पूर्वार्ध राष्ट्रीय चेतना के विकास एवं स्वतंत्र समर की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में होने वाला यह जन आंदोलन कई अर्थो में पूर्व प्रांतीय से विशिष्ट था। भारतीय जन एक के बाद एक होने वाले आंदोलनों की असफलता से निराश हो चुके थे। गांधी जी स्वयं लंबी प्रतीक्षा से चिंतित थे अर्थात भारतीय जन आक्रोश, क्रिप्स मिशन की असफलता और द्वितीय महायुद्ध कालीन ब्रिटिश रवैये ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया और अंततः गांधी जी ने फैसला किया कि ''अंग्रेजों के भारत छोड़ने और छोड़ने के बीच अन्य कोई रास्ता नहीं है। अंग्रेजों के चाहिए कि वे व्यवस्था पूर्वक और समय रहते भारत से चले जाए।''

गांधी जी आंदोलन कालीन कठिनाइयों से पूर्व परिचित थे इसलिए उन्होंने कहा था कि ''इस बीमारी का उपचार मांगा होगा किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति थर्मल में सस्ती है।''

इसी संदर्भ में इलाहाबाद में 27 जुलाई को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ''शीघ्र ही एक सामूहिक आंदोलन होने वाला है कांग्रेस जनों के सामने जान बूझ कर जेल जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। आगे आने वाली इस भयानक परीक्षा में संभव है कि कांग्रेस ही नष्ट हो जाय। परंतु इससे भस्म से एक स्वतंत्र भारत उदय होगा।''

आंदोलन की इस भयानक परीक्षा में भारत का हर वर्ग शामिल हो गया। इस आंदोलन की महत्ता इसी से स्पष्ट है कि लार्ड लिनलिथगो ने 31 अगस्त 1942 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल को भारतीय स्थिति के संबंध में लिखा–''1857 के बाद यहां हुए सबसे अधिक गंभीर विद्रोह का मुकाबला करने में मैं व्यस्त हूं।''

1857 की विप्लव के पश्चात् सन 1942 में एक व्यापक जन आंदोलन हुआ जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी अभिहित किया जाता है।

देश के विभिन्न अंचलों के निवासियों ने अपने तन, मन, धन से सर्वस्व अर्पण कर योगदान दिया।

भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत मध्य प्रांत से वह बारार में आंदोलन के व्यापक रूप लिया। मध्य प्रदेश इसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु रहा जिसमें छत्तीसगढ़ अंचल के विशेष क्षेत्र रायपुर और उसके आस–पास धमतरी, कुरूद, आरंग, महासमुंद की कई महान विभूतियों ने अपना योगदान दिया। इस समय प्रभावशाली प्रणेताओं, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महंत लक्ष्मीनारायण दास, मौलाना अब्दुल रऊफ खान के गृह नगर होने के कारण रायपुर जिले में अत्याधिक गतिशील रहा। रायपुर जिले की विशिष्टताओं में यहां के बालको, तरूणो, युवाओ एवं वृद्व महिलाओं के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। क्योंकि जन आंदोलन के अंतर्गत नेताओं एवं प्रणेताओं की महत्ता को तो विकास अभी कर सकते हैं किंतु उन व्यक्तियों के योगदान को लोग विस्मृत कर जाते हैं जिनकी आस्था की आधारशिला पर यह आंदोलन टिका होता है।

इसी संदर्भ में जब भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती के अवसर पर रायपुर जिले की विशिष्टताओं के अंतर्गत यह कमी पुनः दोहराई गई। जिसे कुछ हद तक पूर्ण करने के प्रयास के उद्देश्य से शोध कार्य प्रस्तुत कर रायपुर जिले के योगदान का समुचित चित्रण करना मैंने आवश्यक समझा जिसका प्रतिफल मेरा यह शोध कार्य है।

जब तक सुक्ष्म इतिहास का व्यापक अध्ययन नहीं होगा तब तक राष्ट्रीय इतिहास का लेखन संतुष्ट नहीं हो सकता इस दृष्टि से मैंने प्रस्तुत विषय का चयन समुचित समझा। शताब्दियों तक वही बार–बार दोहराया जाए और गुढ़ खोज एवं अर्थ निकाला जाए यह आवश्यक नहीं क्योंकि अनछुए, अनजाने या अनकहे तथ्य एवं सत्य को जो अनजाने में अनचाहे रहस्य के आवरण में गुम्फित हो, अवगुठिंत हो प्रकाश में लाना किसी शोध प्रबंध को सार्थक उपयोगी एवं संग्रहणी कृतिका सम्मान प्रदान करने की दुरुह क्षमता प्रदान करता है।

II

कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव पारित होने के पश्चात जब अंग्रेजों की नीति फल स्वरुप वरिष्ठ नेता गिरफ्तार हो गए तब महात्मा गांधी के निर्देशन में ''करो या मरो'' की भावना के आधार पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के उत्साह पूर्वक नारों के साथ जो जनमानस इस आंदोलन से जुड़ा उसमें युवा शक्ति प्रमुख थी। क्योंकि गांधी जी ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत नहीं की थी। फलतः हर व्यक्ति अपने आप में ही नेता था। वास्तविकता तो यह थी कि भारत का यह विशाल जन आंदोलन एक अथाह समुद्र की भांति था जिसमें जनचेतना भावनाएं हिलोरे ले रही थी।

फिर भला रायपुर क्षेत्र क्यों ना अग्रणी रहता रायपुर जिले की गतिविधियों की जानकारी एवं विस्तृत चर्चा हेतु संपर्क की विषयांतर्गत एक व्यापक अन्वेषण की है जिससे इतिहास के पृष्ठों पर जो योगदान का सही आंकलन हो सके।

अतः भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत रायपुर जिले के योगदान को केंद्रित कर मैंने इस शोध कार्य को प्रस्तुत किया है जो सुगमतः एक मौलिक कार्य है। मूलतः प्रस्तुत शोध **''रायपुर जिले में भारत छोड़ो आन्दोलन का इतिहास''** को मैने डॉ. रमेन्द्र नाथ मिश्र, आचार्य, इतिहास विभाग, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मार्गदर्शन में पूर्ण किया है, अधो लिखित पॉच अध्यायों में विभक्त है।

प्रथम अधिकरण, रायपुर जिले की सामान्य जानकारी के रूप में प्रस्तुत है। भौगोलिक परिस्थितियां प्रकृति प्रदत होती है मनुष्य को इसे समायोजन करना पड़ता है। रायपुर जिले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत इस अध्याय में प्रारंभ से लेकर 1854 तक की स्थिति के वर्णन के साथ–साथ रायपुर जिले के कलचुरी शासन एवं उनकी शासन व्यवस्था का भी उल्लेख है जो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

ऐतिहासिक क्रमानुसार **द्वितीय अधिकरण** में 1857 की क्रांति, जिसे हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जानते हैं, का दुर्लभ प्रमाणों

सहित वर्णन है। सोनाखान के विद्रोह के अंतर्गत वीर नारायण सिंह के बलिदान का हृदय विदारक चित्रण के सांसद हनुमान सिहं पराक्रम का भी उल्लेख है। आगे 1857 से 1919 तक सिलसिलेवार घटनाओं के साथ असहयोग आंदोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी संक्षिप्त विवरण है। इन्ही आंदोलनों की असफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन का बीज बोया। रायपुर के साथ ही जिले के आसपास क्षेत्रों में आंदोलनकारी महत्वपूर्ण घटनाओं एवं कण्डेल नहर सत्याग्रह, सिहावा नगरी सत्याग्रह, झण्डा सत्याग्रह रूद्री जंगल सत्याग्रह, महासमुंद सत्याग्रह का प्रभावी वर्णन है। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि के रूप में बंबई प्रस्ताव के बाद रायपुर की प्रतिकिया का भी उल्लेख है ।

तृतीय अधिकरण – 1942 की प्रमुख घटनाओं के रूप पूर्ण समाहित तो है ही साथ ही अगस्त की घटनाओं के अंतर्गत नियत दिनांक की गतिविधियां का प्रत्यक्षदर्शी वर्णन पुल सहयोग कर्ताओं की जुबानी है तथा उनके दुर्लभ संस्करण प्रस्तुत है जिससे महसूस होता है कि शायद हम कहीं ना कहीं उपस्थित हैं। ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता से सहकर भी किस प्रकार आंदोलन को सक्रिय रखा गया काबिले तारीफ है। श्री मानिक लाल चतुर्वेदी, रामानंद दुबे, हरि ठाकुर जी, कमल नारायण शर्मा, केयूर भूषण आदि जैसे व्यक्तित्व के साक्षात्कार एवं संस्मरण के अंशो से भी यह अध्याय प्रस्तुत है। अनेक शोध कार्यों में रायपुर के आसपास के क्षेत्रों की आंदोलन कालीन गतिविधियों का आभास अनेक स्थानों पर मिलता है। पर 1942 में रायपुर जिले के क्षेत्रों की क्या गतिविधियां रही है इसका एकदम नगण्य उल्लेख है किंतु इस अध्याय के तहत मैंने इस कमी को पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। धमतरी, कुरूद, महासमुंद, बलोदाबाजार जैसे क्षेत्र 1942 में भी सक्रिय थे बहुत कम लोग जानते हैं इस अध्याय में यह कमी पूरी होगी।

चतुर्थ अधिकरण– भूमि का आंदोलन से संबंधित है। इस आंदोलन के संबंध में प्रायः पाठकों एवं छात्रों को भ्रमित होते देखा गया है। कुछ तो भूमिगत आंदोलन को जानते ही नहीं हैं और कुछ इसे 1942 के

आंदोलन का अंग भी नहीं मानते हैं। इस भ्रम को दूर करने में यह अध्याय सहायक होगा। शीर्षस्थ नेताओं और कांग्रेसजनों की धरपकड़ के बाद आंदोलन इनके हाथों में सक्रिय रहा है। प्रायः यह प्रश्न अधिकांश के मन में उठता होगा। भूमिगत आंदोलन की क्या गतिविधियां रही, इस सारे प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में मिलेंगे। जिन दिनों अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बोलना देशद्रोही माना जाता था और सजा सिर्फ, अत्याचार सहना और मौत थी। ऐसे में उनकी नाक के नीचे पर्चो का वितरण और एक स्थान से दूसरे स्थान पर आंदोलन संबंधी जानकारी भेजना एक साहसी कदम था।

प्रायः भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित शोध कार्यों में ना जाने क्यों महिलाओं और छात्रों के विशेष महत्व और भूमिकाओं को किनारे रख दिया जाता है। विस्तृत चर्चा के अभाव में बहुत से पहलू भी अनदेखी होकर धूमिल ना हो जाए, इसी आधार पर इस अध्याय में महिलाओं और छात्रों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। भूमिगत आंदोलन की स्पष्ट जानकारी हेतु भूमिगत और नेताओं का अलग–अलग संक्षिप्त परिचय भी इसमें शामिल है।

पंचम अधिकरण– उपसंहार है इसमें सभी अध्ययन का निष्कर्ष है। शोध संबंधित निष्कर्ष अवश्य सुझाव भी मैंने प्रस्तुत किए हैं।

प्रस्तुत शोध के अंतर्गत राष्ट्रीय अभिलेखागार नई दिल्ली, त्रिमूर्ति भवन, नेहरू म्यूजियम, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी नई दिल्ली।

राजकीय अभिलेखागार गजेर्टियर विभाग ग्रंथालय, विधानसभा ग्रंथालय भोपाल मध्य प्रदेश, रिकॉर्ड रूम कानपुर एवं विभिन्न पुस्तकों समाचार पत्र–पत्रिकाओं, संबंधित शोध प्रबंधों का अध्ययन।

जिला कार्यालय अभिलेखागार, कांग्रेस भवन रायपुर स्थित अभिलेख, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कार्यालय स्थित अभिलेख, पंडित रविशंकर शुक्ल परिसर स्थित ग्रंथालय, महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर, नगर निगम कार्यालय स्थित अभिलेख तथा जिला न्यायालय, जिला पुलिस कार्यालय,

जिलाधीश कार्यालय स्थित अभिलेखों का अध्ययन एवं जीवित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साक्षात्कार आदि को आधार बनाकर स्थल बनाकर कार्य पूर्ण किया गया है।

भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों का अंतिम जन संघर्ष था। परिणामतः आजादी प्राप्ति की दूरी कम हो गई। देशव्यापी इस आंदोलन के मध्य प्रांत एवं बरार की महत्वपूर्ण भूमिका रही। यहां की राजनीति में रायपुर जिले का वर्चस्व रहा वस्तुतः प्रस्तुत शोध कार्यन्तर्गत रायपुर जिले की भूमिका का आकलन राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति योगदान के परिपेक्ष में करना है जो विभिन्न अध्ययनों के अंतर्गत दिग्दर्शित है शोध कार्य के अंतर्गत इतिहास के शोध की समस्त विधाओं को भूमिगत रखते हुए प्रस्तुत किया गया है जिसकी सार्थकता किस में व्यक्त है।

डॉ. शबनूर सिद्दीकी
प्रध्यापक इतिहास विभाग,
शासकीय पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय,
धरसीवा, छत्तीसगढ़

अनुक्रमणिका

क्र.	विवरण / लेखक	पृ.क्र.
01	रायपुर जिले का परिचय	01
02	रायपुर जिले में राष्ट्रीय चेतना एवं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ	31
03	रायपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का विकास	85
04	रायपुर जिले में भूमिगत आंदोलन एवं आंदोलन के प्रणेता	118
05	उपसंहार	168

01 रायपुर जिले का परिचय

रायपुर जिले की ऐतिहासिक एवं भौगोलिक पृष्ठभूमि

प्रारंभ से ही मनुष्य के चिंतन का विषय स्वाधीनता रहा है। जिसके लिए वह हर संभव प्रयत्न करता रहा है और उसे पाने के लिए उसने अपनी जान की परवाह तक नहीं की। भारतीयों द्वारा अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति पाने का स्वाधीनता संघर्ष इसका अनूठा प्रमाण है। यद्यपि लड़ाईयाँ तो जल थल, वायु क्षेत्रों में लड़ी जाती है हथियारों को पैना किया जाता है किंतु यह स्वाधीनता संग्राम हर घर, हर गली, खेतों और खलियानों में लड़ा गया जिसने अंग्रेजी हुकूमत के छक्के छुड़ा दिए और इस प्रयत्न में हर छोटा बड़ा क्षेत्र अग्रणी रहा, ऐसा ही एक क्षेत्र था छत्तीसगढ़ः

दक्षिण कोसल अर्थात् प्राचीन छत्तीसगढ़

1. वाल्मीकी रामायण में दो कोसल का उल्लेख है– उत्तरकोसल और दक्षिण कोसल। उत्तर कोसल महाजनपद सरयूतट पर विस्तृत रूप से फैला हुआ था, जबकि दक्षिणकोसल विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित था। उसी दक्षिणकोसल की राजकुमारी कौशिल्या उत्तरकोसल के राजा दशरथ अयोध्यापति को ब्याही गयी थी और उनकी पटरानी पद पर सुशोभित थी। बिलासपुर जिले में कौसला नामक एक बड़ा सा ग्राम है। जनश्रुति के अनुसार यह कौसला किसी समय अत्यन्त उन्नत अवस्था में था। कौशिल्या यहीं के राजा की पुत्री थी जो परम सुन्दरी थी तथा साथ ही साथ राजनीति में भी परमपटु समझी जाती थी।

2. पंडित लोचन प्रसाद पाण्डेय ने अपने लेख में लिखा है कि प्राचीन साहित्य के द्वारा कोसल देश पर जो प्रकाश पड़ा है, उससे उसका इतिहास ईसा के ६०० वर्ष पूर्व माना जा सकता है। महाव्याकरण पाणिनी ने अपने व्याकरण में 'कलिंग और कोसल' सम्बन्धी नियमों

पर सूत्र लिखे है। अनेक भाष्यकारों का मत है कि 'कोसल' शब्द का प्रयोग यहाँ पर 'दक्षिण कोसल' के लिए ही किया गया है। तब ७०० वर्ष पूर्व इस भूखण्ड का नाम कोसल ही था। ईसा के ३०० वर्ष पूर्व की ब्राह्मी लिपि में लिखित दो ताम्र मुद्राएं लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में संग्रहित है। इन पर कोसल चेदि की राजधानी त्रिपुरी अंकित है। साथ ही स्वास्तिक, सस्ति और शैल के तीन राज्य कोसल, मेकल और चेदि के द्योतक है।

3. दक्षिण कोसल की सीमाए निश्चित करने में बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। प्रयाग के किले में स्थित स्तम्भ में जो उत्कीर्ण लेख है उसमें कोसल' का उल्लेख पाया जाता है। उसमें यह भी बताया जाता है कि कोसल दक्षिण पथ के राज्यों में से एक है। प्रसिद्ध चीन यात्री हुएनसांग ने सन् ६१६ में दक्षिण कोसल पद की यात्रा की थी। उसने उसकी सीमाओं के बारे में जो बातें लिखी है यथार्थता अनुसार दक्षिण कोसल का विस्तार लगभग २००० मील के वृत्त में था। इसके मध्य भाग में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ तथा सबंलपुर जिला का अधिकांश भाग आ जाता था। उत्तर में इसकी सीमा अमरकंटक को पार कर गयी थी। अमरकंटक जो नर्मदा नदी का उद्‌गम स्थान है. मेकल पहाड की श्रेणियों के अन्तर्गत आता है। ये श्रेणियां रायपुर बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिलो की ईशान कोण में फैली हुई उसकी सीमा बन जाती है। पश्चिम में इसकी सीमा दुर्ग तथा रायपुर जिले के शेष भाग को समेटती हुई सिहावा तक चली जाती थी और वैनगंगा को पार कर बरार को छूने लगती थी। दक्षिण में इसका विस्तार बस्तर तक चला गया था, जबकि पूर्व में यह महानदी की उत्तरी घाटियों को समावेशित करती हुई सोनपुर तक चली गई थी, जिससे पटना,

बागडा, कालाहांडी भी इसके अन्तर्गत आ जाते थे। जहाँ से सोमवंश के राजाओं की प्रशस्तियां भी प्राप्त हुई थी। लोचन प्रसाद पांडेय के अनुसार दक्षिण कोसल की सीमा इस प्रकार थी उत्तर में गंगा, दक्षिण

में गोदावरी, पश्चिम में उज्जैन और पूर्व में पूर्वी समुद्रतटवर्ती माली।' उज्जैन दक्षिण कोशल के पश्चिम में स्थित था। चीनी यात्री हुएनसांग ने दक्षिण कोसल की राजधानी सिरपुर (श्रीपुर) का जिस समय प्रवास किया था, उस समय सोमवंशी राजा त्रिवरदेव ने, सिरपुर में स्थित, राजिम और सिहावा की प्रशस्तियां उत्कीर्ण कराई थी जिसमें उसे कोसलाधिपति अंकित किया गया है। हुएनसांग अपने यात्रा विवरण में और लिखता है मौर्य राजा अशोक ने दक्षिण कोसल की राजधानी में स्तूप तथा अन्य इमारतों का निर्माण कराया था। महाकाव्य कालीदास ने रामगिरी या रामगढ़ में अपने महाकाव्य "मेघदूत" की रचना की थी। इस क्षेत्र के सीताबोंगरा और जोगीमास नामक गुफाओं में नाट्यशालाएं प्रसिद्ध इतिहासकार गिब्बन कहना कि हीराकुंड मे हीरे मिला करते थे जिनकी रोम और यूनान मे बड़ी मात्रा खपत होती थी।

"छत्तीसगढ़" शब्द दक्षिणकोसल का आधुनिक रूप

विध्याचल के दक्षिण मे या दक्षिण पथ मे स्थित यह क्षेत्र दक्षिण कोसल कहलाता था। जिसमें वर्तमान रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा जिले तो सम्मिलित किये ही जा सकते हैं, उड़ीसा और महाकोशल का कुछ क्षेत्र भी सम्मिलित किया जा सकता है। रायपुर क्षेत्र के दक्षिण पश्चिम में बस्तर एवं उड़ीसा के कोरापुर क्षेत्र का कान्तार, महाकान्तार, दण्डकारण्य के नाम से विख्यात है। जिसके पश्चिम में महाभारत में वर्णित नल दमयंती का विदर्भ क्षेत्र है। बस्तर के लिए चर्ककोट नाम भी मिलता है।

1. छत्तीसगढ़ शब्द का उल्लेख न पुराणों में है, न और कहीं। महाभारत, रामायण प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी यह नाम नहीं पाया जाता। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि दक्षिण कोसल के लिए छत्तीसगढ़ नाम सन् १४६३ में प्रचार में आया। इसके पहले छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए सर्वत्र दक्षिण कोसल, महाकोसल, या कोसल शब्द का प्रयोग किया जाता था। अयोध्या का राज्य उत्तर कोसल कहलाता था और छत्तीसगढ़ का यह क्षेत्र कुछ विस्तृत

सीमा के साथ दक्षिण कोसल।

2. प्रसिद्ध पुरात्ववेत्ता कनिंघम के सहयोगी जे.डी. बैंगलर ने १८७३ – ७४ में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। उन्होंने एक जनश्रुति का हवाला देते हुए कहा है कि जरासंघ के काल में चर्मकारों के ३६ परिवारों ने जो राज्य के दक्षिण में चले गये थे जहाँ उन्होंने पृथक राज्य की स्थापना की थी 'छतीसघर' नाम दिया जो बाद में 'छत्तीसगढ़' हो गया।

इतिहासकार डॉ. कनिंघम ने इस भूभाग को महाकोसल या छत्तीसगढ़ कहा है। रायबहादुर हीरालाल जी इस मत के थे कि महाकोसल में चेदिवंशी राजाओं के राज्य होने के कारण वह 'चेदिशगढ़' कहलाने लगा जो बिगड़ते बिगड़ते छत्तीसगढ़ हो गया। डॉ. कनिघम और हीरा लाल के अनुसार छत्तीसगढ़ के कलपुर (हैहयवंषीय) राजाओं के कुछ उत्कीर्ण लेखों में चेदि संवत जैसे शब्द प्रयोग किए गये है। श्री जयचंद विद्यालंकार के अनुसार यद्यपि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि इस भूभाग पर चेदिवंशीय हैहय राजाओं का राज्य रहा है किन्तु इतिहास और लोकपरम्परा में वह किसी भी समय चेदिसगढ़ के नाम से उल्लिखित हुआ हो ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। चेदि और कोसल दोनों राज्य हैहयो के थे और दोनों में परस्पर घनिष्ट सम्बन्ध था। डॉ. स्टेनकोनो तो महाकोसल राज्य को पूर्व चेदि राज्य ही कहते है। इस प्रकार जयचंद्र विद्यालंकार के अनुसार यदि प्राचीनकाल से नहीं तो मध्यकाल से चेदि और कोसल क्षेत्र का एक होना निश्चित है।"

छत्तीसगढ़ नाम की सार्थकता पर विचार करते हुए टालेमी ने लिखा है कि इस प्रदेश का प्राचीन नाम अधिष्ट्री था और अधिष्ट्रान पर्वतमाला इसके दक्षिण में है। कनिंघम के अनुसार अधिष्ट्री का अधिष ही छत्तीस' हो गया है।

साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग प्रथम बार खैरागढ़ के चारण कवि दलराम राव की रचना में पाया जाता है। वह अपने राजा लक्ष्मीनिधि राय से सन् १४६७ में अपनी एक प्रशस्ति में कहता है:

लक्ष्मीनिधि राय सुनौ चित दै, गढ़ छत्तीस में न गढ़ैया रही
मरदुमी रही नही मरदन के, फेर हिम्मत से न लड़ैया रही।
भय भाव भरे सब काँप रहे, भय है नहीं जाय डरैया रही
दलराम मनै सरकार सुनौ, नृप कोऊ न दाल अड़ैया रही।।

इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि इस भूभाग के लिए छत्तीसगढ़ नाम सन् १४६३ के लगभग प्रचार में आ चुका था।

साहित्य में छत्तीसगढ़ का द्वितीय बार प्रयोग रतनपुर के कवि कुलदिवाकर गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा' नामक पुस्तक में किया है जिसकी रचना उन्होंने सन् १६८६ में की थी।

छत्तीसगढ़ गाढ़े जहाँ बड़े गढ़ोई जानि
सेवा स्वामिन को रहैं सके ऐंड को मानि।

इन पंक्तियों से स्पष्ट प्रमाणित हो जाता है कि सन १६८६ में छत्तीसगढ़ शब्द का और अधिक प्रचलन हो गया था। इसके १५० वर्ष बाद रतनपुर के प्रसिद्ध विद्वान बाबूरेवाराम कायस्थ अपने 'विक्रम विलास' नामक ग्रंथ में 'छत्तीसगढ़' शब्द का प्रयोग इस प्रकार करते है.

तिनमें दक्षिण कोसल देसा, जहाँ
हरि आतु केसरी बेसा
तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्यभूमि
सुर मुनि मन भावन ।
रत्नपुरी तिनमे है नायक, कासी सम
सब विधि सुख दायक।।

गोपाल कवि ने कहा है कि प्रत्येक गांव में छत्तीस जातियां बसती है:

परजा के अमनैक गांव, प्रति बसै छत्तीसो जातें।

गोपाल कवि "खूब तमाशा " में छत्तीस "कुरी" या कुल का उल्लेख करते है।

बरन सकल पुरदेव देवता, नरनारी रस रसके
बरन छत्तीस कुरी सब दिनके, रस बासी बस बस के।

छत्तीस कुरियां छत्रियों की कही जाती है। अपनी पुस्तक में कर्नल टाड और कवि चन्दबरदाई ने इनके नाम भी गिनाये है।

३६ गढ़ या किले

लगता है उस समय किसी राजा की समर विचयिनी शक्ति का अनुमान लगाने तथा महत्ता की ओर इंगित करने के लिए उनके राज्य के अंतर्गत गढ़ों की संख्या की गणना की जाती थी जैसे बावन गढ़ मंडला, सोलागढ़ नागपुर, बाइसगढ़ उडियान, अठारहगढ़ रतनपुर, अठारहगढ़ रायपुर, बावनगढ़ गढ़ा आदि। छत्तीसगढ़ के नामकरण में भी छत्तीसगढ़ों का आधार रहा होगा। इन छत्तीसगढ़ में १८ गढ़ शिवनाथ नदी के उत्तर में और शेष १८ गढ़ उसके दक्षिण में थे। कालांतर में उत्तर में स्थित गढ़ रतनपुर राज्य के अधीन रहे और दक्षिण के गढ़ रायपुर के अधिकार में चले गये। इन गढ़ों की सूचियां चीशम और हैविट द्वारा लिखी रिपोर्ट में दी गयी है। इन ३६ गढ़ों के नाम निम्नानुसार है

शिवनाथ नदी के उत्तर में

१ रतनपुर २ मारो, ३ विजयपुर, ४ खरीद, ५ कोटगढ़, ६ नवागढ़, ७. साँठी ८ ओखर, ९ पंडरभट्टा, १० समेरिया, ११ मदनपुर (चापा जमींदारी) १२ कोसगई (छुरी जमींदारी), १३ लाफा, १४ केंदा, १५ मातिन, १६ उपरोड़ा, १७, केड़री (पेहरा), १८ करकट्टी।

शिवनाथ नदी के दक्षिण में

१ रायपुर, २ पाटन, ३ सिमगा, ४ सिंगारपुर, ५ लवन, ६ अमीरा, ७ दुर्ग, ८ सारधा ९ सिरमा, १० मोहदी, ११ खल्लारी, १२ सिरपुर, १३ फिगेश्वर, १४ राजिम, १५ सिंगारगढ़, १६ सुअरमार, १७ टेगनानगढ़, १८ अरलगड़ा।

तत्कालीन गणना के अनुसार रतनपुर राज्य में ३५८६ गांव थे और रायपुर राज्य में २१३६ गांव। कुल ५७२२ गांव है।

दक्षिण कोसल– महाकोसल

अब यह विचारणीय है कि दक्षिण कोसल आगे चलकर महाकोसल क्यों कहलाने लगा ? लगता है कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन के वंशज चेदि हैहयो ने, जिनका राज्य इस ओर लगभग डेढ़ हजार वर्षों तक रहा इसकी महत्ता बढ़ाने के लिए इसे महाकोसल' कहना आरम्भ कर दिया ठीक उसी तरह जैसे नदी महानदी बन गई, एक छोटा सा ग्राम महासमुन्द बन गया, आराध्य देवी महामाया कहलाने लगी और राजाओं के नाम में से एक 'महाशिव' गुप्त हो गया।

खारवेल वंश या चेदि वंश

खाखेल कलिंग का राजा था। उसने गुंग वंश पर आक्रमण भी किया था, खारवेल का दक्षिण कोसल पर भी शासन था, खारवेल वास्तव में चेदि वंश का था। चेदि देश ऐर या ऐल वंश का जनपद होने के कारण उस वंश के लोग चेति या चेदि कहलाये। मेघवाहनों ने महाकोसल पर काफी समय तक शासन किया।

सातवाहन काल

मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कलिंग में चेदिवंश और महाकोसल या दक्षिणपथ में सातवाहनों का साम्राज्य स्थापित हो गया। सातवाहन अपने को दक्षिणपथ स्वामी कहते थे। पुराणों में इस वंश के ३० से अधिक राजाओं का उल्लेख मिलता है, इन्होंने ४०० वर्ष से अधिक समय तक शासन किया (ईसा पूर्व पहली शताब्दी से तीसरी इस्वी तक)

वाकाटक वंश

सातवाहनों की शक्ति क्षीण होने के साथ साथ वाकाटकों ने इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया जो लगभग २०० वर्षों तक चला (तीसरी और चौथी शताब्दी)। ओरछा राज्य में स्थित वाकाट ग्राम इस वंश का मूल स्थान है।

गुप्त वंश

ईसा की चौथी शताब्दी में (३३५–३७५) दक्षिण कोसल दो भागों में विभक्त होकर गुप्त शासन के अधीन हो गया था। उत्तरी भाग का राजा महेन्द्र गुप्त था और दक्षिणी भाग (बस्तर और सिहावा कालान्तर) व्याघ्रराज द्वारा शासित होता था। समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिण पथ की विजय यात्रा पर इन दोनों राजाओं (महेन्द्र और व्याघ्रराज) को परास्त किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटकवंश के राजकुमार रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। अपने पति की मृत्यु के पश्चात् प्रभावती ने बड़ी योग्यता पूर्वक शासन किया था। उसने स्वभावतः अपने प्रशासन काल में ही अपने नैहर गुप्त साम्राज्य के राजकर्मचारियों से सहायता ली और इस प्रकार वाकाटक राज्य के पूरे प्रशासन पर गुप्त साम्राज्य का नियंत्रण हो गया। इसका प्रमाण अधिकतर इस क्षेत्र के तीर्थ स्थलों पर प्राप्त होता है। वर्तमान राजिम तथा वहाँ से १० मील दूर फिंगेश्वर ग्राम में समुद्रगुप्त के सेनानायक कई मास तक पड़ाव डाले हुए थे। राजिम से १३ मील दूर कोपरा ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रुपा कुछ समय तक निवास करती रही। उस समय धमतरी, राजिम, कोपरा तथा पाटन, दुर्ग में स्वर्णकार एवं देवांगन सामन्ती का अधिकार था। राजिम स्थित स्वर्णतिर्थ के तट पर स्वर्णश्वर महादेव का मंदिर इसी समय निर्माण कराया गया था।

राजर्षि तुल्य कुल (पांचवी शताब्दी)

रायपुर जिले में आरंग नामक एक ऐतिहासिक कस्बा है। वहाँ एक ताम्रपत्र पाया गया है। उससे यह ज्ञात होता है कि ईसा की पांचवी शताब्दी में दक्षिण कोसल में राजर्षि तुल्य कुल नामक कोई राजवंश राज्य करता था। उसमें निम्न राजा हुए– महाराजा शूर, दयित वर्मा, विभीषण भीमसेन प्रथम, दयित वर्मा द्वितीय, भीमसेन द्वितीय कलिंग के खारवेल की जो प्रशस्ति उड़ीसा में है उसमें 'राजर्षिवंश तुल्य कुल विनमृत' लिखा है। इससे लगता है कि खारवेल भी राजर्पिवंश कुल का था।

नलवंश (तीसरी से पांचवी शताब्दी)

नलवंश वाकाटकों के समकालीन माना जाता है। रायपुर क्षेत्र में इस वंश के बारे में कुछ उत्कीर्ण लेख मिले है। उस क्षेत्र में नलवंशीय स्वर्णमुद्राएं भी प्राप्त हुई है। खंडित लेखो में इस बात का उल्लेख मिलता है कि ब्राह्मणों को दान देने तथा भवदत वर्मन के पुत्र स्वद वर्मन के द्वारा नलवंश की पुनस्थापना एव पुष्करीं को राजवंश बनाने का उल्लेख है। नलवंश रायपुर क्षेत्र पर काफी समय तक शासन करते रहे।

शरभपुरीय वंश (पाचंवी और छठवी शताब्दी) अमरार्यकुल

इस वंश की स्थापना शरभराज द्वारा की गयी थी। इनकी राजधानी शरभपुर या सारंगढ़ थी। हाल में प्राप्त एक ताम्र पत्र के अनुसार शरम पुरवंश अमरार्यकुल' के अन्तर्गत आता है, पर बहुधा यह शरभपुरी ही कहा जाता है। शरभराज के पुत्र नाम नरेन्द्र था।नरेन्द्रकालीन दो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं एक पिपरदुला (सारंगढ़) और दूसरा कुरुद (रायपुर)। महाराज नरेन्द्र के दान कार्यों का इसमें उल्लेख है। शरभपुरी नरेशों के दानपत्रों की राजमुद्रा पर गजलक्ष्मी की खड़ी प्रतिकृति खुदी मिलती है। नरेन्द्र के बाद इस वंश का एक अन्य प्रतापी राजा प्रसन्न मात्र था जिसने अपने नाम की स्वर्णमुद्राओं का चलन किया था और निडिला नदी के तट पर प्रसन्न नामक नगर बसाया था। शरमपुर, श्रीपुर और प्रसन्नपुर इन तीनों राजधानियों के नाम ताम्रपत्रों में मिलते हैं। इनमें से शरभपुर और प्रसन्न अमरार्यकुल के नरेशों द्वारा बसाये गये थे। उस कुल में प्रवरराज और सुदेवराज जैसे शासक हुए। सुदेवराज ने श्रीपुर (सिरपुर) बसाया। छठी शताब्दी में शरभपुरीय वंश अमरार्यकुल कहलाया। शरभपुरीय और अमरार्यकुल के शासकों की शासन प्रणाली काफी उन्नत थी। राज्य शासन व्यवस्था, राष्ट्र, मोग मुक्ति, आहार तथा ग्रामों में विभक्त था। राज्य के कई सम्भाग होते थे जो राष्ट्र कहलाते थे। राष्ट्र आजकल के कमिश्नरियां या सम्भाग के समतुल्य था ।

पाण्डुवंश (पांचवी शताब्दी)

पाण्डुवंश के शासक सोमवंशी थे। प्रशस्तियों में इनका उल्लेख इस प्रकार किया गया है। "सोमवंश सम्भव, शशिवंश संभूत, शीतांशुवंश, विमलाम्बर, पूराचिंद"। इस वंश के प्रथम नरेश का नाम उदयन था। अन्य शासक थे इन्द्रबल, भवदेव, रणकेमदी, ईशानदेव। इन शासकों के सम्बन्ध विशेष रूप जानकारी राजिम, बलौदा और बोड़ाद मे प्राप्त तीवरराज के ताम्रपत्रों से होती है। इस वंश के अन्य तीवरदेव, नमदेव थे।

पाण्डु वंश को शक्तिशाली बनाने का यश नमदेव के पुत्र महाशिव त्रिवर या तीवरदेव को प्राप्त हुआ। तीवरदेव शैवधर्म अनुयायी था। यह दो विरुद्ध धारण किया करता था महाशिव और महाभव। उसने कोसल उत्कल और अन्य मण्डलों पर अपने पराक्रम से कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी।

महाशिव तीवरदेव का पुत्र महानमदेव अपने पिता का उत्तराधिकारी हुआ। अब उसने अपनी प्रशस्तियों में अपने को पाण्डु या पाण्डुवंशीय के स्थान पर सोमवंशीय कहना आरंभ कर दिया। यह परम वैष्णव दूर दूर तक फैल चुकी थी, और वहाँ बौध्द तथा अन्य धर्मावलम्बियों का ताता लगा रहता था. हाल ही में सिरपुर में खुदाई का काम शुरू किया गया था और उस समय वहाँ से अनेक बौद्ध विहार विशाल प्रतिमाएँ और शिलालेख प्राप्त हुए जो तत्कालीन धार्मिक एवं सामाजिक स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं। बालार्जुन महाशिवगुप्त के चार ताम्रपत्र अभी तक बारदुला, लोधिया, मल्लार तथा बोंड़ा से प्राप्त हुए है।

शैलवंश (ईसा की सातवी और आठवी शताब्दी)

शरभपुरीय वंश और कोसल राज्यों के बीच जब युध्द चल रहा था, तब इसी अव्यवस्था से लाभ उठाकर शैलवंशी राजाओं की शाखा ने कुछ समय तक छत्तीसगढ़ के एक क्षेत्र में राज्य किया था जिसका उल्लेख दुर्ग और बालाघाट के सरहदी ग्राम रघोली में प्राप्त ताम्रपत्र में है। इस राजवंश के शासक सूर्यवंशी थे।

मेकल के पांडव वंश

इन्होंने पांचवी शताब्दी में इस क्षेत्र में शासन किया था। भरतबल, नागबल आदि इस वषं के शासक थे।

सोमवंश

इन्होंने इस क्षेत्र पर ईसा की २–१५ वी शताब्दी तक शासन किया था। सोमवंशी अपने को कोसल, कलिंग और उत्कल उन तीनों कलिंग के अधिपति मानते थे। इन्होनें 'त्रिकलिंगाधिपति' की उपाधि भी धारण की थी इनकी राजमुद्राओं पर राजलक्ष्मी की छवि पाई जाती थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे, शिवगुप्त महाभव गुप्त जनमेजय महाशिवगुप्त भीमरथ द्वितीय, धर्मरथ नहुठा ययाति चण्डीहर। इनके शासन काल में कल्चुरी शासक लगातार आक्रमण करते रहे और अंततः सोमवेशियों का शासन समाप्त हो गया।

कलचुरि या हैहयवंश

इनका शासन छठवीं शताब्दी से आरम्भ कला को उदारता पूवर्क देकर अपनी यश पताका दूर दूर तक फहराता रहा, वह कलचुरि मुलतः कौन था, इसका निराकरण अभी तक यथार्थ रूप मे प्रमाणों के साथ नहीं हो पाया है। कोकाल्ल के ताम्रपत्रों में कल्चुरी अपनी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कहते है।

दक्षिणकोसल के कलचुरी (हैहयवंशी)

यह दो शाखाओं में बंट गया रतनपुर के कलचुरी और रायपुर के कलचुरि। त्रिपुरी के कलचुरि शासक समय समय पर दक्षिण कोसल पर चढ़ाई करते रहे किन्तु उनको विशेष सफलता नहीं मिली। सन् १०२० के लगभग कलिंगराज प्रतिनिधि के रूप में शासन करने लगे।

रायपुर के कलचुरि (लाहुरी शाखा खल्लारी और रायपुर का कलचुरी वंश)

रेवाराम कायस्थ के अनुसार १५वीं शताब्दी में रतनपुर के कलचुरि

(हैहयवंशी) राजा जगन्नाथ सिंह के दो पुत्र हुए वीरसिंह देव और देवसिंह देव ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण तो वीरसिंह देव को रतनपुर की राजगद्दी मिली और उसके वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी रतनपुर के राजा होते गये। इसी आपसी झगड़ों के कारण राज्य का बटवारा कर दिया गया और छोटे भाई देवनाथ सिंह को रायपुर राज्य (शिवनाथ नदी का दक्षिण भाग) दिया गया।

कलचुरियों की लहरी शाखा लगभग १४वी शताब्दी में रायपुर में स्थापित हुई। इस शाखा के राजा ब्रह्मदेव के दो शिलालेख रायपुर तथा खल्लारी से क्रमशः विक्रम संवत १४५८ एवं १४०० तदनुसार १४०२ एवं १४१५ के प्राप्त हुए है। इन अभिलेखों में लक्ष्मीदेव के पुत्र सिंघण तथा सिंघण के पुत्र रामचंद्र का उल्लेख मिलता है। इसमें सिंघण द्वारा १८ गढ़ों को जीतने का उल्लेख मिलता है। रामचन्द्र द्वारा नागवंश के राजा भीमदेव को पराजित किये जाने का उल्लेख मिलता है। खबारों के अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि देवपाल नामक मोची ने नारायण का एक मंदिर यहां बनवाया था।

ब्रह्मदेव के पश्चात् रायपुर के कलचुरियों से सम्बन्धित कोई जानकारी नहीं है। जनश्रुति के अनुसार, रायपुर शाखा का संस्थापक केशवदेव नामक राजा था। जो कलचुरियाँ अनुश्रुतिमय वंशावली में उलिखित सैतीसवें राजा वीरसिंह का छोटा भाई था चूंकि ऐतिहासिक साक्ष्यों से ब्रह्मदेव नामक राजा की जानकारी उपलब्ध है, अतः इसके पश्चात् केशव देव का काल १४२० ई. मानते हुए अंतिम राजा अमर सिंह देव के मध्य सोलह राजाओं की सूची मिलती है। इस सूची के अनुसार १७४१ से १७५० ई. तक अमर सिंह ने राज्य किया था किन्तु अमरसिंह देव का एक ताम्रपत्र विक्रम संवत १७६२ तदनुसार १७३५ई के प्राप्त हुआ है जिससे स्पष्ट होता है कि वह १७३५ई के पूर्व राजा हो गया था। अमरसिंह देव को १७५० ई में मराठों ने बिना किसी विषय के राज्यच्युत कर दिया था तथा उसे कुछ इलाकों का जमींदार जैसा बना दिया था। सन् १७५३ अमरसिंह देव की मृत्यु हो गई। तब इसके पुत्र शिवराज सिंह को कुछ गांव माफी देकर तथा

पूर्वजों के प्रत्येक गाव से १ रु. खर्च देकर इसका अधिकार समाप्त कर दिया गया।

रेवाराम बाबू और गजेटियर के अनुसार कलचुरियों की लहुरी शाखा और रायुपर शाखा(शिवनाथ नदी के दक्षिण) में शासकों की सूची इस प्रकार दी गई हैः

क्र.	शासक का नाम	शासन काल
01.	केशवदेव (पिता देवनाथ सिंह)	१४०७ – १४३७
02.	भुनेश्वरदेव	१४३८
03.	मानसिंह	१४६३
04.	संतोष सिंह देव	१४७८
05.	सूरत सिंह देव	१४९८
06.	सन्मान सिंह देव	१५१८
07.	चामुंड सिंह	१५२८
08.	वंशी सिंह देव	१५६३
09.	घन सिंह देव	१५८२
10.	जैत सिंह देव	१६०३
11.	फतेह सिंह देव	१६१५
12.	यादव सिंह देव	१६३३
13.	सोमदत्त	१६५०
14.	बलदेव सिंह देव	१६६३
15.	उम्मेद सिंह देव	१६८५ (मेरसिंह देवाराम)
16.	बनवीर सिंह देव	१७०५ (बरियार सिंह देंवाराम)
17.	अमर सिंह देव	१७४१ – १७५३
18.	शिवराज सिंह देव	१७५३ (नवरातसिंह देवाराम)

कलचुरि शासन व्यवस्था

तत्कालिन अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मि. चिशम सन् १८६८ में कल्याण सहाय द्वारा लिखित 'राजस्य की पुस्तक' को आधार मानकर

हैहय कालीन शासन प्रणाली के सम्बंध में जो कुछ लिखा है उसके अनुसार हैहय शासन के संचालन हेतु राजा के अतिरिक्त अनेक अधिकारी हुआ करते थे। जिसकी अंतिम कड़ी गाँव का मुखिया हुआ करता था। इस विवरण के अनुसार सम्पूर्ण राज्य गढ़ों में विभक्त था, जिसका अधिकारी दीवान होता था। प्रत्येक गढ़ के अधीन ८४ गाँव हुआ करते थे। लेकिन कुछ गढ़ ऐसे भी थे जिनके अधीन केवल ४२ गाँव या उससे कुछ गाँव थे। रतनपुर और रायपुर के अधिकार में क्रमशः १८–१८ गढ़ थे। दीवान के अधिनस्थ कर्मचारी को दाऊ कहा जाता था। दाऊ के अधीन १२ गाँवों का समुदाय होता था। इसलिए दाऊ को बारहों का अधिकारी कहा जाता था। शासन की सुविधा की दृष्टि से राज्य गढ़ों और गढ़ बारहों में बाँटे गये थे। दाऊ के अधिनस्थ अधिकारी गौटिया कहलाते थे। वह गाँव का मुखिया होता था, किसानों से प्रत्यक्ष सम्बन्ध रखता था तथा गाँव वालों से लगान वसूल कर उसे उचित माध्यम से केन्द्रिय सरकार को भेजता था। इन अधिकारों द्वारा वसूल किये गये लगान का एक अंश उनको लाभांश के रूप में मिला करता था। कुछ समय बीतने के बाद उन पदों के लिए ज्येष्ठाधिकार प्रथा चल पड़ी।[१९].

प्रत्येक कर्मचारी अपने अपने क्षेत्र में अधिनस्थ कर्मचारियों की नियुक्ति और बर्खास्तगी का कार्य स्वतंत्रतापूर्वक कर सकता था। इसका परिणाम यह हुआ कि विभिन्न पदों पर नियोक्ताओं के रिश्तेदारों की ही नियुक्ति होने लगी। राजा ने स्वयं इस परंपरा की नींव रखी। अपने अपने क्षेत्र में अन्य अधिकारियों ने भी इस नीति का अनुसरण किया।[२०] व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूप से जनता की भावना को उमारकर लगान वसूल कर लिया जाता था। यह कार्य कुछ लोगों के लिये अनुलाभ प्राप्त करने का साधन बना हुआ था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि हैहय शासन की समाप्ति के पूर्व राज्य के अधिकारियों ने अपने अधिकारों की निरंतर वृद्धि हेतु अपने पदों को वंशानुगत बना दिया था। जैकिन्स के अनुसार, राज्य के अधिकांश भागों का विभाजन राजपरिवार के सदस्यों और सैनिक तथा असैनिक कर्मचारियों के बीच हुआ करता होगा। केन्द्रीय शक्ति के कमजोर होने पर

अधिकारियों ने अपनी शक्ति कायम करने के लिये सैनिक और न्यायिक अधिकारों का अपने हाथ में लेकर मौका पड़ने पर राजा के विरुद्ध भी विद्रोह किया होगा और इस प्रकार केंद्रीय शक्ति अधिकाधिक विघटित हो गयी होगी।

मराठों का शासन

१७४१ में हैहय शासन पतन की कगार पर पहुंच चुका था। केन्द्रीय शक्ति का बहुत पहले से ही विघटन आरम्भ हो चुका था और अनेक छोटे–छोटे शासक राज्य की जड़ों को दिन प्रतिदिन खोखली बना रहे थे। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर नागपुर के भोंसला शासक के सेनापति भास्करपन्त ने तीस हजार सैनिकों के साथ रतनपुर राज्य पर आक्रमण किया। उस समय वहाँ रघुनाथसिंह का शासन था। उन्होंने भास्करपन्त के समक्ष समर्पण कर दिया। जिस ढंग से गौरवशाली हा देश का पतन हुआ, वह उसके लिये अपमानजनक था। हैहय शासन दुर्बलता के उस कगार पर पहुंच गया था कि सोनाखान की जमींदारी ने अपनी आतंकवादी नीति से शासन को भयभीत कर बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, जिसके कारण राज्य के राजस्व में कमी हो गयी थी। रघुनाथ सिंह की मृत्यु के बाद मोहनसिंह का शासन सन् १७५० तक चलता रहा। वैसे ये शासक भोसलों के नियंत्रण में थे। जब मोहन सिंह की मृत्यु हुई (१७५८) तो सर्वप्रथम मॉसला शासक ने वहाँ अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। इसके अनुसार रघुजी प्रथम का पुत्र बिम्बाजी मॉसला वहाँ का प्रथम मराठा शासक हुआ।

इस समय कलचुरि हैहयों की रायपुर शाखा में अमरसिंह नामक व्यक्ति शासन कर रहा था। उसने भी मराठों के विरुद्ध कोई क्रान्ति नहीं की। अतः मराठों ने उसकी जीविका हेतु राजिम, रायपुर और पाटन के परगने प्रदान कर बदले में ७००० रू. वार्षिक भेंट लेकर उसे सन् १७५० में शासन से अलग कर दिया। तीन वर्ष बाद अमरसिंह की मृत्यु हो गई। उसका पुत्र शिवराज सिंह राज्य का उत्तराधिकारी बना परंतु भोंसला ने उत्तराधिकार से प्राप्त उसकी जागीर छीन ली। सन् १७५७ में इस शाखा

पर भी भोंसलों ने अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया और परवरिश हेतु शिवराज सिंह को कर मुक पाँच गाँव प्रदान कर दिये।

बिम्बाजी भोंसला (१७५८–१७०७) ने इस क्षेत्र में नागपुर से अलग होकर अपना स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। बाली क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हुआ किन्तु मराठा शासन के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ और हैहयों के प्राचीन वैभव का हास होने लगा। इस क्षेत्र में चोर डाकुओं का उत्पात बना रहता था।

राजधानी हटाकर नागपुर से इस क्षेत्र पर शासन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि नागपुर ही छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गतिविधियों का केन्द्र बन गया और रतनपुर का राजनीतिक वैभव धूमिल होने बिम्बाजी की मृत्यु के पश्चात व्यंकोजी भासला को छत्तीसगढ़ का राज्य प्राप्त हुआ। उसने रतनपुर से लगा। व्यंकोजी ने छत्तीसगढ़ में सूबेदार की स्थापना की। यहीं से छत्तीसगढ़ में सूबेदार को नियुक्त करने की परम्परा का आरम्भ हुआ। छत्तीसगढ़ की शासन प्रणाली में किया गया यह परिवर्तन मराठा शासन की उपनिवेशवादी नीति का परिचायक है। शासन के इस नये स्वरूप को श्सूबा सरकारष् की संज्ञा प्रदान की गई। यह शासन प्रणाली सन् १७८७ से १८१८ तक विद्यमान रही। मराठा शासकों ने इसके बाद छत्तीसगढ़ के शासन में कोई रुचि न ली।

सूबेदार का मुख्यालय रतनपुर था। यहीं से सम्पूर्ण क्षेत्र का शासन होता था। छत्तीसगढ़ के शासन हेतु ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना के पूर्व जिन मराठा सूबेदारों ने वहां शासन किया उनके नाम निम्नलिखित हैः

१. महिपत राव दिनकर १७८८–१७९१
२. विठ्ठल दिनकर १७९०–१७९६
३. भवानी कालू १७९६–९७ भवानी राव ने तो अपने उपएजेंट को दो विस्टेव को छत्तीसगढ़ में नियुक्त कर दिया और स्वयं नागपुर में रहे।
४. केशव गोविन्द १७९७–१८०८

५. विकोजी पिंड्री और दीरो कल्लूलकर १८०८–०६

६. वीकाजी गोपाल १८०६–१८१७

७. सखाराम हरि, सीताराम टाटिया १८१७

८. यादवराव दिवाकर १८१७–१८१८

मराठे नागपुर की सत्ता की राजनीति में रूचि लेते थे। उन सूबेदारों ने भी छतीसगढ़ के कल्याण के बजाय नगपुर की राजनीति में ही रुचि ली।

फारेस्टर नामक यूरोपीय यात्री ने प्रथम मराठा सूबेदार महिपतराव दिनकर के शासन कालका आंखों देखा हाल लिखा है। उसने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के निवासी मराठा सूबेदारों से घृणा करते थे। उसने रायपुर को एक सुन्दर शहर बताया जो एक विशाल तालाब के किनारे स्थित है। रतनपुर क्षेत्र एक उन्नत क्षेत्र है यहां की जमीन उपजाऊ है।

बिम्बाजी के शासनकाल में रतनपुर का राजस्व लगभग ६ लाख था जो प्रथम सुबेदार न होते हुए भी एक बड़ा शहर था। उसकी इस महत्ता पर ध्यान देते हुए ही अंग्रेजों ने अपने शासन काल में रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया।

बाद में सूबेदारों ने ठेकेदारी प्रथा आरम्भ कर दी और इस सम्पूर्ण क्षेत्र का शासन ठेकेदारों के माध्यम से चलाया जाने लगा। मि. ब्लंट ने लिखा है छत्तीसगढ़ का सूबा एक निश्चित राशि पर अतुल पंडित नामक व्यक्ति को दे दिया गया था। इस तरह छत्तीसगढ़ का प्रशासन दिनों दिन गिरता चला गया।

मराठा शासन काल में हलों की संख्या के आधार पर छत्तीसगढ़ के किसानों पर कर निर्धारण किया जाता था। इससे यह प्रकट होता है कि उस समय भूमि माप कर उसके अनुसार कर निधारण की कोई मान्य व्यवस्था नहीं थी। नकद राशि के स्थान पर कर के रूप में किसानों से अनाज लिया जाता था। इसलिए लगान वसूल करने वाले के पास बहुत अधिक अनाज इकट्ठा हो जाता था। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय

अनाज की ब्रिकी का कोई उचित प्रबंध नहीं था और इस दृष्टि से मराठे किसानों को अधिकाधिक सरकार पर आश्रित रखते थे। मराठे यह सोचते थे कि ऐसा करके ही किसानों की विद्रोहात्मक प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता था। मराठी की यह नीति उनकी शोषक वृत्ति की द्योतक है। यह एक बहुत बडी विडम्बना है कि बिम्बाजी की मृत्यु के पश्चात् माँसला शासको में छत्तीसगढ़ की जनता से कोई सीधा सम्पर्क नहीं स्थापित किया। अतः शासक और शासित के बीच कोई मधुर सम्बन्ध स्थापित न हो सका।

यूरोपीय यात्रियों ने लिखा है कि छत्तीसगढ़ में अनाज बहुत सस्ता था यह सड़क मार्ग से नागपुर भेजा जाता था। व्यापारी अनाज का बहुत कम मूल्य देकर किसानों को लूटते थे। छत्तीसगढ़ के आस–पास पिंजारियो द्वारा लूटपाट किया जाता था। सम्बलपुर के शासक मराठों से स्वतंत्र होने का प्रयत्न करते थे। सरगुजा को लेकर मराठो और अंग्रेजों में अनबन हो गयी थी।

सूबेदारों का शासन छत्तीसगढ़ के लिए अहितकारी था। छत्तीसगढ़ मराठों के लूट का क्षेत्र बना। इससे सूबा शासन काल में छत्तीसगढ़ में आतंक अराजकता अव्यवस्था आदि फैली कृषि के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। छत्तीसगढ़ के शासन के लिए नियुक्त होने वाले सर्वाध अधिकारी सूबेदारों का पद न तो स्थायी था और न वंशानुगत उनकी नियुक्ति ठेकेदारी प्रथा के अनुसार होती थी। जो व्यक्ति छत्तीसगढ़ से सर्वाधिक राशि वसूल कर नागपुर भेजने का वादा करता था वह सूबेदार के पद पर नियुक्त कर दिया जाता था। ऐसा करते समय उसकी प्रतिभा और कार्यकुशलता पर कोई विचार नहीं किया जाता था। अतः ये जनहितकारी कार्यों की ओर से उदासीन रहकर व्यक्तिगत लाभ की दृष्टि से अधिकाधिक राशि वसूल कर नागपुर भेजना चाहते थे। प्रशासकीय अनुभवहीनता के कारण भी इन सूबेदारों के कार्यालयों की व्यवस्था अत्यन्त अपूर्ण, अव्यवस्थित एवं दोषपूर्ण होती थी।

छत्तीसगढ़ का प्रदेश मोंसला राजकुमारों में बिम्बाजी, व्यंकोजी, अप्पा साहब के नाम विशेष उल्लेखनीय है १७७० में विट्ठल दिनकर ने राजस्व व्यवस्था में नया परिवर्तन प्रस्तुत किया। यह परिवर्तन परगणा पद्धति के नाम से विख्यात हुआ हैहय कालीन शासन व्यवस्था को बनाये रखने पर मराठो के उद्देश्य की पूर्ति न हो सकती थी। इस व्यवस्था को बनाये रखने पर उन्हें अधिकाधिक धन न मिल पाता। इसलिए मराठों ने हैहय शासकों द्वारा नियुक्त दीवानों और दाऊओं को हटाकर पुराने गढ़ो की इकाई को समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर उन्होंने इसकी येर्ि वि भिजितका नवीन व्यवस्था नागपुर राज्य में प्रति व्यवस्था के अनुरूप यह व्यवस्था ह सन् १७२०–१८१८ वद्यमान रही मराठी द्वारा गणित की संख्या 20 पेश शासन के ही अनुरूप था।

रायपुर बिलासपुर क्षेत्र के सम्पूर्ण शासन को दो भागों में विभाजित किया गया (१) क्षेत्रका शासन (२) जमींदारी क्षेत्र का शासन। खालसा क्षेत्र पर मराठी ने अपना प्रत्यास रखा, किन्तु जमींदारी क्षेत्र को उन्होंने विभिन्न जमींदारों के हाथों में कर दिया। इस प्रकार जमींदारी क्षेत्र से जनको आय तो होती थी परंतु इस क्षेत्र के शासन के प्रत्यक्ष दायित्व से मुक्त थे। यहां की शासन व्यवस्था में एकरुपता स्थापित करने की दृष्टि से मराठों द्वारा यह पहला परिवर्तन किया गया, किन्तु इससे किसानों की मूल समस्याओं जैसे लगान वसूली के तरीके, भूमि की नाप एवं किसानी एवं गठियों के पारस्परिक संबंधों का कोई नया निदान पेश नहीं कर सके।

मराठों ने सन् १७६० में यद्यपि राजस्व के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने का प्रयत्न किया तथापि वह पूर्णरूपेण व्यवस्थित और वैज्ञानिक न बन सका। भूमि सुधार निर्धारण का कार्य गांव स्तर का होता था और इस नियम में समय समय पर नागपुर शासन के आदेशानुसार परिवर्तन भी होते रहते थे।[२५]

मि. एगन्यू लिखते हैं कि सम्पूर्ण प्रदेश में राजस्व की वसूली में लूट सी मची हुई थी। कर वसूली के लिये न तो कोई सामान्य सिद्धांत था और

न कोई निश्चित नियम शासकों का एक मात्र उद्देश्य वहां से अधिकाधिक राशि प्राप्त करते रहना था। राजस्व की वसूली तीन बराबर किस्तों में की जाती थी। फसली वर्ष का आरंभ प्रति वर्ष जून से होता था। इस समय सूबेदार और कमाविसदार क्षेत्र के किसानों को अधिकाधिक मात्रा में जमीन की जीत के अंतर्गत लाने के लिये प्रोत्साहित करते थे। लापता किसानों को भी कृषि कार्य के लिये आमंत्रित किया जाता था। परन्तु यह कार्य नियमतः नहीं होता था। भूमि वितरण के समय गांव का गौटिया किसानों को एकत्रित करता, उनकी शिकायतें सुनता और भूमि का पुर्नवितरण करने का प्रयत्न करता था। आवश्यकता पड़ने पर मीडिया और पटेल किसानों के बीज और जानवरों की खरीदी करने के लिये रुपये देकर उनकी सहायता करते थे।

बोनी समाप्त हो जाने के बाद कमाविसदार अपने क्षेत्र के किसानों से गत वर्ष की बकाया राशि की अदायगी हेतु तकादे भी करते रहते थे। अगस्त माह के अन्त में सूबेदार सभी कनाविसदारों को यह निर्देश देता था कि वे गत वर्ष के कर निर्धारण के अनुसार कुल राजस्व की राशि का १/३ अंश वसूल कर उसे ५ अक्टूबर तक सरकारी खजाने में जमा करवा दें। कमाविसदार तदानुसार अपने क्षेत्र के पटेल या गौटिया को यह निर्देश भेजता था कि गाँव में जाकर चालू वर्ष के लिये भूमि कर का निर्धारण करें और पिछला बकाया यदि कोई हो तो वसूल करके ले आवें। यदि कोई गाँव विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में अधिक राजस्व पटाने की क्षमता रखता था तो कमाविसदार गौटिया या पटेल इस संदर्भ में विचार विमर्श कर लगान की राशि में वृद्धि कर देता था। इसका ब्यौरा पटेल या गौटिया के पास रहता था। इस तरह किसानों को भविष्य में पटायी जाने वाली किश्तों की राशि का ब्यौरा मालूम हो जाता था। परगना के वार्षिक लगान का १/३ भाग जिसका निर्धारण विगत वर्ष के अनुसार ही होता था, वसूल करके सितम्बर या अक्टूबर माह में खजाने में जमा कर दिया जाता था। वार्षिक कर निर्धारण का कार्य पड़ती जमीन की मात्रा, मौसम की खराबी और जानवरों की बीमारी आदि प्रश्नों पर विचार करने के बाद ही किया

जाता था। लगान की दूसरी किश्त भी १/३ अंश हुआ करती थी। इस अंश की वसूली कमाविसदार द्वारा गौटिया या माल चपरासी भेजकर करवायी जाती थी। इसकी अदायगी की तिथि ५ जनवरी हुआ करती थी। किश्तों की अदायगी के संधिकाल में कमाविसदार अपने क्षेत्र का दौरा करके अपने को वहां की परिस्थितियों से अवगत कराता था। लगान की तीसरी और अंतिम किश्त ५ अप्रैल तक की जाती थी। वसूली का तरीका दूसरी किश्त की तरह ही था। दूसरी किश्त की वसूली के बाद जनवरी के अंतिम सप्ताह में सुबेदार अपना दौरा आरम्भ करता था, जिसकी पूर्व सूचना कमाविसदारों और गौटिया और पटेलों को दे दी जाती थी। इस सूचना में उन्हें यह भी हिदायत दी जाती थी कि वे सूबेदार के आगमन के समय उपस्थित रहें। परगना में पहुंचने के बाद सूबेदार गत वर्ष की राजस्व वसूली का विवरण एवं हिसाबों की जाँच करता था। तत्पश्चात् कचहरी में उपस्थित होकर वह पटेल, गौटिया और किसानों की बात सुनता था तथा कमाविसदार की रिपोर्ट के अनुसार वह सम्बन्धित परगना का वार्षिक कर निर्धारित करता था। इस तरह साल की राशि में सूबेदार लोकतांत्रिक ढंग से कर निर्धारण का स्वांग स्वकर स्वेच्छा से कर वृद्धि करता था। इससे सम्बन्धित क्षेत्र के गौटिया और किसान बढ़ी अनिच्छा से निर्धारित कर को स्वीकार करने को उथत होते थे कर निर्धारण के सम्बन्ध में यदि कोई शिकायत होती तो इसकी जाँच पड़ताल कर सूबेदार स्वयं उस पर अपना निर्णय देता था, किन्तु इस पर शिकायतकर्ता को संतोष नहीं होता था तो वह गाँव किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप दिया जाता था। कर निर्धारण सम्बंधी रिपोर्ट कार्यालय में रखे जाते थे। इसके पश्चात् परगने का फड़नवीस एक रिपोर्ट तैयार करता था। इस रिपोर्ट में परगना में राजस्व का पिछला बकाया, चालू वर्ष में लगाये गये लगान की राशि, किश्तों का विवरण, माल मसकूर के खर्च का प्रावधान गाँकासा ग्राम के लिये कटौती आदि अनेक बार्ता का उल्लेख रहता था। इस कार्य की पूर्णता के बाद सूबेदार कचहरी में उपस्थित लोगों को संबोधित करता था और उन्हें संपूर्ण परगना पर लगाये जाने वाले राजस्व की सूचना देता था। इसके बाद वह 'सिरपाव' के कार्य

को संपन्न करता था। इस प्रकार सूबेदार ८–१० सप्ताह में संपूर्ण प्रदेश का दौरा कर वार्षिक हिसाब बंद करता था और विवरण नागपुर भेज देता था।

मराठों ने रायपुर क्षेत्र में पुलिस की विशेष व्यवस्था नहीं की थी जिससे चारों ओर अराजकता थी। कोतवाल, गोठिया, चौहान आदि पुलिस का कार्य करते थे इसके लिये वे कमाविसदार को उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार न्याय की कोई सुचारु व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार पटेल, गोठिया, कमाविसदार, सुबेदार के न्याय के कार्य और क्षेत्र निश्चित नहीं थे। कोई अपील पद्धति नहीं थी। कमाविसदार अपराधों के संबंध में सुबेदार को सूचनाएं देता था जो जिले का प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता था। न्यायिक अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। ठाकुरो, ब्राह्मणों को निम्न जातियों से उंचा स्थान प्रदान किया जाता था। भेंट और कृपा के द्वारा भी न्याय प्राप्त किया जाता था।

मराठा शासन के प्रमुख अधिकारी इस प्रकार थे। सूबेदार फड़नवीस, सहायक फड़नवीस, कमाविसदार, बड़कर, गोटियां और पटेल। रायपुर जिले में जाति व्यवस्था प्रचलित थी। अस्पृश्यता का व्यवहार होता था। जिला ग्राम प्रधान था। बाहाण ठाकुरो और वैश्यों को छोड़कर निम्न पेशे के लोग थे स्वर्णकार, लुहार, बढ़ई, मरार, कलार, ढीमर, कॅवट, कोष्टा, दर्जी, धोबी, कसेर, तमेर, चरवाहा, नाई, कुम्हार, गड़रिये, बंजारे, रावत, तेली, कुर्मी शुद्रों में कुन्देर, गाड़ा, पनका, महरा, घसीया, हलालखोर, मेहर या चमार प्रमुख थे जिनमें से अधिकांश सतनामी धर्म को स्वीकार करने लगे थे। आदिवासियों में प्रमुख थे गोंड़, बिम्भुवार, कंवर, हलवा।

लोगों में सैनिक पद्धति नहीं थी इसलिये वे अच्छे सैनिक नहीं बन सकते थे। क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार नहीं के बराबर था। मराठो ने शिक्षा के प्रसार में कोई योगदान नहीं दिया।

ब्रिटिश शासन (१८१८–१८३०)

रघुजी द्वितिय के पुत्र परसोजी भोंसले अक्षम सिद्ध हुए। शासन संचालन हेतु उन्होंने अपने काका अप्पा साहेब को रिजेन्ट नियुक्त किया।

अप्पा साहेब ने हेस्टिंग्स की सहायक संधि को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार १८१६ में मराठा शासन का अंत हो गया और क्षेत्र में अंग्रेजी हुकूमत कायम हो गयी।

१८१८–१८३० तक छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश रेसीडेंट मि. जैकिन्स का आदेश चलने लगा। ब्रिटिश शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिये की जाने वाली नवीन व्यवस्था के वे सूत्रधार थे। कैप्टन एडमंड छत्तीसगढ़ के लिये प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किये गये मि. एडमंड के बाद मि. एगन्यू छत्तीसगढ़ के अधीक्षक बनाये गये। वे बहुत योग्य शासक थे। व्यवस्था की दृष्टि से छत्तीसगढ़ को पहली बार एक योग्य, अनुभवी और कुशल अधीक्षक प्राप्त हुआ। मि. एगन्यू को रेसीडेंट का यह स्पष्ट आदेश था कि वे छत्तीसगढ़ के प्रशासन को भ्रष्टाचार रहित बनाये। २७

रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी (१८१८)

मि. एगन्यू ने रतनपुर के स्थान पर १८१८ में रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया। बिम्बाजी भोंसले के बाद से रतनपुर का प्राचीन गौरव तेजी से लुप्त होने लगा था।[२८]

रायपुर एक बड़ा नगर था और छत्तीसगढ़ के केन्द्र में था और अन्य सभी सुविधाओं से युक्त था।

राजधानी परिवर्तन के बाद मि. एगन्यू का दूसरा बड़ा कार्य प्रशासनिक ढांचे में आमूल परिवर्तन करना था। उसने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे को अधिक सचेष्ट और गतिशील बनाया। इस अधीक्षक के आगमन के पूर्व छत्तीसगढ़ में कुल २७ परगने थे। इनको पुनर्गठित करके केवल ८ परगनो में सीमित कर दिया गया। प्रत्येक परगने की लम्बाई १८० मील व चौडाई १२० मील रखी गयी। इन परगनो में ७ कमाविसदार परगना अधिकारी के रूप में नियुक्त किये गये ये कमाविसदार अधीक्षक की देखरेख में कार्य करते थे परन्तु अपने–अपने परगनों के संदर्भ में इन पर शासन का पूरा उत्तरदायित्व था।[२९]

कुछ समय बाद दुर्ग, बालोद के परगने भी मि. एगन्यू के अधिकार में सौंप दिये गये। नये परगनों के शामिल किये जाने के बाद छत्तीसगढ़ की खालसा भूमि की आबादी ५ लाख ६६ हजार ८ सौ पैंतालीस आंकी गयी। छत्तीसगढ़ के परगनो, क्षेत्रों और ग्रामों की संख्या इस प्रकार थी

	परगना	क्षेत्र	ग्रामों की संख्या
१.	रायपुर	रायपुर	६३१
		कुलू	२८
		सिरपुर	६२
		सिमगा	६५
		कोटा	८८
		कुर्रा	१६
		तरेंगा	१०२
		कुलग्राम	१०२६
२.	रतनपुर	रतनपुर	४८५
		बलोदा	६७
		तखतपुर	१७३
		विजयपुर	६१
		लोरमी	१०६
		कुलग्राम	६०६
३.	राजरो	राजरो	१०
		पाटन	१५५
		आरंग	४२
		फिंगेश्वर	८१
		कुलग्राम	३६८
४.	धमतरी	धमतरी	५०७
		कुरूद	१०
		गुडंरदेही	५३
		कुलग्राम	५७०

५.	बालोद	बालोद	२५२
		लोहारा	२५२
		कुलग्राम	३९१
६.	दुर्ग	दुर्ग	२८४
		संजारी	१३३
		कुलग्राम	४१७
७.	धमधा	धमधा	३११
		देवरबीजा	७७
		परपोड़ी	२३
		कुलग्राम	४११
८.	नवागढ़	नवागढ़	३७१
		मुंगेली	१५९
		मदनपुर	२३
		बडमारा	११
		पुढडीह	३६
		रांका	११९
		मारो	१५३
		कुलग्राम	८७२
९.	खरौद	खरौद	१५८
		टकलतरा	९३
		कोकरा	१०
		नवागढ़	५३
		जाजगीर	३१
		कीकरदा	११४
		कुलग्राम	४४९

अंग्रेजों ने एक हद तक मराठा की लूटमार और अराजकता की नीति को समाप्त कर कानून और व्यवस्था (Rule of law) स्थापित करने का प्रयास किया। यहां महारसिया और सावन्तभारती के मामलों के निपटारे से स्पष्ट हुआ १८२५–२८ तक मि सेंडीज छत्तीसगढ़ के अधीक्षक रहे।

अंग्रेजों ने इस अल्प अवधि में राजस्व और न्याय व्यवस्था में संशोधन का प्रयास किया। उन्होंने भूमि राजस्व की वसूली को तार्किक ढंग से करने का प्रयास किया। नयी व्यवस्था के अंतर्गत कमाविसदार को नगद वेतन दिया जाने लगा। मि. एगन्यू ने कमाविसदार और गोटियों को स्पष्ट आदेश दिया कि वे गांव में पहले से विद्यमान पट्टियों को ही लगान रजिस्टर में दर्ज करे। इस आदेश का कड़ाई के साथ पालन करवाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि कर अदायगी का कार्य अब रुपयों के माध्यम से किया जाने लगा (पहले कौड़िया चलती थी, इसे बंद करवा दिया गया)। मापतौल की व्यवस्था में भी एक रुपता का अभाव था जिसे सुधारा गया। लगान वसूली की मराठा कालीन पूर्व निर्धारित तिथियों में कृषकों की सुविधानुसार अनुकूल परिवर्तन किये गये। गौटिया लोगों को स्पष्ट आदेश दे दिये गये थे कि वे कमाविसदारों से कर अदायगी पर रसीद प्राप्त करे ऐसा करने का उद्देश्य अनुचित वसूली और हिसाब की गड़बड़ियों के संबंध में अंकुश लगाना था। मराठा शासनकाल में इस संबंध में काफी गड़बड़ियां पायी जाती थी। माल चपरासियों को यह हुकम दिया गया था कि कर वसूली के समय वे किसी प्रकार का अनुचित लाभ न उठायें और वेतन पर ही निर्भर रहें। इससे कमाविसदार से लेकर मालचपरासी तक शासन के अनुशासन में बंध गये।[३०]

मि. एगन्यू ने छत्तीसगढ़ में भूमि कर निर्धारण के संबंध में अत्यधिक सावधानी और वैज्ञानिकता का परिचय दिया। उसने प्रमुखतया इन बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया और यह भी ध्यान में रखा कि क्षेत्रिय किसानों को अधिक से अधिक सुविधा मिले, राजस्व अधिकारियों से उनका उचित और न्यायपूर्ण संबंध स्थापित हो और उनके तथा अधिकारियों के विवादों का हल सरलता पूर्वक हो जाय। कर निर्धारण के आधार निम्न थेः

१) **जमीन का वर्गीकरणः** कालीजमीन डोरसा, भर्री, भाठा, डीह, कछार, पथरीली। बेकार पड़ी जमीन को जोत के अंतर्गत लाने का प्रयास किया गया।

२) किसानों की आय

३) कृषि योग्य क्षेत्र की उत्पादन शक्ति।

४) राजस्व के अधिकारियों का दायित्व और विवादों के हल के उपाय

आठ वर्षों में लगान निर्धारण का प्रयास किया गया। इससे राजस्व में लगभग २१ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अंग्रेजी शासन के विभिन्न अधिकारियों के कार्यों की रिपोर्ट के लिये माहवारी और वार्षिक रिपोर्ट देने की प्रथा का सूत्रपात किया गया इससे अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यों का स्पष्ट विवरण शासन को प्राप्त होने लगा। इस व्यवस्था से राजस्व विभाग से संबंधित अधिकारियों के कार्यों का समुचित निरीक्षण भी होने लगा। क्षेत्र के लोगों में सुरक्षा की भावना भी बढ़ती गई जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई।

छत्तीसगढ़ में पुनः भोसला शासन (१८३८–१८५४)

१८३० में मोसला शासक और अंग्रेजों के बीच एक नवीन संधि हुई। इस संधि के अनुसार मोसला शासकों को रेसीडेंट के प्रभाव से मुक्त कर दिया गया। इस संधि के द्वारा छत्तीसगढ़ में मोसला शासन की पुर्नस्थापना हुई। इस दिन से ब्रिटिश प्रशासक ने छत्तीसगढ़ में हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। भोसला शासक ने छत्तीसगढ़ के जिलेदार के रूप में कृष्णराव अप्पा को नियुक्त किया। उसे छत्तीसगढ़ के राजस्व संबंधी मामलों और जमींदारियों का ज्ञान नहीं था, वह एक अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। १८३०–५४ के बीच छत्तीसगढ़ के शासन के भोसला शासकों में निम्न जिलेदार नियुक्त कियेः

(१) कृष्णराव अप्पा (२) अमृतराव (३) सदरुद्दीन (४) दुर्गा प्रसाद (५) इंदुवाराव (६) सखाराम बापू (७) गोविंदराव (८) गोपाल राव।

अब ये मराठा अधिकारी छत्तीसगढ़ की जनता को आतंकित नहीं

कर सकते थे, क्योंकि अपील होने पर ब्रिटिश रेजीडेंट कभी भी दखल दे सकता था। रघुजी तृतीय इस समय स्वतंत्र शासक होते हुए भी परोक्ष रूप से अंग्रेज रेजीडेंट उसके शासन में हस्तक्षेप करते रहते थे। साथ ही अंग्रेज रेजीडेंट इस बात के लिए सावधानी बरतते थे कि मराठे उनके विरुद्ध षड़यंत्र न रखें। ब्रिटिश रेजीडेंट ने उस समय छत्तीसगढ़ के शासन में हस्तक्षेप किया जबकि खैरागढ़ और राजनांदगांव के जमींदारों ने भोसला शासक के द्वारा कर वृद्धि के विरुद्ध रेजीडेंट से शिकायत की। वैसे रेजीडेंट ने भोसला शासक को बाध्य किया कि वह अपने शासन की आंतरिक बातों की पूर्ण जानकारी देता रहे जिससे उचित समय पर जन असंतोष का निराकरण किया जा सके। मोसला शासक रघुजी तृतीय ने राजस्व प्रशासन में छोटे मोटे सुधार किये, फिर भी छत्तीसगढ़ में मराठा शासन में चुस्ती का अभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगा और राजस्व वसूली का कार्य प्रभावित होने लगा। नागपुर राज्य ने कुछ सिक्के भी प्रचलित किये। न्याय व्यवस्था में भी ढिलाई परिलक्षित होने लगी। रेजीडेंट मि. विल्किनसन ने लिखा है कि उस समय लोगों ने मोसला कालीन न्यायप्रणाली की जोरदार शब्दों में शिकायत की थी कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय बड़ा महंगा होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ में डाकूओं और लूटेरों का उत्पात बहुत बढ़ता जा रहा था मुल्तानियों के लूट से लोग बहुत परेशान थे। ठगों, पिंडारियों, मुल्तानियाँ आदि डकैतों का सफाया करने के लिये ब्रिटिश रेजीडेंट ने केप्टन स्लिमन को भार सौंपा। कैप्टन स्लिमन ने इन डाकूओं का पूर्ण रूप से सफाया कर दिया। अंग्रेज रेजीडेंट ने क्षेत्र में प्रचलित नरबली का प्रथा और सती प्रथा को बंद करने का पूर्ण प्रयास किया। रघुजी तृतीय का शासनकाल भ्रष्टाचार और कुव्यवस्था से परिपूर्ण था। १८५३ में रघुजी की मृत्यु हो गयी। ब्रिटिश रेजीडेंट कर्नल मैसल की सूचना घर १३ मार्च १८५४ को नागपुर राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और मोसलों का शासन समाप्त हो गया।

संदर्भ सूची

१. गुप्त प्यारेलाल, प्राचीन छत्तीसगढ़ १९७३ पृ. १५

२. विष्णु यज्ञ स्मारक ग्रंथ पृ. ७८.

३. गुप्त प्यारेलाल पूर्वोद्धत पू. ३४,३५

४. महाभारत अध्याय ८४ वनपर्व ''गोसहस्व फलं विन्द्यानत कुलचौव समुद्धरेत कोसलो तुसमान्य, काल तीर्थ मुरा स्पृशेत।।"

५. गुप्त प्यारेलाल पूर्वोद्दत पू. ३५

६. संदर्भ छत्तीसगढ़ रायपुर, लक्ष्मीशंकर निगम का लेख इतिहास पृ. १५

७. विद्यालंकार जयचंद, त्रिपुरी का इतिहास पृ. १०

८. पाण्डेय लोचन प्रसाद, विष्णु स्मारक ग्रंथ, पृ७८ से ८०

९. गोपाल कुलदिवाकर, रतनपुर के कवि, खूब तमाशा के अंश

१०. बाबू रेवाराम, विक्रम विलास, हस्तलिपी पृ. २

११. गुप्त प्यारेलाल, पृ. १२

१२. शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ, इतिहास खण्ड पृ. १५

१३. विष्णु यज्ञ स्मारक ग्रंथ ट

१४. शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ मिराशी का लेख घृ. १६५–६६ खण्ड २

१५. उत्कीर्ण लेख, बालचंद जैन पृ. ८.

१६. गुप्त प्यारेलाल, पृ.६१

१७. बाबू रेवाराम, रतनपुर का इतिहास तथा पुराण शिलालेख

१८. मिराशी व्ही. व्ही. कलचुरि नरेश और उनका शासनकाल

१९. वर्मा ठाकुर भगवानसिंह, छत्तीसगढ़ का इतिहास १९८६, पृ. २–५३

२०. बिलासपुर गजेटियर, पृ. ४२–४३

२१. वही

२२. अर्ली यूरोपियन ट्रेवर्ल्स इन दि नागपुर टेरीटेरी १६३० पृ. ६५

२३. वही पृ. १२८

२४. वाइड सिलेक्शन फ्राम द पेशवा डायरी वाल्यूम २

२५. एगन्यू रिपोर्ट पृ. २०, २१ एवं जैकिन्स रिपोर्ट, पृ. ६२–६३

२६. फारेन करेसपांडेस पोलिटकल फाइल न. ६६/१०२ ऑफ १८४६ (राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली के अप्रकाशित अभिलेख) एवम भगवानसिंह वर्मा पृ. २५८ छत्तीसगढ़ का इतिहास

२७. वही पृष्ठ ११०, ११८

२८. चिशम सेटलमेंट रिपोर्ट पृष्ठ १४६

२६. वही पृष्ठ ४३

३०. जैकिन्स रिपोर्ट पृष्ठ ११८

३१. चिशम सेटलमेंट रिपोर्ट पृष्ठ ३४

३२. फारेन करेसपांडेंस पॉलिटिकल फाईल नं. ६६–१०२ आफ १८४६

————::::————

02 रायपुर जिले में राष्ट्रीय चेतना एवं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ

रायपुर जिला १८५७ की क्रांति एवं काँग्रेस की उत्पत्ति

१८५७ के पूर्व जिले में सांस्कृतिक क्रांति का सूत्रपात हो चुका था। लोग मध्ययुगीन दासता, जात पात की जकड़न और रूढ़ियों से मुक्ति पाने के लिए छटपटा रहे थे। १८वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में कई समाज सुधारक और धार्मिक नेता हुए जिन्होंने जिले के क्षेत्र को नवजागरण के लिए तैयार किया। मनुष्य के बीच शासन और शासित का संबंध न होकर बंधुत्व और समानता का संबंध होना चाहिए, 'मनखे मनखे एक समान' आदि विचारों ने क्रांति कर दी है।

इस का नतीजा यह हुआ कि गोस्वामी तुलसीदास का यह कथन लोगों को खटवाने लगा कि, "कोउ नृप हो हमें का हानि" अब लोग इस तथ्य पर गौर करने लगे कि हम गुलाम है इस चेतना और नवजागरण ने लोगों को इस बात के लिए कमर कसने के लिए तैयार किया कि हमें गुलामी से मुक्ति प्राप्त करना है। अब तक तो यह समझा जाता था कि यह क्षत्रियों का काम है परिणामतः मुट्ठी मर लोग ही इसमें भाग लेते थे और अंग्रेजों, फ्रेंच, पुर्तगीज आदि आक्रांता इस विशाल देश पर विजय प्राप्त करते थे। किंतु धीरे–धीरे जनता जागृत हो रही थी और उन्हें अब देश में बैठे भयंकर शत्रु अंग्रेजों से मुकाबला करना था।

सोना खान का विद्रोह

१८५७ की क्रांति के लिए उत्तर भारत तैयार हो रहा था, क्रांति के गढ़ थे बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश विशेषकर दिल्ली। किंतु १८५७ की क्रांति के पूर्व जो राजनैतिक दशा उत्तर भारत में थी उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ विशेषकर रायपुर जिले पर भी पड़ने लगा था। लोग अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत की मुद्रा में थे और अंग्रेजों को बड़ी से बड़ी क्षति पहुंचाना चाहते थे।

उड़ीसा और सम्बलपुर जिला रायपुर से लगे हुए हैं, फलतः वहां के आंदोलनकारी बराबर छत्तीसगढ़ विशेषकर, रायपुर जिले में प्रवेश करने लगे। सुरेन्द्र साथ और सोना खान के जमीदार समकालीन थे। १८५७ में राष्ट्रीय थल सेना की तीसरी टुकड़ी का मुख्यालय रायपुर में ही था, कुछ भाग बिलासपुर की अरपा नदी के किनारे रखा गया था। १८५७ में मेरठ कांड की खबरें रायपुर सम्बलपुर क्षेत्र में पहुँच चुकी थी। सैनिक टुकड़ियों में असंतोष फैलने लगा था। देशी सैनिकों और अधिकारियों के बीच असंतोष के बीज १८५४ में ही बोये जा चुके थे अतः १८५४ के सुधारों ने जमीदारों को शंकालु बना दिया उनको डर लगने लगा था कि कहीं उनकी जमीदारी न छीन ली जाय।

उत्तर भारत की आग की चिंगारी इस क्षेत्र पर पड़ चुकी थी। अगस्त में रायपुर के डिप्टी कमिश्नर को नागपुर के डिप्टी कमिश्नर ने इस बढ़ती हुई क्रांति को रोकने के लिए अतिरिक्त सहायता मांगी। तदानुसार नागपुर कमिश्नर ने मद्रास में विदेशी सरकार को तार द्वारा सूचित कर बुरहानपुर, उड़ीसा से सेना की पांचवी टुकड़ी को रायपुर तत्काल प्रस्थान का संदेश भेजा ताकि आवश्यकता पड़ने पर यह सेना वहां काम आ सके। "नागपुर के कमिश्नर ने २३ जनवरी १८५४ को अपने एक पत्र में मेजर जनरल व्हाइट लॉ को लिखा था कि रायपुर जिले में क्रांति मड़की होती तो यह सभी क्षेत्र के जमीदारों भण्डारा, चांदा आदि को प्रभावित करती और इतना विकराल रूप धारण करती की इसे दबाने में एक बहुत बड़ी सेना का प्रयोग करना पड़ता अन्यथा नियंत्रण असंभव था।

बिना सूझबूझ का प्रशासन ही रायपुर जिले में क्रांति का उत्तरदायी था। अगस्त माह में ही सोना खान के जमीदार नारायण सिंह ने खाद्य संकट की वास्तविक अभाव की स्थिति में जिले के एक गांव के एक व्यापारी के गोदाम में घुसकर कृषकों के लिए आवश्यक पर्याप्त रसद वहां से निकालकर किसानों में बांट दी। यद्यपि रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने इस घटना को एक भिन्न रूप से चित्रित करते हुए नारायण सिंह को एक लुटेरा सिद्ध करने का प्रयास किया। उसके अनुसार क्षेत्र के कृषकों के

लिए बीज की नितांत आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नारायण सिंह ने माखन नामक एक व्यापारी के गोदाम से बलात् घुसकर अनाज बाहर निकाल लिया।

इस घटना के तत्काल बाद ही उक्त जमींदार ने डिप्टी कमिश्नर को अपनी की हुई घटना की सूचना दे दी और इस हेतु उसकी प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा करने लगा। इसी के साथ ही साथ व्यापारी ने डिप्टी कमिश्नर को अपने नुकसान से अवगत कराया। स्थिति को सहानुभूति पूर्वक सुलझाने के बजाय डिप्टी कमिश्नर ने कटक तक के सभी अधिकारियों को संबंधित जमीदार को गिरफ्तार कर रायपुर ले आने का निर्देश दिया। साथ ही उसने मकान पर पुलिस भेजी जो काफी दिक्कतों के बाद रायपुर लाने में समर्थ हुए, और उनपर लूट पाट का आरोप लगाकर जेल में ठूस दिया।'

नारायण सिंह में ब्रितानी अधिकारियों के प्रति घृणा की भावना फैली हुई थी। इसलिए रायपुर का डिप्टी कमिश्नर भी इस जमीदार से अधिक असंतुष्ट था। डिप्टी कमिश्नर ने नारायण सिंह के कार्य को एक विद्रोह के रूप में लिया। उसके अनुसार नारायण सिंह ने जानबूझकर विद्रोह की आग फैलायी थी। उसने आगे पुनः लिखा है जमीदार ने न केवल तकाबी का भुगतान बंद कर दिया था। बल्कि कम्पनी से प्रतिवर्ष ५६४१ आना ७ नामनूक भी प्राप्त करता था। "उसने इस भुगतान के न होने की बात कमिश्नर को भी बताई जो, रिचर्ड जेकिंस की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाती है। इसके पूर्व भी ब्रिटिश अधिकारी इस जमीदार की शिकायत कर चुके थे। वर्तमान डिप्टी कमिश्नर उसकी इसी बात से चिढ़ा हुआ था कि इस क्षेत्र में यही एक ऐसा जमीदार था जो बजाय कर भुगतान के ब्रिटिश खजाने पर एक बोझ था।

यह जमीदार सारे क्षेत्र में आतंक मचाए हुए था और बहुत से जमीनों पर अपना आधिपत्य जमाए बैठा था ये अंग्रेजी शासकों के लिये एक चुनौती थी। रायपुर जिला गजेटियर में भी इस बात का उल्लेख है।१४

१८५५ में रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने इस जिले का दौरा किया

और बहुत से क्षेत्रों का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन किया जमीदार के विषय में उसने १० जून १८५५ को यह रिपोर्ट दी।१५ सोनाखान में १२ गांव शामिल माने जाते थे और यहां रुपये ३०३ आना १२ का रेवेन्यू जमा होता था।

सोनाखान का जमीदार नारायण सिंह जो कि विझवार राजपूत था। उनके परिवार के अधिकार में पिछले ३६६ वर्षों से थे। यह संपत्ति रतनपुर के राजा बहरसाय द्वारा उनके पूर्वजों को उनकी मिलेट्री सेवा के लिए जागीर के रूप में दी गई थी। उस काल में मराठा विजय से छत्तीसगढ़ में ११६४ (एक) में विम्बाजी के रूप में नेज हेतु सोना खान पर इमारती लकड़ी एवं लाख की पूर्ति का दायित्व सौंपा गया यह १२२४ (एक) तक चलता रहा इसके बाद ही वर्तमान जमींदार के पितामह रामराजे की प्रमुखता के कारण उत्पन्न विरोध के फलस्वरूप यह प्रांत युरोपीय आधिपत्य के अंतर्गत सौप दिया गया। नारायण सिंह ने ३५ वर्ष की आयु में १२४० (एक) १८३० ए. डी. की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। १२४५ (एक) में देवनाथ मिश्र नामक ब्राह्मण से लिये गये कर्ज के परिणामस्वरूम उसके द्वारा तथा कथित अपमान किये जाने के कारण देवनाथ ने सम्बलपुर के सुरेंद्र साथ और उदयपुर के खूंखार शिवराज सिंह को पकड़वाने में बहुत अहम् भूमिका निभाई थी. कत्ल कर दिया।"

नागपुर में इसकी जाँच करने के बाद इस जमीदार को उसकी रियायती टाकोली समाप्त कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर कहते हैः "जमीदार की अहंकारी और क्रूर प्रवृत्ति की सूचना मेरे पास सदैव पहुँचती रहती थी, उसका यह व्यवहार पड़ौसखरीद और लवण की जमींदारियों एवं परगना में भी व्याप्त था मैं उसे इसके लिये गम्भीर रूप से ताकीद कर चुका था।"

डिप्टी कमिश्नर ने मामले को उलझाने और जमीदार नारायण सिंह को फंसाने की पूरी कोशिश की। इसमें भूतपूर्व अधिकारी जै. किन्स का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसने अपने बाद के अधिकारियों के सोनाखान के जमींदार के विरुद्ध भड़काने में प्रमुख भूमिका निभाई। दूसरे

डिप्टी कमिश्नर ने मामले की सत्यता का पता लगाने की कोशिश न करके अपने अधिकारियों द्वारा उल्लिखित वारदातों पर ही अपनी कार्यवाही बढ़ाई।

देवनाथ मिश्रा के कत्ल के लिये जमींदार द्वारा अपनाये गये उग्र कदम से डिप्टी कमिश्नर और भी क्रोधित हो उठा। इन सब तथ्यों के अतिरिक्त जमींदार के विरुद्ध नयी और ताजी।

शिकायतों से डिप्टी कमिश्नर इस ताक में था कि लेषमात्र भी बहाना मिलने पर जमींदार को दंडित करेगा, किंतु वह भूल गया कि वह ऐसे परिवार के खिलाफ कार्यवाही करने जा रहा था, जो इस अंचल का बहुत ही पुराना बाशिन्दा था और प्रतिष्ठित परिवार का था। जिसे अपनी प्रजा और पड़ौसी जमींदारों का पूरा सम्मान व समर्थन प्राप्त था। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के आधार पर जमींदार को दी जाने वाली सुविधा व आर्थिक साधन न्यायोचित थे। इस अंचल के लोग चाहते थे कि जिस प्रकार उत्तर पूर्वी सीमा अंचलों के खानों और लोगों को अंग्रेज सरकार ने सहायता दी थी और रास्ता दिया था, उसी प्रकार की सुविधाएं सोनाखान के लोगों को भी दी जाय। अंग्रेज अधिकारियों ने नारायण सिंह के विरुद्ध जो आरोप लगाये थे, वे सही नहीं थे। उन्होंने इन आरोपों के सिद्ध करने की चेष्टा नहीं की। डिप्टी कमिश्नर जिन आरोपों को लगा रहा था। उनको कमिश्नर और अंग्रेज सरकार ने ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया और उन आरोपों की तह में जाने का कोई प्रयास नहीं किया गया ।

इस तरह ऐसा प्रतीत होता है कि डिप्टी कमिश्नर दुराग्रह से ग्रस्त था। अतः ऐसी स्थिति में खालसा के व्यापारी माखन बनिया के गोदाम की जमीनदारी द्वारा लूटे जाने की सूचना प्राप्त हुई। डिप्टी कमिश्नर को बुलवाया गया और उसके आदेश की अवहेलना होने पर जमीनदार के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया।19

लूट के आरोपों पर अन्ततः जमींदार को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तदुपरांत डिप्टी कमिश्नर ने कमिश्नर प्लाउडन को

सूचित किया कि सोनाखान के जमींदार को पकड़ने के लिये घुड़सवारों की सेना सम्बलपुर भेजा जाय। नारायण सिंह को २४ अक्टूबर को बंदी बना लिया गया।

दस महीने जेल में रहने के बाद नारायण सिंह रायपुर जेल से चकमा देकर भाग निकले, २८ अगस्त १८५७ की सुबह नारायण सिंह और तीन अन्य कैदी सुरंग बनाकर भाग निकले। डिप्टी कमिश्नर ने घटना की जाँच का उत्तरदायित्व रायपुर में नियुक्त तीसरी टुकड़ी की कमान को सौंपदिया । जमींदार के बच निकलने का आरोप जेल के अफसर पर डाला गया। जमींदार के विरुद्ध अभियोग लगाया गया तथा कमान अफसर ने कमिश्नर को सूचित किया कि लेफ्टीनेंट असिसटेंट स्मिथ के साथ मिलकर लेफ्टीन नेपियर पर्याप्त सेना के साथ जमींदार की खोज में निकल पड़ा है। 11 सोना खान के जमींदार के भागने के बाद बिना नोटिस के ही उसके घर की तलाशी ली गई और वहां से अनेक संदेहास्पद कागजात् जप्त किये गये।

लेफ्टीनेंट सी.बी.एल.स्मिथ ने एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट पेश की। उसने लिखा कि लोग नारायण सिंह का न सिर्फ सम्मान करते थे बल्कि उनसे बहुत अधिक भयभीत थे, और कोई किसी प्रकार से मुंह खोलने को तैयार नहीं था। पड़ौस के लोग क्षेत्र खाली करते जा रहे थे और नारायण सिंह के लोग उसे अपने घेरे में रखे हुए थे। स्मिथ ने आगे लिखा कि उन्होंने कटंगी, भटगांव और बिलाईगढ़ के जमींदारों से कुछ सहायता की मांग की बिलासपुर में स्थित सेना के टुकड़ी को २ जवानों को बुला भेजने की तत्काल व्यवस्था की। इसी दिन २० बेलदारों ने अपने जमींदारों के साथ आकर हुकूमत दी और लड़ने की इच्छा प्रगट की। इनमें से कुछ के पास मैचलाक थे पर गन पाउडर किसी के पास नहीं था। काफी लोगों के पास तलवारें थी, कुछ लोगों के पास किसी भी प्रकार के अस्त्र नहीं थे। निश्चित ही उनमें सैनिकों की तरह संगठन की झलक थी और वे खुदाई करने वाले साधारण बेलदारों से भिन्न नजर आ रहे थे।२१

आगे स्मिथ लिखता है कि ''२६ नवम्बर को एक घुड़सवार सोनाखान से गिरोद की टुकड़ी के साथ मेरे लिये नारायण सिंह से एक मात्र पत्र लेकर पहुंचा उस पत्र से उसकी शत्रुता प्रदर्शित होती थी। उसने पड़ौसी जमींदारों की सहायता से ५०० लोगों को संगठित कर रखा था।

आगे स्मिथ कहता है ''२८ की शाम तक मैने ८० बेलदारों को एकत्रित कर लिये जिसमें ३७ लोगों को मैंने मैचलाक से सशस्त्र किया। इनमें से प्रत्येक मैचलाक ३ राउन्ड फायर करने की क्षमता रखता था। मुझे पूरा विश्वास था कि नारायण सिंह अपने निर्णय के प्रति दृढ़ रहेगा, मैंने बेलदारोंसे कह दिया कि यह कठिन संघर्ष है अतः जो सरकार के लिये मरने को तैयार नहीं उनके लिये बेहतर होगाकि वे अपने घर को जायें। इस पर ३० लोग मुझे छोड़कर चले गये। किंतु मैं संतुष्ट था कि अवशिष्ट लोगश्रेष्ठ सेवाओं के लिये तत्पर रहेंगे।''

स्मिथ के वक्तव्यों से परिलक्षित होता है कि यह देश का दुर्भाग्य रहा है हमें विदेशी शक्तियों का साथ देते हुए अपने ही लोगों से संघर्ष करना पड़ा। स्मिथ दूसरे दिन 29 तारीख को नीमतल्ली से देवरी पहुंचा। वहां उसे देवरी के जमींदार की सहायता प्राप्त हुई। यह जमींदार नारायण सिंह का चाचा था। स्मिथ के अनुसार नारायण सिंह की हिंसक वृत्ति के कारण चाचा भतीजे के संबंध टूट चुके थे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि स्मिथ का बयान एक तरफा है उसने कहीं भी ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों की क्रूरता का जिक्र नहीं किया है। उसने इस बात को ढाकने की चेष्टा की कि दमन के कारण क्षेत्र के लोग अंग्रेजों को सहायता देने के लिये तैयार हुये १ दिसम्बर को स्मिथ ने देवरी से सोनाखान की ओर कूच किया जहां से उसकी दूरी १० मील है। स्मिथ लिखता है।'' जैसे ही हम तीन मील आगे बढ़े भूमि में खुदाईयां और सुरक्षात्मक खाईयां दिखाई देने लगीं। देवरी के जमींदार ने सारा मार्गदर्शन किया और सूचित किया कि कहाँ कहाँ नारायण सिंह की तैयारियां जारी है। हमारा अभियान जारी रहा और सोनाखान २ फल्लांग भी दूर नहीं रह गया की एक नाले के पास से हम पर तोप और गोलों से हमले आरंभ हो गये किंतु हम आगे बढ़ते रहे और

सुरक्षित रूप से दोपहर तक सोनाखान पहुंच गये।

नारायण सिंह ने अद्‌भूत शौर्य के साथ गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से ब्रितानियों के साथ संघर्ष किया। स्मिथ ने लिखा है कि हम शीघ्रता से पैदल ही नारायण सिंह के घर तक गये, यह भी अन्य गावों की तरह रिक्त था। हमने यहां गोली चालन किया और उसके घर से पहाड़ियों तक का पहरा लगा दिया।

स्मिथ चाहता था कि कटंगी से सहायता के लिये सिपाही आ जायें और तब वह दोनों ओर से नारायण सिंह के घर पर हमला कर दे। स्मिथ ने पूरे गांव में आग लगा देने का आदेश दिया और अपनी व्यक्तिगत शत्रुता के प्रतिशोध में पूरे गांव को आग में झोंक दिया ? इतनी सेना के रहते हुए भीस्मिता बहुत अधिक आतंकित था। वह लिखता है ''वह रात चिंतनीय थी किंतु हमें चन्द्रमा के प्रकाश और हमारे सामने धधकते हुए गांव से लाभ हुआ'' 242दिसम्बर की सुबह, बिना किसी तरह के स्मिथ को कामदार और ४० व्यक्तियों की सहायता प्राप्त हो गयी जिससे उसकी सेना को शीघ्र ही राशन भी प्राप्त हो गया। स्मिथ ने लिखा है कि ''जब इन सब की व्यवस्था की जा रही थी तब नारायण सिंह अपने एक सहायक के साथ हमारे समक्ष पेश हुआ और आत्म समर्पण किया।'' उसने बताया कि उसके पास ५०० व्यक्तियों शस्त्रों से सुसज्जित है जो विभिन्न जमींदारियों और क्षेत्रों से आये हैं मैं वापस उनके घर भेज रहा हूँ।'' नारायण सिंह के समर्पण के पश्चात् स्मिथ ने तुरंत रायपुर लौटने का निर्णय लिया ताकि वह नारायण सिंह को डिप्टी कमिश्नर इलियट को सौंप दें।

स्मिथ ने डिप्टी कमिश्नर को अपने पत्र में लिखा कि दोनों ही नारायण सिंह और उसके पिता नागपुर सरकार के विरुद्ध पहले से ही विद्रोह करते रहे हैं। अपने अन्य साथियों के साथ नारायण सिंह ने कई हत्याएं करके अपना आतंक स्थापित कर लिया था। नागपुर सरकार ने यद्यपि समझौते के प्रयास किये ताकि आस पास के इलाकों में विश्वास कि भावना उत्पन्न हो किंतु नारायण सिंह अपराधी होने पर भी सुरक्षित हैं।

नारायण सिंह जेल से भागने के बाद भी अपराध में लिप्त रहा है। अगस्त में उसने सोनाखान में किलेबंदी शुरू कर दी और मजदूरों से बलात् कार्य करवाया, जहाँ भी उसे सेना और अस्त्र शस्त्र उपलब्ध हुए उसने अधिकृत किया। स्वयं उसने स्वीकार किया है कि उसने ५०० सशस्त्र आदमी एकत्रित कर लिये है और पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था की जा रही है। उसने यह संदेश भी भेजा है कि ब्रितानी हुकूमत समाप्त हो रही है इसलिये वह देश को अपनी इच्छा से चलाएगा। उसने उन तमाम् लोगों को बंदी बनाने और जान से मार डालने की धमकी दी जिनसे उसकी शत्रुता थी। अपनी जमींदारी के पड़ोस से अपने को उसने बंदी बनवाया और इस प्रकार उसकी जमींदारी और उसका आस पास उसका भयानक भय और आतंक व्याप्त रहा, तथा लोगों में सुरक्षा की भावना समाप्त हो गई। अपने पत्र के अंत में स्मिथ ने डिप्टी कमिश्नर से अपील की कि जमींदार पर दया न बरती जाय।

डिप्टी कमिश्नर इलियट लिखता है ''मेरे कोर्ट के समक्ष जमींदार को पेश किया गयाऔर उस पर १८५७ के अधिनियम के सेक्शन ६ एक्ट १४ के अंतर्गत उस पर अभियोग लगाया गया तथा १८५७ की धारा१और अधिनियम ११ लगाया गया और मैंने उसे फांसी की सजा सुना दी। सुबह सजा की कार्यवाही जनरल परेड के समय सैनिक टुकड़ी के समक्ष बिना किसी त्रुटि के सम्पादित हो गई।

इस घटना और सरकारी कार्यवाही का जिला प्रशासन की ओर से घटिया प्रचार किया गया कि तमाम् जमींदारियों को जाहिर किया जाय कि नारायण सिंह ने अपराध किया और सरकार के विरूद्ध अपराध करने के क्या परिणाम होते हैं। इस तरह अंचल के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जिन्हें १० दिसंबर १८५७ को फाँसी की सजा दे दी गई। डिप्टी कमिश्नर ने सोनाखान की जमींदारी की खालसा कर देने की अनुशंसा की और इसकी सूचना कमिश्नर को दे दी। 27अंचल के प्रथम किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नारायण सिंह का अपराध यही था, कि जब किसान दाने दाने के लिये मोहताज था, तब उसने माखन बनिये से

जिसके पास अन्न का भंडार था अनाज लेकर किसानों में वितरित किया यही समय अकाल का था। आजकल अवैध रूप से संग्रहित अनाज को सरकार द्वारा छापा मारकर जप्त करने का अधिकार है परंतु उस समय अंग्रेजों ने बनिये के इस अवैध अनाज संग्रहण का समर्थन किया और नारायण सिंह की कार्यवाही को अवैध ठहराया और इसी कार्यवाही का पुरस्कार नारायण सिंह को फाँसी के रूप में मिला।

वस्तुतः ब्रिटिश सरकार नारायण सिंह के प्रभाव और जनकल्यणकारी प्रशासनिक व्यवस्था से भयभीत थी फलतः फाँसी के बाद ब्रिटिश सरकार के लिये महत्वपूर्ण नतीजे सामने आए और उन लोगों को लाभ पहुंचाया गया जिन्होंने नारायण सिंह के खिलाफ अंग्रेजों की सहायता की थी उन्हें राशन, सेना आदि दी गई इस संबंध में निम्न निर्णय लिये गयेः

१. त्रिलोकी साय और काम साय जो कटंगी के कामदार थे तथा देवरी जमींदारी के तुकाराम और शिवनारायण के बालापुजारी की सेवाएँ इस अभियान के लिये उपयोगी सिद्ध हुई।
२. जमींदार नारायण सिंह की संपत्ति जप्त कर ली गई उसमें ३७७ रुपये आठ आने क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किये गये।
३. डिप्टी कमिश्नर ने प्लाउडन कमिश्नर नागपुर को पत्र में अनुमोदित किया कि अंग्रेजी सेना के प्रत्येक सिपाही को २८ रुपये और प्रत्येक स्थानीय अधिकारी को १०० रुपये प्रदान किये जायें।

इलियट ने लिखा था कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा फांसी की सजादी जाएगी। यदि आप उचित समझें तो इसकी सूचना आप गवर्नर जनरल को भी दे देंगे भले ही वे अनुशंसा के लिये हो क्योंकि इलियट के अनुसार अपराधी को अपने अधिकार के तहत न ही क्षमा प्रदान करेंगे और न ही दण्ड को कम करेंगे। १८५७ की धारा ३ के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध का दावा कोई भी क्रांतिकारी करता है और उसके खिलाफ पुलिस अफसर के द्वारा वैध वारंट जारी होता है तो वह अधिकतम दण्ड का भागी होता है। इस एक्ट के अंतर्गत धारा ४ के अनुसार कोई भी

व्यक्ति जिसे विद्रोही के रूप में गिरफ्तार किया जाता है उसे डिप्टी कमिश्नर के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और अपराधी के अपराध के तहत दण्ड देना ही होगा।

डिप्टी कमिश्नर ने पत्र प्राप्त होते ही प्रतिशोधात्मक निर्णय लेने और सोनाखान के जमींदारों को फाँसी पर लटकाने की जरा भी छूट नहीं दी और उसे फाँसी की सजा दी गई और देवरी के जमींदार महाराजा साय को सोनखान की जमींदारी का स्थायी तौर पर अधिकार प्रदान किया गया। महाराजा साय नारायण सिंह के भतीजे थे उन्होंने अपने चाचा के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की थी। आगे चलकर इसके गंभीर परिणाम हुए और अंग्रेजों को फूट डालो और शासन करो की अपनी नीति को लागू करने में सहायता मिली। नारायण सिंह के बेटे गोविंद सिंह ने सम्बलपुर के सुरेंद्र साथ के साथ मिलकर महाराजा साय की हत्या की और प्रतिशोध लिया।

हनुमान सिंह का पराक्रम

तीसरी टुकड़ी के सार्जेंट मेजर सिडवेल की १८ जनवरी १८५८ को शाम को ६.३० बजे हत्या कर दी गई। इसमें इस क्षेत्र में पुनः विप्लव की आग धधक उठी। उस दिन मेजर सिडवेल अपने कमरे में आराम कर रहे थे उसी क्षण लश्कर हनुमान सिंह (उम्र ३५ वर्ष) दूसरे दिन होने वाले मार्च पास्ट (परेड) के संदर्भ में प्रविष्ट हुआ। उन्हें सम्बलपुर मार्ग पर ब्रिगेडियर की सेना में सम्मानित होना था। लश्कर हनुमान सिंह तलवार, छुरे, गंडासे आदि से सुसज्जित होकर मेजर सिडवेल के कमरे में पहुंचे । अतः यह निश्चित था कि हनुमान सिंह निश्चित उद्देश्य से अपनी योजना कार्यान्वित करने ही मेजर सिडवेल के कमरे में पहुंचे। कमरे में प्रविष्ट होने के पूर्व कमरे के बाहर उन्होंने दो गोलदागों को प्रहरी के रूप में नियुक्त कर रखा था। प्रविष्ट होते ही मेजर सिडवेल पर पीछे से उन्होंने आक्रमण किया। अधिकाधिक सूचना के अनुसार हनुमान सिंह ने मेजर सिडवेल पर ६ घातक हमले किये और तुरंत बाहर निकलकर कैंटोनमेंट को उत्तेजीत स्वर में चिल्लाते हुए सभी के क्रांति में सम्मिलित होने का आह्वान किया उसके

साथ दो सिपाही भी थे जो टुकड़ी के अन्य लोगों सहित बंदूक लेकर पुलिस बस्ती की ओर खड़े हो गये।

सरकारी टुकड़ी अपनी बंदूक से उस रात बारह बजे तक गोली चालन करती रही और अपने साथ सम्मिलित होने के लिए सिपाहियों को विद्रोहियों का साथ छोड़ने का आह्वान करती रही। हर संभव प्रयास किया गया कि भड़कती हुई विद्रोह की ज्वाला पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाये। मेजर सिडवेल की हत्या के पश्चात सी.बी.एल. स्मिथ ने विद्रोहियों पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयास किया। घटना का विवरण देते हुए डिप्टी कमिश्नर इलियट ने लिखा किः जब यह वारदात घटित हुई मैं रायपुर से २५ मील की दूरी पर दक्षिण की ओर था मुझे सम्हलने और स्थिर होने के लिए तथा शान्ति व्यवस्था स्थापित करने के लिये एक एक्सप्रेस से संदेश प्राप्त हुआ। १६ जनवरी को मैं रायपुर पहुंचा। हत्यारों में टुकड़ी से अलग होकर १ हवलदार १४ प्राइवेट और नागपुर के तीसरी टुकड़ी के सिपाही सम्मिलित थे। १८५७ की एक्ट १७ के अंतर्गत तहकीकात के लिये लाया गया। यह तहकीकात छावनीमें प्रायः सभी अधिकारियों के समक्ष की गई जिसमें दो दिन का समय लगा और टुकड़ी के अधिकारियों और सिपाहियों द्वारा जांच से कैदियों पर जुर्म दर्ज किया गया। वे विद्रोह और क्रांति के अपराधी सिद्ध हुए तथा उन्हें फाँसी की सजा दी गई २२ जनवरी १८५८ की सुबह सूर्योदय के साथ वहां की पूरी सेना के बहादुरों को उनके इस साहस की बधाई दी, जिसको शासन कभी अनदेखा नहीं करेगा। तथा जिस ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेना के विद्रोहियों के दुस्साहस को समाप्त करने में काम किया, सजा की कार्यवाही की संतुष्टी की। तत्पश्चात् सेना को अपनी छावनियों की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। डिप्टी कमिश्नर इलियट ने अपने अधिकारियों की काफी प्रशंसा की। डिप्टी कमिश्नर ने निम्न अधिकारियों का उल्लेख किया है जिन्होंने सरकार के प्रति अपने दायित्वों का पालन किया।

१. **जमादार ताबिल अली** यह अफसर का अर्दली था और १८ जनवरी की रात इसने साक्ष्य प्रस्तुत किया।

२. **जमादार इस्माईल खान** इसने बंदूकधारी टुकड़ी का नेतृत्व किया और साक्ष्य प्रस्तुत करने में सहायक हुआ।

३. **हवलदार मेजर गणेश दुबे** १८ जनवरी की रात बहुत अहम भूमिका निभायी और उसने साक्ष्य भी पेश किया।

४. **हुसैन खान** यह हवलदार था जो खुनी हनुमान सिंह के लिये नियुक्त क्वार्टर गार्ड का अगुवा था एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी सहायक हुआ।

५. **नायक जसवन्त** इसने १८ की रात बितानी हुकुमत के लिए अहम भूमिका अदा की।

६ **सिपाही प्रमोद** जो क्वार्टर गार्ड था, खूनी हनुमान सिंह पर गोली चलाई और साक्ष्य में सहायक हुआ।

७. **नायक नसीमुद्दिन** इसका योगदान जनमत को भड़काने में रहा।

अंग्रेजी राज्य में देशभक्ति एक गुनाह था तथा १७ स्वतंत्रता सेनानियों को अविलम्ब तहकीकात के लिये बंदी बना लिया गया। तहकीकात छावनियों में दो दिनों तक चली। सभी विद्रोहियों पर विप्लव और आतंक फैलाने का जुर्म दर्ज कायम हुआ और उन्हें मौत की सजा दी गई। रायपुर की जनता तथा वहाँ की सेना के समक्ष २२ जनवरी १८५८ को उन्हें फाँसी दी गई। १८५७–५८ की क्रांति में निम्न शहीदों को फाँसी दी गईः (१) गाजीखान, हवलदार १ शेष १६ गोलन्दाज थे, (२) गुलीज, (३) शिवनारायण, (४) पन्नालाल, (५) मातादीन, (६) अब्दुल हयात (७) बुलिहू. (८) ठाकुर सिंह, (९) अकबर हुसैन, (१०) लाल सिंह (११) परमानंद, (१२) शोभाराम, (१३) दुर्गाप्रसाद (१४) नजर मोहम्मद, (१५) शिवगोविंद, (१६) देवीदीन।

इन सबकी चल अचल संपत्ति भी राजसात कर ली गई। इन शहीदों में हिंदू, मुसलमान और सभी जातियों के लोग थे। इस प्रकार सभी धर्मो, जातियों ने अपने मतभेदों को भुलाकर राष्ट्रहित की बेदी पर अपनी बलि दे दी।

इस राष्ट्रीय कांड का साहसी नायक फरार हो गया। किंतु विद्रोहियों का कोई संगठन नहीं था। अतएव यह विद्रोह विफल रहा ६ घंटे तक कठिन संघर्ष करके विद्रोहियों ने समर्पण कर दिया। हनुमान सिंह फरार हो गया, यदि हनुमान सिंह का भाग्य, और सैनिकों ने साथ दिया होता तो वह अपने लक्ष्य में सफल हो गया होता और अंग्रेजों का इस क्षेत्र से सफाया हो गया होता। हनुमान सिंह ने डिप्टी कमिश्नर इलियट के बंगले पर भी आक्रमण किया था, किंतु यह आक्रमण भी विफल हो गया अतएव राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में नारायण सिंह के बाद दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हनुमान सिंह का है। हनुमान सिंह के असफल अभियान के बाद पूरा प्रशासन सतर्क हो गया। उस पर ५०० रुपये का ईनाम रखा गया। कैप्टन शेक्सपियर ने अपनी सेना एवं अधिकारियों को विशिष्ट स्थानों विशेषतः पेंडा आदि महत्वपूर्ण स्थानों में नियुक्त किया। उसने स्वयं रायपुर से ४८ मील तथा जोंक नदी से ३२ मील दूर पिथौरा में अपना शिविर स्थापित किया।31 इसके बादकैप्टनवुड भी कैप्टन शेक्सपियर के साथ हो लिये तथा दृढ़ निश्चय से इन लोगों ने कानून एवं व्यवस्था की स्थापना की

२.२ उदारवादी एवं उग्रवादी आन्दोलन (१८८५ से १९१६ तक की स्थिति)

ए. ओ.ह्युम ने १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। १८९१ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का अधिवेशन नागपुर में आयोजित हुआ। नागपुर सम्मेलन में रायपुर जिला सहित सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में किसानों पर सरकार द्वारा लगाये गये नहर कर की चर्चा की गई। नहर कर की तीव्र आलोचना की गई। मालगुजारों और किसानों ने इस कर की तीव्र आलोचना करते हुए प्रस्ताव पारित किया कि सेन्ट्रल प्राविसेन्स के चीफ कमिश्नर के बिलासपुर आगमन पर एक शिष्ट मंडल भेंट करेगा। इस नहर कर के विरोध में २० हजार मालगुजार एवं किसान भी एकत्रित हुए। उन्होंने मांग की कि लगान (कर की दर) निश्चित और स्थायी होना

चाहिये तथा किसानों को न्यूनतम दर पर ब्याज में कर्ज देने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

१८९२ में वुडवर्थ मध्यप्रदेश के चीफ कमिश्नर नियुक्त हुए। पद ग्रहण करने के पश्चात् उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। यह ज्ञात होने पर छत्तीसगढ़ में दुर्भिक्ष की विनाशकारी छाया व्याप्त है। उन्होंने १८९४ में रायपुर, बिलासपुर को अकाल से भयंकर रूप से पीड़ित पाया। उन्होंने यह भी पाया कि अकाल लगातार तीन वर्षों से पड़ रहा है। अतः उन्होंने रायपुर के कमिश्नर को आदेश दिया कि उनके रायपुर आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारियां की जाय। इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के सभी राजाओं को आदेश जारी किया गया कि वे चीफ कमिश्नर के आगमन पर रायपुर रेस्वे स्टेशन के प्लेटफार्म पर उसके स्वागत हेतु तैयार रहें। २० जनवरी १८९४ को उनका दरबार आयोजित हुआ जिसमें कमिश्नर ने रायपुर अंचल के समस्त राजाओं और जमींदारों से दुर्भिक्ष ग्रस्त जनता की सहायता के लिये अपील की।

रायपुर जिले में पुनर्जागरण

यह क्षेत्र एक ओर मध्ययुगीन दासता, रूढीवाद, जात–पात, उँच–नीच की भावनाओं से ग्रस्त था। इस समय बारनवापारा के घने जंगलों में छाता पहाड़ पर तपस्या कर गुरू घासीदास निकले (१८वीं शताब्दी का अंतिम काल) और उन्होंने क्षेत्र में समता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और बन्धुत्व, भाईचारे के दर्शन का प्रचार किया। उन्होंने बाद एकेष्वर वाद का समर्थन किया और पत्थरों की पूजा, देवी देवताओं की पूजा का निषेध किया ''जिमी भानू है आकाश में प्रतिबिंधित सब जग देखिये, मनखे– मनखे एक समान, आदि विचारों का प्रचार किया। ''इससे पूरे क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों में अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न हुई। १८५७ की क्रांति के पूर्व ही यह जागृति उत्पन्न हो चुकी थी।

लगातार पढ़ते अकाल के कारण और सरकार द्वारा किसानों पर कर बढ़ाये जाने के कारण क्षेत्र में किसान आंदोलन और किसानों से

विद्रोह आम बात हो गई थी। नारायण सिंह का आंदोलन वास्तव में कृषक आंदोलन का जनक था नारायण सिंह किसान पुनर्जागरण के जनक थे।

पंडित सुन्दर लाल शर्मा दलित वर्गों के मसीहा थे। उन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व कियाये क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन के जनक थे। जब महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के रंगमंच पर अवतरित भी नहीं हुए थे, उसी समय सुन्दरलाल शर्मा ने अपने कुछ साथियों के साथ अछुतोदार, मंदिर प्रवेश, यज्ञोपवित अर्न्तजातीय विवाह आदि केआंदोलन चलाये थे। इन कारणों से उनको छत्तीसगढ़ का गांधी कहा जाता है। यद्यपि हमारे मत में उनको गांधी का पूर्ववर्ती और राममोहन राय और ब्रम्हसमाज के दर्शन को आगे बढ़ाने वाला कह सकते हैं।

19वीं शताब्दि के समाप्ति पर कांग्रेस के नरम दलीय विचारधार का अनुसरण करते हुए रायपुर जिले में कुछ संस्थाएं स्थापित हुई थी जिसमें प्रमुख है, मालीनी रिडींग क्लब, पीपुल्स टीचर एसोशिएशन, कवि समाज (राजिम) एवं छत्तीसगढ़ बाल समाज प्रमुख थे। इन संस्थाओं ने जात–पात, विषमता, सती प्रथा का विरोध किया और युवकों को राष्ट्रीय आंदोलन की धारा से जोड़ने में प्रमुख भूमिका अदा की।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा का जन्म ग्राम चमसुर (राजिम, जिला–रायपुर) में हुआ था। अतः उनके कार्यक्षेत्र का मुख्यालय भी राजिम रहा किंतु उन्होंने रायपुर जिला और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। सन् १९०६ में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखा रायपुर में १९०३ में स्थापित हो गई थी। वे अपने मृत्युपर्यन्त कट्टर कांग्रेसी रहे। उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व ने संपूर्ण अंचल के सुधारकों, विचारकों एवं देषभक्तो एक सूत्र में आबद्ध किया। रायपुर में कांग्रेस की शाखा स्थापित करने में बैरिस्टर सी. एम. ठक्कर का विशेष योगदान रहा। १९०६ में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सैमित्र मंडल की स्थापना की जिसमें सैकड़ों लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। इस मंडल का उद्देश्य समाज सुधार के साथ–साथ आम जनता में राष्ट्रीय भावना का

प्रसार करना भी था।

पंडित शर्मा १६०७ में सूरत में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिये धमतरी, राजिम, महासमुंद एवं रायपुर में खादी आश्रम की स्थापना की। इस दिशा में उनके उद्देश्य की सफलता के लिये अनेक अभिन्न मित्र एवं ख्यातिलब्ध देशभक्त नारायण राव मेघावले ने उनका साथ दिया। १६०७ में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था। केलकर ने अध्यक्षता की और बैरिस्टर हरिसिंग गौर इसके स्वागत अध्यक्ष थे। रायपुर प्रांतीय अधिवेशन पर सूरत कांग्रेस की फूट का प्रभाव पड़ा और यहां भी कांग्रेस नरम और गरम दल में विभक्त हो गया। इसमें दादा साहब खापर्डे और उनके साथी वंदेमातरम् से कार्यारंभ करना चाहने थे किंतु डॉ. मुजे और डॉ. हरिसिंह गौर ने इसका विरोध किया और पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्यस्थता की। खापर्ड और उनके साथी वंदेमातरम् से कार्यारंभ करना चाहते थे किन्तु डॉ. मुंजे और डॉ. हरिसिंह गौर ने इसका विरोध किया और पंडित रविशंकर शुक्ल ने मध्यस्थता की। खापड़े और उनके साथियों ने पण्डाल से निकलने के पूर्व गगन भेदी सुर में वंदे मातरम् का नारा लगाया और तात्यापारा हनुमान मंदिर के समीप एक जनसभा को सम्बोधित किया। जिसमें उन्होंने स्वदेशी और बहिष्कार के महत्व को प्रतिपादित किया। दूसरे दिन बुटी के बाड़े में दूसरी सभा आयोजित की गई जिसको पुनः दादा खापर्डे ने सम्बोधित किया। इस विवाद में रायपुर शहर और जिले का बहुमत निश्चित रूप से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के साथ था।

रायपुर में १६०६ में माधवराव सप्रे ने हिन्दी में केसरी समाचार पत्र का शुभारंभ किया। इसमें दो क्रांतिकारी लेख प्रकाशित हुएः

१. देश की दुर्दशा।

२. बम गोले का रहस्य।

वस्तुतः ये लेख ब्रिटिश सरकार की कटु आलोचना में लिखे गये थे।

तथा उनके अत्याचारों दमनकारी कारनामों का पर्दाफाश किया गया था। इसमें भारतीयों को राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों से जूझने की प्रेरणा प्रदान की गई थी। अन्ततः इन्हें भारतीय दण्ड विधान की धारा १२४ (अ) के तहत २१ अगस्त १६०८ को गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में वामन राव लाखे आदि के समझाने बुझाने पर उन्होंने माफी मांग ली।

१६०५ के बाद से संपूर्ण भारतीय राजनीति तनावग्रस्त बनती गई। लार्ड कर्जन की नीति बंग भंग आदि ने प्रभाव डाला। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। ठाकुर प्यारे लाल सिंह, शिवलाल मास्टर और शंकर खरे ने खादी के प्रचार प्रसार के लिये अनवरत प्रयास किये। इसमें स्वदेशी आंदोलन को गति मिली। १६१५ में प्रांतीय कार्यकर्ताओं ने अपना एक संगठन कायम किया जिसका नामकरण किया गयाः''सेन्ट्रल प्राविन्सेस एण्ड बरार प्राविन्शियल एसोसिएशन'', रायपुर से इस संगठन की कार्यसमिति का प्रतिनिधित्व सी. एम. ठक्कर ने किया इस समिति में अंचल के निम्नलिखित लोगों ने प्रतिनिधित्व कियाः डी. एन. चौधरी, राव साहब दानी, पंडित रविशंकर शुक्ल, वामन राव लाखे, नलिनी कांत चौधरी, घनश्याम सिंह गुप्ता, नगेन्द्र नाथ डे।

१६१५ में राजिम में एक किसान सम्मेलन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता विष्णु दत्त शुक्ल ने की। इस सम्मेलन का आयोजन सुंदर लाल शर्मा के प्रयासों से हुआ।

१६१८ में होमरूल लीग का सम्मेलन रायपुर में आयोजित हुआ। माधव राव सप्रे और डॉ. मुंज ने उत्तेजक भाषण दिये। रायपुर में ही ३०, ३१ मार्च को १६१८ का छठवां प्रांतीय राजनैतिक सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता बाबू हरिदास चटर्जी ने की। डी. एन. चौधरी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। पंडित रामदयाल तिवारी ने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए जनता से आग्रह किया कि हमें आजादी हासिल करने के निर्दिष्ट उद्देश्य के लिये कटिबद्ध रहना चाहिये।

२४ दिसंबर १६१८ को प्रान्तीय कांग्रेस समिति का पुनर्गठन हुआ।

माधवराव सप्रे इसके अध्यक्ष बने। डॉ. लक्ष्मीनारायण उपाध्यक्ष चुने गये। सी. एम. ठक्कर एवं ई. राघवेन्द्र राव कार्यसमिति के सदस्य निर्वाचित हुए।

१९२० में रायपुर में जिला कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन के अंतर्गत १७ मार्च १९२० को एक जनसभा आयोजित की गयी जिसमें एक खिलाफत उपसमिति का गठन हुआ। जिस पर असगर अली ने मुसलमानों को हिन्दूओं से प्राप्त सहानुभूति के लिये धन्यवाद ज्ञापित किया। जिसका प्रत्युत्तर देते हुये पंडित रविशंकर शुक्ल ने कहा ''अब हम सब हिन्दु और मुसलमान नहीं रहे बल्कि वास्तविक अर्थों में हिन्दुस्तानी हैं।''

१९२० में रायपुर जिला कांग्रेस समिति गठित हुई। समिति के प्रथम अध्यक्ष थे बैरिस्टर ठक्कर और सचिव पंडित रविशंकर शुक्ल जिला कांग्रेस समिति के गठन के साथ ही बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस के सिद्धांतों और आदर्शों को प्रसारित किया। शायद ही कोई गांव बचा हो जहां सभा आयोजित नहीं की जा रही हो। तिलक स्वराज्य फंड के लिये अकेले रायपुर से १६,६३४ रूपये एकत्रित हुए धमतरी में राष्ट्रीय जागृति की लहर सन् १९१८ में परिलक्षित हुई जब वहां राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता वामन राव लाखे ने की। १९१९ में वहां दूसरा सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता दादा साहेब खापर्ड ने की।

१९२० में महात्मा गांधी ने रायपुर नगर एवं धमतरी का सघन दौरा किया। इससे पूरेजिले में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार हुआ। १९२० में नागपुर में कांग्रेस का सम्मेलन आयोजित हुआ जिसमें रायपुर क्षेत्र से निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित हुए वामन राव लाखे, प्यारे लाल ठाकुर, सी. एम. ठक्कर, सुन्दरलाल शर्मा, सखाराम दुबे, पंडित रविशंकर शुक्ल, नारायण राव मेघावले, नत्थूजी जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव, दाऊ डोमार सिंह, नारायण राव दीक्षित इत्यादि। इस अंचल के लगभग ६०० मालगुजार और किसान भी सम्मेलन में सम्मिलित हुए।

२.३ रायपुर जिले में असहयोग आन्दोलन एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन

कंडेल सत्याग्रह

इस सत्याग्रह से धमतरी तहसील का महत्व देशव्यापी हो गया। पंडित सुन्दरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, इस आंदोलन के सूत्रधार थे। धमतरी के पास महानदी के तट पर रूद्री नामकस्थान है तथा माडम सिल्ली में भी इसी नदी पर बांध बनाया गया है। इसमें ब्रिटिश शासन ने नहर निकाली थी जो आज भी विद्यमान है। इस नहर द्वारा तहसील के ग्रामों में सिचाई की जाती थी। शासन इस पर नहर कर वसूल करता था। इस कर को अदा करने के लिये जो ग्राम तैयार होते थे उन्हें दस वर्षीय अनुबंध करना जरूरी था तथा यह दस वर्ष की राशि इतनी अधिक हो जाती थी कि ग्रामवासी इस राशि से अपने गांव में हमेशा के लिये सिंचाई का एक विशाल तालाब निर्मित कर सकते थे। अतएव बहुत कम ग्राम इस अनुबंधहेतु तैयार हुए। नहर के क्षेत्र में ही धमतरी का ग्राम कंडेल भी आता था। यहां बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव की पैतृक संपत्ति थी। नगर विभाग का कार्य संतोषप्रद नहीं था। क्योंकि अनुबंध अधिक नहीं हो रहे थे। अतएव नहर विभाग ने जबर्दस्ती गांव में पानी छोड़ दिया और ग्रामवासियों पर चोरी का आरोप लगाकर की वसूली के आदेश दे दिये। किन्तु उसी रात भारी वर्षा हुई, इससे किसानों को पानी की जरूरत नहीं हुई।

कंडेल उग्र देशभक्तों का गांव था। उन पर नहर पानी की चोरी का आरोप लगाकर उनकी देशभक्ति को भी प्रतिबंधित करना था। इस पर ग्रामवासियों ने सत्याग्रह आरंभ कर दिया। यह सत्याग्रह पूरे तहसील में फैल गया। सत्याग्रहियों का कहना था कि उन पर झूठे इल्जाम लगाये जा रहे हैं और कर और जुर्माने की रकम वसूल करने के लिये ग्रामवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं। अंग्रेजअधिकारियों ने ग्रामवासियों से ४५०३ रुपये की रकम जबरदस्ती वसूल करने के लिये उन पर कुर्की वारंट जारी कर दिया। शासन के इस अत्याचार से पूरे धमतरी के किसानों में रोष फैल

गया। सितंबर १६२० के प्रारंभ में कण्डेल ग्राम एवं धमतरी तहसील के प्रमुख नेताओं की एक सभा कंडेल में हुई। इस सभा को पंडित सुन्दरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, एवं बाबू छोटेलाल ने अवगत कराया। इसी सभा में यह भी तय किया गया कि इस अत्याचार का विरोध अखिल भारतीय कांग्रेस द्वारा सुझाये गये सत्याग्रह द्वारा किया जाय। अतः जबर्दस्ती षड्यंत्र द्वारा लादी गई रकम का भुगतान कोई न करे।

दूसरी ओर जब शासन ने देखा की इस राशि का भुगतान करने के लिये किसी भी ग्रामवासी को चिंता नहीं है तब उसने ग्रामवासियों का दमन करना आरंभ कर दिया। जिला प्रशासन ने ग्रामवासियों के सभी पशुओं को जिनमें खेती करने हेतु आवश्यक मवेशी भी शामिल थे, कुर्क कर दिया। शासन ने इन पशुओं की नीलामी करके उक्त धनराशि प्राप्त करने की योजना बनाई तथा सर्वप्रथम कंडेल गांव की तहसील धमतरी के बाजार में इन मवेशियों को नीलाम हेतु ले जाया गया। किंतु इन पशुओं की बोली बोलने एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया। इससे जिला प्रशासन ने यह प्रयास किया कि तहसील की आस–पास के गांव में इन पशुओं को नीलाम किया जाये। किंतु किसी ग्राम में कोई बोली बोलने नहीं आया।

कंडेल ग्राम में यह सत्याग्रह पांच महीनों तक चलता रहा, तभी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव एवं उनके छोटे भाई लालजी एवं प्रमुख किसानों तथा तहसील के देशभकों को गिरफ्तार कर लिया गया। तिलक स्वराज्य कोष के लिये रायपुर जिले में चंदा एकत्रित किया गया। सरकारी कर्मचारी का अत्याचार बढ़ता गया। इस बीच सुन्दरलाल शर्मा को कलकत्ता भेजा गया जिससे की वह वहां से गांधी जी को लाकर कंडेल सत्याग्रह की प्रगति दिखा सके। इस पर रायपुर के जिलाधीश स्वयं धमतरी पहुंचे और उन्होंने कर माफ किया और मवेशियों को छोड़ने का आदेश दिया।

पंडित सुन्दरलाल शर्मा के प्रयास से गांधी जी २० दिसम्बर १६२० को रायपुर आयेउन्होंने जिस स्थल पर लोगों को सम्बोधित किया वह गांधी चौक के नाम से विख्यात है। गांधीजी के साथ मौलाना शौकत अली भी

थे। हजारों की भीड़ को गांधीजी ने स्वराज्य का महत्व समझाते हुए सम्बोधित किया।

२१ दिसंबर को गांधीजी धमतरी पहुंचे। उन्होंने भारी भीड़ को सम्बोधित किया। इस समय निम्न प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित थे श्री बाजीराव वृन्दत्त, दाऊ डोमार सिंह, किशनगीर गुलाई, रघुनाथ राव जाधव, सेठ हंसराज तेजपाल, सेठ सोहनलाल मुंशीलाल, वीरजी भाई, मोहम्मद अब्दुल करीम, वकील दाऊ छोटेलाल, मानजी भाई ठेकेदार, बदरूद्दीन मालगुजार सेठ उस्मान अब्बा। यहां से गांधी जी कुरूद गये। रायपुर वापसी पर उन्होंने आनंद समाज पुस्तकालय के प्रांगण में महिलाओं की एक सभा को सम्बोधित किया। इस सभा में उन्होंने तिलक स्वराज्य फंड में स्वेच्छा से अधिक से अधिक राशि देने की बात कही। महिलाओं में अभूतपूर्व जोश था। उन्होंने तुरंत २००० रुपये के गहने महात्मा गांधी को दे दिये।

इस प्रकार गांधी से न केवल इस क्षेत्र के हजारों युवकों अपितु महिलाओं को भी राष्ट्रीय आंदोलन में जूझने की प्रेरणा मिली। यही कारण है कि आगे चलकर विशेषकर १९४२ के आंदोलन में इस क्षेत्र की महिलाओं ने अत्यधिक सक्रिय योगदान दिया।

दिसंबर १९२० में कांग्रेस का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ इसमें ७ कार्यक्रमों को ७ स्वीकार किया गया, रायपुर जिला कांग्रेस ने भी इन कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया, ये कार्यक्रम थेः

१. **सरकारी उपाधियों का त्याग।**
२. **सरकारी लगान पर टैक्स न पटाना (भू–राजस्व न पटाना)।**
३. **अंग्रेजी शिक्षा का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना।**
४. **स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार।**
५. **वकीलों द्वारा वकालत त्याग कर विदेशी अदालतों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय पंचायतों की स्थापना।**

६ कौसिलों का बहिष्कार।

नागपुर के इस अधिवेशन में भाग लेने रायपुर से श्री वामनराव लाखे, बैरिस्टर ठक्कर पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा, सखाराम दुबे गये थे। धमतरी से बहुत लोगों ने भाग लिया था जिसमें निम्न उल्लेखनीय हैः मेघावाले, जगताप, बाबू छोटेलाल, दाऊ डोमार सिंह, नारायण राव दिक्षीत, दाद साहेब जाधव, जगदेव राव बाबर, बाजीराव, रण सिंह पंडित, शिवबोधन प्रसाद, सेठ रामलाल अग्रवाल।

इस प्रस्ताव के आधार पर रायपुर के ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने तत्काल हमेंशा के लिये वकालत छोड़ दी। यादवराव देशमुख ने जिला कौंसिल की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। बैरिस्टर कल्याणजी मोरारजी थेकरएवं सेठ गोपीकिशन ने रायसाहेब की उपाधि, काजी शमशेर खान ने खान साहेब की उपाधि त्यागी। इनका जनता के द्वारा सार्वजनिक सभा में सम्मान किया गया और वामनराव लाखे को 'लोकप्रिय' की उपाधि प्रदान की गयी। असहयोग आंदोलन का प्रभाव वहां इतना अधिक व्याप्त हुआ कि अंग्रेजी शासन ने तीन बार चुनाव कराने की घोषणा की किन्तु तीनो बार कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ। परंतु पहलेसे धमतरी, महासमुंद क्षेत्र से निर्विरोध चुनकर गये बाजीराव कृदत्त ने आंदोलन के समर्थन में त्यागपत्र दे दिया।

नागपुर से लौटे हुए इस अंचल के नेताओं ने बड़ी तीव्रता से आंदोलन का प्रचार कार्य शुरु किया। गांव–गांव में असहयोग आंदोलन एवम् स्वराज्य का संदेश पहुँचाया जाने लगा। धमतरी में विद्यार्थी प्रचार में आगे आये। इनमें इन तीन विद्यार्थियों के नाम उल्लेखनीय हैः खुशाल राव पवार, बिसाहु राव बाबर (नागपुर हिल्स कालेज के प्रथम वर्ष के विद्यार्थी), शंकरराव हिसीकर (नागपुर मेडिकल कालेज के द्वितिय वर्ष के छात्र)

ये छात्र अध्ययन छोड़कर देश सेवा के पवित्र कार्य में जुट गये। रायपुर जिले के प्रमुख कार्यकर्ता इस प्रकार थेः बैरिस्टर सी. एम. ठक्कर, वामनराव जी लाखे, माधवरावजी सप्रे, पं. रविशंकर शुक्ल (मंत्री कांग्रेस

कमेटी), रामदयाल जी तिवारी, सुन्दरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावले, लक्ष्मणराव उद्‌गीकर, नत्थुजी जगताप, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, महन्त लक्ष्मीनारायण जी दास, गोपालदास जी डागा, शम्भुदयाल तालुकेदार, उजियारलाल सक्सेना, सेठ गोपीकिशन जी, सेठ बालकिशन, सेठ प्रभुलाल। रायपुर जिले में आंदोलन इतना अधिक बढ़ चुका था कि न केवल प्रदेश किन्तु पूरे राष्ट्र की निगाहें इस ओर लगी हुई थी। जिलों के विभिन्न तहसीलों में गांव आंदोलन के प्रमुख केन्द्र बनाये गये।

रायपुर तहसीलः थनोद, मांढर, सिलयारी, कुर्रा सोमनाथ, टाटीबंध, अमनपुर,सरौना, हसौद।

धमतरी तहसीलः धमतरी, लगडैंनीं, कौरगांव, कचना, मंडेली, कंडेल, मेघा, कुरूद,परसवानी, सिहावा, नगरी रूद्री, नवागांव।

बलौदा बाजार तहसीलः भाटापारा, नेवरा, सिमगा, गिद्यपुरी, चिखली, बलौदाबाजार, पलारी, भटगांव, सिरपुर।

महासमुंद तहसीलः महासमुंद, बेलसोड़ा, राजिम, तुमगांव।

रायपुर जिले में असहयोग आंदोलन के प्रचारार्थ केवल दो माह में एक पर्चा ६५.४५० बार वितरित किया गया। इसी से इस युद्ध स्तर के प्रचार का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रदेश के चोटी के नेताओं को भी एक बार रायपुर आना पड़ा एवं अप्रैल १९२१ तक तपस्वी सुंदरलाल शर्मा, सेठ जमुनालाल जी बजाज, सेठ गोविंद दास, मौलाना कुतुबुद्दीन एवं पंडित विष्णु दत्त जी शुक्ल आदि नेताओं ने उसी पूर्व वर्णित ऐतिहासिक गांधी चौक में स्थानीय जनता के समक्ष अपने ओजस्वी विचार रखें।

५ फरवरी १९२१ को रायपुर में एक जनसभा आयोजित हुई, जिसका संलाचन श्री माधव राव सप्रे ने किया। इस सभा में रायपुर के प्रमुख नागरिकों ने भाग लिया। इसी सभा में राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना हेतु दस हजार रुपयों की धनराशि एकत्र हुई। सेठ गोपीकिशन दास जी, बालकिशन एवं रामकिशन जी ने शाला हेतु विशाल भवन दिया। विद्यालय

की संचालन समिति के मंत्री वामन जी लाखे चुने गये। विद्यालय के खुलते ही छात्रों ने भी अभूतपूर्व उत्साह दिखाया एवं असहयोग आंदोलन को सहयोग देते हुए अंग्रेजी शालाओं का बहिष्कार कर २४० छात्रों से इसे प्रारंभ कराया। धमतरी के वकील पं. रामनारायण तिवारी ने वकालत त्यागकर इस शाला के प्रधान पाठक का गुरुत्तर भार वहन किया। इसी तरह राष्ट्रीय शिक्षा का प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय कार्य असहयोग आंदोलन के द्वारा इस क्षेत्र में भी प्रारंभ हुआ जिसमें विद्यार्थी स्वावलंबी बन सकें।

धमतरी में भी राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र था। यहां भी राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ने अपने ही घर में अपने ही खर्च से राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। धमतरी नगर के बहुत से विद्यार्थी उनके पास पहुंचे भी थे कि उन्हें ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान की जाय।

इस विद्यालय में बाबू साहब अवैतनिक शिक्षक रहे। शिक्षकों ने बहुत कम वेतन लेकर पढ़ाना स्वीकार किया। ये सभी कांग्रेस के सदस्य थे। १६२१ में निम्न शिक्षक नियुक्त किये गये अजीजु र्रहमान (बी. एस. सी.) प्रधान पाठक कुसरे सेन, बिसाहु राव बाबर। इस शाला के छात्र राष्ट्रप्रेम से वशीभूत होकर यहां भरती होते थे। अतः अध्ययन के बाद देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शांतिमय धरना बहिष्कार, मद्य निषेध, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार आदि के कार्यक्रमों में इन विद्यार्थियों द्वारा भरपूर योगदान दिया जाता था। इसी का यह परिणाम हुआ कि शराब, अफीम आदि के ठेकेदारों ने भविष्य में ठेका लेने की हिम्मत नहीं जुटा सकें।

इस विद्यालय में यहीं से उत्तीर्ण छात्रों ने भी शिक्षक का कार्य किया। यह विद्यालयआर्थिक कठिनाई से अंत तक जूझता रहा। ऐसी परिस्थितियों में भी ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने प्रधान अध्यापक का कार्यभार सम्भाला और छः माह तक अवतैनिक रूप से पढ़ाया।

१६२०–२२ के मध्य इस क्षेत्र की जनता को असहयोग आंदोलन ने

काफी जागृत किया। असहयोग आंदोलन के अंतर्गत क्षेत्र के अनेक लोगों ने अपनी उपाधियों को त्यागकर, वकालत छोड़कर सहयोग किया। डॉ राजेन्द्र प्रसाद एवं सी. राजगोपालाचार्य ने इस क्षेत्र का दौरा करके जिले के राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वालों का उत्साह बढ़ाया।

धमतरी तहसील के सिहावा नगरी क्षेत्र के जो छात्र रायपुर स्थित नार्मल स्कूल में प्रशिक्षणार्थ गये थे उन्होंने भी अपना अध्ययन त्याग दिया एवं अपने–अपने स्थानों पर जाकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन के प्रचारार्थ स्वयं सेवक बन गये। इन प्रचार कार्यों का प्रधान लक्ष्य महात्मा गांधी तथा कॉंग्रेस के प्रति जन साधारण का ध्यान आकर्षित कर उन्हें कॉंग्रेस का प्राथमिक सदस्य बनाना मादक वस्तुओं का त्याग करना एवं तिलक स्वराज्य कोष हेतु द्रव्य संचित करना था, ताकि देशहित के कार्यों में व्यय हेतु धन मिल सके।

१६२१ के बाद राष्ट्रीय आंदोलन को देश व्यापी बनाने के लिये नव युवकों में देश प्रेम की भावना भरकर उन्हें कुशल कार्यकर्ता बनाने हेतु सत्याग्रह आश्रम (असहयोग आश्रम) खोले गये। महात्मा भगवानदीन एवं तपस्वी सुंदरलाल के प्रयासों से नागपुर में ऐसे आश्रम खोले गये। जनवरी १६२१ में तपस्वी सुंदरलाल शर्मा रायपुर आये। उनके ओजस्वी भाषण से प्रभावित होकर रायपुर नार्मल स्कूल के ५३ छात्रों ने अंग्रेजी शिक्षा त्यागकर सत्याग्रह आश्रम गये तथा वहां से वापस आकर उन्होंने प्रचार कार्य आरंभ किया। रायपुर नगर की १६२० में आबादी ३५,००० थी इसमें ३६०9 कॉंग्रेस के सदस्य बन गये।

इस असहयोग आश्रम में शिक्षा की अवधि एक साल थी तथा आवास एवं भोजन निःशुल्क था। धमतरी क्षेत्र से इस आश्रम में जाने वाले प्रशिक्षणार्थी थे श्यामलाल सोम, हरखराम,परदेशी, राम, रामदुलारे, शोभाराम,बिसम्भर आदि लगभग २५ उत्साही नवयुवक धमतरी तहसील के थे।

१६१६ अधिनियम के अनुसार सी. पी. बशर लेजिस्लेटिव असेम्बली

अरोनी के लिये रायपुर जिले के दो ग्रामीण क्षेत्र बनाये गये जहां से दो प्रतिनिधि चुनकर भेजा जाना था। (१) उत्तरी क्षेत्र जिसमें रायपुर और बलौदाबाजार तहसील क्षेत्र थे (२) दक्षिण क्षेत्र जिसमें धमतरी एवं महासमुंद तहसीलों को सम्मिलित किया गया था।

रायपुर जिले से कौंसिलों के लिये अनेक उम्मीदवार थे उनका प्रचार कार्य भी आरंभ हो चुका था, लेकिन गांधीजी के नेतृत्व में ज्यों ही असहयोग प्रस्ताव आया रायपुर जिले में भी प्रस्ताव कार्यान्वित किया गया एवं उसे पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप जिले के दोनों स्थान रिक्त रहे। लोगों ने प्रांतीय विधान सभाओं का बहिष्कार कर दिया।

शासन ने पुनः दिसंबर में चुनाव की तारीखें तय की। इस बार कुछ लोग जनता के इच्छा के विरूद्ध पद का लोभ संवरण न कर सके। इनमें रायपुर बलौदा बाजार क्षेत्र से सेजबहार गांव के कृष्णगुवाराम रोहिदास एवं धमतरी महासमुंद क्षेत्र से जमी. दार बाजीराव कूदत्त सदस्य बने। किन्तु जब गांधीजी को गिरफ्तार कर बरौदा जेल भेज दिया गया तो बाजीराव कूदत्त ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तीसरी बार जब चुनाव की घोषणा हुई तो कोई खड़ा नहीं हुआ। कृदत्त का इस्तीफा देने के बाद सार्वजनिक तौर पर अभिनंदन कियागया और ''लोकप्रिय'' की उपाधि से विभूषित किया गया। बद्री प्रसाद पुजारी, काजी शमशेर खान ने आनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया।

इस प्रकार कांग्रेस अब पूर्ण रूपेण जनता की संस्था बन गयी। न केवल शहरों में अब गांव–गांव में उसकी शाखाएं फैल गयीं। १९२० से पूर्व रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी की संख्या २६ थी। इस बीच बहुत सदस्य बनाये गये।

रायपुर नगर ३६०९

रायपुर तहसील २२४१

धमतरी तहसील ४५५३

बलौदाबाजार तहसील १८५९

महासमुंद तहसील २८८६

रायपुर जिला कुल १५१५१

धमतरी तहसील की सदस्य संख्या को देखते हुए १६२१ में यहां तहसील कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। इसके पदाधिकारी इस प्रकार थेरूअध्यक्ष नत्थुजी जगताप, मंत्री नारायण मेघावले, उपमंत्री दाऊ डोमार सिंह नंदवंशी, कोषाध्यक्ष दाऊ कांशीप्रसाद अग्रवाल, (ये प्रांतीय सभा के भी अध्यक्ष रह चुके थे), कार्यकारिणी सदस्य पंडित सुंदर लाल शर्मा, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव, करण सिंहभाई यादव राव खांडेकर, दिनकर राव हिशीकर, गोविंद राव जोशी, वीरचंद मेहता, मोहम्मद अब्दुल करीम, अब्दुल हक, राजा राम नथेल, जयदेव राव बाबर।43

१६२१ में नगरपालिका के चुनाव हुए धमतरी नगर पालिका के प्रथम नागरिक अध्यक्ष नारायण राव मेघावले एवं उपाध्यक्ष मास्टर मोहम्मद अब्दुल करीम निर्वाचित हुए। यह कांग्रेस की विजय थी। मद्य निषेध का कार्यक्रम भी असहयोग आंदोलन का एक प्रमुख अंग था। इसका भी जोरो से प्रचार किया गया। सरकार के लगातार प्रयासों के बाद भी शराब, गांजा और अफीम की नीलामी में किसी ने भाग नहीं लिया। जिले में ऐसी स्थिति देख शासन ने तहसीलों में इसकी नीलामी का प्रयास किया और धमतरी के गट्टा सिल्ली को इसके लिये चुना, किंतु यह प्रयास किया गया कि इसकी सार्वजनिक प्रचार न हो। किंतु किसी तरह यह खबर आंदोलनकारियों को लग गई। तुरंत नारायण राव मेघावले अपने तीन अन्य साथियों के साथ धमतरी से २८ मील दूर भीषण जंगली क्षेत्र हेतु रात्रि में हो बैलगाड़ी से रवाना हो गए। उन्होंने ठेकेदार को समझाया अतः वहां भी नीलामी नहीं हो सकी। एक दुकान चल रही थी उसे भी आंदोलनकारियों ने बंद करवा दिया। यहां पिकेटिंग की गई थी। इस प्रकार सरकार की आय बड़ी तेजी से घटने लगी।

कांग्रेस के मादक द्रव्य निषेध आंदोलन की जबर्दस्त प्रतिक्रिया धमतरी नगर और तहसील के कलावार (कलार) जाति पर ऐसी हुई कि

संपूर्ण जाति ने सदा के लिये इसे व्यवसाय द्वारा धनोपार्जन न करने की प्रतिज्ञा की और राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। इस तरह धमतरी तहसील का सभी क्षेत्रों में योगदान रहा।

नागपुर अधिवेशन के बाद मध्य प्रांत में तीन समितिया भाषा और क्षेत्रीयता के आधार पर बनी बरार मराठा क्षेत्र और हिंदी माषी महाकौशल का क्षेत्र, जिसका रायपुर एक महत्वपूर्ण अंग बन गया। अदालतों का बहिष्कार करने के बाद

कांग्रेस ने राष्ट्रीय पंचायतों के गठन का कार्यक्रम रखा। अतः रायपुर नगर में भी ४ मार्च १६२१ को राष्ट्रीय पंचायत का गठन किया गया। श्री जसकरण डागा इसके मंत्री चुने गये। ५ मार्च १६२१ से १५ अक्टूबर १६३१ तक इस पंचायत में ८५ मुकदमे प्रस्तुत हुए जिनमें ५२ का आपसी निपटारा हुआ एवं १६ पर नगर राष्ट्रीय पंचायत ने अपने फैसले दिये। इससे पंचायतों की सफलता सिद्ध होती है। धमतरी में भी पंचायती अदालत का गठन हुआ एवं तहसील के सबसे बड़े मालगुजार बाजीराव वृन्दत्त ने अपने मराठापारा स्थित पुराने मकान की बैठक को, जो कचहरी के नाम से जानी जाती थी, निःशुल्क इस कार्य हेतु प्रदान किया।

असहयोग आंदोलन का सातवां कार्यक्रम था, स्वदेशी प्रचार एवं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार रायपुर में अगस्त १६२१ को स्वदेशी प्रचार एवं विदेशी बहिष्कार के प्रचार में विशाल जुलूस निकला जो नगर के इतिहास में स्मरणीय है। जनता ने होली के त्यौहार में होलिका दहन इन विदेशी वस्तुओं को जलाकर किया। प्रभुलाल काबरा एवं रत्नाकरजी ने अपनी धर्मपत्नियों की समस्त विदेशी साड़ियां होलिका दहन को भेंट कर दीं।

खादी और चरखा कातने का कार्यक्रम घर–घर में फैल गया। १६२१ में कांग्रेस समिति रायपुर में गरीबों को ४५० चर्खे निःशुल्क वितरित करके उन्हें रोजी का साधन दिया। रायपुर नगर की कुछ महिलाओं ने भी खादी के प्रचार में योगदान दिया। इस आंदोलन में रायपुर नगर के व्यापारियों ने भी योगदान दिया। लगभग समस्त कपड़ा व्यापारियों ने

विदेशी कपड़ों का व्यापार बंद कर दिया केवल तीन व्यापारी थे जिन्होंने लिखित समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किये किंतु उनकी दुकानों पर भी कोई ग्राहक नहीं देखा गया।

११ अक्टूबर १९२१ को नगर के रावण भाठा मैदान में खादी की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दिन दशहरे का पावन पर्व था. सूत यज्ञ में नगर की शालाओं के छात्र शिक्षक एवं महिलाओं ने सउत्साह भाग लिया। इस मेले में खादी का प्रचार एवं बिक्री तो हुई ही विदेशी वस्तुओं की भी होली जलाई गई। १३ अक्टूबर को यह प्रदर्शनी केवल महिलाओं हेतु खोली गई। इसका दायित्व अंजुमन बेगम को दिया गया। धमतरी तहसील में भी पुनः देशमत छोटेलाल को ही खादी को एक ग्रामोद्योग का रूप देने के लिये पहल करनी पड़ी। गांवों की वृद्ध स्त्रियां जिन्हें सूत कातना आता था, यहां से चरखा लेकर सूत कातने लगीं। इस कार्य में तहसील कांग्रेस कमेटी के उपमंत्री दाऊ डोमार सिंह ने भरपूर सहयोग दिया। उन्होंने अपने हाथों से सूत कातकर उसकी धोती बनवायी जिसे रायपुर की प्रथम खादी प्रदर्शनी में पुरस्कार भी मिला। इस प्रकार विदेशी बहिष्कार और खादी के प्रचार का नकारात्मक और सकारात्मक कार्यक्रम साथ–साथ चलता रहा।[४५]

सिहावा नगरी का जंगल सत्याग्रह

धमतरी नगर और तहसील राष्ट्रीय जागृति की दृष्टि से संपूर्ण छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहा था। और उसकी ख्याति प्रदेश और राष्ट्रव्यापी हो चुकी थी। इस समय (१९२०–२२) के बीच इस आदिवासी क्षेत्र में अत्यधिक जागृति फैल चुकी थी, और सिहावा की ८० प्रतिशत आबादी आदिवासी आबादी थी। धमतरी के आंदोलनकारी नगरी को प्रचार का अपना मुख्य गढ़ बनाया गया। नगरी में महत्वपूर्ण आदिवासी नेता पहले से ही मौजूद थे। श्यामलाल सोम, पंचम सिंह नेता, भुंडरा ठाकुर बाली ठाकुर एवं बिशम्भर पटेल आदि कर्मठ स्वयं सेवकों ने वन कानून का उल्लघंन करते हुए जंगल सत्याग्रह आरंभ किया। उन्होंने आरक्षित वनों से लकड़ियां लेना आरंभ किया। यह आंदोलन आदिवासियों का उन वन

अधिकारियों के विरूद्ध था जो उन्हें बेगार या अत्यंत अल्प दर पर मजूरी करने हेतु विवश करके उनका शोषण करते थे। इतना कार्य जिसे वे स्वयं नहीं कर पाते थे, इतना करने पर भी उन्हें अपनी खेती का विस्तार तथा जलाने हेतु एक टुकड़ा जलाऊ लकड़ी लाने का भी अधिकार नहीं था। आंदोलनकारियों ने धमतरी से आकर इन आदिवासियों में अन्याय का प्रतिकारकरना और अपने अधिकारों के लिये लड़ने की भावना उत्पन्न की कष्ट सहन करने की क्षमता ने इन आदिवासियों को हर संभव उपायों से साहसी एवं त्यागी बना दिया था।

नगरी और सिहावा का यह जंगल सत्याग्रह जनवरी १९२२ के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ हुआ। स्वयं सेवकों ने सत्याग्रह करने की मौखिक सूचना शासकीय वन विभाग के स्थानीय अधिकारी को देकर अपना आंदोलन प्रारंभ कर दिया। स्थानीय वन विभाग ने इसकी सूचना शीघ्र ही आरक्षी विभाग जिला दण्डाधिकारियों को तथा अपने उच्चाधिकारी को दी। अतएव रायपुर से कलेक्टर बेली, पुलिस कप्तान, धमतरी के सर्किल इंस्पेक्टर एवं सब –इंस्पेक्टर और पुलिस अधिकारी नगरी पहुंचे। इन लोगों ने सत्याग्रहियों और जनता के घरों की तलाशी ली। कईयों पर चोरी का आरोप लगाकर तत्काल फौजी कार्यवाही की गई। सत्याग्रहियों ने पुलिस के आरोपों का जोरदार विरोध किया और अपना बचाव किया। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि आदिवासियों को उनका अधिकार मिलना चाहिये और सरकारी अन्याय का प्रतिकार होना चाहिये। बेली और उसकी पुलिस ने ग्रामीणों को बर्बरता पूर्वक पीटा। कईयों को तीन से छः माह की कठोर सजा सुनाई गई थी। पहले इन आंदोलनकारियों को क्षमा मांगने के लिये भी कहा था जिसे इन्होंने इंकार कर दिया। सजा प्राप्त लोगों में से कुछ प्रमुख नाम इस प्रकार हैंः श्यामलाल सोम, बिसम्मर पटेल, आनंदराम गौड़, हरखराम सोम, पंचम सिंह, श्रीराम सोम, मंगलुरामकेंवट, समेदास सतनामी, शोभाराम साहू, श्रीराम गौंड । ये सभी नगरी के थे। इनमें कईयों ने कॉलेज की पढ़ाई और नौकरी छोंड़ दी थी।

इस समय तक कांग्रेस नेता अहमदाबाद में थे। वहां से लौटने पर

इन लोगों ने सारी बातें सुनीं। तुरंत ही पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम वाले, नारायण राव मेघावले, नत्थूजी जगताप एवं मास्टरमोहम्मद अब्दुल करीम ने नगर धमतरी के कांग्रेसी स्वयं पंडित शिवबोधन प्रसाद, पंडित गोपाल प्रसाद, पंडित गिरधारी लाल तिवारी, सेठ रामलाल अग्रवाल रामजीवन लाल सोनी, श्यामलाल सोनी, ठाकुर बलदेव सिंह, दाऊ श्यामलाल एवं राष्ट्रीय विद्यालय के नवयुवक स्वयं सेवक लाला साहेब, रामगोपाल चौबे, बिहारी लाल तिवारी, मोहन लाल मेहता तथा शोभाराम देवांगन ने पकड़े और बैलगाड़ियों में नगरी के लिये प्रस्थान किया। इस समय तक ब्रिटिश अधिकारियों ने गांव में तीन माह हेतु अतिरिक्त पुलिस बल बैठाकर ग्रामिणों से बलात् उनकी चल सम्पत्तियों पर टैक्स लेना शुरू कर दिया था। इन नेताओं ने नगरी पहुंचकर वहां के सत्याग्रहियों को समझाया कि यह सत्याग्रह अखिल भारतीय एवं प्रांतीय कांग्रेस समितियों से स्वीकृति प्राप्ति तक स्थगित रखें तथा उन्होंने सार्वजनिक सभाओं द्वारा शासन के अत्याचारों की भर्त्सना की। इससे सत्याग्रही कुछ शांत हुए तथा शासन ने अपने वन तथा आदिवासियों से बेगार बंद कर न्यूनतम मजदुरी देकर उनका शोषण बंद किया। शासन ने इन बंदियों को बीहड़ जंगलों में हथकड़ियां डालकर घुमाया। किंतु धमतरी की जनता ने इनका (सत्याग्रहियों का) अभूतपूर्व स्वागत किया।

७ फरवरी १९२१ को तपस्वी सुंदरलाल शर्मा, महात्मा भगवानदीन रायपुर आये और रायपुर एवं पाटन की सभाओं को सम्बोधित किया। जोशीले वातावरण में मालगुजार दीनानाथ ने एक चौपाई पढ़ी। इसी वर्ष ३६०९ लोगों ने रायपुर कांग्रेस के स्वयं सेवक के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। असहयोग आंदोलन की महात्मा गांधी की घोषणा के अनुरूप जिले में आंदोलन चलने लगा। अंजुमन बेगम के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा खादी प्रदर्शनियां लगाई गई। रायपुर के अधिकांश वस्त्र व्यापारियों ने विदेशी वस्तुओं के विक्रय से इंकार कर दिया जो तीन व्यापारी विदेशी वस्त्र वेचते रहेउनको कोई खरीदवार ही नहीं मिला।

मई १९२२ में रायपुर जिला सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके

स्वागताध्यक्ष पंडित रविशंकर शुक्ल इस सम्मेलन में टिकटों से प्रवेश दिया जा रहा था। जिलाधीश क्लार्क एवं पुलिस कप्तान जोन्स ने पांच बिना पैसे के ही टिकटों की मांग की किंतु सम्मेलन के आयोजकों ने इस मांग को ठुकरा दिया। जिलाधीश और पुलिस कप्तान ने जब बलात् प्रयास किया तो श्री शुक्ल और वामन राव लाखे गेट पर हाथ बांधकर खड़े हो गये और उन्हें प्रवेश करने से रोक दिया। पंडित रविशंकर शुक्ल को हथकड़ी पहना दी गई। हजारों की संख्या में लोग कोतवाली के चारों तरफ खड़े हो गये। गोली चलने की नौबत आ गई थी किंतु वामन राव लाखे, ई. राघवेन्द्र राव और माधव राव सप्रे के बाच बचाव से स्थिति शांत हो गई। दूसरे दिन सुबह एक रैली निकाली गई जो गांधी चौक में एक सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद जुलुस निकाला गया जिसे कई लोगों ने सम्बोधित किया जिनमें पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र भी थे। दूसरे दिन कलेक्टर एवं पुलिस कप्तान ने पुनः पंडाल में घुसने का प्रयास किया। उनको ऐसा नहीं करने दिया गया और उनको अंततः टिकट खरीदनी पड़ी, कर्मवीर ने इसपर प्रशंसात्मक टिप्पणी की। इसी तरह नागपुर के पत्र हितवाद ने सरकारी कार्यवाहियों की आलोचना की।

शासन ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिये तत्कालीन सब प्रकार के प्रतिबंधात्मक कानूनों का उपयोग किया गया था वे हैंरू रौलट एक्ट, प्रेस एक्ट, सिडशस मिटिंग एक्ट। कई लोगों की जिले में गिरफ्तारियां की गई जिनमें सुंदरलाल शर्मा और नारायण राव मेघावाले प्रमुख थे। इन बंदियों पर रायपुर में मुकदमा चलाया गया। इन मुकदमों की सुनवायी के दौरान भारी भीड़ जुटती थी। आंदोलनकारियों ने शासन की दमनात्मक कार्यवाहियों और तौर तरीकों का पर्दाफाश किया।

झण्डा सत्याग्रह

रायपुर जिला विशेषकर धमतरी तहसील ने झण्डा सत्याग्रह में प्रमुख भूमिकानिभाई। कांग्रेस की प्रत्येक बैठक में तिरंगा झण्डा लेकर कार्यवाही आरंग की जाती थी। इसी दौरान रायपुर सहित पूरे जिले में बड़े

पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। इस आंदोलन में गांव–गांव से लोग आये और उन्हें गिरफ्तार किया गया।

काकीनाड़ा काँग्रेस में भाग लेने के लिए रायपुर जिले के सभी नेता गए तथा उन्होंने रायपुर से काकीनाड़ा की पैदल यात्रा की।

इस बीच सुंदर लाल शर्मा अछूतोद्वार के कार्यक्रमों में लगे हुए थे। उन्होंने मंदिर प्रवेश (विख्यात राजीव लोचन मंदिर राजिम) का आंदोलन और अनुसूचित जातियों का यज्ञोपवित संस्कार कराने का कार्यक्रम चलाया और काफी अस्पृश्यों का समारोह आयोजित करके जनेऊ पहनाया गया।

रायपुर जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन

चौरी–चौरा के बाद से गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन को वापस ले लिया। इसके बाद कुछ समय तक उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम चलाया जिसमें खादी, अछुतोद्वार, महिला उद्धार, ग्राम विकास, बुनियादी शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्यक्रम चलाया गया। रायपुर जिले में भी यही कार्यक्रम चलाये गये। कौंसिल एंटी की व्यवस्थापिकाओं को चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई। पंडित रविशंकर शुक्ल १९२७–३७ तक रायपुर जिला कौंसिल के अध्यक्ष थे। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय विद्यालयों की संस्था के प्रचार–प्रसार का प्रयत्न किया। १९२८ में रायपुर में युगलीय का गठन किया गया। इसके संगठन कर्ता ठाकुर प्यारेलाल सिंह, मौलाना अब्दुल रऊफ तथा यति यतन लाल जैन थे। सदर बाजार में महावीर पुस्तकालय इनकी कार्यवाही का केंद्र था।

३१ दिसम्बर १९२९ को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर मध्य रात्रि २६ जनवरी १९३० स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी। रायपुर जिले में भी बड़ी धूमधाम से यह दिवस मनाया गया।

गांधी जी ने १२ मार्च १९३० को पंडित सुंदर लाल शर्मा को महाकौशल राजनीति समिति का अध्यक्ष चुना गया।

धमतरी तहसील रायपुर जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन को गति देने में अग्रणी रहा। २६ जनवरी १९३० को छोटेलाल के घर के सामने चौक में नारायण राव मेघावले द्वारा झण्डा फहराया गया। इस समय उन्होंने एक घंटे तक प्रभावशाली भाषण दिया। महात्मा गांधी की दाण्डी यात्रा और नमक कानून तोड़ने के बाद धमतरी और रायपुर जिले में भी सरकारी कानून और आदेशों को तोड़ने और उनकी अवहेलना करने का सिलसिला चल पड़ा। जंगल सत्याग्रह करने की स्वीकृति प्रांतीय कांग्रेस समिति से प्राप्त की गई।

१ मई १९३० को नत्थूराम जगताप द्वारा धमतरी में सत्याग्रह आरंभ करने का निर्णय लिया गया। स्वयं सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिये सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की गई। सुंदर लाल शर्मा इसके प्रमुख थे। ३ माह के भीतर ही लगभग १३०० स्वयं सेवकों को पक्का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देने का कार्य श्री नारायण राव मेघावाले, शोभाराम देवांगन, छोटेलाल श्रीवास्तव, नत्थु भाई जगताप, एवं पंडित सुंदर लाल शर्मा स्वयं किया करते थे। सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रत्येक स्वयं सेवक एक तिरंगा झंडा, एक गांधी टोपी और एक केसरिया झोला लेकर सत्याग्रही शहर के भीतर राष्ट्रीयभावनाओं का प्रचार करते थे। इन्होंने विदेशी शराब की दुकानों पर भी धरना दिया था।

रूद्री जंगल सत्याग्रह

रूद्री, धमतरी से पूर्व महानदी के तट पर स्थित क छोटा सा कस्बा है। यहां रुद्रेश्वर महादेव का प्राचीन मंदिर है।

२२ अगस्त सन् १९३० को लगभग १३०० सत्याग्रही रूद्री जंगल कानून तोड़ने के लिये तैयार हो गये। तहसील सत्याग्रह समिति ने नवांगांव वन विभाग से सुरक्षित घांस काटकर कानून भंग करने का निश्चय किया। इस कार्य के लिये पहले ५ सत्याग्रही भेजने का निर्णय लिया गया। सत्याग्रह समिति भंग कर डिक्टेटर नियुक्त किये गये। उन्होंने घोषणा की २२ अगस्त को सत्याग्रह के प्रथम जत्थे का नेतृत्व नत्थुजी

जगताप करेंगे। २२ अगस्त को सूर्योदय से पूर्व ही मेघावले और जगताप के गिरफ्तार किये जाने पर श्री छोटेलाल श्रीवास्तव ने मोर्चा सम्भाला। इसके पश्चात् सत्याग्रही नेताओं की गिरफ्तारी का सिलसिला चला और सरकार की भर्त्सना की गई। नवागांव क्षेत्र में धारा १४४ लागू कर दी गई। ६ दिसंबर को १०– १२ हजार व्यक्ति रूद्री पहुंचे। जब पांच सत्याग्रही कानून के उल्लंघन की तैयारी कर रहे थे तो पुलिस ने भीड़ पर लाठी का प्रहार करना आरंभ कर दिया। फलतः भगदड़ मच गई और अनेक लोग घायल और आहत हुए। निम्न व्यक्तियों को उनके निवास में ही पकड़ा गया,धमतरी में धारा १४४ लगी रही और इनसे २०० रुपये से ५०० रुपये तक का अर्थदण्ड वसूला गया नत्थूजी जगताप, शिवरत्न पुरी, मधुसुदन दिशीकर, रघुनाथ जगताप, छोटेलाल श्रीवास्तव, रामलाल अग्रवाल, विष्णु पवार, लाल साहेब पवार, गुलाब राव पवार, खम्मनलाल, गोविंद राव, नारायण राव मेघावले, सुंदर लाल शर्मा, शिव बोधन प्रसाद, गिरधारी लाल तिवारी, चन्द्रमा वैद्य, रामप्रसाद पोद्दार, सुंदर लाल वाचमेकर, दुल्ला शंकर राव जगताप, हस्तीमल जैन, इन्दु प्रसाद शास्त्री, नाथुजी यशवंत राव जगताप, ठाकुन छन्नुसिंह, जुम्मन शाह, श्रीमती दयावती बाई, श्रीमती पार्वती बाई. लाला साहब रण सिंह ठाकुर, ठाकुर महेश सिंह चंद्रैया बंगाली, संत महंत राम पवार, शिवराम जगताप, लवकिशन गौर, शंकरलाल बाबू, नन्हेलाल पांडुका, यादव राम दामोदकर, बालाराम नामकेर, रामचंद्र पुरी, शिवप्रसाद दाऊ, बिहारी लाल साहू कांडक प्रसाद, सदाराम साहू। १० दिसंबर से ६ माह तक धमतरी में धारा १४४ लागू की गई। दमन चक्र को बढ़ाने और सत्याग्रहियों को और आतंकित करने के लिये १६ दिसंबर १९३० से धमतरी, महासमुंद, आरंग और गरियाबंद में पुलिस दस्ते की नियुक्ति की गई। इस कार्य के लिये १२२ पुलिस अफसर नियुक्त किये गये।

धमतरी क्षेत्र में जनता के सभी वर्गों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया।

रूद्री नवागांव आंदोलन

धमतरी का रूद्री नवागांव आंदोलन गांधी इरविन समझौते तक चलता रहा। इस आंदोलन के दौरान पंडित सुंदर लाल शर्मा राजिम से रूद्री के लिये प्रस्थान कर चुके थे। परंतु अभनपुर में ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया एवं एक वर्ष का सश्रम कारावास की सजा देकर रायपुर जेल में डाल दिया गया। इस आंदोलन के सिलसिले में सर्वश्री नारायण राव मेघावले, छोटेलाल श्रीवास्तव, बिहारी रावत, नत्थुजी जगताप, रत्नु रावत, गोवर्धन एवं जेठू मरार गिरफ्तार किये गये। इन सब सत्याग्रहियों को एक एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी गई, इसके अतिरिक्त गोविंद राव, रामलाल अग्रवाल, गिरधारी लाल तिवारी, गंगाराव पंडोल, शोभाराम देवांगन, मुकुंद राव माने, रामरतन यदु, मन्नु लाल मेहता गोंड़, किरतुराम आदिवासी, गुलाब राव, शंकर लाल श्रीवास्तव, शिवचरण जगताप, शंकर राव जाधव, गनीराम आदिवासी समारू राम आदिवासी, पंडो आदिवासी, श्यामलाल सोम, धन सिंह, खैर सिंह, जशवन दास, निन्दु कुम्हार, बंशी ध्रुव, पीला दाऊ, जलाराम हलबा, अर्जुन सिंह, मंगल दास और बिसम्भर पटेल भी गिरफ्तार किये गये। इनको भी सश्रम कारावास दिया गया। रूद्री नवागांव गोलीकांड में सखाराम घायल हुये थे. फिर भी उन्हें गिरफ्तार कर एक वर्ष ६ माह का सश्रम कारावास दिया गया। निम्न व्यक्तियों को २०० से ४०० रुपये तक का जुर्माना किया गया और उन्हें ४ माह से ४ वर्ष तक की सजा दी गई –रतनलाल यदु, कल्याण आदिवासी, लतेल आदिवासी एवं पंचम सिंह।

इसके अतिरिक्त रूद्री नवागांव और धमतरी में सत्याग्रहियों को अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। फिर भी सत्याग्रही पिछे नहीं हटे और बराबर जंगल कानून और अन्य सरकारी कानूनों और आदेशों को भंग करते रहे। इस संघर्ष में इस क्षेत्र के जागरूक ग्रामीण कृषकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

महासमुंद मे जंगल सत्याग्रह

महासमुंद का सत्याग्रह जंगल सत्याग्रह के नाम से विख्यात है।

श्री यति यतनलाल और शंकर राव गनोद वाले के नेतृत्व में महासमुंद तहसील में जंगल सत्याग्रह आरंभ हुआ सितंबर १९३० को श्री भगवती प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में सत्याग्रहियों का एक दल तेमारा ग्राम की ओर अग्रसर हुआ। इनके साथ श्री प्रयाग दत्त शुक्ल, जीवन गिरी गोस्वामी, अद्वैतगिरी गोस्वामी, छोटेलाल और शंकर राव गनौद वाले वनोपज ले जाने के अपराध में गिरफ्तार कर लिये गये। इनकी गिरफ्तारी के बादहरिमर्दन आंदोलन के अधिनायक चुने गये। १ दिसंबर १९३० को लगभग ५००० लोग धनुष बाणके साथ पुलिस बल को चुनौती देते तिमोरा ग्राम की जंगल की ओर निकले। जंगल की सीमा पर रेंजर ने लोगों को चेतावनी दी परंतु उसका सत्याग्रहियों पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः पुलिस बल द्वारा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी एस. पी. दुबे ने सत्याग्रहियों को प्रलोभन देने की चेष्टा की और अद्वैतगिरी को फांसने का प्रयास किया किंतु वे इसमें विफल रहे। सत्याग्रतियाँ द्वारा सुरक्षित वन में प्रवेश कर घांस काटकर लाया और पुलिस अधिकारियों ने परेशान होकर गिरफ्तारियां आरंभ कर दी २४ सितंबर १९३० को अद्वैत गिरी, चौमल, बुंदलन शाह एवं चंद्रपाल कारगिरफ्तार कर लिये गये। ५०–६० सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया एवं उन्हें ५ से ७ माह तक की २०० रुपये से ६०० रुपये तक का जुर्माना किया गया।

तमोरा ग्राम के सत्याग्रहियों के साथ दयावति बाई नाम की एक युवा लड़की थी, जिसने जंगल प्रवेश करते समय अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रोके जाने पर उसे तमाचा मार दिया।

महासमुंद तहसील के साहिल्या ग्राम में एक सभा हो रही थी। इसकी अध्यक्षता नवापारा के मालगुजार अंजोर सिंह कर रहे थे। सभा में भाग लेने वालों पर अकस्मात् ही पुलिस वालों ने आक्रमण कर दिया, जिसमें उपस्थित जनसमूह उत्तेजित हो गये और प्रत्युत्तर में उसने आक्रमण कर दिया। इस मुठभेड़ में एक सर्किल इंस्पेक्टर और दो पुलिस सिपाही घायल हुये। इस घटना में लगभग १४४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

सत्याग्रह आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा था। महासमुंद तहसील में नवापारा स्टेशन से ७ मील दूर तट पर पायली नामक स्थमान में शाम की सभा में पुलिस उपनिरीक्षक द्वारा वारंट के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उपस्थित जन समुदाय क्रोधित हो उठा और लगभग दो मील तक पुलिस का पीछा करता रहा। कई लोग घायल हुए और आत्म रक्षार्थ पुलिस को गोली चालन करनी पड़ी। दो पुलिस वाले घायल हुए। सहिल्या ग्राम में सत्याग्रहियों ने एक विदेशी दुकान के सामने धरना दिया। पुलिस ने गोली चालन की। २४ सत्याग्रहियों को ६ माह से लेकर ५ वर्ष तक की सजा दी गई। तानवट नवापारा का जमींदार जंगल से काटी गई लकड़ियों पर कर लगाना चाहता था। किंतु सत्याग्रहियों ने इसका विरोध किया। इस पर उसने जंगल की घास पर कर लगा दिया। इसका भी सत्याग्रहियों ने विरोध किया। इस पर जमींदार ने किसानों के पशुओं को कांजी हाऊस में बंद करा दिया। दशहरे के कुछ दिन पूर्व एकत्रित कृषकों की भीड़ पर जमींदार के कहने पर सर्किल इंस्पेक्टर ने अचानक उन्हें बेतों से पीटा। गांव की महिलाओं और बच्चों को भी पीटा गया। महिलाओं ने भी पुलिस पर लाठियों से हमले किये, पुलिस ने भागकर तट पर पायली में शरण ली यहां भी रात्रि में पुलिस इंस्पेक्टर पर पथराव किया गया। इस प्रकरण के संबंध में २८ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

महासमुंद चौक बेडा ठोहापुर, हरदी और तुंगा और कई बड़े अन्य गांवों के लोगों को पुलिस द्वारा सताये जाने पर सत्याग्राही आंदोलन हुए। लक्ष्मी नारायण तेली, की पुलिस पिटाई में मृत्यु हो गई। आरंग में शिवनारायण लोहार को राष्ट्रीय गीत गाने के कारण थाने में लाकर पीटा गया। झुमुक लाल भोई के घर में बलात् घुस पुलिस द्वारा सारा समान लूट कर ले जाया गया। इन लोगों ने राष्ट्रीय गीत गाये थे और सरकार विरोधी नारे लगाये थे। हनुमान नामक सत्याग्रही द्वारा खद्दर उतारने से इंकार करने पर उसे खूब पीटा गया।

रायपुर तहसील सविनय अवज्ञा आंदोलन का केंद्र बना ही रहा।

चंदखुरी ग्राम में पुलिस ने मुफ्त भोजन की मांग की। सखाराम और अनंतराम बर्छिहा के इंकार करने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी दुकान लूट ली गई। दूसरे दिन धरसींवा, आरंग, खरोरा से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाई गई और ग्रामिणों को आतंकित किया गया तथा उन्हें पीटा गया। निम्न ग्रामीणों को पुलिस वालों ने बेत से पीटा मनोहर लोहार, गोकुल, सदाराम तेली, हीरालाल तेली, रीतराम नाई। ये सभी लोग अपने क्षेत्र से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे।

२६ अप्रैल १६३० को वामन राव लाखेजी ने रायपुर की आमसभा में कानून तोड़नेऔर अंग्रेजी राज को समाप्त करने की अपील की तथा ८ मई को आरंग में अंग्रेजी शासनको गुण्डाराज कहकर इसे समाप्त करने की अपील की। अतः उन पर मुकदमा चलाया गया और ३० जून १६३० को ३ हजार रुपये की बांड पर इतनी ही राशि वाले २ जमानतदार देने की अवधि पर १ वर्ष की साधारण कैद की सजा सुनायी गयी। इसी दिन पुलिस अधिक्षक की गाड़ी पर पथराव किया गया। ३० जून को कलारी नामक ग्राम में पुलिस पर आक्रमण किया गया। १०जुलाई १६३० को अमरावती और अकोला से बंदी सत्याग्रहियों को जब रायपुर स्टेशन पर उतारा गया। प्लेटफार्म वंदे मातरम् और अन्य नारों से गूंज उठा। पुलिस ने एकत्रित जन समूह पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया। इस घटना की जांच के लिये २२ अगस्त १६३० को एक आम सभा आयोजित करके श्री रेवा प्रसाद मिश्र की अध्यक्षता में एक जांच समिति नियुक्त की गई। पंडित रामदयाल दिवारी, कृष्ण कुमार चौबे, सेठ बालकृष्ण नत्थानी और रायचौधरी को सदस्य के रूप में चुना गया। आम लोगों में मुनादी कर सूचनायें प्रदान करने की अपील की गई। डिप्टी कमिश्नर से जानकारी प्रेषित करने के लिये लिखा गया किंतु उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ३६ गवाहों के बयान दर्ज किये गये। एक प्रश्नावली तैयार कर गवाहों के बयान और दूसरे लोगों से प्राप्त सूचनाएं एकत्रित कर इस निष्कर्ष पर पहुॅचा गया कि, लाठी चार्ज अनावश्यक था। पुलिस को धैर्य धारण करना था और भीड़ नियंत्रण के शान्तिमय उपायों को प्राथमिकता देनी थी। भीड़ शांत थी

केवल नारे लगाये जा रहे थे तो उस पर लाठी चार्ज करने की क्या आवश्यकता थी। रेल्वे प्लेटफार्म पर रेल्वे पुलिस चाहिये किंतु वहां सिटी पुलिस की भरमार थी। कुछ गणमान्य नागरियों ने भी पुलिस के विरुद्ध गवाही दी।

इस प्रकार की घटनाएं अन्य ग्रामों में भी घट चुकी थी जैसे आरंग, बुडेना, सम्भोरा, राजिम आदि। सितंबर में हालात और बिगड़ती गयी। १२ सितंबर को आतंक निरोधक अध्यादेश लागू कर दिया गया।

रायपुर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की जा चुकी थी। उस समय नंद कुमार दानी उसके प्रधान पाठक थे। उनका नियम था कि छात्रों के साथ वह प्रभात फेरी करते थे। एक दिन सुबहइंस्पेक्टर बशीर उल्लाह खान ने जब उन्हें रोककर प्रभात फेरी बंद करने अन्यथा उन्हें जूतों से मारने की धमकी दी तो उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो और मैं अपना काम करूंगा।

१६ नवंबर को जवाहर दिवस मनाने के सिलसिले में एक आम सभा हो रही थी। जहां दानी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भी प्रभात फेरी जारी रही। एक दिन प्रभात फेरी चल रही थी तो पुलिस वालों ने बच्चों को रोककर उनकी अकारण पिटाई कर दी। इसमें १६ बच्चेबुरी तरह घायल हुए।

१७ नवंबर १६३० को बार कौंसिल एसोसिएशन रायपुर में पुलिस की इस प्रकार की ज्यादतियां रोकने के लिये प्रस्ताव पारित किया गया। किंतु शासन आतंकपूर्ण कार्यवाहियां रोकने के लिये तैयार नहीं थी। परिणाम स्वरूप जनता की भी उत्तेजना यथावत बनी रही।

२० सितंबर १६२० को खरियार के भूतपूर्व जमींदारी ने नवापारा में पुलिस दल पर आक्रमण कर दिया। यह पुलिस दल कुछ लोगों को गिरफ्तार करने गया था। पुलिस दल बड़ी मुश्किल से गोली चालन द्वारा अपने आप को बचा सका। हिंसा की अन्य घटनाएं खुटेरी और रनडबरी में हुई।

जेल में वरिष्ठ सत्याग्रही जैसे रविशंकर शुक्ल के साथ बड़ा बर्बर व्यवहार हुआ और उन्हें अपने उंगलियों के निशान देने के लिये कहा गया। उन्होंने इंकार किया और उन्हें जबरदस्ती लिटाकर उनसे ऊंगलियों के निशान देने के लिये वार्डरों ने गुत्थम गुत्था की। इससे भी अधिक बर्बर व्यवहार अन्य कनिष्ठ सत्याग्रहियों के साथ किया जाता था। छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ नेता गिरफ्तार किये जा चुके थे। किंतु एक के बाद एक युवा मंच पर आते गये और आंदोलन चलता रहा। सभी वरिष्ठ नेताओं के गिरफ्तारी के बाद आंदोलन को नेतृत्व पंडित रामनारायण हर्षुल मिश्र ने अपने हाथों में ले लिया। उनके एक जोशीले भाषण के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया और एक वर्ष की कड़ी सजा सुना दी। शासकीय कर्मचारी भी अपनी नौकरियों की परवाह न करते हुए आंदोलन में कूद पड़े। १० अक्टूबर १९३० को डॉ खूबचंद बघेल जी इन दिनों मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान में सहायक चिकित्सा अधिकारी थे। सरकारी आदेशों की अवहेलना करके आंदोलन में कूद पड़े। रायपुर में फॉरेस्ट की अदालत में जंगल कानून की अवहेलना करने वालों पर मुकदमा चलाया जा रहा था। मुकदमे में दण्ड सुनाने के बाद उन्होंने सत्याग्रही बंदियों को पुष्पमाला पहनायी और महात्मा गांधी और भारतमाता की जय कहते हुए त्यागपत्र दे दिया।

५ मार्च १९३१ को गांधी इनविन समझौते के परिणाम स्वरूप पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर दिया गया। रायपुर जेल के सभी सत्याग्रहियों को रिहा कर दिया गया।

जिला कांग्रेस समिति ने १४ जनवरी १९३० को पंडित रविशंकर शुक्ल को प्रथम डिक्टेटर नियुक्त किया। इसके बाद कांग्रेस समिति ने जिले में आंदोलन के संचालन के लिये निम्न व्यक्तियों को डिक्टेटर नियुक्त किया पंडित रविशंकर शुक्ल, रामनारायण हर्षल मिश्र माधव प्रसाद परगनिहा, पंडित ब्रह्मदेव दुबे, पंडित लक्ष्मी प्रसाद तिवारी।

रायपुर जिले में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम किंतु अत्यधिक महत्वपूर्ण

अध्यक्ष समाप्त हुआ । जिले में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पूर्व ही दो आंदोलन हो चुके थे प्रथम, पुनरोदय आंदोलन (छत्तीसगढ़ का) जिसमें दबी जातियों,दलित जातियों और पिछड़ी जातियों में स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय के मूलमंत्रों को रायपुर क्षेत्र के समाज में फूककर एक अभूतपूर्व जागृति उत्पन्न की गई।

इन जातियों में जो रायपुर समाज की कुल जनसंख्या का ८० प्रतिशत है दामाखेड़ा के रैदास और कबीर पंथियों तथा गुरू घासीदास ने ''मनखे –मनखे एक समान'', ''मुये चाम की सांस सौ लौह भस्म होई जाय'' एकेश्वरवाद का दर्शन (जिनिभानु है आकाश में प्रतिबिम्बित सब जग देखिये आदि) ने इस क्षेत्र में क्रांति कर दी। यह वैचारिक क्रांति थी. झुठी माया सब जग फंदा निटे दिन नहीं निर्दन्दाष् लोग असंख्य देवी देवताओं की मूर्ति पूजा से विरक्त होकर अपनी दासता की ओर अधिकध्यान देने लगे। इस पुनरोदय ने क्षेत्र में किसान आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। वीर नारायण सिंह ने अंग्रेजी दासता के विरुद्ध पहले हथियार उठाया, उन्होंने किसान विद्रोह, ब्रिटीश भूराजस्व की शोषण पर आधारित प्रणाली का सर्वप्रथम नेतृत्व किया।

इस तरह १८८५ में जो राष्ट्रीय आंदोलन संपूर्ण भारत में चला उसकी ठोस नीव पहले। ही डाली जा चुकी थी। इस पृष्ठ भूमि में महात्मा गांधी से पहले ही रायपुर क्षेत्र में सुंदर लाल शर्मा, बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव और नारायण राव मेघावले ने अछुतोद्वार, मंदिर प्रवेश, यज्ञोपवित धारण करवाना (अनुसूचित जातियों का) आदि के साथ–साथ किसान और आदिवासियों के बीच भी आंदोलन चलाया गया।

१६२०–२२ के बीच महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये प्रथम असहयोग आंदोलन और १६३० को चलाये गये अहिंसक सविनय आंदोलनों में क्षेत्र की जनता ने खुलकर भाग लिया। क्षेत्र में कुछ राष्ट्रीय ख्याति के आंदोलन चलाये गये जैसे कंडेल नहर सत्याग्रह, रूद्री–गट्टा–सिल्ली का जंगल सत्याग्रह।

यह भी सत्य है कि धीरे–धीरे सभी जातियों के वर्गो, महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों, विविध पेशे के लोगों, सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन में भाग लिया। किंतु धीरे–धीरे आंदोलन हिंसक होते गये जिसकी चरम परिणति १६४२ के क्विट इंडिया आंदोलन में दिखलाई पड़ी।

भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि

१६२० को चलाया गया असहयोग आंदोलन पूर्णरूपेण विफल हो चुका था। इससे एक बड़ा झटका तब लगा जब चौरी चौरा काण्ड के बाद महात्मा गांधी ने पूरे देश में आंदोलन को समाप्त कर दिया। कांग्रेस तो जैसे लकवग्रस्त हो गई। कांग्रेस की तानाशाही जो जलियावाला बाग में अपने चरम सीमा पर थी कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह आंदोलन को रोक दिए जाने के कारण फिर से बढ़ने लगी स्वराज्यपार्टी ने कुछ समय तक इस आंदोलन को जिवित रखा किंतु वह भी पराधीन देश को आगे की ओर लेजाने में विफल रही। साइमन कमीशन भी भारत वासियों को अमान्य था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी जोर पकड़ कर अंत में धराशायी हो गया। १६३१ का गांधी जी का समझौतावादी रवैया काम न कर सका। मध्यप्रदेश में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना किंतु चला नहीं। गवर्नरों के अधिकार हथियार जाने के कारण यह प्रयोग भी असफल रहा। १६३८ तो शुन्यता का वर्ष रहा क्या करें क्या न करें। १६३६ के द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ होते ही पुनः आशा जगी और भारतीय सहयोग प्राप्त करने के एवज अंग्रेज कुछ नम्र हुए। गांधी जी ने १६४० में स्वराज्य के बाबत अंग्रेजों से वार्ता की।

१० जनवरी १६४० को वायसराय लार्ड लिनलिथगों ने कहा, कि ब्रिटिश सरकार यह चाहती है कि शीघ्रताशीघ्र भारत को डोमीनियन स्टेट प्रदान कर दी जाय, किंतु यह कब प्रदान की जाय इस बाबत किसी निश्चित तिथि की घोषणा नहीं की। सरदार पटेल ने तो यह स्पष्ट कह दिया था कि कांग्रेस दो में से एक मार्ग चुने। या तो निःशर्त ब्रिटिश सरकार को नाजियों के विरूद्ध मदद करे या फिर सहायता के लिए पूर्ण स्वराज्य की मांग करे। गांधी जी ने जनता को आश्वस्त किया कि ये सरकार से

कोई भी समझौता नहीं करेंगे।

१६४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी बात नहीं बनी। गांधी जी भी निराश हो चुके थे और एक सही परिणाम चाहते थे। उनका धैर्य जवाब दे चुका था।

२.४ भारत छोड़ो प्रस्ताव

गांधी जी ने १० मई को निश्चय किया था कि भारत से अंग्रेजों का हट जाना सर्वोत्तम कार्य है। जिसकी पूर्ति के लिए उन्हें अपनी संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। बहुत जल्दी ही यह स्पष्ट हो गया। कि यदि अंग्रेज भारत छोड़ो से इंकार कर दे तो इस अवस्था में उनके विरुद्ध अंतिम संघर्ष छेड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जायेगा। इसके बाद गांधी जी के संघर्ष छेड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जायेगा। इसके बाद गांधी जी के संघर्ष संबंधी विचारों का शीघ्रता के साथ विकास हुआ है। इस विषय पर गांधी जी के लेख इतने लंबे हैं कि उन्हें ज्यों का त्यों उद्दरित करना कठिन है कुछ उद्धरणों सेयह अवश्य पता चलता है कि गांधी जी का भविष्य किस ओर घूम रहा था ''यह एक ऐसा आंदोलन होगा। जिसे सारा संसार अनुभव करेगा। अंग्रेजी सत्ता के हट जाने संबंधी मेरे प्रस्ताव में दो कार्य अन्तः मिश्रित है एक का उद्देश्य वर्तमान आपत्ति का मुकाबला करना और दूसरे का अंग्रेजी आधिपत्य से छुटकारा । दूसरा कार्य विलंब से पूरा होगा। किंतु पहले में किसी प्रकार की देर नहीं होनी चाहिए। यह योजना लड़ने योग्य है और इसमें राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ बलिदान करना होगा। अतः ३ मई १६४२ को गांधी जी ने एक लेख लिखा जो हरिजन पत्र में प्रकाशित हुआ ''भारतवर्ष में अंग्रेजों की उपस्थिति जापान को भारत पर आक्रमण करने का नियंत्रण है उनके चले जाने से यह प्रलोभन हट जायगा। भारत छोड़ो वाक्य का प्रथम सूत्रपात होने के लगभग एक मास बाद २४ मई को गांधी जी ने पहली बार यह स्वीकार किया कि अंग्रेजों के चले जाने के बाद भी जापान का भारत पर हमला होना संभव है तब उन्होंने भारतवासियों को यह अनूठी सलाह दी। भारत छोड़ो आंदोलन की। भारत में होने वाले इस आंदोलन का स्वरूप गांधी जी

ने एक प्रश्न कर्ता को बताया था ।

यह आंदोलन ऐसा आंदोलन होगा जिसको सारा संसार अनुभव करेगा संभव है यह ब्रिटिश सेना की हलचलों में बाधा न पहुंचा सके परंतु यह तो निश्चित है कि इसकी ओर अंग्रेजो का ध्यान आकृष्ट होकर रहेगा।'

१६४२ जुलाई मास में गांधी जी के लेखों ने तो तहलका मचा दिया कांग्रेस के शिखर नेता उद्वेलित होने लगे। १४ जुलाई १६४२ को वर्धा में कांग्रेस की बैठक हुई और एक प्रस्ताव पास किया गया, इसका नाम रखा गया भारत छोड़ो प्रस्ताव। इसके अनुसार, जो घटनाएं प्रतिदिन हो रही हैं इससे ऐसा लगता है कि ब्रिटिश शासन का अंत शीघ्र हो जाना चाहिए।

८ अगस्त १६४२ को प्रसिद्ध भारत छोड़ों प्रस्ताव पास होने के तुरंत बाद एक अंग्रेज पत्रकार गांधी जी से मिलने आया और उसने जब गांधी जी से आंदोलन की रूपरेखा के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा, कि अभी मेरे पास कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं है, पर यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन होगा।

प्रस्ताव पास हो गया। यह निश्चित था कि व्यापक पैमाने पर एक भीषण जन आंदोलन होने वाला है, पर गांधी जी को अब भी लगता था कि कोई समझौता हो जायेगा मीरा बेन भी इस संबंध में वायसराय से मिली थी परंतु वायसराय ने गांधी जी से मिलने से साफ इंकार कर दिया।

अचानक 9 अगस्त को गांधी जी गिरफ्तार हो गए उनके साथ साथ कांग्रेस के अन्य उच्च नेता भी गिरफ्तार कर लिये गए यह समाचार सारे देश में आग की तरह फैल गया। प्रदर्शन हड़तालों, सभाओं और करो या मरो के नारों से देश गूंजने लगा। ६ अगस्त को ही कांग्रेस पार्टी अवैध घोषित कर दी गई। कांग्रेसियों की संपत्ति छीन ली गई। भीड़ पर गोली चालन होने लगा।

२.५ मध्यप्रांत में प्रतिक्रिया

मध्यप्रांत इसमें विशेष सक्रिय रहा। हर वर्ग अपने–अपने स्तर पर

प्रयासरत हो गया। एक अलग वर्ग भूमिगत होकर आंदोलन का संचालन करने लगा। मध्यप्रांत में हिन्दुस्तानी लाल सेना ने यह बीड़ा उठाया। 61 जबलपुर, सागर में गतिविधियां तीव्र हो गई। सागर में १६ और २० अगस्त को कुछ नवयुवकों ने लाठियों के साथ जूलुस निकाला और जिलाधीश के कार्यालय पर हमला बोल दिया। सागर जिले के प्रमुख क्रांतिकारी मौलवी चिरागुद्दीन, जी.आर. लोकरस तथा गोपाल लाल १६ सितंबर को सागर की एक सभा में लोगों को आंदोलन के लिये प्रेरित किया। इस सभा ने यातायात अवरूद्ध किया, सरकारी भवनों में तोड़–फोड़ किया।

महाकौशल क्षेत्र का छिंदवाड़ा जिला नागपुर के समीप होने के कारण सक्रिय रहा। आंदोलनकारियों ने रेल पटरियां, तार लाइनें, संचार के माध्यमों को क्षतिग्रस्त किया ३० अगस्त को पुलिस ने लाल सेना के चार कार्यकर्ताओं को लोदी खेड़ा में गिरफ्तार किया। छिंदवाडा की तरह बालाघाट भी सक्रिय रहा। १८ अगस्त को बाराविनी में भीड़ में पुलिस पर भारी पथराव किया। १२ सितंबर को भारी मात्रा में छापामार कर बालाघाट में क्रांतिकारी साहित्य वरामद किया गया।

१६४२ छत्तीसगढ़ क्षेत्र बेहद सक्रिय रहा। नागपुर से आये कुछ विद्यार्थियों ने १५ अगस्त को बिलासपुर के छात्रों को आंदोलन चलाने के लिये प्रोत्साहित किया इसके फलस्वरूप लगभग ५०० लोगों ने जूलूस निकाला और रेलवे स्टेशन गये तथा मजिस्ट्रेट और एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर की कार पर पथराव किया। पुलिस ने जुलूस पर लाठी चार्ज किया और ६ आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया।

होशंगाबाद, बैतूल आदि क्षेत्रों के विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। १७ अगस्त को पट्टन में १०० लोगों की भीड़ ने जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधिक्षक की कारों पर पथराव किया। २० अगस्त को क्रांतिकारियों ने धाराखेह स्थित रेलवे स्टेशन जला दिया, २३ अगस्त को चिचोली में उपद्रवकारियों ने मिशन के बंगले में आग लगा दी।

२.६ छत्तीसगढ़ और रायपुर जिला आंदोलन की परिधि में

छत्तीसगढ़ क्षेत्र बंगाल के समीप होने के कारण यहां वामपंथी क्रांतिकारी विचारधारा का बेहद प्रभाव पड़ा, पंजाब में युगान्तर, विप्लव जैसी क्रांतिकारी कई संस्थाएं थी। जिनका संबंध छत्तीगढ़ क्षेत्र निवासी बंगाली नवयुवकों से था। अतः यह क्षेत्र क्रांतिकारियों के संपर्क में आया और बम बनाने, और तोड़–फोड़ करने की प्रेरणा उन्हें मिली। शीघ्र ही रायपुर में बम बनाने का प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया। परसराम सोनी जिन्होंने सृष्टीघर नामक व्यक्ति से बम बनाना सीखा था, इसके मार्गदर्शक हो गये और बम बनाने लगे। उनके साथी सुधीर मुकर्जी, सूरबंधु, क्रांतिकारी भारतीय होरी लाल, देवीकांत झा, गिरिलाल आदि थे। १५ जुलाई को परसराम सोनी भी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिये गये।

शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी और शासन की दमनकारी नीति से आंदोलन धीमा न पड़ जाय, तथा खुलकर विद्रोह करने पर गिरफ्तार होने की आशंका ने ही भूमिगत आंदोलन को जन्म दिया, और वे छिपकर पर्चे बांटने, बम बनाने, रेल लाइनें तोड़ने, संचार साधनों के समाप्त करने केखतरनाक कार्य करते रहे। दमन का बदला दमन सिद्धांत को अपनाने के कारण ही इन्हें अलग वर्ग में रखें। दिया गया। कुछ लोगों ने तो इन आंदोलनकर्ताओं को हिंसक आंदोलनकारियों की संज्ञा भी दी।

९ अगस्त को वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के साथ ही छत्तीसगढ़ अंचल के जागृत क्षेत्र रायपुर जिले में भी सरगर्मियां प्रारंभ हो गई। ९ अगस्त की गिरफ्तारियों में माणिकलाल चतुर्वेदी जी भी शामिल थे उन्होंने बताया कि उन्हें जेल में बंदियों के कपड़े दिये गये। पर वे खादी पहनते थे इसलिए उन्होंने अन्य कपड़े पहनने से इंकार कर दिया और उन्होंने इस तरह ६ माह की सजा बिना कपड़ों के काटी।

विद्यार्थियों का वर्ग भी इस क्षेत्र में सक्रिय था। १० अगस्त १९४२ को रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्रों का जुलुस लेकर गांधी चौक की ओर बढ़ा शास्त्री जी के साथ–साथ उसी दिन

धनी राम वर्मा, बदरी प्रसाद शुक्ला भी गिरफ्तार कर लिये गये। जेल से रिहा होने के बाद शास्त्री जी ठाकुर सच्चिदानंद के साथ पुनः रेलवेपाथ और टेलीफोन वायर कासंपर्क तोड़ने के आरोप में पुनः गिरफ्तार हुए। वस्तुतः रायपुर जिले में भारत छोड़ों आंदोलन के नेतृत्वकर्ता युवावर्ग भी थे।

यद्यपि सरकार भरपूर प्रयत्नशील थी और चर्चिल ने तो बड़े घमण्ड से कह भी दिया था कि उपद्रवों को शासन ने पूरी तरह से कुचल दिया है और बड़े पैमाने पर विद्रोह को दबाने के लिये सेनाएं भारत पहुंच चुकी है। किंतु क्या यह तैयारी इस बात का द्योतक नहीं थी कि ब्रिटिश सरकार अंदर ही अंदर किसी भय से पीड़ित अवश्य थी। जो उसने अन्य किसी काल से अधिक सेनाएं इस काल में भारत छोड़ो आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए बुलाई थी।

इस समय सरकार अगर किसी से सबसे अधिक भयभीत थी तो वह थे भारतीय समाचार पत्र। देशभक्तों को जागरूक करने में पत्र पत्रिकाएं प्रतियोगिता कर रहीं थी। चाहे वो साइक्लोस्टाइल पत्र हो या प्रतिबंधित प्रेस से चोरी छिपे निकलवाने वाले उत्तेजक लेख सरकार ने यहांभी कोई कसर नहीं छोड़ी और समाचार पत्रों की सम्पत्ति जब्त कर ली प्रेस प्रतिबंधित कर दिये गये। किंतु क्या व्यापक विरोध रूक पाया।69

उत्थान, छत्तीसगढ़ मित्र, अग्रदूत पत्रिका रायपुर जिले की ऐसे समाचार पत्रथे जो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में कांग्रेस के लिये एक बड़ा शस्त्र प्रमाणित हुआ।

रायपुर जिला तथा उसके आसपास का क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों में इतना सतर्क था कि महत्वपूर्ण घटनाओं में अनेक घटनाओं का पता सरकार अंत तक न लगा सकी कि वास्तव में इनके केंद्र कहते हैं।

तात्पर्य यह है कि अब तक यह आंदोलन रायपुर एवं उसके आसपास के क्षेत्रों तक फैल चुका था कि धमतरी जो गांधी जी के आगमन की प्रथम यात्रा के बाद से ही आंदोलन में पूर्णरूप से सक्रिय हो चुकी थी भाषण, सभा, जुलुस निकालने जैसे कार्य वहां भी प्रारंभ हो गए धमतरी के

आसपास के ग्रामीण क्षेत्र भी सक्रिय हो गया।

रायपुर के पास के अन्य क्षेत्र जैसे महासमुंद में भी गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई ब्रिटिश सरकार के विरोध में गजाधर प्रसाद पाण्डे के नेतृत्व में जुलुस निकाला गया।

रायपुर के अन्य क्षेत्र भाटापारा, बलौदाबाजार भी भारत छोड़ो प्रचार में लग गया। कहीं–कहीं तो इस आंदोलन ने हिंसक रूप भी ले लिया सरकार द्वारा स्थिति संभालना दूभर हो गया आरंग, नवापारा, धरसींवा जैसे अत्यंत छोटे–छोटे क्षेत्र भी सक्रिय भूमिका निभाने लगे। आंदोलनकारियों ने डाकघर, टेलीग्राफ लाइनों को क्षतिग्रस्त किया।७१

शासन विरोधी पर्चे बांटना जुलुस निकालना आदि सक्रियता से होने लगा। महिलाएं, विद्यार्थी, वृद्ध, कर्मचारी, नेतागण, किसान कोई भी ऐसा वर्ग न था जो आंदोलन से अनभिज्ञ रहा हो और सक्रियता से आंदोलन में भाग न लिया हो।

भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो की भावना से पूर्ण पर वर्ग सक्रिय था, शासन विरोधी हर कार्य करने के लिए जनता एक जुट थी अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा इस संदेश के साथ आंदोलनरत लोग हिंसा और अहिंसा की परिभाषा से दूर जा चुके थे।

शासन की दमनकारी नीति और उपयुक्त साधनों की कमी ने यद्यपि आंदोलन को शांत कर दिया किंतु पांच वर्ष बाद ही हमें स्वतंत्रता की प्राप्ति होना इस बात का द्योतक है कि भारत छोड़ो आंदोलन कितना महत्वपूर्ण था। इस आंदोलन की विस्तार से जानकारी अगले अध्यायों में प्रमाणों सहित की गई है।

''भारत छोड़ो आंदोलन की घटनाओं का विस्तृत वर्णन अगले अध्यायों में है।''

संदर्भ सूची

१. मिश्रा पी. एलपॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ छत्तीरगढ़ पृष्ठ १०५

२. शुक्ला डॉ. अशोक छत्तीसगढ़ का राजनीति इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन १९८४.२६

३. वही

४. मिश्रा डी. पी हिस्ट्री ऑफ फ्रीडन मूवमेंट इन मध्यप्रदेश नागपुर १९५६ पृ. 79

५. पार्लियामेंट्री पेपर्स रिकार्डिंग म्यूनिटिपृ. २६८ २६९

६. मिश्रा डी. पी. –हिस्ट्री ऑफ फ्रिडम मूवमेंट पृ. –८०

७. वही पृ. ८३

८. वही

९. छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकाड्र्स भाग ८ पृ.१०५, २१०, १६९–१८५६

१०. हिस्ट्री ऑफ फ्रिडम मूवमेंट पूर्वोद्धन पृ.८३

११. छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकाड्र्स भाग ८ पृ. १०५.२०१६९१८५५

१२. मिश्रा पी.एल. पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ नागपुर विश्व भारती प्रकाशन १९७९पृ. ३४६–६४

१३. दि रिपोर्ट ऑफ जैकिंस पृ. १३४

१४. छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकार्डस, वही

१५. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर रायपुर १९३१ –पृ.६३, ६४ (इनेलसन)

१६. दि रिपोर्ट ऑफ जैकिस पृ. १३५

१७. मिश्र, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ पृ. ३६५–६६

१८. छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकाड्र्स २३४/१८५७ पृ. ५

१९. वही पृ. २३४–६०

२०. वही

२१. वही
२२. वही
२३. पत्र क्रमांक ६५७–२०/१०/१८५७
२४. वही
२५. वही
२६ वही
२७. वही
२८. हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन मध्यप्रदेश पृ.८५
29. छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकाड्र्स पूवोद्धन पृ. 829/1/1858
३०. रायपुर डिस्ट्रिक्स गजेटियर १९७३ पृ. २८५
३१. छत्तीसगढ़ डिविजनल रिकार्ड भाग २१ पृ. 387पत्र क्रमांक ६३३५२५/३/१८५८
३२. शुक्ल प्रयाग दत्त क्रांति के चरण पृ. ४४,४५
३३. शर्मा डॉ. रामगोपाल रायपुर जिले में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन (१८५७,1947) पृ. 27
३४. वहीं पृ.३३,३४
३५. हार्डीकर माधवराव सप्रे ६२, अशोक शुक्ला से उद्दत पृ. १००
३६.दत्त शुक्ल प्रयाग, क्रांति के चरण, पृ. १३०
३७. शुक्ला अशोक पूर्वोद्धत् पृ. १०६
३८. वही
३९. देवांगन डॉ. शोभाराम धमतरी नगर और तहसील का स्वतंत्रता संग्रामपू. १६
४०. छत्तीसगढ़ के जनजीवन में गांधी जी का प्रभाव केयूर भूषण पूर्व सांसद पृ.८

४१. देवांगन शोभाराम धमतरी नगर और तहसील का स्वतंत्रता आंदोलन पू. १६
४२. वही पृ. ३०, हरि ठाकुर स्वाधीनता आंदोलन में रायपुर नगर का योगदान पृ. ३३
४३. वही
४४. शुक्ला अशोक पृ.३१
४५. वहीं
४६. डिस्ट्रिक्ट गजेटियर रायपुर १९७३ पृ. ७८
४७. कर्मवीर जबलपुर १/४/१९२२
४८. हितवाद नागपुर २/४/१९२२
४९. वही पृ. ५२–५३
५०. ठाकुर हरि धमतरी में स्वाधीनता आंदोलन का इतिहास १९७२ पृ.३५
५१. अग्रदूत गणतंत्र दिवस विशेषांक पृ. १२२६/१/१९८४
५२. नोट ऑन सिविल डिस ओबेडियस मूवमेंट १९३० (शुक्ल पृ. १६८)
५३. शुक्ला अशोक पूर्वोद्धत
५४. वही १६२
५५. नोट ऑन सिविल डिस ओबेडियस मूवमेंट ऑन सी.पी. बरार १९३०
५६. लाखे वामन राव और दानी जी के संस्मरण (शुक्ल पृ. १६८)
५७. नोट ऑन सिविल डिस ओबेडियस मूवमेंट ऑन सी.पी. बरार १९३०
५८. १९४२–४३ के उपद्रवों के लिये कांग्रेस का उत्तरादित्व १९४२ पृ. १–१४
५९. पाल डॉ. ओमनाग भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, सौंवैधानिक विकास पृ. १५२
६०. वही पृ. १५५

६१. होम पालिटिकल फाइल ३/३१/४२
६२. डिस्ट्रिक्ट कैलेण्डर पृ. ४३ सी.डी और ई.
६३. अमृत बाजार पत्रिका कलकत्ता २८ सित १९४२
६४. डिस्ट्रिक्ट कैलेण्डर पृ.६४–६५
६५. डिस्ट्रिक्ट कैलेण्डर पृ. १९–२०
६६. होमपालिफाइल १८/४/४३पाक्षिक रिपोर्ट अप्रैल १९४३ का द्वितीय पक्ष
६७. चतुर्वेदी मानिकलाल साक्षात्कार दिनांक ९–६–९३
६८. शुक्ला अशोक पूर्वोद्रत पृ. २०३
६९. फाइल नं. ३/१३/४२ होम डिपार्टमेंट पॉलिटिकल १९४२ पृ.६५
७०. फाइल संख्या ५/३ फीडम मूवमेंट इन महासमुंद तहसील पृ ३९१–९१
७१. वर्मा कल्पना, शोध प्रबंध– छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन, रवि. वि. १९८९५, पृ. ११५

————::::————

03 रायपुर जिले में भारत छोड़ो आंदोलन का विकास

प्रारंभिक स्वरुप

सरकार द्वारा कांग्रेस के समस्त प्रयास असफल किये जा चुके थे। दोनों के बीच के गतिरोध दूर करने का कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। अतः २ फरवरी १९४२ को ब्रिटिश युद्ध मंत्री मंडल में एटली ने इस बात पर जोर दिया कि ब्रिटेन से उच्च अधिकार प्राप्त व्यक्ति को भारत भेजकर गतिरोध दूर किया जाय। एटली के इस प्रस्ताव का लार्ड फेरिंगटन, लार्ड हेली और लार्ड फेरो ने भी समर्थन किया।

फलतः २२ मार्च १९४२ को ब्रिटेन का शिष्टमंडल भारत पहुँचा। इसके एकमात्र सदस्य और अध्यक्ष थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स महोदय एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। वे प्रत्येक समस्याओं पर कई दृष्टिकोणों से विचार करते थे, सिवाय मानवीयता के। नेहरूजी उनके मित्र थे अतः उन्हें गलतफहमी थी, कि नेहरू जी उनकी पूरी सहायता करेंगे। क्रिप्स ने अपने प्रस्तावों का बस्ता खोला और उसे दो भागों में विभाजित कर दिया, एक वे प्रस्ताव थे जो युद्ध के पहले लागू होने थे। और दूसरे युद्ध के बाद में।सारांशतः मुख्य मुद्दे युद्ध के बाद पूर्ण होने वाले थे, जिसमें आपत्ति वाली बात मुसलमानों के अलग राज्य की मांग की थी। नेहरू जी ने अपनी पुस्तक भारत एक खोज में लिखा है –भारत को विभाजित करने वाला कोई भी प्रस्ताव दुःखदायी है। भारत के विभाजन का विचार आधुनिक, एतिहासिक और आर्थिक विकास के प्रवाह के विरुद्ध है। चाहे जो भी हो, कुल मिलाकर तात्कालीन व्यवस्था दोषपूर्ण थी और रचनात्मक सहयोग एक ढोंग था। अब जरुरत थी कांग्रेस की एक नवीन भूमिका की, जो अंग्रेजो की दास्ता से मुक्ति पाने के लिए आवश्यक थी।गांधीजी द्वारा चलाये जा रहे पूर्व प्रयास असफल हो चुके थे। १९२० का असहयोग आंदोलन चौरी–चौरा हत्याकांड के कारण स्थगित हो चुका था। १९३० में

सविनय अवज्ञा आंदोलन और १९३९–४० का व्यक्तिगत सत्याग्रह का अंत क्रिप्स मिशन के नाटक से हुआ। एक के बाद एक असफलता से गांधी जी को आत्मग्लानि हो रही थी अतः उन्होंने सरदार पटेल से कहा कि इतने लंबे समय के बाद भी मैं अंग्रेजी राज्य समाप्त करने में असफल रहा हूँ अतः ऐसी हालत में या तो मैं मर जाऊं या हिमालय चला जाऊं, इस पर सरदार पटेल ने कहा बापू, क्यों न एक बार और प्रयत्न किया जाय, और इस तरह शुरू हुई अगस्त क्रांति।

अतः गांधी जी ने १९ अप्रैल १९४२ को एक लेख लिखा जो २६ अप्रैल के हरिजन पत्र में प्रकाशित हुआ जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की भावी योजना पर प्रथम बार सार्वजनिक रूप से प्रकाश डाला गया। इस लेख में भारत वर्ष की रक्षा में सहायता के लिए भारत में विदेशी सैनिकों के आगमन पर खेद प्रकट करने के बाद गांधी जी ने यह विचार व्यक्त किया था कि यदि अंग्रेज भारत को उसके भाग्य के भरोसे छोड़े जैसा कि उन्होंने सिंगापुर को छोड़ा था तो अहिंसक भारत को उससे कोई हानि नहीं होगी और जापान संभवतः उसे कुछ न कहेगा, उन्होंने आगे लिखा था–''भारत वर्ष के लिये चाहे इसका फल कुछ भी हो उसकी और ब्रिटेन की भी वास्तविक सुरक्षा इसी में है कि अंग्रेज व्यवस्था पूर्वक और समय रहते भारत से चले जाय।''

३१ मई को हरिजन में 'मित्रतापूर्ण सलाह' शीर्षक लेख में गांधी जी ने लिखा कि मैं मानवीय शक्ति के अनुसार भूमि तैयार करने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा हूं। इस संग्राम में हर तरह का खतरा उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि इस इलाज की कीमत महंगी होगी पर दासता से मुक्ति पाने के लिए। कोई भी कीमत महंगी नहीं।

७ जून १९४२ को हरिजन में प्रकाशित 'गुलामगीरों से मुकाबला' में गांधी जी ने लिखा– मैने प्रतीक्षा की किन्तु मेरे दृष्टिकोण में अब परिवर्तन हो चुका है। मैं अनुभव करता हूं कि अब मैं और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, यदि मैंने प्रतीक्षा जारी रखी तो मुझे प्रलय के दिन तक प्रतीक्षा करनी होगी।

अतः ५ जुलाई १९४२ को हरिजन में गांधी जी ने उद्घोष किया अंग्रेजो भारत छोड़ो, तुम समझते हो कि भारत में अराजकता हो जायेगी, तो हो जाने दो। लुई फिशर से एक मुलाकात में उन्होंने कहा किः भारत छोड़ने और न छोड़ने के बीच कोई और दूसरा रास्ता नहीं है।

आंदोलन की सुगबुगाहट से सरकार भी अनभिज्ञ नहीं थी। अतः १७ जुलाई १९४२ को एक गोपनीय एक्सप्रेस लेटर, गर्दनमेंट आफ इंडिया, डिपार्टमेंट आफ इनफर्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग,सर फेडरिक पकल, के.सी. आई.ई., सी.एस.आई., सी.एस. सेकेट्री टू गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से सभी प्रान्तीय सरकारों और चीफ सेकेट्री तथा दिल्ली– अजमेर के चीफ कमिश्नरों के नाम भेजा गया, जिसमें कहा गया कि– ७ अगस्त को बंबई में होने वाले अखिल भारतीय महासमिति के अधिवेशन में अभी तीन सप्ताह बाकी है, गांधी जी द्वारा खुले विद्रोह की धमकी दी गयी है उसके विरुद्ध हमें लोकमत तैयार करना है। यह प्रस्ताव एक दल का घोषणा पत्र है, यह कांग्रेस की आवाज है भारत की नहीं। अतः हमें कांग्रेसजनों के दृढ़ निश्चय को रोकना है।

स्थिति चाहे जो भी हो सरकार चिंतित अवश्य थी। इस आंदोलन का महत्व इसी से स्पष्ट है कि ३१ अगस्त १९४२ को लार्ड लिनलिथगो ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विस्टन चर्चिल को लिखाः

१८५७ के बाद हुए सबसे गंभीर विद्रोह का मुकाबला करने में मैं व्यस्त हूं।

८ अगस्त १९४२ को बंबई में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। गांधी जी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में भारत छोड़ो आंदोलन पर बल दिया। पट्टाभिसीतारामैया ने लिखा है –वास्तव में गांधी जी एक अवतार की भांति प्रेरक शक्ति से भाषण दे रहे थे, उनके अंदर एक आग धधक रही थी।

८ अगस्त १९४२ को कांग्रेस कमेटी ने सर्वानुमति से एक प्रस्ताव पास किया, जिसमेंकहा गया, ब्रिटिश शासन का तुरंत अंत होना चाहिए। गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो । प्रस्ताव पारित होने के समय गांधी

जी के पास एक पत्रकार आया और उसने पूछाः गांधी जी आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी और कार्यक्रम कैसा होगा? गांधी जी ने कहाः अभी मेरे पास कोई भी कार्यक्रम नहीं है, पर यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन होगा।

व्यापक पैमाने पर भीषण तैयारियां हो गई। इसके पीछे भारत की जनता कितनी एकजुट थी इसका सबसे अच्छा प्रमाण यह था कि सरदार पटेल, काका कालेलकर, पं. रविशंकर, शुक्ल, गोपीनाथ बारदोलोई, जयप्रकाश नारायण, राममनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली जैसे लोग इसके पीछे थे।

१९४२ का आंदोलन देशवासियों की कठिन परीक्षा थी, लोगों का कहना था हम गुलामों के रूप में पैदा अवश्य हुए है पर गुलामों के रूप में मरना नहीं चाहते। हमारा यह अटल विश्वास है कि हम देश के लिए रक्त की अंतिम बूंद भी बहा देंगे।

९ अगस्त प्रातः ५ बजे गांधी जी बंबई बिरला हाउस जहां वे ठहरे थे गिरफ्तार कर लिये गये। सरकार का प्रथम प्रहार भारी हिमखंड टूटने जैसा था। वर्किंग कमेटी के सदस्य भी साथ में गिरफ्तार कर लिए गये। कॉग्रेस कमेटी के लगभग १४८ सदस्य जेल में ठूस दिये गये। गांधी जी की गिरफ्तारी ने जनता के हतोत्साहित करने के बजाय रणोन्मत बना दिया और प्रतिहिंसा की भावना से जनता पागल हो गई। करो या मरो का संदेश भारत के कोने–कोने में फैल गया हर क्षेत्र के तरह मध्य प्रांत की यही स्थिति थी। मध्य प्रांत राष्ट्रीय युवक संघ कुछ समय से वर्धा में अपना शिविर चला रहा था।मई १९४२ को शिविर बंद होने वालाथा संघवालों की यह बड़ी इच्छा थी कि उन्हें कुछ मिनटों के लिए, ही क्यों न हो, गांधी जी का सानिध्य मिले। गांधी जी ने उन्हें सेवाग्राम आने का निमंत्रण दिया और संघ के कोई १०० सदस्य चार मील चलकर सुबह छः बजे गांधी जी से बातचीत करने सेवाग्राम आये गांधी जी ने उन्हें आधे घंटे से अधिक का समय दिया बातचीत कुछ इस तरह हुईः

प्रश्नः अंग्रेजों को हिन्दुस्तान से हटाने में हम किस तरह सहायक हो सकते हैं ?

उत्तरः हम चाहते है कि अंग्रेज चुपचाप यहां से चले जाय हमारे देश से उनकी हुकूमत उठ जाय। हम अंग्रेजों से झगड़ा नहीं चाहते वे तो हमारे मित्र है। किन्तु हम उनकी हुकूमत बिल्कुल खतम कर देना चाहते हैं क्योंकि यही वह जहर है जो हर चीज को दूषित कर रहा है। दुनिया की किसी भी बुराई से पराधीनता की बुराई बदतर है। मुझे हिटलर के बल की जरूरत नहीं। मुझे जरूरत है उस किसान के बल की जो अपनी मर्जी से स्वतंत्र किसान बनता है। हमें अपने शरीर को कसना होगा जो सर्दी गर्मी बारिश को बर्दाश्त कर सके और इच्छा शक्ति को सुदृढ़ रखे।

रायपुर जिला और भारत छोड़ो आंदोलन

आंदोलन इतना व्यापक था कि यह कहना आवश्यक नहीं कि हर छोटा बड़ा क्षेत्र सक्रिय रूप से आंदोलनरत था ऐसा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र का छोटा सा जिला रायपुर।

मध्य प्रांत में कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जो कांग्रेस की भाति अंग्रेजो के अत्याचार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत् थी जिनमें कुछ प्रमुख संस्थाएं है–

क्र.	संस्था का नाम	स्थापना वर्ष	विशेष
1.	सतनामी	1928	पिछड़ा वर्ग संगठन
2.	हिन्दू सेवा समिति	1931	हिन्दू महासभा संगठन
3.	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संगठन	1931	राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ
4.	हरिजन सेवक संघ	1932	दलित वर्ग की संस्था
5.	मुस्लिम लीग	1937	मुस्लिम राजनीतिक दल
6.	राष्ट्रीय नवयुवक संघ	1938	स्वयं सेवक संगठन
7.	श्री नवयुवक संघ	1938	स्वयं सेवक संगठन

8.	मुस्लिम स्टूडेन्ट	1938 फेडरेशन	मुस्लिम स्टूडेन्ट फेडरेशन शाखा
9.	हिन्दू स्टूडेन्ट फेडरेशन	1938	हिन्दू स्टूडेन्ट फेडरेशन शाखा
10.	हिन्दू सभा	1938	हिन्दू महासभा की शाखा
11.	मुस्लिम बैतूलमल सोसायटी	1938	धार्मिक महासभा की शाखा
12.	मुस्लिम फिजिकल सोसायटी	1938	मुस्लिम स्वयं सेवक संगठन
13.	स्टूडेन्ट फेडरेशन	1939	म.प्र.व बरार स्टूडेन्ट फेडरेषन शाखा

*(**स्त्रोतः** एक्स टेक्टस फ्राम दि लिस्ट आफ पोलिटिकल एंड क्रासी पोलिटिकल सोसायटीज इन सी.पी.एंड बरार)*

यद्यपि आंदोलनकालीन समस्त संस्थाएं अपने अपने साधनों द्वारा प्रयासरत् थी किन्तु कांग्रेसअब तक एक महत्वपूर्ण पार्टी बनकर सामने आ चुकी थी, हर छोटे बड़े क्षेत्र के निवासी तन–मन–धन से कांग्रेस सदस्य बन देश को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ाने के लिए एक जुट हो चुके थे।

रायपुर में भी आंदोलनकारी गतिविधियों बहुत पहले से प्रारंभ हो चुकी थी।नवंबर १९४० को पं. रविशंकर शुक्ल की गिरफ्तारी रायपुर –जगदलपुर मार्ग स्थित माना ग्राम में भारत रक्षा कानून की दफा १२९ के तहत हुई। उन्हें एक वर्ष की जेल हुई फलस्वरूप शहर में पूर्ण हड़ताल हो गई। ७४ लोग गिरफ्तार किये गये जिनमें शिवदास डागा, मूलचंद बागड़ी, महंत लक्ष्मीनारायणदास, मौलाना अब्दुल्ल रऊफ खान, कन्हैयालाल बंजारी मी थे। जनवरी के अंत तक रायपुर में ४७३ तथा दुर्ग लगभग १०० सत्याग्रही आंदोलनरत् हो गये। रायपुर के जगन्नाथ बघेल ११ फरवरी को कुरा गांव में सत्याग्रह करते हुए गिरफ्तार कर लिए गए उन्हें एक सप्ताह की कैद हुई, कन्हैयालाल लूनिया ने तीसरी बार सत्याग्रह किया और जेल भेज दिये गये।

६ अगस्त १९४२ को मौलाना आजाद ने कलकत्ता से जाते हुए रायपुर स्टेशन पर खड़े लोगों को संबोधित किया –तमाम देशवासियों को मेरा यही संदेश है कि अब मुल्क के लिय जान भी देनी पड़े तो तैयार हो जाओ। १२

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करने के बाद गांधी जी ने बंबई की सभा में भाषण देते हुए इस बात को स्पष्ट किया था कि यह आंदोलन कांग्रेस दल का अंतिम प्रयत्न होगा। गांधी जी ने कहाः

Every one of you from this movement and onward consider your self- A freeman and act as if you are free and you are no longer under the here of this imper imperalism I am not going to be satisfied with any thing short of complete freedom- We shall 'do or die we shall either free India or die in the attampt.

उन्होंने कहाः इस क्षण के बाद आप में से प्रत्येक को अपने आप को एक स्वतंत्र मनुष्य अथवा स्त्री समझना चाहिए और इस प्रकार व्यवहार करना चाहिए मानो आप स्वतंत्र है और इस साम्राज्यवाद के पंजे से निकल गए है। मैं पूर्ण स्वतंत्रा से कम किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं हो सकत. ..... हम करेंगे या मरेंगे। या तो हम भारत को स्वतंत्र करेंगे अथवा इस प्रयत्न में मर मिटेंगें। उनके महत्वपूर्णशब्द थे –एक और मौके का तो प्रश्न ही नहीं उठता आखिरकार यह एक खुला विद्रोह है।

महात्मा जी आने वाली घटनाओं से पूर्णतः अवगत थे। ९ अगस्त को महात्मा जी गिरफ्तार हो गये उन्होंने अपने सचिव महादेव देसाई के नाम एक संदेश छोड़ा जिसमें लिखा था –स्वतंत्रता के प्रत्येक सेनानी को चाहिए कि वह कपड़ों पर कागज से पिन लगाकर यह चिपका ले –करोया मरो, ताकि सत्याग्रह के समय अगर उसकी मृत्यु हो जाये तो वह अहिंसक सैनिक के रूप में पहचान लिया जाये।

गांधी जी की गिरफ्तारी का संदेश जंगल में आग की तरह फैल गया। बंबई में तो विशाल पैमाने पर हड़ताल हुई ही साथ ही छत्तीसगढ़

का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र इसका रायपुर जिला रहा।

मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार स्थानीय पुलिस ने ६ अगस्त को रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी तथा नगर कांग्रेस कमेटी को प्रातः ही बंद कर दिया। इस दिन हड़ताल रही, स्कूल कालेज बंद रहे। शाम को लगभग ४ बजे राष्ट्रीय विद्यालय से अंग्रेजो भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद, महात्मा गांधी की जय, भारतमाता की जय जैसे नारों के साथ जुलूस निकला जिसमें लगभग २००० लोग थे। जिसमें विद्यार्थी मजदूर, स्त्रियों और सत्याग्रही थे। जुलूस जैसे–जैसे बढ़ता गया भीड़ बढ़ती गयी, जैसे ही जुलूस कंकाली चौक के पास पहुंचा पं. सालिकराम शुक्ला, गिरजाशंकर मिश्रा, हरिसिंह दरबार, विजय शंकर दीक्षित, भगवतीचरण शुक्ला, नारायणराव अंबिलकर को गिरफ्तार कर लिया। गया। जैसे ही जुलूस सिटी कोतवाली के पास पहुंचा पुलिस ने हवाई फायर किये किन्तु धन्यवाद उस डिप्टी कमिश्नर श्रीराम कृष्ण पाटिल का उनके सहयोग से तथा समय पर हस्तक्षेप करने से स्थिति संभल गयी और जुलूस को गांधी चौक जाने की अनुमति दे दी गयी।

जुलूस गांधी चौक पहुंचते ही सभा के रूप में बदल गया सभा के अध्यक्ष थे डॉ. त्रेतानाथ तिवारी। लगभग ६६ लोग गिरफ्तार कर लिये गये जिसमें नंदकुमार दानी, प्रभुलाल लखोटिया,हजारीलाल वर्मा, माधवप्रसाद परगनिहा, सौभाग्यमल लूनिया, नागरदास बाबरिया, बहोरनलाल शर्मा और निर्भयराम कश्यप आदि थे। इसके अतिरिक्त दो अवयस्क विद्यार्थियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया वे थे महादेव प्रसाद पाण्डे और पंकजलाल शर्मा।

इस जुलूस में रणवीरसिंह शास्त्री के साथ उनके सहयोगी जयनारायण पाण्डे, नारायणदास राठौर, लीलाधर दमोहे, हनुमान प्रसाद दुबे आदि थे।

६ अगस्त के बारे में अपने संस्मरण में रामानंद दुबे जी ने लिखा हैः कि प्रातः ६ बजे से ही कांग्रेस भवन में सूत कताई करते हम लोग बैठ गये थे कि पुलिस दल वहां पहुंच गया कांग्रेस भवन में ताला लग गया। संपूर्ण

शहर में हड़ताल हो गयी जुलूस निकलने की घटना डॉडी पीटकर शहर भर में कर दी गयी। हाथ से धुले हुए सादे कपड़े धोती–कुर्ता और पैरों में साधारण सी ग्रामोद्योगी चप्पलें यही दुबे जी की वेशभूषा थी अनेकों बार कंधों पर बिस्तर लेकर वे चलते थे।

६ अगस्त के बारे में डेरहादास जी अपने संस्मरण में कहते हैः ६ अगस्त १६४२ को जब क्रांति दिवस के उपलक्ष्य मे जब सिटी कोतवाली रायपुर में झंडा फहराया गया तब मैंने भी जनता को संबोधित किया। चूंकि मैं अधिक पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए अपने भाषण में मैं हिन्दी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषाओं का प्रयोग करता था। इसी दिन जब मजिस्ट्रेट केलावाडा (केरावाला) के आदेशानुसार जब स्वतंत्रता सेनानियों की गिरफ्तारी हुई तो मैंने भी अपनी गिरफ्तारी दी। मुझे रायपुर केन्द्रीय कारागार में रखा गया। मुझे माफी मांगने के लिए कहा गया लेकिन जब मैंने माफी मांगने से इन्कार कर दिया तो मुझे छः माह की सख्त सजा दी गयी। मेरे साथ मेरे सहयोगियों में नैनदास महिलांग, फेरुराम, मानसिंग, सोनूराम सांवल, महंत सुखचौन दास, रेशमलाल झांगडे आदि ने भी कारावास की सजा सही।

कमल नारायण शर्मा जी इस दिन की याद ताजा करते हुए बताते है कि गांधी जी ने विस्तार से कुछ बताया नहीं था अतः जिसके मन में जो आया करने लगे। हम नौजवान स्कूल–कालेज में हड़ताल करवाते रहे। मैं लाल परचे अपनी दस्तखत से लिखकर हिन्दुस्तानी अफसरों को बगावत केलिए प्रेरित करता। एक मुखबिर विद्यार्थी के जरिये पुलिस ने मुझे पकड़कर जेल में डाल दिया। मजिस्ट्रेट डी. पी. दीक्षित ने मुझ पर मुकदमा चलाया। पूछे जाने पर मैंने कुबूल किया कि परचा मैंने लिखा है, मझे एक साल की सख्त सजा हुई।

अगस्त के बाद तो एक दिन एडीशनल कलेक्टर ए. डी. एम. केरावाला की मोटर में हम आग लगाने पहुंचे। इत्तेफाक से वह गरेज की तरफ आ गया और पूछताछ करने लगा हम पकड़े गये मुझे गुनाहखाना

में बंद कर दिया गया। जेल में पाध्येय नामक आफिसर था परेड में एक दिन खड़ा न होने पर मेरी १५ दिनों की माफी काटने की धमकी दी गई भला में कब डरने वाला था मैंने कहा भले ही तीन–चार महीने की सजा और दे दे लेकिन अगर मेरे कमरे की तरफ आया तो यही गंदगी उठाकर मारूंगा।

हरिठाकुर जी ६ अगस्त की घटना के बारे में बताते है कि दिन डूबते जुलूस कोतवाली के सामने पहुंच गया, जुलूस इतना विशाल था कि उसका आगे का छोर कोतवाली के पास था तो दूसरा छोर सत्तीबाजार में जुलूस जब गांधी चौक पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था कहीं से पेट्रोमेक्स मंगाकर समा की कार्यवाही प्रारंभ की गई। जो भी सभा में भाषण देता उसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता। यह क्रम दाई घंटे तक चलता रहा और लगभग ७३ लोग गिरफ्तारियां देते रहे जिसमें शांतिलाल चौरसिया, नंदकुमार दानी, सौभाग्यमल लूनिया, माधवप्रसाद परगनिहा थे हजारीलाल वर्मा का क्रम ६४ वो था महादेव प्रसाद वर्मा को छः मास का कारावास हुआ।

सरदार पटेल ने अहमदाबाद में विद्यार्थीयों को संबोधित करते हुए कहा था कि अंग्रेजों से कह दो कि भारत छोड़कर चले जाय अब तुम्हारे पास कांग्रेस यह बताने के लिए नहीं आयेगी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को आजाद समझो, प्रशासनिक आदेशो को ठुकरा दो, इस संदेश को घर–घर पहुंचा दो। कुल मिलाकर १८५७ की पुनरावृत्ति हो गई जो नेता जहां मिला गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी सामूहिक गिरफ्तारियां इतिहास में कभी नहीं हुई थी। भारतीय जनता तो जैसे नेतृत्व विहीन हो गई थोड़े ही दिनों में अंग्रेजो को यह अहसास हो गया कि भारतअब उसके लिए सुरक्षित स्थान नहीं रह गया। फौज पर से भी उनका विश्वास उठ गया था। विदेशों में लड़ रही भारतीय फौज सुभाष बाबू के नेतृत्व में गठित आजाद हिन्द फौज से मिल गई। यही स्थिति भारत में न हो जाय यह सोचकर उनकी नींद हराम हो गई।

फलतः गिरफ्तारियों के बाद आन्दोलन की बागडोर छात्रों ने संभाली। १० अगस्त को स्कूल कालेज के छात्रों ने हड़ताल कर दी, में सेंटपाल स्कूल का छात्र था अतः वहां के छात्रों को लेकर मैं छत्तीसगढ़ महाविद्यालय पहुंचा, रास्ते में ही कालेज छात्रों का जुलूस मुझे मिला जो रणवीरसिंह शास्त्री जी के नेतृत्व में था। गर्वन्हमेंट हाईस्कूल, लारी स्कूल (अब सप्रे स्कूल) होते हुए ए. व्ही. एम. स्कूल आया, यहां छात्रों की शाम पांच बजे गांधी चौक में सभा हुई। रणवीरसिंह शास्त्री, धनीराम वर्मा, गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये।

१० अगस्त को मल्कापुर रेल्वे स्टेशन पर गाड़ी पहुंचते ही पंडित रविशंकर शुक्ल जी अपने सहयोगियों सहित उस समय गिरफ्तार कर लिए गये जब वे कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में प्रान्तीय प्रतिनिधि के रूप में श्री डी.पी. मिश्र के साथ मध्यप्रांत से सम्मिलित होने गये थे। इस समय वे अपने सहयोगियों सहित सरदार वल्लभभाई पटेल के बंबई निवासगृह में ठहरे थे। जिस समय गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में सामूहिक हड़ताल का आयोजन किया गया उस समय शुक्ल जी बंबई नगर में भ्रमण कर लोगों को इस तरह प्रोत्साहित कर रहे थे मानो वे आज बंबई नगर के नेता बन गये हो।

जेल यात्रा मे शुक्ल जी नासिका रोग से पीड़ित रहे। महीनो की लिखा–पढ़ी के बाद ही उन्हें अस्पताल भेजा जाता इस बीमारी के लिए तीन बार उनका आपरेशन हुआ तब जाकर वे ठीक हुए। पूरे तीन वर्ष उन्हें जेल में रहना पड़ा। जब लार्ड वैवल ने उन्हें एक प्रान्तीय अधिवेशन में भाग लेने बुलाया तब मंडला जेल से १३ जून १९४५ को वे छोड़े गये। गांधीजी के बारे में शुक्ल जी अपने संस्मरण में कहते है –उनका जीवन सरल और विचार उच्च थे जो मझे सदा प्रेरणा देते रहते थे। गांधी जी का हेडक्वार्टर वर्धा और सेवाग्राम में था जब हमें जरुरत होती थी हम उनसे मिल लेते थे। गांधी जी के पासएक थैला था जिसमें जरूरी कागजात चिठ्ठी पत्तरी इत्यादि होते थे रात में उसी थैले से वे तकिये का काम भी लेते थे नींद के नाम पर बस पांच मिनट की झपकी के बाद पुनः काम पर जुट जाते थे।

१६ अगस्त को भी स्थिति असामान्य ही रही रायपुर स्टेशन के प्लेटफार्म पर मनोहरलाल श्रीवास्तव, ग्वालदास डागा और सेठ लक्ष्मीचंद आदि गिरफ्तार कर लिए गए। लगभग ३० गिरफ्तारियां हुई। २५ अनेक स्थानों में १३ अगस्त को स्थिति गंभीर हो गई. १३ अगस्त को प्राणनाथ तिवारी, केशवप्रसाद मिश्र, नंदकिशोर पाण्डे, रत्तीलाल सुनार, कैलाशचंद्र सक्सेना, गोपीकिशन, नंदलाल, बैजनाथ गुप्ता आदि लगभग तेरह लोग गांधी चौक मे १४४ धारा तोड़कर सभा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी चौक में सभा न हो इसलिए चारो ओर पुलिस ने घेरा डाला और गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी रखा। १४ अगस्त को सूरज प्रसाद सक्सेना अपने ही घर में गिरफ्तार कर लिए गए। पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने इसी दिन यह बताया कि बंबई से लौटते ही यदि उन्हें गिरफ्तार किया न किया गया होता और दस दिनों का समय और मिलता तो जिले का प्रत्येक थाना जला डाला गया होता।२६

१५ अगस्त को विद्यार्थियों ने एक बड़ा जुलूस निकाला। बढ़ते हुए जुलूस को पुलिस ने रोका, पत्थरबाजी भी हुई, पुलिस ने हवाई फायर भी किये और नगर में घुड़सवार दस्ते पहरा देने लगे। झंडा फहराते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। भाटापारा के कुंजबिहारी पाठक ने रायपुर में भूमिगत रहकर आंदोलन को गति दी। श्री वल्लभदास गुप्ता भी गिरफ्तार कर लिये गये जिन्हें बाद में डेढ़ वर्ष का कारावास हुआ।

१८ अगस्त को अनंतराम बर्छिहा, जमुनालाल चोपड़ा, मूलचंद बागड़ी, जसकरण डागा आदि गिरफ्तार कर लिये गये। कहा जाता है कि अनंतराम बर्छिहा केवल चार कक्षा ही पढ़े थे किन्तु आजादी का पाठ उन्होंने इतना पढ़ लिया था कि जो बड़े से बड़े वकील भी न पढ़ पाये थे।

यह स्पष्ट है कि अब तक आंदोलन का पूर्ण विस्तार हो चुका था और यह कस्बों से निकलकर गांवों तक आ गया था।

२३ अगस्त को खूबचंद बघेल जी भी गिरफ्तार कर लिये गये, वरिष्ठ पत्रकार श्री मधुकर खेर ने उनके योगदान का मूल्यांकन करते हुए

लिखा हैः छत्तीसगढ़ के डॉ. बघेल ने स्वतंत्रता के लिये जो योगदान दिया यदि उसका प्रचार–प्रसार हुआ होता तो आज उन्हें भी वही स्थान प्राप्त होता जो प्रोफेसर रंगा, चौधरी चरणसिंह, शरद जोशी तथा चौधरी महेन्द्रसिंह टिकैत जैसे किसान नेताओं को प्राप्त है। आज की स्थिति में साधनों का इतना विस्तार हो चुका है कि यहां के समाचारों की गूंज दिल्ली, बंबई यहां तक कि विदेशों तक में गूंजती है किन्तु उन दिनों अधिकतम सीमा भोपाल और नागपुर ही थी।

यह सत्य है कि निस्वार्थ भावना से देश प्रेम के कारण लड़ने वाले वीर सिपाही भला प्रचार–प्रसार या किसी प्रमाणपत्र के लिये कहां लड़ने वाले थे, शायद यही कारण है कि अनेक स्वतंत्रता सेनानी प्रचार के अभाव में विस्मृत हो चुके है।

२४ अगस्त को सशस्त्र पुलिस की टुकड़ी लेकर भुजबल सिंह को गिरफ्तार करने स्वयं पुलिस कप्तान गये और उन्हें तरेसर से गिरफ्तार कर लाया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि भुजबल सिंह, जगन्नाथ बघेल, दुर्गासिंह रेल की पटरी उखाड़ने और तार काटने का षड़यंत्र कर रहे हैं इसी संदेह पर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बंदूक और पिस्तौले लेकर गई थी। २५ अगस्त को जगन्नाथ बघेल भी जेल भेज दिये गये। बघेल जी को हुमायू फकीर की एक विज्ञप्ति मिली थी जिसमें लिखा था इस आंदोलन का कोई नेता या संचालक नहीं है, प्रत्येक कार्यकर्ता स्वयं को नेता मानकर कार्य करें और बापू के सिद्धान्तों को दृष्टि में रखते हुए करो या मरो का निश्चय लेकर इस आंदोलन में कूद पड़े।

३० अगस्त को अग्रदूत के संपादक केशव प्रसाद वर्मा और उनके सहयोगी स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी के घरों में पुलिस की तलाशी में कोई आपत्तिजनक सामग्री प्राप्त न होने पर भी उन्हेंगिरफ्तार कर लिया गया। समाचार पत्र का प्रकाशन कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया। इस बीच डी. एम. छुट्टी पर चले गये। नये डी.एम. श्री जे.डी. केरावाला ने एक विज्ञप्ति जारी कर चेतावनी दी कि शहर में कुछ मोहाल्लो के लेटर बाक्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है अतः आम जनता खबरदार रहे और ऐसे

मुजरिमों का पता लगाने में पुलिस की मदद करे, उन्हें धमकी दी गयी कि अगर इस तरह के जुर्म कभी और किये गये तो मोहल्लेवासियों पर सामुहिक जुर्माना किया जायेगा। जेल में अनेक सत्याग्रही खादी के कपड़े पहनते थे। जब जेल में इन्हें खादी के कपड़े देने से इंकार किया गया तो इन्होंने नग्नावस्था में रहना पसंद किया। इस बीच युद्ध के कारण दैनिक उपभोग की वस्तुएँ महंगी हो रही थी, जनता परेशान थी, प्रशासन बौखला रहा था।

फलतः अगस्त के अंतिम दिनों में अनेक क्रान्तिकारी रिहा कर दिये गये जिनमें अधिकतकर छात्र और सामान्य कार्यकर्ता ही थे, शीर्षस्थ नेता अब भी जेल में थे अतः १९४२ के आंदोलन का संचालन अब वस्तुतः छात्रों के हाथ में ही आ गया था। ठाकुर रामकृष्ण सिंह नागपुर लॉ कालेज के छात्रसंघ अध्यक्ष थे और नागपुर के छात्रों का नेतृत्व कर रहे थे फलतः नागपुर मे जुलूस पर गोली चालन में एक छात्र की मृत्यु हो गई और अनेक घायल हो गये। रामकृष्ण किसी तरह भाग निकले और रायपुर पहुंचे जहां उन्हें अपने साथियों से मंत्रणा करते हुए मालवीय रोड़ की एक होटल में रात ९ बजे पकड़ लिया गया। उनकी गिरफ्तारी ने छात्रों को उत्तेजित कर दिया। ३१ शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारी और अंग्रेजी हुकूमत के दमन ने आंदोलन के धीमा तो कर दिया था किन्तु आग बुझी नहीं थी, हर वर्ग आंदोलन में शामिल था, हालात तो यह थे किः

कल्लू मियां भी हजरते गांधी के साथ थे
धूरे की धूल थे मगर आंधी के साथ थे।

तो भला आंदोलन कैसे थम सकता था। सितंबर की महत्वपूर्ण घटनाएं विद्यार्थियोंद्वारा संचालित रही जिनका वर्णन अगले अध्याय में है।

अक्टूबर में गांधी जयंती की घूम रही। स्थान–स्थान पर जुलूस निकाले गये, सभाएं हुई, बहुत से नवयुवक गिरफ्तार भी हुए, रायपुर जिले के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी गतिविधियां तेज रहीं। अक्टूबर १९४२ के बाद आंदोलन शिथिल होने लगा जिसका मुख्य कारण हजारों की संख्या में

गिरफ्तारी और सरकारी दमन था, मध्यप्रांत की इस तालिका से विवरण स्पष्ट हैः

तालिका मध्यप्रांत १९४२

१.	पुलिस ने कितनी बार गोलियां चलायी – ४०
2.	हताहत संख्या, संघातिक –४३ संघातिक नहीं – १५६
3.	हताहत पुलिस कर्मचारियों की संख्या, संघातिक – ज्ञात नहीं संघातिक नहीं –२७३
4.	क्षतिग्रस्त पुलिस स्टेशनों की संख्या –२२ गिरफ्तारी –८२६० क्षतिग्रस्त या विनष्ट –२०
५.	विशेष अदालतों की संख्या –१४१
६.	सिद्ध दोष व्यक्तियों की संख्या –३६९५

किन्तु यह शिथिलता, यह शांति किसी भयंकर तूफान के आने के पहले की शांतिथी, आंदोलन कालीन नारों ने रणभेदी बजा दी थीः

उठो उठो हे भारतवासी ऋषियों की प्यारी संतान
स्वतंत्रता के महासागर मे हो जाओ सहर्ष बलिदान।
उतरेगा जो आज समर में वही वीर है मर्दाना
रणभेदी बज चुकी वीर, वर पहनो केसरिया बाना।32

यहां यह उल्लेखनीय है कि आंदोलन यद्यपि सरकार द्वारा कुचल दिया गया था। लेकिन आने वाले खतरों को लेकर सरकार परेशान अवश्य हो चुकी थी और इन दिनों सरकार को भयमीत करनें में जिसने मुख्य भूमिका निभायी थी वह थी १९४२ की पत्र–पत्रिकाएं और समाचार–पत्रों का पुनः प्रकाशन। क्योंकि इस समय समाचार –पत्रों द्वारा देशभक्तों को जागरुक बनाने में महकोशल के पत्रों की होड़ सी लग गई थी। कांग्रेस के कुछ पत्रों ने ब्रिटिश सरकार की नींदहराम कर दी थी जिनमें प्रमुख थेः

१. छत्तीसगढ़ मित्रः हिन्दी मासिक, रायपुर, १६००
संपादकः माधवराव सप्रे, रामाराव।

२. उत्थानः हिन्दी मासिक रायपुर, १६३५
संपादकः सुन्दरलाल त्रिपाठी।

३. कांग्रेस पत्रिकाः हिन्दी साप्ताहिक, रायपुर १६३७
संपादकः नंदकुमार दानी।

४. अग्रदूतः हिन्दी साप्ताहिक, रायपुर, १६४२
संपादकः केशवप्रसाद वर्मा।

५. सावधानः हिन्दी साप्ताहिक, रायपुर, १६४३
संपादकः शिवनारायण द्विवेदी।

उपरोक्त पत्रों की गतिविधियों से भयभीत होकर सरकार ने कुछ बंद करवा दिये तथा कुछ पर कड़ी कार्यवाही की। उदाहरणार्थ– सावधान पत्र अपने नाम के अनुरूप ही आंदोलनरत जनताको अंग्रेजी सत्ता से सावधान किया करता था और राष्ट्रीय हित के लिए प्रेरित मी १६४२ के वर्ष में ही इसे भारत सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आपत्तिजनक लेख प्रकाशित करने के कारण प्रथम बार प्रताड़ना मिली। दूसरी मौखिक प्रताड़ना निर्देश इस सनसनीखेज प्रकाशन समाचार के लिये मिली। तीसरी बार डी.आई.आर. धारा ४१ (१) बी. के अंतर्गत इस पर मामला दायर किया गय।

इसी प्रकार केशव प्रसाद वर्मा के घर तलाशी लेने और कुछ न मिलने पर भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और अग्रदूत के प्रकाशन पर रोक लगा दी गयी। बाद में १० सितंबर १६४२ से इसका पुनः प्रकाशन प्रारंभ हो सका।

१६४२ में सारथी पत्र के संपादक द्वारका प्रसाद मिश्र के कारावास में जाने के कारण सारथी पत्र को बंद कर दिया गया। माधवराव सप्रे जी की प्रेरणा से जिस प्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पत्रकारिता स्वीकार की थी उसी प्रकार द्वारका प्रसाद मिश्र ने सप्रे जी की प्रेरणा से पत्रकारिता में प्रवेश लिया था।

सारथी की टिप्पणी थी–हमारा मक्का मदीना, हमारा देश है।

सरकारी दमन और अत्याचार के आगे यद्यपि आंदोलन पूर्ण सफल न हो सका किन्तु इसने हमें आजादी के नजदीक अवश्य पहुंचा दिया जिनके कष्ट और बलिदान से हमें आज स्वतंत्रता का गौरव प्राप्त है हम उनका स्मरण कर श्रद्धानवत् है।

रायपुर जिले के अन्य क्षेत्रों में १६४२ की गतिविधियां (धमतरी, कुरुद, महासमुंद, आरंग, बलौदाबाजार एवं भाटापारा विशेष)

१६४२ के आंदोलन में घटित रायपुर की घटनाओं की धमक रायपुर के समीप अन्यक्षेत्रों पर भी पड़ी। धमतरी, कुरुद, महासमुंद जैसे क्षेत्र तो पहले से ही आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा चुके थे।

धमतरी में महात्मा गांधी का पदार्पण बहुत पहले ही हो चुका था। उनका खासा प्रभावधमतरी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में था। १६४२ की गिरफ्तारी का आवेग उन्हें न रोक पाया और जियाले नौजवान क्रान्ति के मैदान में कूद पड़े।

कण्डेल ग्राम सत्याग्रह ने धमतरी को प्रसिद्धि दे ही दी थी। १६३३ में जब गांधी जी धमतरी आये थे तो उन्होंने धमतरी को दूसरी बारदोली का संज्ञा तक दे डाली थी फलतः इस दौरान धमतरी के कुछ क्षेत्र लंगडैनी, कचना, मेघा, कण्डेल, कुरूद, सिहावा, नगरी, रुद्री और नवांगांव आंदोलन के प्रचार केन्द्र तक बन गये थे और आंदोलन की गतिविधियां यहीं से संचालित होने लगी थी।

धमतरी का नाम आते ही बरबस मुख पर वयोवृद्ध सेनानी बाबूलाल श्रीवास्तव जैसे दुर्लभ व्यक्ति का नाम आ जाता है। बाबू साहब गांधी जी से इतने प्रभावित थे कि उस सस्ते के जमाने में उन्होंने अपनी जमा पूंजी से तीस हजार खर्च करके अपने घर तीस–चालीस चर्खे मंगवाए थे और अपने साथियों सहित नियमित रूप से सूत काता करते थे और सूत के वस्त्र ही पहना करते थे। बाबू साहब के कार्यों से प्रसन्न होकर गांधी जी

धमतरी दो बार आये थे। कण्डेल नहर सत्याग्रह के सूत्रधार बाबू साहब ने १९३० के रुद्री सत्याग्रह में भी सक्रिय योगदान दिया। अगस्त १९४२ में उन्हें गिरफ्तार किया गया और ७ माह की सजा हुई तथा रायपुर जेल से बाद में नागपुर जेल भेज दिया गया। उनके मार्गदर्शन में ही धमतरी ने १९४२ के आंदोलन में मुख्य भूमिका निभायी।

१९४२ के आंदोलन के आंदोलन के पूर्व धमतरी के अनेक सत्याग्रहियों ने अपनी गिरफ्तारियां दी जिनमें प्रमुख थेः

हीरजी भाई शाह (धमतरी), रामलाल अग्रवाल (भोपाल), राव पवार (धमतरी),सुखराम नागे (छिन्दापुर),जुड़ावनदास (सहनीखार), जगतराम (उमरगांव), रामचरण (रावण सिधि), शिवप्रसाद साहू, अध्यापक (मेडरी)।

कुछ सत्याग्रहियों को ६–६ माह की सजा हुई जिनके नाम इस प्रकार है आनंदराम (संबलपुर), शिवप्रसाद साहू (मेडरी), मंगलूराम (घुटला), ताराचंद (हसदा), जगतराम, बुधराम (उमरगांव), फिरतू यादव, पंडित साहू (सांकरा) इत्यादि।

१९४२ में धमतरी क्षेत्र के सुखराम नागे ने भूमिगत रहकर जंगल–जंगल आजादी का अलख जगायी। १९४२ तक उन्हें लगभग पांच बार जेल हो चुकी थी और आग में तप सोने की तरह उनका व्यक्यित्व पुनः स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिये तैयार था। १९६६ मे उनकी मृत्यु पर डॉ. राम मनोहर लोहिया ने दिनांक २४–०४–९६ को अपने एक लेख में लिखा था 'रायुपर जिले में सुखराम नागे की हत्या पुलिस हवालात में की गयी। मुझे अफसोस है कि उस वक्त हमने इतनाहल्ला मचाया था वह देश में रंज भी पैदा न कर सका। लोहिया जी का यह वक्तव्य यह बताता है कि नागे जी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई थी।

गांव में बिना किसी महत्वपूर्ण साधन और हथियार के आंदोलन को जारी रखना अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारनामा था। किन्तु पर्याप्त जानकारी के अभाव में कई महानविभूतियों का जीवन बलिदान हम विस्मृत कर जाते है, यह अत्यंत दुखदायी है।

धमतरी क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रायपुर की भांति वीर सावरकर, शहीदे आजम भगतसिंह, चंद्रशेखर आजाद के क्रान्तिकारी कार्यों से प्रभावित थे। उनमें इतना धैर्य कहां था कि वे गांधी जी की भांति धैर्यपूर्वक चल रहे कार्यों से उद्देश्य की प्राप्ति करें। वे तो शस्त्रों से स्वतंत्रता प्राप्त कर जल्दी ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहते थे।

इन दिनों रायपुर जिले के ठाकुर प्यारेलाल एवं वामनराव लाखे ने नवयुवकों को उत्साहित कर मार्गदर्शन दिया और उन्हें पुलिस से से संभलकर कार्य करने कहा।

भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान श्री रामलालजी अग्रवाल, छोटेलाल श्रीवास्तव, भोपालराव पवार, मोहनलाल तंबोली, गरीबनाथ बाबा, विदेसीराम आदिवासी, झुमुकलाल भोई, बद्रीप्रसाद गुप्ता, श्यामशंकर मिश्रा, हंडूप्रसाद दीवान जैसे अनेक देशप्रेमियों को सजा हुई । धमतरी के लखनलाल साहू, शिवशंकर हलवाई, छोटेलाल नामदेव, पून्नालालठाकुर, नारायण सिंह वर्मा को अस्वस्थता के कारण छोड़ दिया गया।

साधनविहीन छोटा सा क्षेत्र धमतरी अपने कार्यों के लिए सदैव स्मरणीय रहेगा। इस क्षेत्र में होने वाले उपद्रवों तथा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मध्यप्रांत शासन ने १२ अगस्त को रायपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद आदि के लोकल बोर्डो कोइस आधार पर भंग कर दिया कि इसके कर्मचारियों द्वारा आंदोलन का प्रचार किया जा रहा था।

इसी दौरान रायपुर जिले का एक आदिवासी बोधनगोंड़ पुलिस प्रहार से मौत को प्राप्त हो गया, इस संबंध में अन्य कोई जानकारी प्राप्त नहीं है।

इन्हीं छोटे क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण नाम महासमुंद का भी है जो जंगल सत्याग्रह के कारण भरपूर प्रसिद्धि पा चुका था। यतियतनलाल जैन और शंकरलाल गनोदवाले के नेतृत्व में महासमुंद में होनेवाले इस सत्याग्रह में अद्वैत गिरी, चौथमल, बुलन्द शाह, चंद्रपाल जैसे लगभग ५०–६०

सत्याग्रही को गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ५ से ७ माह की सजा और २०० से ६०० रु. तक जुर्माना भी हुआ था। महासमुंद का साहिल्या ग्राम की सभा में तो पुलिस ने अकस्मात् आक्रमण कर दिया और इस मुठभेड़ में सर्किल इंस्पेक्टर और २ पुलिस सिपाही घायल हो गये। इस घटना में लगभग १४४ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

इसी दौरान साहिल्या ग्राम में सत्याग्रहियों ने एक देशी शराब दुकान के सामने धरनादिया था। पुलिस ने गोलियां चलाई बेलों से भी पीटा, लगभग २४ लोगों को ६ माह से लेकर ४ वर्ष तक की सजा हुई थी।

महासमुंद की ही चौके बेड़ा ग्राम में होने वाली सभा में पुलिस ने लाठी चार्ज किया थाइस समय लक्ष्मीनारायण तेली को इतनी मार पड़ी कि १०–१५ दिनों के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। झुमुकलाल के घर तो पुलिस ने बलात घुसकर डेढ़ तोल सोना और १६ तोला चांदी छीन ली।

तमोरा में तो १४४ धारा लागू कर दी गयी, सत्याग्रहियों के पहले जत्थे का नेतृत्वदयाबती नामक एक युवा लड़कीकर रही थी, जैसे ही दुबे जी ने उसे रोका, उसने तमाचा जड़ दिया।

भला ऐसा साहसी क्षेत्र १९४२ में कैसे अछूता रह सकता था। १९४२ का शंखनाद यहां भी बजा। अगस्त में एक धार्मिक उत्सव महासमुंद तहसील से सरकारी अधिकारियों के साथ मनाने का निश्चय किया गया पर वहां के तहसीलदार ने शाह जी भाई और गोवर्धनदास को पंडाल के सामने झंडा फहराने के कारण गिरफ्तार कर लिया। फलतः अद्वैत गिरी, लालजी भाई, मंगलूराम, लक्ष्मीचंद जैन, भूखलाम, रामचन्द्र जोशी और यतियतनलालजी ने १९४२ के आंदोलन का नेतृत्व किया।

यति जी ने तो जैसे कांग्रेस के आदर्शों को धर्म की भांति अपना लिया था। रायपुर में मगन पुस्तकालय की स्थापना इन्हीं की प्रेरणा से हुई। इस पुस्तकालय में वे पंडित रविशंकर शुक्ल और महंत लक्ष्मीदास से मिले और बाद में विवेक वर्द्धन सेवा आश्रम की स्थापना की।

यति जी से भेट का एक चुटीला संस्मरण महंत लक्ष्मीनारायण दास के अनुसारः एक बार महंत जी मंदिर में घूम रहे थे कि यति जी मंदिर में आए और पूछा कि महंतजी कहां है– मैंने कहा कि सो रहे हैं, कब उठेंगे? चार बजे, वो लौट गए। कुछ समय बाद एक बार धमतरी से आने के लिए हमलोग गाड़ी में बैठे तब उन्होंने मुस्कुराकर पूछाः महंतजी कितने बजे सोकर उठते है? मैंने अपनी गलती स्वीकार कर ली और बताया कि मैंने उन्हें एक मांगने वाला समझा था और बहाना बना दिया था।

सत्याग्रह के समय जनता की मनःस्थिति कुछ इस प्रकार थीः

तेरी उल्फत मे मुद्दत से यहां बेजार बैठे हैं
करोड़ो जेल जाने को तुरंत तैयार बैठे हैं।
नहीं उन चंद तोपों से डरेंगें अब न हरगिज हम
अजी अधिकार लेने को खुले दरबार बैठे है।

इन कारनामों से सरकार हिल गई। फलतः रायपुर के डिप्टी कमिश्नर ने नागपुर के कमिश्नर को प्रेषित प्रतिवेदन में लिखाः महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, आरंग खतरनाक स्थान है, महासमुंद एक पिछड़ा इलाका है जहां की जनता जनसंख्या प्रायः जंगली है।

किन्तु सरकार यह समझ चुकी थी, कि यह पिछड़ा और जंगली क्षेत्र स्वतंत्रता प्राप्तकरने हेतु कितना अग्रसर है।

रायपुर से लगभग ४० किलोमीटर की दूरी पर बसा क्षेत्र आरंग भी इस आंदोलन में पूर्णरुपेण सक्रिय रहा। आरंग शहर के नामकरण से एक पौराणिक कथा संबंधित है इस आधार पर भगवान कृष्ण ने राजा मोरध्वज को मोरध्वज और पुत्र ताम्रध्वज को दो समान हिस्सों से विभाजित करने का आदेश दिया था। ताकि वे अपने वाहन सिंह को भोजन दे सकें ऐसी मान्यता है कि ये कार्य इसी स्थान पर किया गया था अतः आरा और अंग के मित्रण से इस स्थान का नाम कालांतर में आरंग पड़ा। ४७ इस क्षेत्र के आंदोलनकारियों के सक्रिय सहयोग ने नगरों की समस्त गतिविधियों की जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाने और उचित मार्गदर्शन करने में

सफल भूमिका निभाई, जिसके कारण ये साधन विहिन क्षेत्रों ने नगरों के आंदोलनकारियों के कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया।

आरंग के वयोवृद्ध सेनानी लखनलाल गुप्ता १९४२ की घटना की याद ताजा करते हुए बताते हैं कि १९४० में तो वे सत्याग्रही के रूप में जेल जा ही चुके थे। १९४२में भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और ६ माह की सजा हुई। इस समय मसरूह वाला गांधी जी के सचिव थे जिनके मार्गदर्शन मे आंदोलन की गतिविधियां संचालित होती थी। जेल में हमें लोहे के तपेले में खाना मिलता था। सरकारी दमन तो ऐसा था कि पैर से गूंथकर आटे की रोटियां खानी पड़ती थी। जिससे अधिकांश लोग जेल में बीमार हो जाया करते थे। १९४२ के जेल यात्रियों में हमारे साथ उपाध्याय जी और छद्देरा गांव के शर्माजी भी थे। यद्यपि प्रताड़नाएं दी जाती थी किन्तु पाटिल जी जेल में कांग्रेसियों की बेहद मदद करत थे। आरंग के शिवनारायण लोहार के तो राष्ट्रीय गीत गाने पर थाने में लाकर पीटा गया था। उन दिनों की पुलिस की ज्यादतियां शायद अब तक के होने वाले समस्त आंदोलन से बढ़–चढ़ कर थी। पुलिस जहाँ जिसे पाती बिना कारण बताये पीटना शुरू कर देती थी।

पुलिस बल के अत्याचारी कारनामों से जनता निरंतर क्रुद्ध होती जा रही थी, रायपुर जिले के अन्य छोटो क्षेत्रों में जब गांधी जी की गिरफ्तारी और शीर्षस्थ नेताओं की धरपकड़ की खबरें जैसे–जैसे पहुंचती गई हड़तालों, जुलूसों, सभाओं और झंडा फहराने व नारेबाजी के कारनामे घटित होने लगे।

बलौदाबाजार तहसील के अंतर्गत भाटापारा, नेवरा, सिमगा, पलारी, भटगांव, सिरपुर में आंदोलनकारी गतिविधियां तेज हो गयी। भाटापारा क्षेत्र के सर्वेश्वर प्रसाद मिश्रा नेतृत्वकर्ता और पहले सत्याग्रही थे। सत्याग्रहियों के प्रत्येक स्वयंसेवक तिरंगा झंडा, गांधी टोपी और केसरिया झोला लेकर राष्ट्रीय भावना का प्रचार किया करते थे। चरित्र बल, नैतिकता, राष्ट्रीय एकता और इमानदारी लिए वन्दे मातरम् का गान करते सत्याग्रही जब–जब अपने जुलूस निकालते हर दिल आजादी की पुकार करने

लगता। १० अगस्त १९४२ को भाटापारा की समस्त शैक्षणिक संस्थाए बंद कर दी गई। लगभग १०० विद्यार्थियों ने जुलूस निकाला जिसे पुलिस ने तितर–बितर कर दिया। भाटापारा के श्री गजाधरमिश्रा को जुलूस में वन्दे मातरम् का नारा लगाने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। अगस्त के बाद तो भाटापारा में बंद हड़ताल और जूलसों का सिलसिला चलता ही रहा। इसी प्रकार रायपुर, राजिम, अभनपुर, नवापारा में रेल पटरियां उखाड़ने की घटना घटी।

१६ अगस्त को रायपुर में १४४ धारा लागू कर दी गई। इसके विरोध में नगर में हड़ताल रही। १९ अगस्त को रेलपटरियों को उखाड़ने के संबंध में पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां की।

२५ अगस्त को घरसीवा में आमसभा हुई। इस आंदोलन में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। ४ सितम्बर को तो पुलिस थाना सिहावा के सामने धरना देने के आरोप में १३ ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया।

५ सितम्बर को जिले के खरोरा, धरसींवा, मगरलोड, कोमाखान, धमतरी, महासमुंद, सिंहावा आदि क्षेत्रों में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस तथा प्रार्थना दिवस का आयोजन किया गया। विशेषतः खरोरा के ग्रामीण भाईयों एवं किसानों ने शासन को लगान न देने का संकल्प किया।५०

विद्यार्थियों का भी सक्रिय सहयोग आंदोलन को आगे बढ़ा रहा था, विभिन्न महाविद्यालयों में गुप्त मंत्रणाएं होने लगी, जिला अध्यक्ष को धमकी भरे पत्र प्राप्त होने लगे। अगस्त की घटनाओं के दौरान ही बलौदाबाजार में भी गिरफ्तारियां प्रारंभ हो गई। राजिम में पोस्टर वितरण प्रारंभ हुआ। २० अगस्त को विद्यार्थियों ने घर–घर जाकर संपर्क साधा। २२ अगस्त को शांति रही। सभा आयोजन के अपराध में दूसरे दिन फिर महासमुंद में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। नवापारा राजिम में रेल लाइन उखाड़ने के आरोप में दो सत्याग्रही पकड़ लिये गये। २९ अगस्त को रायपुर कुम्हारी के बीच की तार लाइन काट दी गयी। खरोरा के पास

सिंचाई विभाग का एक खंभा गिरा दिया गया। घर–घर जाकर तलाशी अभियान चलाया गया। ३१ अगस्त से २ सितम्बर तक रायपुर के लगभगनौ लड़के गिरफ्तार कर लिये गये।

जुलूस निकालना, दीवारों पर नारे लिखना आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम बन गये थे। इसी दौरान महासमुंद में रामचंद्र राव जोशी, रामदयाल गुमाश्ता, शंकरराव षिवलीकर आदि गिरफ्तार कर लिये गये। २६ अगस्त को स्थानीय डाकघर जलाने के आरोप में नारायणलाल और विष्णुप्रसाद दुबे कैद कर लिये गये ।

गांधी जी के आगमन से ही धमतरी का समीपस्थ क्षेत्र कुरुद सक्रिय हो चुका था। अगस्त क्रांति के दौरान कुरुद में भी आंदोलनकारी गतिविधियां तेज हो गयी थी। १९४२ के दौरान फिरतूराम, रामाधर चंद्रवंशी जैसे कुछ सत्याग्रहियों की गिरफ्तारीयां हुई तथा उन्हें ७–७ माह की सजा दी गयी।

यद्यपि कांग्रेस ने इस आंदोलन को अहिंसा के आधार पर चलाने का निर्देश दिया था परंतु कुछ समय बाद ही कहीं –कहीं इस आंदोलन ने अहिंसक रूप धारण कर लिया। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के कारण जनता का नेतृत्वविहिन होना आवश्यक था। रेल लाइनो, डाक–तार विभाग जैसे संसाधनों को नष्ट करने के कारण सरकार बौखला उठी थी। आंदोलन की गंभीरता ने सरकार को भयभीत कर दिया। आखिर गिरफ्तारियां और गिरफ्तारियां ही इसका हल नहीं था। अतः सरकार ने अत्याचार पूर्वक दमन का रास्ता अपनाया और आंदोलन को शिथिल करने में सफल हो गयी। यद्यपि आंदोलन पूर्णरुप से सफलता प्राप्त नहीं कर सका किन्तु इसमें संपूर्ण सहयोग देने वाले आंदोलनकारियों को भुलाया नहीं जा सकता। रायपुर जिले के छुटपुट क्षेत्रों अथवा ग्रामीण इलाकों के समस्त आंदोलनकारियों की सूची का उल्लेख करना संभव नहीं है किन्तु कुछ सेनानियों की सूची उनको श्रद्धांजलि स्वरुप अंकित की जा रही है।

धमतरी, महासमुंद, भाटापारा, बलौदाबाजार, आरंग –स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सूची १९४२

नाम	जन्म	पता	कारावास
श्री अमृतलाल	1923	महासमुंद	6 माह
श्री इतवारी राम	1923	भाटापारा	7 माह
श्री इच्छाराम तिवारी	–	हसदा	6 माह
श्री कमल सिंह	1912	गोरेगांव, धमतरी	6 माह
श्री करण सिंह	1911	बलौदा बाजार	6 माह 14 दिन
श्री कल्लू	1901	सारागांव	6 माह 23 दिन
श्री कासम खान	–	भाटापारा	14 दिन
श्री खूहाप्रसाद	1911	सारागांव	6 माह
श्री कुंदन लाल उपाध्याय	1905	आरंग	5 दिन
श्री केजू राम वर्मा	1914	सारागांव	9माह 24 दिन
श्री खोद प्रसाद पोतकर	1908	महासमुंद	10 माह 14 दिन
श्री गनपत राव शिवलीकर	1920	महासमुंद	6 माह
श्री गजाधर मिश्रा	1121	भाटापारा	13 दिन
श्री गिरधारी लाल तिवारी	1909	धमतरी	10 माह12 दिन
श्री गरीब नाथ बैरागी	1923	धमतरी	6 माह
श्री गयाप्रसाद	1925	भाटापारा	7 माह
श्री गोंडाराम गोंड़	1912	धमतरी	6 माह
श्री गुलहमीद	1913	बेलसोंडा	1 वर्ष
श्री जगत राम	1909	उमरगांव, धमतरी	1 वर्ष
श्री जगमोहन ठाकुर	1919	अभनपुर	––

श्री जीवराखन	1914	बंगोली	6 माह
श्री जीवन लाल बोथरा	1908	नयापारा, राजिम	6 माह
श्री जोधा राम	1902	धमतरी	6 माह
श्री झाडू राम गोंड़	1918	बगैद, धमतरी	6 माह
श्री जेठू राम	1919	धमतरी	6 माह
श्री जूगल किशोर	1924	कचना, धमतरी	6 माह
श्री टेपूमल	——	धमतरी	10 माह
श्री झुमुकलाल	——	महासमुंद	6 माह
श्री तारा चंद साहू	1903	धमतरी	6 माह
श्री तेजनाथ योगी	1909	महासमुंद	6 माह
श्री तोता राम पाटिल	1919	महासमुंद	6 माह
श्री थानू	1922	धमतरी	6 माह
श्री द्वारिका प्रसाद शर्मा	1924	टोनातार, भाटापारा	8 माह
श्री निर्भय	1916	बंगोली	7 माह
श्री नारायण लाल चंद्राकर	1924	महासमुंद	8 माह
श्री परेदषी गोंड़	1901	भाटापारा	1वर्ष 6माह
श्री पंचम	1916	भाटापारा	7माह
श्री फिरतू राम	——	कुरूद	7माह
श्री फिरतू राम यादव	1906	बेलरगांव, धमतरी	1माह
श्री फेरू राम उर्फ क्रांति कुमार	1922	मंडेली, धमतरी	6माह
श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ला	1904	भाटापारा	1वर्ष 3 दिन

श्री भैयालाल बरई	1914	बनिया पारा, धमतरी	6माह
श्री भुखउ	1912	महासमुंद	6 माह
श्री भोपाल राव पवार	1903	धमतरी	3 माह 15 दिन
श्री मनराखन सुनार	1927	महासमुंद	1 वर्ष 3 माह
श्री माखन सिंह लोहार	1917	संकरा, धमतरी	6 माह
श्री माधव राव	—	धमतरी	6 माह
श्री रजनी	—	भाटापारा	6 माह 14दिन
श्री रामाधार चंद्रवंशी	1926	कुरूद	7 माह
श्री रामलाल वर्मा	1922	कुरूद	8 माह

(स्रोतः मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक – खण्ड ३, भाषा संचालनालय सांस्कृतिक विभाग –१९८४, म.प्र. भोपाल)

प्रभाव

भारी अत्याचारो और मशीनगनों के आगे भला आंदोलन कब तक टिका रह सकता था। फलतः आंदोलन विफल हो गया। यद्यपि भूमिगत रहकर इसे कुछ समय तक जारी रखा गया परंतु विशेष सफलता प्राप्त न हो सकी। प्रसिद्ध पत्रकार दुर्गादास ने अपनी पुस्तक 'इंडिया फ्राम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर' में लिखा है कि आंदोलन की रीढ टूट चुकी थी, शासन ने अपने दमन के समस्त साधनों का उपयोग करके देश पर एक विक्षुब्ध मातमी स्तब्धता लाद दी थी।जी की मृत्यु होना भी था। महात्मा गांधी का १० फरवरी १९४३ को आरंभ किया गया उपवास २ मार्च को समाप्त हो गया था। युद्ध की परिस्थितियों में भी परिवर्तन हो चुका था। स्थिति मित्र शक्तियों के पक्ष में थी।

आंदोलन की समाप्ति पर यह तय था कि अंग्रेजी शासन के सामने टिके रहना असंभव है पर स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना के सामने सब असत्य था। जेल की यातनाएं सहकर बारंबार जेल जाने की ललक भला कैसे कम

हो सकती थी और इतनी लंबी अवधि के कठिन प्रयास को कैसे भुलाया जा सकता था। अतः सब सहकर भी वे मतवाले छुटपुट गतिविधियों में तल्लीन रहे और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये प्रतीक्षारत भी। इसी तरह दिन, माह, वर्ष बीत गये।

विभिन्न प्रांतों के साथ–साथ मध्यप्रांत में भी कांग्रेस का शासन हो गया। सभी स्थानों के साथ–साथ रायपुर में भी आंदोलन शिथिल हो गया। श्रीरामकृष्ण पाटिल जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे बन गये। जब वे रायपुर पधारे तो उन्होंने जेल के अधिकारियों को हुक्म दिया कि वे जेल अधिकारियों के साथ अच्छा व्यवहार करें उन्हें ठीक से रखें।

१९४४ में रायपुर म्युनिसिपल कमेटी के चुनाव हुए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह अध्यक्ष निर्वाचित हुए इसी महीने कांग्रेसियों ने प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद मकानो पर झंडा फहराया। रायपुर में हुए महाकौशल हिन्दू सभा के छठवे अधिवेशन में बंगाल के अकाल पीड़ितों की सहायता करने तथा समस्त राजनितिक बंदियों को क्षमादान द्वारा तत्काल रिहा करने का आग्रह किया गया। ७ मई को गांधी जी के साथ अन्य नेता भी जेल से रिहा कर दिये गये। रायपुर नगर में इस निर्णय का स्वागत किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन को वापस लेने के निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रिया हुई।

रायपुर में फरवरी १९४५ में गांधी जी की अनुमति से स्टूडेंट कांग्रेस की स्थापना की गयी और विद्यार्थियों के लिए इसमें चौदह सूत्रीय रचनात्मककार्यक्रम घोषित किये गये। इनमें से ग्रामीणों के उत्थान, साम्प्रदायिक सद्भाव तथा कांग्रेस के सिद्धांतों का पालन आदि प्रमुख थे।

अप्रैल में मध्यप्रांत सरकार ने ११७ राजनीतिक बंदियों में से ६६ को छोड़ा। मई माह में रायपुर में मित्र राष्ट्र का विजय दिवस मनाया गया। रिपोर्ट के अनुसार इसमें १५ हजार लोगों ने विजय जुलूस में भाग लिया। २० मई को कांग्रेस का एक दल गांधी जी से मिलकर कांग्रेस मंत्रिमंडल की अनुमति मांगने पहुंचा पर गांधी जी ने प्रतीक्षा करने को कहा।57

कांग्रेस भवन रायपुर को एक बार फिर नगर व जिला कांग्रेस की गतिविधियों का संचालन करने वाले केन्द्रिय कार्यलय के रूप में नवजीवन मिला।

मई १९४६ में शहीदे आजम भगतसिंह के साथी जयदेव कपूर रायपुर आये। गांधी चौक में इस दिन एक बड़ा जलसा हुआ। एक प्रस्ताव के तहत परसराम सोनी जी और गिरिलाल को शीघ्र जेल से रिहा करने का प्रस्ताव पारित किया गया जिसके फलस्वरूप २७ जून १९४६ को दोनों छोड़ दिये गये। काफी दिनों बाद जेल से दोनों छूटे थे। उनके कपड़े सड़ चुके थे, रास्ते लोग उन्हें जंगली समझ रहे थे, उनकी हालत देखकर कोई भी उन्हें पहचानने को तैयार नहीं था।

१९४६ में ही कांकेर के जन आंदोलन का प्रारंभ हुआ। छोटी सी रियासत होने के कारण अधिक संघर्ष नहीं हुआ और १९४७ में सभी रियासतों का विलयन हो गया।

अप्रेल १९४७ को नया मंत्रीमंडल गठित हुआ। इसमें रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल तथा पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, डी. के. मेहता, एस. बी. गोखले, आर. के. पाटिल, पी. के. देशमुख तथा डॉ. एम. हसन मंत्री बनाये गये। विधनासभा के स्पीकर श्री घनश्याम सिंह गुप्ता बने।51

नई सरकार ने समस्त राजनितिक बंदियों को छोड़ दिया। रायपुर में इन देशभक्तों का भावपूर्ण स्वागत किया गया।

इतिहास की इस महत्वपूर्ण घटना ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की संपूर्ण स्थिति का पता अब विदेशी क्षेत्रों में भी हो गया। यद्यपि इस आंदोलन का पता अब विदेशी क्षेत्रों को भी हो गया। यद्यपि इस आंदोलन द्वारा हमें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई लेकिन इसने हमें स्वतंत्रता के काफी नजदीक पहुंचा दिया और पांच वर्ष बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी। इस आंदोलन मे हर वर्ग, हर धर्म, हर क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहां तक कि महिलाओं ने भी संपूर्ण सहयोगदिया। लगभग ४०० महिलाएं इसमें सक्रिय रही, जो चिरस्मरणीय है।

परिणामतः ब्रिटिश प्रधानमंत्री विल्सन चर्चिल और उनके सहयोगी अनिच्छा से ही सही, यह मानने लगे थे कि गांधी ने अहिंसात्मक प्रयासों द्वारा यह विचार उनके गले में उतार दिया है कि अंग्रोजों को भारत छोड़ना है।

यह बात ब्रिटिश सम्राट जार्ज षष्टम की डायरी के उस भाग से पूर्णतः प्रमाणित है जिसमें उसने सिखा था ''चर्चिल ने मुझे यह कहकर आश्चर्यचकित कर दिया कि उनके सहयोगी तथा पार्लियामेंट के सभी दल युद्ध की समाप्ति के पश्चात् भारत को भारतीयों के सुपुर्द कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ''

जार्ज षष्टम का जीवन चरित्र लेखक भी लिखता है कि १९४२ के उपद्रवों के दमन से यह प्रकट हो चुका था, कि अंग्रेजो की प्रतिष्ठा एवं शक्ति अभी ऊँची थी परंतु निश्चित रूप से वे खतरे में पड़ चुके थे। घटनाओं से प्रकट हो चुका था कि लोगों के समूह को आसानी से उत्तेजित किया जा सकता है। अतः यह समय आ गया है कि अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए।

इस लिए १५ अगस्त १९४७ को वे भारत छोड़ गए लेकिन जाते–जाते उन्होंने भारतीयोंसे अपना बैर भुनाया और भारत का बटवारा करवाया।

संदर्भ सूची

१. मिश्रा बी. के. –द क्रिप्स मिशन– पृ. ३६,४०
२. सेंट्रल न्यूज एंड फीचर्स –सोमवार १९ जुलाई १९९३ पाल पृ. ३
३. १९४२–४३ के उपद्रव में कांग्रेस का उत्तरदायीत पृ. १,७
४. नागपाल ओम, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन एवं संवैधानिक विकास पृ. १५४
५. रमैया पट्टाभिसीता, कॉंग्रेस का इतिहास खंड –२ पृ. ४२२,४२३
६. चोपड़ा पी.एन., क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटीश सेक्रेट रिपोर्ट पर

आधारित।

७. नाग पाल ओम पूर्वोद्ध पृ. १५५

८. होमपालिटिकल फाईल १८–६–१६४२ पाक्षिक रिपोर्ट सितम्बर १६४२ का प्रथम पक्ष

९. शुक्ल संतोष –महाकौशल, दीपावली विशेषांक १६७० पृ. १२

१०. हरिजन –रविवार ७ जून १६४२ अहमदाबाद पृ. १७५

११. हिन्दुस्तान दैनिक १२ फरवरी १६४१ पृ. १

१२. होमपालिटिकल फाईल १८–८–१६४२ पाक्षिक रिपोर्ट अगस्त १६४२ का प्रथम पक्ष

१३. १६४२–४३ के उपद्रव पूर्वोदत्त पृ. १६ एवं सप्ताहिक अग्रदूत १६८४ पृ. १५

१४. मध्यप्रदेश रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर १६७३ पृ. ८६

१५. होमपालिटिकल १६४२ की पाक्षिक रिपोर्ट अगस्त का प्रथम पक्ष एवं रायपुर नगर निगम रिपोर्ट१६७१–७२ पृ.४

१६. एम. पी. सी. सी. फाईल १–१६ एवं रायपुर गजेटियर १६७३ पृ.८६

१७. शुक्ला डॉ. अशोक छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहांस एवं राष्ट्रीय आंदोलन पृ. २०३

१८. दुबे रामानंद –स्वतंत्रता संग्राम सेनानी –साक्षात्कार –दिनांक २१–६–१६६३

१९. शुक्ल राजेन्द्र प्रसाद– अध्यक्ष विधान सभा म. प्र.लेख –गृहस्थ फकीर– स्मारिका रामानंददुबे १६८६ पृ.१२

२०. म. प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक –खंड ३,१६८४ एवं डेरहा दास से साक्षात्कार ११–६–१३

२१. शर्मा कमल नारायण –संस्मरण एवं साक्षात्कार १४–१०–६५

२२. साप्ताहिक अग्रदूत –स्वतंत्रता दिवस विशेषांक १६८४ पृ. ६

२३. मिश्र डी. पी. –म. प्र. में स्वाधीनता आंदोलन का विकास पृ. ४६२ एवं होमपालिटिकल पाईल १८–८–१९४२ पाक्षिक रिपोर्ट अगस्त का द्वितीय पक्ष एवं मिश्र –लिविंग एनएरा भाग २ पृ ११८

२४. शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ संस्मरण खण्ड– पृ.३३–३४

२५. डिस्ट्रिक्ट कलेंडर आफ सिविल डिस ओबिडिएस मूवमेंट पृ. ६२

२६. १९४२–४३ के उपद्रव पूर्वद्वत्त पू. ३२

२७. अमृत संदेश रायपुर ९ अगस्त १९९२ पृ. ८

२८. शुक्ला डॉ. अशोक पूर्वदत्त पृ.३

२९. डॉ. खूब चंद बघेल स्मृति ग्रंथ–मधुकर खेर का लेख पृ.२०

३०. अमृत संदेश रायपुर ९ अगस्त १९९२ पृ.८

३१. रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर १९७३ पृ. ४७

३२. मिश्र डॉ. रमेन्द्रनाथ– छतीसगढ़ का इतिहास पृ. ११८

३३. रायपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर पृ. ८७

३४. मिश्र द्वारका प्रसाद–अभिनंदन ग्रंथ पृ. ७३७

३५. देवांगन डॉ. शोभा राम– धमतरी नगर एवं तहसील का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान पृ. २२

३६. देशबंधु – रायपुर शुक्रवार ५ मार्च १९९३ पृ. ४

३७. वर्मा रामगोपाल –शोधप्रबंध –रायपुर जिले में स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पृ. २९०,२९२

३८. वही पृ. ३१७

३९. आदिवासियों के जुझारू नेता सुखराम नागेश –अग्रदूत रायपुर स्वतंत्रता दिवस विशेषांक १५–८–१९८४ पृ. ८

४०. सोनी शिव गोविंद से राम गोपाल शर्मा द्वारा लिए गए साक्षात्कार दिनांक ५–२–१९७८ के अंशो के आधार पर।

४१. हितवाद– नागपुर १२ अगस्त १९४२

४२. फ्रीडम मूवमेंट इन धमतरी तहसील फाईल नं. आर– . ५/३
४३. शुक्ला अशोक पूर्वदत्त पृ. १६१–६२
४४. फाईल नं. आर. ५/३ फ्रीडम मूवमेंट इन धमतरी एंड महासमुंद तहसील पृ.१,३
४५. नीरव जय शंकर –शांत मूत्रि यति जी पृ. १४,१५,३५
४६. सविनय अवज्ञा आंदोलन १६३० फाईल न. १८७
४७. प्रगति पथ पर म. प्र. छत्तीसगढ़ विशेषांक खंड – १ पृ. १४२
४८. गुप्ता लखन लाल –स्वतंत्रता सेनानी– साक्षात्कार दिनांक –२४–७–१६६४
४६. डिस्ट्रिक्ट कलेंडर पृ. ६३, ६४
५०. वही
५१. वही
५२. फाईल संख्या ५/३ फ्रीडम मूवमेंट इन महासमुंद तहसील पृ. ३६१
५३. म. प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक खंड ३ भोपाल १६८४
५४. द टाईम्स १५ जूलाई एवं द टाईम्स १० अगस्त १६४२
५५. होम पालिटिकल फाईल १८–१–१६४४ पाक्षिक रिपोर्ट जनवरी १६४४ का प्रथम एवं द्वितीयपक्ष
५६. होमपालिटिकल फाईल १८–२–१६४५ रिपोर्ट फरवरी १६४५ का द्वितीय पक्ष ।
५७. होम पालिटिकल फाईल १८–५–१६४५ का प्रथम एवं द्वितीय पक्ष
५८. अग्रदूत दैनिक समाचार पत्र रायपुर दिनांक २–६–१६४५
५६. मिश्र द्वारका प्रसाद –पूर्वद्वत्त पृ.४७६
६०. सेंट्रल न्यूज एंड फीचर्स १६–७–१६६३ भोपाल पृ. ४

––––::::––––

04 रायपुर जिले में भूमिगत आंदोलन एवं आंदोलन के प्रणेता

भूमिगत आंदोलन का स्वरूप

१९४२ के आंदोलन के दौरान इस समय देश में दो प्रकार के कार्यक्रम चल रहे थे। पहला अहिंसा के सिद्धांतों की सीमा में रहते हुए यातायात साधनों को अव्यवस्थित करना, जिससे सरकारी व्यवस्था को इस प्रकार नष्ट कर दिया जाय, कि अत्याचारियों के लिए इनका दुरुपयोग असंभव हो जाय तथा सरकार के समस्त चिन्हों को विनिष्ट करना और दूसरा था प्रचार प्रदर्शन और अन्य कार्य जैसे लगान न देना तथा संगठन प्रथम भाग चुने हुए व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिये था और उन्हें वह काम चुन लेना चाहिये था, जो वे कर सकते है। इसके लिये अनुभवी और हुनरमंद व्यक्तियों की आवश्यकता थी और इस के लिए केवल ऐसे ही व्यक्ति चुनने थे जो गुप्त रूप से इसे चला सकें।

यह काम टेढी खीर था जबकि सरकारी दमन निरंतर जारी था ऐसे में छिपकर ही कार्य परिणित हो सकता था। इधर ९ अगस्त को गांधी जी एवं वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी तथा कांग्रेस जनों की धरपकड़ के साथ ही प्रारंभिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भीड़ द्वारा उपद्रव, सामूहिक बलवे, अग्निकांड, हत्याओं एवं उत्तेजनाओं का सिलसिला निरंतर बढ़ रहा था, गिरफ्तारियों से जेल ठसाठस मर चुकी थी, आगे भी गिरफ्तारियां जारी थी। ऐसे हालात में अगर नेतृत्वकर्ताओं के साथ–साथ सामान्य जन और कार्यकर्ता दोनों ही जेल में ठूंस दिये जाते तो क्या आंदोलन आगे बढ़ पाता? फलतः यह विचार कर दमन से बचने का एक ही तरीका सामने आया जो था भूमिगत आंदोलन। अतः यह तय किया गया कि अब अंग्रेजो की नजर से बचकर कार्य किया जाय एवं जहां तक हो सके गिरफ्तारियों को टालकर गुप्त रूप से कार्य किया जाय। जैसे–जैसे उत्तेजना बढ़ने लगी और गिरफ्तारियों का क्रम तेज हो गया बचे हुए समस्त नेता तत्काल

भूमिगत हो गये और आंदोलन का संचालन गुप्त रूप से करने लगे। कांग्रेस के जो नेता भूमिगत हुए थे, उनमें डॉ. राममनोहर लोहिया, रामानंद मिश्रा, मेहर अली, अयुत पटवर्धन, जयप्रकाशनारायण, सुचेता कृपलानी और सादिक अली प्रमुख थे। सादिक अली कांग्रेस में भूमिगत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव थे।

इन नेताओं ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के रूप में स्वयं को स्थापित किया। इस कमेटी का मुख्यालय केथेड्रल स्ट्रीट बंबई के एक भवन में था। इसके अतिरिक इन नेताओं ने अपना एक अलग निर्देशनालय भी स्थापित किया था। ये दोनों संस्थाएं परस्पर सहयोग से कार्य करती थी। केन्द्रीय निर्देशालय प्रमुख संस्था थी जो समूचे देश में क्रांतिकारी और भूमिगत आंदोलन का संचालन करती थी।3

इनके कार्यों पर विचार करने के पूर्व यह जान लेना अत्याधिक आवश्यक है कि तोड़फोड़ और आगजनी के कार्यों के कारण इसे हिंसात्मक कार्य कहा जाने लगा था। चूंकि आंदोलन गांधी जी के द्वारा संचालित था, एवं कार्यक्रम की कोई निश्चित योजना नहीं थी और स्वयं व्यक्ति अपने आप में अपना नेता है यह मान लेने के कारण गांधी जी द्वारा कहे गये वाक्यों की हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में अलग–अलग अर्थ लगाये जाने लगे। विचारणीय है गांधी जी के ये कथन –'यदि एक मनुष्य तलवार लेकर अकेला सशक्त डाकुओं के दल का सामना कर रहा है, तो मैं कहूंगा कि यह हिंसात्मक रीति से लड़ रहा है, ठीक इसी प्रकार अगर कोई महिला अपने सतीत्व की रक्षा के लिये यदि अपने नाखूनों, दांतो और यहां तक कि कटार का प्रयोग करती है तो मैं इसे अहिंसात्मक समझूंगा। इसी प्रकार अगर एक चूहा बिल्ली से मुकाबला अपने पैने दांतों से कर रहा है तो क्या चूहा हिंसात्मक कहलाएगा ?

ईंट का जवाब पत्थर से शायद यही परिभाषा समझी जाने लगी थी, भूमिगत आंदोलनकी। जहां तक आन्दोलन के कार्यों का प्रश्न है, अखिल भारतीय कमेटी को केन्द्रीय निर्देशालय की ओर से आवश्यक सूचनाए दी

जाती थी, जो भूमिगत आंदोलनकर्ताओं का मार्गदर्शन करती थी और इसी के आधार पर संबंधित साहित्य तैयार करके इसकी सयक्लोस्टाइल प्रतियाँ प्रांतों में कार्यरत प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों में भेजी जाती थी जहां से इनकार होता था।

इस प्रकार से प्रतियां तथा अन्य सामग्रियांजिले से शहरों और शहरों से गांवों तक भेजी जाती थी और जनता को आगे के कार्यों से अवगत कराया जाता था। सरकारी सूचना के अनुसार इन दलों ने विभिन्न प्रान्तों में क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए निर्देशक नियुक्त कर दिये थे। अशोक मेहता को बंबई प्रांत में, रामानंद मिश्र को बिहार में, केशवदेव मालवीय को उत्तरप्रदेश में और मगन लाल बागड़ी को मध्याप्रांत में निर्देशक नियुक्त किया गया था।

इन निर्देशालयों की जारी विज्ञप्ति के अनुसार गुलामी के प्रतीक प्रत्येक शहरों तथा गांवों को जोड़ने वाले रेलमार्ग, सड़के, टेलीफोन, तार लाइनों को भंग करना आवश्यक था, साधन नष्ट किये बिना स्वाधीनता असंभव थी। किसी भी प्रकार की हिचकिचाहट न बरतने का आव्हान किया गया था।

इनके द्वारा भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना भी की गयी थी। राममनोहर लोहिया और छायाभाई की छत पर इसका प्रसारण केंद्र बना ३ सितंबर को रात्रि ८ बजकर ४५ मिनट पर इस केंद्र का पहला प्रसारण हुआ जो १२ नवंबर तक चला इसका उपयोग मुख्यतः भूमिगत आंदोलन के संबंध में क्रांतिकारियों को समय–समय पर निर्देश देना था। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थांतरित किया जाता था। पुलिस ने १२ नवंबर को पारेख बाड़ी स्थित केंद्र पर छापा मारकर, प्रसारण मशीनों के अतिरिक्त १२० ग्रामोफोन रिकार्डस्, २२ बक्से फोटो वाक फिल्में बरामद की।

भूमिगत आंदोलन उस समय और सक्रिय हो गया जब कांग्रेस समाजवादी दल के महासचिव अन्य ५ साथियों के साथ ९ नवंबर को हजारी बाग जेल से भाग निकले। इस समय जयप्रकाश नारायण ने

आंदोलन को संगठित करने का कार्य किया। इस समय विद्यार्थियों के नाम निकाली गयी एक अपील के कुछ भाग दिलचस्प हैः

'हमारे सामने अधिक समय नहीं है अतः हमें एक क्षण भी नहीं गवाना है। हमें अपनेसाहित्य को छापना और बाँटना है। अपना संपर्क और यातायात बनाये रखना है। हमें राष्ट्रीय सेना भरती करनी है। उसे शिक्षित करना है और शत्रु के विरुद्ध वर्तमान झड़पें और मुठभेड़ जारी रखना है। इसी बीच २३ नवंबर के बंबई कांग्रेस बुलेटिन के एक संस्मरण में एक नयी बात यह भी छपी, कि डाक खाने के समस्त सेविंग बैंक से रुपया निकाल लेना चाहिये तथा उन जहाज घाटों पर हमला करना, जिससे ब्रिटिश सेनाए चढ़ती और उतरती थी। एक पर्चे में तो यह भी कहा गया कि 'भारत पाश्विक ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध लड़ रहा है जापान के विरुद्ध नहीं।

अर्थात् आंदोलन बेहद सक्रिय हो चुका था। डाकतार, टेलीफोन, रेल्वे लाइनों को तोड़ने आवागमन अवरुद्ध करने और पर्चे बांटने का काम घड़ल्ले से शुरु हो चुका था। केन्द्रीय निर्देशालय की जारी एक अन्य विज्ञप्ति के अनुसार लोगो को हड़ताले करने का आव्हान किया गया था। पुलिस तथा सेना के अत्याचारों के विरुद्ध मोहल्ला तथा ग्रामीण समितियां गठित करने के निर्देश दिये गये थे।

बंबई के केरल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के लिये १२ अगस्त को भेजे गये गुप्त निर्देशों में यह भी सम्मिलित था–'महत्वपूर्ण इमारतो, दफ्तरों, डाकघरों, सरकारी इमारतों, रेल आदि में आग लगा दो, इमारते गिराओ, परचे बांटो, पत्थर रखकर रेलगाड़ियां उलट दो, सब दुकाने बंद कर दो, गमनागमन में बाधाएं डालो। इन निर्देशों का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया। इस संबंध में गांधी जी की व्यक्तिगत राय थी– 'अहिंसात्मक ढंग से जान को खतरा पहुचाये बिना यातायात की व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने की अनुमति दी जा सकती है। हड़ताले गठित करना सबसे अच्छा उपाय है। इस संघर्ष में रेल लाइने उखाड़ने और छोटे पुलों को नष्ट करने पर कोई आपत्ति नहीं है पर शर्त यह है कि जीवन रक्षा के लिये

पर्याप्त सावधानी से काम लिया जाय।

केन्द्रीय निर्देशालय के सदस्य प्रारंभ से ही ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार थे। अपना ही अधिकार लेने में प्रतीक्षा कैसी? सरकार के विरुद्ध हिंसक कार्यवाही किये बिना बात नहीं बन सकती थी।

५.२ रायपुर जिले में भूमिगत आंदोलन एवं जन नेताओं का प्रयास

भूमिगत आंदोलन की गतिविधियों की जानकारी जिले से शहर और गांव तक वितरित की जा चुकी थी। इंतजार–इंतजार से जनता थक चुकी थी और हर संभव प्रयत्न कर मंजिल तक पहुंचना चाहती थी।

विशेषतः नवयुवक वर्ग इसमें विशेष रूप से सक्रिय था। इस बड़े वर्ग के साथ–साथ फावर्ड ब्लाक, प्रान्तीय किसान सभा के साथ–साथ हिन्दुस्तानी लाल सेना का भी इन्हें समर्थन प्राप्त था। हिन्दुस्तानी लाल सेना एक क्रान्तिकारी संगठन था जिसे मध्यप्रांत के मदनलाल बागड़ी ने संगठित किया था। १६४२ के बाद भी इस संगठन ने देश की छुटपुट घटनाओं से स्वयं को संबंधित रखा जिसके कारण ब्रिटिश सरकार जनता को अपने पक्ष में न कर सकी।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन दलों ने प्रारंभ से ही सरकार के विरुद्ध भूमिगत आंदोलन चलाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। मध्यप्रांत में विशेष रूप से इन संस्थाओं ने ऐसे आंदोलन का संचालन किया। भारत छोड़ो आंदोलन के पहले ही जुलाई १६४२ में नागपुर कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस समाजवादी दल, हिन्दुस्तानी लाल सेना के नेताओं ने मिलकर एक समिति बनायी जो विद्यार्थियों के साथ–साथ नवयुवकों और मजदूरों को भी आंदोलन के लिए प्रशिक्षित करती थी।

राष्ट्रीय स्तर पर तो आंदोलन सक्रिय था ही, साथ–साथ छोटे–छोटे क्षेत्र भी प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। जबलपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा जिले में हिन्दुस्तानी लालसेना के कारण मध्यप्रांत के रायपुर जिले में इसका

पुरजोर असर था।

मार्च १६४२ में सृष्किर मुखर्जी नामक व्यक्ति डॉ. सूर के क्लिनिक में आये परसराम सोनी जी भी उसी समय दवाखाने में प्रविष्ट हुए डॉ. दादा ने उनका परिचय कराया, तब सोनी जी को जबलपुर आने का निमंत्रण सृष्टिकर से मिला। वहां उन्होंने लालजी नामक व्यक्ति को रायपुर भेजा और एक निश्चित तिथि बता दी कि हम उस दिन जबलपुर आयेंगे। अप्रेल १६४२ में परसराम सोनी जी बिनाकिसी को बताए जबलपुर रवाना हो गये और एक तांगे से गंजीपुरा सृष्टिकर के निवास स्थान पहुंचे। वहां से लौटकर वे महासमुंद आये और एक कांग्रेस खेदूलाल से मिलकर एक दल स्थापित किया। इन्हीं दिनों वे देवीकांत झा और कृष्णालाल थीटे से भी मिले। इसी कड़ी में से हिन्दुस्तानी लाल सेना के कमाण्डर श्री गोपाल यदु के संपर्क में आये।

शीघ्र ही रायपुर में बम बनाने का कार्य प्रारंभ हो गया। परसराम जी ने मंगल मिस्त्री और गिरिलाल से पिस्तौल बनाना सीख लिया था फलतः बम का विस्फोट परीक्षण करने के लिये नगर के बाहर एकान्त स्थानों में वे जाने लगे। पुलिस को क्रान्तिकारी गतिविधियों की सूचना मिली औरजिसके आधार पर १५ जुलाई को परसराम सोनी जी पिस्तौल सहित गिरफ्तार कर लिये गये। सोनी जी के साथी सुधीर मुखर्जी, होरीलाल, देवीकान्त झा, सुरबंधु तथा क्रांतिकुमार भारतीय और गिरिलाल जी गिरफ्तार कर लिये गये।

गिरिलाल बहुत ही कुशल कारीगर थे, उनकी शारीरिक बनावट व उनकी कारीगरी देखकर लोगों को आश्चर्य होता था कि नब्बे पौंड का यह आदमी इतनी कुशलता से कैसे कार्य करताहै। स्वयं केरावाला एक बार उन्हें देखकर हँस पड़े थे कि यह पिस्तौले बनाता है। जब केरावाला ने रिवाल्वर के गुण दोषों के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 'इट इज ए डिफेक्टलेस आर्म' अर्थात् यह त्रुटिविहिन हथियार है।१६

क्रांतिकारियों की गिरफ्तारी के बाद इंडियन पेनल कोड की धाराओं

के तहत इन पर मुकदमे चलाये गये। अप्रेल १९४३ में सुधीर मुखर्जी, बी. एन. सुर, सीताराम शर्मा को हाईकोर्ट से निर्दोष बरी कर दिया गया। परन्तु परसराम सोनी, क्रान्तिकुमार भारतीय, दशरथ चौबे, देवीकांतझा, गिरिलाल एवम् मंगल मिस्त्री को छः माह से लेकर पांच वर्ष तक के कारावास का दंड दिया गया।

इन घटनाओं से रायपुर में अनेक स्थों पर तोड़फोड़ प्रारंभ हो गयी। यहां एक उल्लेखनीय है कि जयप्रकाश नारायण के जेल से फरार हो जाने की घटना ने उन्हें आंदोलकारियों काप्रेरणा स्त्रोत बना दिया, किन्तु साधन और कार्यों से जो सबसे अधिक प्रभावित थे, वे थे नवयुवक।

रायपुर नगर की भूमिगत गतिविधियों की सूचनाएं बताती है कि प्रदेश में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लिखा या छपा हुआ कोई भी दस्तावेज तुरंत जब्त कर लिया जाता था एवं उसका प्रकाशन बंद हो जाता था। अतः भूमिगत रहकर अपनी गतिविधियों की जानकारी कस्बों से गांवों तक भेजने का असरदार तरीका पचों का गुपचुप वितरण था।

अतः नगर के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह के मार्गदर्शन में पर्चो को साइक्लोस्टाइल करने और बांटने का कार्य तीव्र गति से चलने लगा। प्यारेलाल जी ने उन्हीं दिनों अपील नामक बुलेटिन का प्रारूप तैयार किया था जिसमें गांधी जी के भाषण करो या मरो का संदेश भी था। हजारों की संख्या में इस बुलेटिन की साइक्लोस्टाइल प्रतियां देश भर के कोने–कोने में वितरित की जाती थी। वितरण की इस अचूक व्यवस्था से शासन हतप्रभ था। इस प्रकार के पर्चे तैयार करने वालों में श्रीधरलाल अग्रवाल, ठाकुर ज्ञानसिंह, (जिनके यहाँ साइक्लोस्टाइल मशीन थी) आदि थे। इनके सहायकों में शिवरतनपुरी (खट्टी), ताराचंद साहू (खिसोरा) रामलाल, गिरधारीलाल तिवारी (धमतरी) आदि भी थे जो गांवों में इनें पर्चो का वितरण करने में सहायता करते थे।

पर्चों का विषय होता था पुलिस तथा सैनिक देशभक्तों का साथ दें। व्यापारियों से अपील की जाती थी कि वे आंदोलनकारियों की धन से मदद

करें। छात्रों से अपील की जाती थी कि वे शिक्षा स्थगित कर आंदोलन में सक्रिय हों।

एक बार ठाकुर ज्ञानसिंह झोले में पर्चे लेकर आ रहे थे कि पुलिस उनके पीछे पड़ गयी। ज्ञानसिंह टूरी हटरी में गये और सब्जी खरीदने लगे। यदि उसी समय उनकी तलाशी ली जाती तो वे रंगे हाथों पकड़े जाते। किन्तु ऐसा नहीं हुआ और कुछ देर बाद ज्ञानसिंह जी मंदिर में आये।

एक बार पुलिस मनोहरलाल श्रीवास्तव जी को गिरफ्तार करने मंदिर में घुसी उसी समय वे कमरे में छिप गये जहां तीन औरतें भी थी। पुलिस को देखकर उनको कुछ न सूझा तो उन्होंनेवहां पर पड़ा एक कपड़ा उठाकर साड़ी की तरह लपेट लिया। पुलिस ने झांककर देखा तो उन्हें सभीऔरतें दिखी और इस तरह उन्होंने पुलिस की आंखों में धूल झोंकी।

काकेश्वर लुहार, कोटूराम, राजेन्द्रलाल पाठक हाईस्कूल के छात्र थे, जो विश्वसनीय सहयोग करते थे। ठाकुर साहब द्वारा पर्चो का मजमून बनाया जाता और ये छात्र उन्हें वितरित करते थे।

मोतीलाल त्रिपाठी भी इन्हीं दिनों नरसिंहपुर में भूमिगत गतिविधियों में संलग्र हो गये। थे। पुलिस को भनक लग चुकी थी फलतः उन्होंने नरसिंहपुर खादी भंड़ार की तलाशी ली और उनकी पेटी, कागजात सभी कुछ जब्त कर लिया। ३० सितंबर को मोती जी पर वारंट जारी कर दिया गया। अतः वे रायपुर आ गये और यहां शामिल होकर कार्य करने लगे।

महासमुंद के यति जी आश्रम में आरंग में लखनलाल गुप्ता जी पर्चों के वितरण की व्यवस्था करते थे। पर्चों में अंग्रेजो का विरोध कैसे करना, आंदोलन में कौन, कैसे और क्या कर सकता है तथा गांधी जी के संदेश की बातें रहती थी। पर्चों के बांटने या रखने के आरोप में अनेक लोग गिरफ्तार हुए, फिर भी फरवरी १९४३ तक पर्चे निकलते रहे और बंटते रहे।

नेतृत्वकर्ताओं की गिरफ्तारियों ने नवयुवकों को और भी उकसाया। २३ अगस्त १९४२ को रायपुर–राजिम रेल्वे लाइन को उपद्रवियों ने

क्षतिग्रस्त कर दिया। २६ अगस्त को रायपुर में एडवर्ड सप्तम के पुतले को विद्यार्थियों ने क्षतिग्रस्त करके उस पर तारकोल लगा दिया। ३० अगस्त को रायपुर– विशाखापट्टनम् रेललाइन को तोड़ दिया गया।

अब तो जैसे आंदोलन विद्यार्थियों के हाथों में ही केंद्रित हो गया, कहना गलत न होगा। अपनी बात दूसरों तक बिना शासन को आगाह किए पहुंचाने का एक मात्र उपाय, अब पर्चे बांटना ही रह गया था। इसलिए भूमिसात लोगो ने इसे अपना परम कर्तव्य मानकर करना शुरू कर दिया था।

कांग्रेस के समाचार पत्र, पोस्टर्स इत्यादि २८ अगस्त के बाद रायपुर जिले के सभी स्थानों में बांटे गये। इसी कड़ी में पुलिस ने लगभग ग्यारह लोगो को इसी दिन गिरफ्तार किया जिसमें चार महिलाएं भी थी। ५ सितंबर को पुलिस ने २ लड़को को पोस्टर बनाते हुए पकड़ा। रायपुर से तो लगभग ३७८ लोग इस आंदोलन के संबंध में गिरफ्तार किये गये १८ सितंबर को पुलिस मुंगेली के देवदत्त नामक व्यक्ति को बिलासपुर में पर्चे बांटते हुए पकड़ा। इसी संदर्भ में बिलासपुर से भ्रमर गुप्ता, शिलदुलारे मिश्र के घरों की तलाशी भी ली गयी और भारी मात्रा में पर्चे बरामद किये। १२ सितंबर को अकलतरा में ३ व्यक्ति पर्चे बांटते हुए गिरफ्तार किये गये।

सितंबर १९४२ में सुभाषचंद्र बोस जी का एक लंबा भाषण जर्मनी के रेडियो से प्रसारित हुआ। जिसमें भारतवासियों को प्रोत्साहित करते हुए कहाः भारतीय नेताओं की गिरफ्तारी से निराश होने की जरुरत नहीं है। नेताओं का त्याग पूरे देश के लिये प्रेरणा स्त्रोत बनेगा। उन्होंने आंदोलन के दो उद्देश्य बताये। युद्धोपयोगी सामग्री का ध्वंस तथा ब्रितानी शासन को पंगु बनाने की सिफारिश की तथा उनकी प्राप्ति के लिए एक बीस सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसमें गुरिल्ला युद्ध संचालित करना, गो बैक जान बुल के नारो के साथ–साथ अंग्रेज अधिकारियों को तंग करना आदि था। क्यू आई (क्विट इंडिया) इन दो अक्षरों को ट्राम, कारों, दीवारो, वृक्षो पर ही नहीं, जानवरों की पीठ पर भी लिखा जाने लगा।

परचों के भारी वितरण तथा प्रचार सामग्रियों को देखते हुए सरकार ने मध्यप्रांत में सितंबर माह में भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत जिला पुलिस अधीक्षकों को सेंसर अधिकारियों के रूप में नियुक्ति कर दी। चूंकि अधिकांश परचे डाकखाने के माध्यम से भी वितरित किए जाते थे इसलिए पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार के डाकखाने जब्त करने के अधिकार दिये गये।

रायपुर के कांग्रेस भवन में ताला लगा दिया गया। ताला लगाने के पूर्व ही रेडियो से सूचना प्राप्त होते ही कांग्रेस भवन के रेकार्डस् हटाकर सुखनंदन गुप्ता के घर रखवा दिया। रेकार्डस् हटाते समय कन्हैयालाल शर्मा भी साथ थे। कांग्रेस भवन में यक्लॉस्टाइल की मशीन तथा टाइपराइटर भी था। अतः दोनों मशीने पहले ही छिपा दी गई। कांग्रेस भवन के कर्मचारी के रूप में अब केवल रामलाल चन्द्राकर जी ही बचे थे, फलतः उन्हें भी पकड़ पूछताछ की गई लेकिन काम की बात मालूम न होने पर उन्हें छोड़ दिया गया। दोनो मशीने गुप्त स्थान से हटा ली गई और मनोहरलाल श्रीवास्तव के आदेशानुसार दोनो मशीने ब्रह्मपुरी के विरंच मंदिर में छिपा दी गयी।

२६ जनवरी १९४३ को कांग्रेस भवन में झंडा फहराने का आदेश चंद्राकरजी को दिया। गया। आशाराम दुबे जी से मिलकर उन्होंने सीढ़ी की व्यवस्था की और रात भर कांग्रेस भवन के पास मंडराते रहे और प्रातः ४ बजे अवसर मिलते ही झंडा फहरा दिया। सुबह कांग्रेस भवन में झंडा लहराता देखकर कांग्रेस में तैनात सिपाहियों को हटा दिया गया और दूसरे सिपाही तैनात किये गये। इस घटना के बाद चन्द्राकर जी की तलाशी ली जाने लगी। ठाकुर साहब ने उन्हें बताया कि उनके नाम पर वारंट भी है। ठाकुर साहब के कहने पर उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी और बाहर रहकर काम करने लगे।

कुछ समय तक मशीनें निरंतर विरंचि मंदिर में रही लेकिन मनोहरलाल जी के गिरफ्तार होते ही मशीनें ज्ञानसिंह के घर में छिपाई

गयी। आंदोलनकारियों द्वारा फरार रहकर भी परचे बांटने काकाम गुप्त रुपेण चलता रहा।

अब तक उदयराम, बिसरुराम, रामचरण आदि भी गिरफ्तार किये जा चुके थे। उन्हें ६–६ माह की सजा भी हुई। ठाकुर साहब तो आंदोलन में इतने रम चुके थे कि उन्हें घर गृहस्थी की चिंता भी नहीं थी। वे अंत तक गिरफ्तारी से बचते रहे। खूबचंद बघेल और शंकर राव गनोदवाले की भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। डॉ. साहब के घर की दवाईयों की शीशियां तक नीलाम कर दी गई थी।

मशीनों और भारी मात्रा में परचों की जब्ती तथा नैतृत्वकर्ताओं की गिरफ्तारियां भी हौसले पस्त न कर सकी और १९४२ के बाद भी यह आंदोलन सक्रिय रहा जिसमें मध्यप्रांत की हिन्दूस्तानी लाल सेना ने सक्रिय भूमिका निभाई।

भूमिगत आंदोलन के प्रणेता

आंदोलन के अंतर्गत यद्यपि अधिकांश जननेताओं, विद्यार्थियों एवं मजदूरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किन्तु स्पष्ट प्रमाण न होने की स्थिति में अधिकांश सक्रिय भागीदार नेतृत्वक्ताओं की धूमिल छवि भी प्राप्त नहीं है।

जब लड़ाई का मैदान इतना व्यापक था जिसे मीलो वर्णित न किया जा सके तब लड़ाई में हिस्सा लेने वाले बहादूरों के नाम भी नहीं गिनाए जा सकते। ऐसे स्वाभिमानी देशमकों के नतो स्मारक है और न ही उनके नामों का कहीं उल्लेख मिलता है। सबसे पहले हम उनकी ही स्मृति में नतमस्तक है किन्तु जिनके संबंध में कुछ जानकारियां प्राप्त है उन सभी का वर्णन करना असंभव है कुछ महानुभावों के संबंध में तुच्छ जानकारियां प्रस्तुत हैः

श्री ठाकुर प्यारेलाल सिंह

राजनांदगांव तहसील में पैहान नामक ग्राम में दिनांक २१ दिसंबर

१८९१ में जन्मे ठाकुर प्यारेलाल सिंह भूमिगत नेताओं में सर्वोपरि है। १५ वर्ष की आयु में ही वे राजनीति में कूद पड़े। विद्यार्थियों द्वारा जुलूस निकालना तथा वन्दे मातरम् के नारे लगाना उनका कार्य था। ठाकुर साहब ने पं. वामन बालीराव लाखे के निवास स्थान पर गोखले जी के नेतृत्व में स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है' इस संदेश की रुपरेखा तैयार की। १९४२ के महान क्रांतिकारी आंदोलन में जिले के नवयुवकों को संगठित कर अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया। उन्होंने युवा क्रांतिकारियों को फांसी से मुक्त कराने का सराहनीय कार्य भी किया। भूमिगत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अंग्रेजी सरकार विरोधी प्रचार–प्रसार करने, परचे छापने और वितरित करने के महत्वपूर्ण कार्य को संभव करना भी ठाकुर साहब के कारण ही हो पाया।

अत्याचारी अंग्रेजी दमन के सामने टिक पाना सबके लिये संभव न था जब तक कि उचित मार्गदर्शन न हो व्यक्ति सही दिशा का अभाव महसूस करता है। अपने उचित मार्गदर्शन से कार्यकर्ताओं और युवा वर्ग को सही राह दिखाने के लिए हम ठाकुर साहब के आजीवन चिरऋणी रहेंगे।

२० अक्टूबर १९५४ को संघर्षरत लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का निधन हो गया।

श्री यतियतन लाल

यति जी का जन्म १८६४ तथा शिक्षा जैन मंदिर रायपुर में हुई। कांग्रेस को उन्होंने धर्म की तरह स्वीकार कर लिया था, क्योंकि स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने वाली कॉंग्रेस देश में महत्वपूर्ण संस्था थी और महात्मा गाँधी के नेतृत्व में यह जनसेवा और त्याग का पर्याय समझी जाने लगी। राजनीतिक आंदोलन के अन्तर्गत जहां तक भागीदारी का प्रश्न है उन्होंने सभी में सक्रिय योगदान दिया फिर चाहे वह शराब दुकानों की पिकेटिंग हो, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आंदोलन हो, अहिंसा का सतत अभियान हो या १९४२ के तहत पर्चे वितरित करने का।

रायपुर यद्यपि मुख्य केन्द्र था किंतु रायपुर के आस–पास के क्षेत्रों में अर्थात् शहर से गावो तक पर्चा के प्रचार प्रसार का श्रेय यति जी को जाता है जिन्होंने महासमुंद और उसके आस–पास के क्षेत्रों में पर्चों द्वारा गांव की जनता को आंदोलन की गतिविधियों से अवगत कराया। निस्वार्थ भावना से पूर्ण थे यति जी। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हें पेंशन लेने के लिए कहा गया तो उन्होंने इंकार कर दिया। अभिनंदन समारोह की भी उन्होंने स्वीकृति नहीं दी और देते भी कैसे? आखिर इस संघर्ष का कोई वीतराग व्यक्तित्व मूल्य ले सकता है भला। महासमुंद में आज भी आपका आश्रम विद्यमान है। १९७७ में यति जी दिवंगत हो गए।

परसराम सोनी

स्वतंत्रता आन्दोलन के अर्न्तगत १९४२ की सक्रिय भागीदारी में परसराम सोनी जी का नाम शायद ही कोई विस्मृत कर पाए। जिन दिनों जनता बड़े–बड़े आन्दोलनों का उचित फल प्राप्त न कर पाने के कारण ऊब चुकी थी। सोनी ने सशस्त्र क्रान्ति कर जनता को ईंट का जवाब पत्थर से देने की एक नई राह दिखाई। बम बनाने के कुशल कारीगर सोनी जी का जन्म ३ अगस्त १९२० को रायपुर के कंकाली पारा वार्ड में हुआ था। मनमोहन सिंह, सुधीर मुखर्जी और सूर बंधु उनके सह पाठी थे। सोनी जी की प्रारंभ से ही रसायन में रुचि थी। १९३९ में उनकी भेंट क्रान्तिकारी कवि कुंज बिहारी चौबे से हुई। इस समय तक देश के युवकों में बलिदान की भावना जागृत हो चुकी थी। उन दिनोंजबकि अंग्रेजी अत्याचार के कारण हर पल जान का खतरा बना रहता था ऐसे में इस प्रकार का खतरनाक कदम कितना घातक हो सकता है सोनी जी भली भांति जानते थे किन्तु जान की परवाह मला आजादी के परवाने कब करने वाले थे।

सोनी जी ने १९३० में अमीनपारा स्कूल में राष्ट्रीय झंडा फहराकर राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति पहले ही दे दी थी। बाद में उन्होंने रिवाल्वर और बम बनाने की कला सीखी और एकान्त में प्रयोग भी किया, जिसका फल रायपुर षडयंत्र केस के रूप में सामने आया और वे गिरफ्तार कर लिए गए। अगर उनके सहयोगी शिवनंदन की मुखबिरी न हुई होती तो

आज इतिहास ही दूसरा होता और रायपुर षड़यंत्र केस जैसी घटना स्वर्णाक्षरों से इतिहास में अंकित होती। किन्तु सोनी जी कहते हैं कि हर व्यक्ति संसार में सफल नहीं होता असफलता ही सफलता का महत्व बताती है पर कर्म करना हमारा कर्तव्य है हमें सदैव कर्म करना चाहिए चाहे सफल हो या असफल।

श्री जयनारायण पाण्डे

१९४२ के आन्दोलन में जयनारायण पाण्डेय जी की सक्रिय भागीदारी थी। जेल की दीवारों में डायनामाइट लगाने जैसे साहसपूर्ण कार्य से भला कौन अनभिज्ञ होगा। विलखनारायण अग्रवाल जी द्वारा जबलपुर से लाए गए बम के लिए प्रश्न यह था कि इसे कहां और कैसे उपयोग में लाया जाय। भूमिगत आन्दोलन के दौरान जबकि पर्चे बांटने पर भी प्रतिबंध था तो भला बम का उपयोग कैसे संभव हो सकता था। इसकी सजा तो शायद मौत ही हो सकती थी। किन्तु अंग्रेजी अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब तो देना ही था। फलतः यह तय किया गया कि क्यों न इस बम का प्रयोग रायपुर जेल की दीवार तोड़ने में किया जाये और कैदियों को छुड़ाया जाये अतः यह दायित्व जयनारायण पाण्डे जी को दिया गया जिन्होंने अपनी जान की परवाह किये बिना सहर्ष तैयार होकर यह कार्य कर दिखाया यद्यपि यह प्रयोग पूर्णतः सफल नहीं हुआ किन्तु अंग्रेज सरकार की नींद हराम अवश्य हो गई।

सरकार ने इसे बेहद गंभीरता से लिया क्योंकि घटना की पुनरावृत्ति न हो यही सरकार चाहती थी अतः बेइंतहा की खोजबीन की गई और शक के आधार पर पाण्डेय जी को गिरफ्तार कर लिया गया। तरह तरह से पूछताछ करने के बाद जयनारायण जी ने मुंह न खोला और सरकार अंततः असफल रही ।

श्री निखिल भूषण सूर

श्री निखिल भूषण सूर रायपुर नगर के महत्वपूर्ण सेनानियों में से एक है। १९३८ में वे कांग्रेस पार्टी से जुड़े इस समय उनकी उम्र लगभग

२०–२२ वर्ष की रही होगी। नौजवानी का उत्साह और मित्रों की प्रेरणा उनके साथ थी, फलतः वे आन्दोलन रत हो गए और अंग्रेजी हकूमत से जल्द से जल्द पीछा छुड़ाने के लिए प्रयासरत् रायपुर षड़यंत्र केस से जुड़े।

उन्होंने साक्षात्कार के तहत इस केस के संबंध में बताते हुए कहा कि हमारे साथियों में सोनीजी के अलावा, सुधीर मुखर्जी, बी. एन. मुखर्जी, देवीकांत झा और कांतिकुमार चौबे ब्रदर्स आदि लोग थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयासों में यह एक विफल किन्तु महत्वपूर्ण कदम था। जेल यात्रा के संबंध में उन्होंने बताया कि पहले मुझे गुनाहखाना में रखा गया। लेकिन बाद में कामन रूम में ले गए और अन्य कैदियों के साथ रखा गया। जेल से रिहा होने के बाद भी संघर्ष जारी रहा किन्तु धीरे धीरे हमारे ही दल के लोग अलग अलग पार्टियां बनाने लगे। लोग बंट गए। अंग्रेजी हकूमत ने स्वार्थ को बढ़ावा दिया। हर पार्टी स्वार्थवश अपने ही लोगों की संख्या बढ़ाने में लग गई संघर्ष गौण हो गया।

आजकल पेंशन के रुप में मुझे हजार रुपये मासिक प्राप्त होते हैं। रायपुर के जयस्तंभ चौक के पास आज भी धुधली आंखो वाले ये वृध्द सेनानी चश्मे की दुकान लगाकर लोगों को नई राह दिखाने में संघर्षरत है ही किन्तु आजादी के बाद की दशा देखकर दुखी भी है।31

श्री मोती लाल त्रिपाठी

त्रिपाठी जी मूल जिला चांदा से मध्यप्रदेश चर्खा संघ महाराष्ट्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर २७ जुलाई १९४२ को नरसिंहपुर खादी भंडार में नियुक्त हुए। यहां वे लाल मणि तिवारी और बिलखनारायण अग्रवाल से मिलें।

त्रिपाठी जी ने बताया कि जब मैं रायपुर आया भूमिगत आंदोलन चल रहा था मैं भीइसमें शामिल हो गया। मेरे नरसिंहपुर खादी भंडार की तलाशी हुई मेरी पेटी और कागजात जब्त हो गए। ३० सितम्बर को मेरे उपर वारंट निकल चुका था। मैं रायपुर में सक्रिय हो गया यहां ठाकुर प्यारे लाल जी 179 से मेरा संपर्क हुआ। ठाकुर साहब पर्चो का प्रारूप

तैयार करते थे वह प्रारूप ठाकुर ज्ञानसिंह अग्रिवंशी को देते थे। राम लाल चंद्रकार के साथ किले वाले मंदिर में रात १२ बजे तक साइक्लोस्टाइल की जाती थी। कॉंग्रेस भवन में भी अंग्रेजी शासन द्वारा ताला लगा दिया गया। लेकिन ताला लगने के पूर्व ही कॉंग्रेस भवन से रिकार्डस हटा दिए गए। त्रिपाठी जी कहते है कि हम लोग उन दिनों बेहद चौकन्ने थे जिस शीघ्रता से हमारे कार्यों की भनक अंग्रेज सरकार को चलती थी हम उनसे भी शीघ्र रफुचक्कर हो जाया करते थे और ऐसा लगता था उन गतिविधियों के स्थान पर कुछ देर पहले कोई था भी या नहीं। इतनी शीघ्रता और चौकन्नापन नौजवानों से ही संभव हो सकता था अंग्रेजों के साथ लुका छिपी हम लोगों से ही संभव थी। हमारा नारा थाः

'सुलग चुकी है आग जिगर में इसे बुझाना मुश्किल है।

श्री सुखराम नागे

स्वाधीनता संग्राम के कतिपय प्रमुख सेनानियों में एक महत्वपूर्ण नाम सुखराम नागे का भी है आज हमें इनके विषय में बहुत कम जानकारी प्राप्त है यह हमारी लिए बेहद शर्म और दुख की बात है। न तो हमें उनकी जन्म तिथि मालूम है न हि मृत्यु तिथि के बारे में कोई जानकारी प्राप्त है। आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्षरत इस नेता के संबंध में शायद ही कभी किसी ने दो शब्द लिखे हों।

डॉ. राम मनोहर लोहिया ने दिनांक २४–४–६६ को अपने एक लेख में लिखा था 'रायपुर जिले के सुखराम नागे की हत्या पुलिस हवालात में की गई।' सुखराम नागे के पिता का नाम धरमु था आदिवासी क्षेत्र के निवासी होने के कारण उनके शिक्षित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। २३ वर्ष की आयु में नागे जी स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े अक्टूबर १६३० में उन्होंने रुद्री (नवागढ़) जगल सत्याग्रह में पहली बार वे गिरफ्तार हुए और १६३२ में उनके आंदोलन का क्षेत्र रायपुर बन गया। १६४२में उन्होंने भूमिगत आंदोलन जारी रखा और जंगल–जंगल आजादी का अलग जगाते रहे और अंत तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। स्वाधीनता संघर्ष

के दौरान पांच बार जल जा चुके नागे जी खरे सोने की भांति तप चुके थे, जिन अधिकारों के लिए उन्होंने संघर्ष किया था, आजादी के बाद भी व अधिकार आदिवासियों को न मिल पाये।

श्री मोहन लाल पाण्डे

छत्तीसगढ़ के प्रथम स्कूल हिन्दू हाई स्कूल के भूतपूर्व अध्यापक एवं भूमिगत आंदोलन के कार्यकत्ताओं में एक महत्वपूर्ण नाम मोहन लाल पाण्डे जी का भी है। १९४२ की गतिविधियों के संबंध में उन्होंने बताया कि इन दिनों द्वितीय विश्व युद्ध जल रहा था फलतः एक वॉर कमेटी बनी इन दिनों डी. सी. थे मोने साहब जो सेकेट्रीयेट में थे। मैं भी वॉर कमेटी का सदस्य था। जिस दिन पर्चो की तलाशी के दौरान कॉंग्रेस भवन में ताला लगने वाला था, रामलाल चन्द्रकार मेरे घर आया और कहा मैं रात को ग्यारह बजे रिकार्डस लेकर आऊँगा। वह रात को १२ बजे आये हमने हिन्दू हाईस्कूल में रिकार्ड गढ्ढा खोदकर गाड़ दिया और उस पर मूली की फसल उगा दी।

बम काण्ड के संबंध में उन्होंने बताया कि बिलखनारायण अग्रवाल ने राव को बम मेरे घर पर रखवाया। बेवकूफी में समझ में न आया और में बम सिरहाने रखकर सो गया बम इसी तरह दो तीन दिन पड़ा रहा। इसके बाद रात को बारह बजे हम लोग हिन्दू हाईस्कूल पहुंचे और पेटी खाली करके जिसमें परीक्षा सामग्री थी, बम नीचे रख दिया और उपर परीक्षा सामग्री रख दी। आज भी उस दिन को याद करता हूं तो सिहर जाता हूं कि अगर पकड़ा जाता तो शायद सीधे गोली से उड़ा दिया जाता। लेकिन उन दिनों के जोश में जान की किसे परवाह थी।

श्री क्रांति कुमार

भारतीय महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी एवं नवजवानों के मसीहा माननीय क्रांति कुमार भारतीय नाम के अनुरूप ही थे क्रांति की ज्वाला उनके मन में हरसू विराजमान थी कमल नारायण शर्मा कहते है कि वह हमसे केवल ८ या १० वर्ष ही बड़े थे यानि २०–२२ वर्ष का वह नौजवान

हमारी प्रेरणा का स्रोत था। नौजवान क्या वह खौलता हुआ पानी था आग का अंगारा था। उसकी वाणी में विद्रोह और क्रांति की ज्वाला फूटती थी उनकी प्रेरणा से हम दिन भर झंडी बनाते शाम को जुलूस निकालते और नारे लगाने गांधी चौक तक जाते। वहां जैसे ही कोई मंच पर चढ़ता पुलिस दौड़ाती हम भागते यह नित्य कर्म था। क्रांतिकुमार जेल गए वहां भी उन्होंने विद्रोह किया उन्हें सजामिली। नंगा करके टिकटिकी में बांधकर ३० बेत की सजा ११ बेत में ही वे बेहोश हो गए फिर भी पूरी ३० बेते मारी गई। उनका तबादला अमरावती जेल में कर दिया गया जहाँ विद्रोह करने पर उनके कानों के परदे झापड़ मार मारकर फोड़ दिए गए। शेष जीवन उन्होंने बहरेपन में बिताया। जीवन पर्यंत उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

वास्तविक नाम उनका क्या था इस संबंध में ठीक से ज्ञात नहीं है वे कई स्थानों पर नाम बदल बदल कर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से वे बेहद असंतुष्ट थे। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय अपनी स्थापना के बाद इन लोगों का बैठक स्थल था समस्त छात्र गण एवं नवयुवकों की टोलियां यहां भावी योजनाओं को अंजाम देती थी इन्ही बैठकों का परिणाम था रायपुर षड़यंत्र केस एवं बम तथा पिस्तौल बनाने की भावी योजनाएं।

श्री सुधीर मुकर्जी

आदरणीय सुधीर मुकर्जी उस युग की देन है जब देश स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चढ़ने को आतुर था। एक से एक बलिदानी अपना सर काटकर मां के चरणों पर अर्पित करने को तैयार थे। इसी समय एक बैनर्जी परिवार मध्यप्रदेश के महत्वपूर्ण नगर रायपुर में अपनी प्रतिभा की धाक जमाने वकील बनकर आया। इसी बैनर्जी परिवार की बहन बंगाल के मुकर्जी परिवार के हेमचन्द्र मुकर्जी को ब्याही गई और भाई बहन का प्यार ले आया उन्हें भी रायपुर नगर में। बालक सुधीर प्रतिभावान विद्यार्थी था कहानियां सुनता था क्रान्तिकारियों की। उनमें से कइयों को उसने अपने घर में सुगबुगाते फुसफुसाते सुना था। मामा को देखा था तपस्वी जीवन बिताते गांधी की आंधी में उड़ते। फलतः सुधीर का भी क्रान्तिकारियों से

संपर्क हुआ और बह गया वह तूफानी लहर में सन १९४२ में वे पूरी तरह कम्यूनिस्ट हो गए। पार्टी चाहे कोई भी हो उद्देश्य एक ही था हथियार और बम बनने लगे। रायपुर हथियार निर्माण का गुप्त केन्द्र बन गया। विज्ञान के विद्यार्थी होने के कारण हथगोले तैयार करनेकी जिम्मेदारी सुधीर ने ली और मार्ग दर्शन देते थे क्रान्तिकुमार भारतीय। खेतों और खलिहानों में स्वर गूंजने लगे अंग्रेजों के विरोध के।

अपने सहयोगी साथियों, सूरबंधु, दशरथ चौबे और परसराम सोनी जी के साथसूत्रधार यही बने।

१९४२ के समय जेल में चीमर आष्टी के क्रान्तिकारी, बुलढाना षडयंत्र के साथी, फौज में बगावत करने वाले पंजाबी भाई, रायपुर षड़यंत्र केस के बंदी, गांधी वादी विचारक गांधी जी के सचिव किशोरीलाल मसूरवाला भी यहीं थे। फिर खूब तर्क वितर्क होता सारा ताना बाना जेल में ही बुना जाता। छत्तीसगढ़ महाविद्यालय में भी सुधीर जी ने विद्यार्थी आन्दोलन का नेतृत्व संभाला। जीवन पर्यन्त कभी भी वे अराजक नहीं हुए।

श्री मनोहर लाल श्रीवास्तव

१९४२ के दौरान ११ अगस्त की गिरफ्तारी में मनोहरलाल श्रीवास्तव भी थे। जेल से छूटने के बाद वे प्यारे लाल ठाकुर जी के संपर्क में आए और भूमिगत आन्दोलन से जुड़े श्रीवास्तव जी के अनुसार– ठाकुर साहब जो पर्चे तैयार करते थे उन्हें मंदिर लाकर श्रीधर लाल अग्रवाल टाइप करते थे इन्हीं पर्चों का वितरण मैं करता था इन परचों का विषय होता था पुलिस तथा सैनिक देशभक्तों का साथ दें। व्यापारियों से अपील की जाती थी कि वे धन दे तथा जनता को आन्दोलन जारी रखने के उपाय बताए जाते थे छात्रों से अपील की जाती थी कि वे शिक्षा स्थगित कर आन्दोलन सक्रिय करें। मेरे प्रमुख सहयोगियों में ताराचंद साहू, रामलाल (धमतरी) गिरधारी लाल तिवारी (धमतरी) जगतराम, जुड़ावनदास, शिवरतनपुरी (खट्टी) आदि थे। कागज रखने की व्यवस्था हनुमान प्रसाद यदु, ठाकुर ज्ञानसिंह करते थे। एक बार तो ठाकुर ज्ञानसिंह गिरफ्तार होते होते बचे। मंदिर में पर्चे

झोले में भरकर आ रहे थे कि पुलिस उनके पीछे पड़ गई। ज्ञानजी हटरी में रुक गए और सब्जी भाजी खरीदने लगे यदि उस समय उनकी तलाशी ली जाती तो अवश्य पकड़े जाते।

कुछ दिनों बाद तो मंदिर भी छिपने का सुरक्षित अड्डान रहा अतः हम लोगों ने वहां से भागकर पुराने किले के मंदिर में अड्डा जमाया। मुझे गिरफ्तार करने के लिए तो ५०० रु. का ईनाम भी रखा गया था। मुझे १०२ डिग्री बुखार था जब मैं दवा लेने गया तो पुलिस ने २६ अक्तूबर १६४२ को मुझे गिरफ्तार कर लिया।

श्री खूबचन्द बघेल

१६ जुलाई १६०० के रायपुर के पथरी ग्राम में जन्मे खूबचंद बघेल जी को घर में ही राजनीतिक वातावरण मिला था। यहां तक की उनकी माता केतकी बाई मी स्वाधीनता आन्दोलन की सक्रिय कार्यकर्ता थी और कई बार जेल जा चुकी थी। अतः १६३० में महात्मा गांधी के आन्दोलन से प्रभावित हो खूबचंद जी ने अपनी शासकीय डाक्टर की सरकारी नौकरी छोड़कर आन्दोलन में भाग लिया।

१६३२ में वे जब पिकेटिंग कार्यक्रम में पकड़े गए तो उनकी गिरफ्तारी के पहले ही उनकी माता और पत्नी राजकुंवर बाई को गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें छः–छः माह की सजा हुई १६४२ को आन्दोलन के समय जब नगर के विभिन्न नेताओं की गिरफ्तारियां हुई तो उस समय बघेल जी प्यारेलाल ठाकुर जी के साथ पर्चे निकालने का काम गुप्तरूप से कर रहे थे। मनोहर लाल श्रीवास्तव के अनुसार– एक बार जब मंदिर में हमारी गुप्त बैठक चल रही थी तब पुलिस ने हमें घेर लिया इस बैठक में खूबचंद जी हमारे साथ थे उन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया नारायण अग्रवाल के घर वे रात भर छिपे बैठे रहे और चार बजे प्रातः वे अपने घर पहुंचे। २४ अगस्त १६४२ को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गया। २२ फरवरी १६६६ में एक बजे दिल्ली में इस लोकप्रिय नेता का देहावसान हो गया। अंतिम सांसों तक वे अपने कर्म क्षेत्र में डटे रहे। आज भी इनकी

गणना छत्तीसगढ़ के महान सपूतों और देशभक्तों में की जाती है।

श्री राम कृष्ण सिंह

रामकृष्ण जी का बचपन ही राजनीतिक माहौल में बीता था। पिता श्री प्यारे लाल सिंह जी तो जैसे पूरी तरह देश को समर्पित थे और आंदोलन में सक्रिय भी। फलतःइनकी रुचि भी कुछ कर गुजरने की थी अतः आंदोलन में वे पूर्णरूपेण सक्रिय हो गये।

The Quit India Movement in the Raipur District also so emer gence of youth leadership. When most leaders of the Movement were un der going imprisment some yoth of Raipur destict lolk a prominent part in the Movenent. One of them was Ram Krishna Singh who faced police firing when student of Nagpur hostel the National flag on Nagpur high Court building Ram Krishna singh was studing Law at Nagpur although he had gradu ated at Raipur. He organised under ground movement at Raipur. He along with Ballabh Das Gupta were arrested at Raipur in 1942 and sentenced to 32 years imprisoment. Ishwari Charam Shukla another youth leader was arrested in 1944 and fried as quit firece in the district partly because of the under ground Movement directed by the youth.

श्री कमल नारायण शर्मा

रायपुर में प्रतिष्ठित वकील के रूप में कार्यरत कमल नारायण जी ने भूमिगत आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई।

६ अक्टूबर १९२२ को जन्में कमल जी ने बताया कि १९४२ के आंदोलन के समय मै छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर में बी.ए. तृतीय वर्ष का छात्र था १९४२ में जैसे ही कालेज में हड़ताल हुई मैं भूमिगत हो गया और पर्चे बाटने और चिपकाने का काम करने लगा। लेकिन कब तक बचता मुझे भी जेल हो गई। जेल में ४ कदम चौड़ा, ७ कदम लंबा कमरा मिला, अंधेरा और बदबूदार १ कंबल, १ अंडरवियर और १बनियान मिली। पाध्येय हमारा चक्कर आफीसर था उसने मुझे जेल में एक बार पचकनी

देने का आदेश दिया इस समय यहां का सुप्रिन्टेन्डेट अंग्रेज मरु था। मुझे ५–६ पटखनी दी गई मै चारों खाने चित हो गया जैसे तैसे कमर बची। दर्द असहनीय होने पर मैं भी मारने दौड़ा फलतः पाध्येय ने कहाकि मेरी १५ दिन की माफी काट ली जायेगी। मैने कहा चाहे जितनी सजा बढ़ा ले लेकिन मेरे कमरे तक भी मत आना। क्रांतिकुमार भारतीय हमारे साथ जेल में ये रामायण की तर्ज पर आजादी का मंत्र फुंकते थे। जेल में उन्हें भी बेतों की सजा मिली थी। बेत की सजा के संबंध में कमल जी बताया कि' एक बोर्ड पर कैदी को बांध दिया जाता था। नीचे के पाये में पैर बांध दिए जाते थे। नंगा करके कैदी को मोटी बेत से मारा जाता था जो रात भर नमक के पानी में भिगोकर रखी जाती थी ऐसा करने से हड्डी नहीं टूटती थी घुमा घुमाकर सांय–सांय की आवाज से बेत मारी जाती थी। क्रांतिकुमार जी ते सात बेत में ही बेहोष हो गए थे मगर उन्हें पूरी इक्कीस बेते मारी गई। आजादी के बाद की दशा को देखकर दुखी कमल जी कहते है देश को बाटो नहीं जोड़ो यही बलिदान की सच्ची कीमत है।

श्री हरि ठाकुर

१६ अगस्त १९२७ को जन्मे हरिठाकुर जी का पूरा परिवार आन्दोलन रत था भला वे कैसे पीछे रह सकते थे। उन्होंने बताया कि मेरे दोनो बड़े भाई रामकृष्ण और सच्चिदानंद सिंह जेल मे थे, इसी बीच हमने सेंटपाल स्कूल में झंडा फहराया। मेरे साथी रामकृष्ण गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया और मै भूमिगत हो गया। इसी बीच हमारा काम पर्चे बाटना, बच्चों का जुलूस निकालनाऔर किसी भी चौक पर ब्रिटिश शासन का जनाजा बनाकर जलाना हमारा काम था ही साथही हम संबंधित लोगो से गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर उसे चुपचाप कार्यकत्ताओ तक भी पहुंचाते थे।

अनेक भूमिगत आन्दोलनकर्त्ताओं का हमारे यहां आना जाना था इन्ही में छत्तीसगढ़ कालेज के विद्यार्थी रणवीर सिंह शास्त्री और भरतचंद कागरा भी थे। एक दिन तो ब्राह्मणपारा की हमारी टोली के २०–२५ लड़को में जिनमें सत्यनारायण (कमल नारायण शर्मा के छोटे भाई)

ब्रजलाल शर्मा किसन धर दीवान आदि थे गोपानाथ के घर में चर्चित का जनाजा बना रहे थे कि केरावाला की कार आकर खड़ी हो गई हमारी तो सांसे रुक गई कि कब बला टले और हम जनाजा बाहर निकाले केरावाला एकाध मिनट रुक कर चला गया और उसे कोई सुराग नहीं मिला। जनाज़े को माचिस दिखाकर हम लोग गली में घुस गए। पुलिस अंत तक पता न लगा सकी।

हरिठाकुर जी ने बताया कि आन्दोलन कालीन हर प्रमुख घटना को मैंने अपनी आंखों से देखा है ९ अगस्त के जूलूस में भी मे अंत तक मैं शामिल था सारी गिरफ्तारियां मेरे सामने ही हुई। उस समय का जोश आज न जाने कहां गायब हो गया है हर दर्द की दवा आज स्वार्थ है भाई भाई को मार रहा है शायद हमने आजादी की ऐसी कल्पना कभी न की थी।

श्री केयूर भूषण

प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं सांसद श्री केयूर भूषण मिश्र का जन्म १९२७ मे बेमेतरा तहसील के जोता नामक गाँव में हुआ था। उनके जन्म के समय भी भारत आन्दोलनरत था फलतः थोड़ा होश सम्भालते ही अर्थात् ११ वर्ष की आयु से ही वे आन्दोलन में शामिल हो गए १९३८ मे वे रायपुर आ गए और सर्वप्रथम श्री ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी से प्रभावित हुए उन्होंने बताया कि उन दिनों नगर पालिका चुनाव चल रहा था फलतः हमें निगम में पोस्टर चिपकाने का काम मिला हमारा नारा था ग़रीबों का सहारा है ठाकुर हमारा। दूसरे व्यक्ति मौलाना रऊफखान थे जिनसे हम प्रभावित थे। उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का असर हम पर इतना था कि एक बार तो मैं कुछ पर्चे लेकर जिला मजिस्ट्रेट केरावाला को समझाने निकल पड़ा। केरावाला ने उल्टा मुझे ही समझाया कि तुम अपना भविष्य देखो ये सब तुम्हारा काम नहीं है पर जब हम नहीं समझे तो उन्होंने हमें गिरफ्तार कर लिया तीन माह तक मुकदमा चला और मुझे ६ माह की जेल हो गई।

९ अगस्त की घटना के संबंध में उन्होंने बताया कि हमारी समझ

में ठीक से नही आया कि जूलूस काहे का है अतः हम अनजाने रास्ते निकल पड़े सत्ती बाजार का रोड हमें मालूम था क्योंकि हम वहां सब्जी खरीदने जाते थे हमें लगा कि हमें भी इस भीड़ में शामिल होना चाहिए। गंज बाजार के पास के मंदिर के मंहत से घंटी मांगकर मैने बजाना शुरू किया। और सबसे जूलूस में शामिल होने की अपील करने लगा। फलतः भीड़ इकट्ठी होने लगी और जूलूस आगे बढ़ने लगा जब जूलूस गांधी चौक पहुंचा तो त्रेतानाथ तिवारी मे उसे संबोधित किया। भीड़ देखकर पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की मुझे भी पकड़ लिया गया छोटा होने के कारण मुझे एक माह बाद ही छोड़ दिया गया। जेल से रिहा होकर मैं पर्चे बांटने का काम करने लगा। खूबचंद राठौर के घर से पर्चे निकालते थे। गाय के छेने के नीचे हमलोग पर्चे छिपाकर रखते थे जहां पर पुलिस का हाथ लगना असंभव था।

महिलाओ एवं छात्रों की भूमिका

भारत छोड़ो आन्दोलन की महत्ता का श्रेय महिलाओं को भी जाता है, जिनके प्रयासों एवं सक्रिय भागीदारी से यह इतना महत्वपूर्ण बन पाया। अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सहयोगी बहनों को साथ लेकर आन्दोलन को सफल बनाने की महिलाओं की अथक कोशिशों को कदापि विस्मृत नहीं किया जा सकता।

भारतीय महिलाएं अखिल भारतीय क्षेत्र अथवा राष्ट्रीय स्तर पर सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, जानकी देवी बजाज, सरोजनी नायडु के विचारों और व्यक्तित्व से तो बेहद प्रभावित थी और आन्दोलनरत भी थी। किन्तु गांधी जी ने महिलाओं को विशेष मार्गदर्शन दिया।

जहाँ तक रायपुर की महिलाओं की भागीदारी का प्रश्न है। गांधी जी की रायपुर यात्राने महिलाओं को उचित नेतृत्व दिया। वैसे भी १६४२ के पूर्व के आन्दोलनों में महिलाए अपना साहसप्रदर्शित कर चुकी थी। रायपुर में शराब दुकानों की पिकेटिंग की दौरान जब १६ महिलाओं की गिरफ्तारियां हुई तो उनमें से ग्यारह महिलाओ को जेल की कठोर सजा

सुनाई गई, शेष पाँच महिलाए कोतवाली ले जाकर छोड़ दी गई पुलिस के प्रकोप और नीचतम अपमान से वे बच न पाई। छोड़ी गई महिलाओं ने पुनः पिकेटिंग में भाग लिया पुलिस का आतंक उनके हौसले पस्त न कर पाया इन महिलाओं में प्रमुख हैंः

१) श्रीमती केतकी बाई –डा खूबचंद बघेल की माता –६माह कारावास

२) श्रीमती पार्वती बाई – शंकरराव गनोदवाले की पत्नि–६ माह कारावास

३) फूल कुवंर बाई – मनोहर लाल श्रीवास्तव की माता।

४) श्रीमती रुकमणी बाई –६ माह कारावास

५) श्रीमती राधाबाई – विधवा– मिड वाइफ –६ माह – जुर्माना

६) श्रीमती कृष्णा बाई – म्यूनिसिपल मिडवाइफ ६ माह

७) श्रीमती रोहिणीबाई – माधवप्रसाद परगनिहा की पत्नी ६ माह

८) श्रीमती बेलाबाई – ६ माह

९) बेलाबाई– मुजबल सिंह की पत्नी

१०) श्रीमती रुपवती बाई–४ माह

इनके साथ साथ बंगोली की तीन महिलाए रामवतीबाई, दयाबाई. बैयनबाई अन्नुबाई मनटोरा बाई, भुटकी बाई को भी सजा दी गई।

यहाँ आवश्यक है कि उन महिलाओं का भी उल्लेख किया जायः

१) बैयन बाई – पकड़ी गई किन्तु बिना सजा दिए छोड दी गई।

२) पुटेनिया बाई – शाम को छोड़ दी गई।

३) केजा बाई – शाम को छोड़ दी गई।

४) मुटकी बाई – घसीटते हुए कोतवाली के जाया गया।

५) मोहरी बाई – तीन माह की सजा हुई।

६) मनटोरा बाई – घसीटते हुए कोतवाली ले जाया गया।

७) दया बाई – छोड दी गई।

८) रामबती बाई – छोड दी गई।

स्त्रोतः स्वाधीनता संग्राम में रायपुर नगर का योगदान– हरि ठाकुर जी की हस्तलिखित पाण्डुलिपि से लिया गया महिलाओं के उल्लेखनीय कार्यों एवं उनके साहस को देखते हुए आन्दोलन हेतु रायपुर जिला कांग्रेस समिति ने जिले के आन्दोलन के संचालन हेतु जिन आठ डिटेक्टरों को नियुक्त किया था। उनमें पुरुषों के साथ साथ राधाबाई भी थी, जिन्होंने चोटी के नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद भी आन्दोलन को जारी रखा और महिलाओं में एक नया जोश भर दिया।

१९१८ में राधाबाई का आगमन रायपुर में हुआ था। आप अपनी सहयोगी बहनों के साथ साथ भंगी मोहल्लों में जाकर उन महिलाओं को नहलाती धुलाती उनमें संस्कार पैदा करती उन्हें भोजन करवाती उनके झूठे बर्तन साफ करती थी। इन बहनों में उनके साथ बघेल जी की माता केतकी बाई भी रहती थी।

नागपुर के इतवारा मोहल्ले में जन्मी राधाबाई बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थी। माता पिता तो पहले ही संसार से जा चुके थे। पति भी न रहा, तो उन्होंने दाई का काम सीखा और नागपुर नगर निगम में नौकरी कर ली । बाद में कामठी, रामटेक, बिलासपुर में भी नौकरी करती रही बाद में उनका रायपुर आगमन हुआ और वे स्थायी रूप से यहाँ बस गई। वास्तव में वो मिडवाइफ थी, किन्तु उनके तपस्वी जीवन उनकी सेवा और राष्ट्रभक्ति भावना के कारण लोग उन्हे डाक्टर राधाबाई कहकर संबोधित करते थे । १९४२ के आन्दोलन के समय वह वृध्द हो चुकी थी किन्तु उनके मार्गदर्शन में ४२ के आन्दोलन में महिलाए विशेष सक्रिय रही। अंजनी बाई (नंदकुमार दानी जी की पत्नी) फूलकुवर बाई, रजनीबाई और जानकी बाई पाण्डे भी इनकी प्रमुख सहयोगी रही।

उनकी अन्य सहयोगी बहनों में रोहिणी बाई परगनिहा (पत्नी श्री माधव प्रसाद परगनिहा) का नाम प्रमुख है जिन्होंने १९४२ के आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। सारागांव के पास तर्रा गाँव में जन्मी रोहिणीबाई के पिता मालगुजार थे, ससुराल दुर्ग जिले में था। गांधी जी का जब रायपुर आगमन हुआ तो उन्होने महिलाओ को संगठित होने के लिए प्रेरित किया। गांधी जी का कुशल नेतृत्व एवं राधाबाई का मार्गदर्शन पाकर रोहिणी बाई ने महिलाओं को संगठित करना शुरू कर दिया।

खोटा सिका चांदी का राज चलेगा गांधी का इस नारे के साथ आन्दोलन आगे बढ़ने लगा। १९३२ मे तो इनकी गिरफ्तारी हो ही चुकी थी। गांधी जी के पदचिन्हों पर चलकर इन्होंने १८ दिन का अनशन भी किया। ९ अगस्त १९४२ की गिरफ्तारी के बाद इन्हें ६ माह की सजा हुई जेल में इनके साथ मनटोरा बाई, रामवती, भागवती बाई सहित चार महिला और थी। जेल की अत्याचारों के संबंध में उन्होंने बताया कि एक दिन तो जेलर हमारी चूड़िया उतरवाने पर आमादा हो गया । हम लोगों ने एक कागज पर लिखी और पत्थर पर लपेटकर नाली के छेद से पुरुष बैरक की तरफ लुढ़का दी। पत्र पढ़कर जब पुरुष नेताओं ने विरोध किया, तब कहीं जाकर जेलर नरम पड़ा।

रायपुर की सैकड़ों बहने प्रतिदिन जुलूस और प्रभातफेरियां निकालती थी। चरखा कताई, प्रभातफेरी, वस्त्रों का बहिष्कार इनके प्रमुख कार्य थे बलौदाबाजार की महिलाए भी इस कार्य में आगे आई यहाँ के कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष की धर्मपत्नी जमुनाबाई त्रिपाठी आदि आसपास की बहनो के सहयोग से आन्दोलन की गतिविधियों को आगे बढ़ाती थी जिसमें खिनिया बाई और मैनी बाई भी शामिल थी।४५

प्रारंभिक आंदोलनों के दौरान भी ये सत्याग्रही बहने घर घर जाकर खादी बेचती, चरखा चलाना सिखाती। छत्तीसगढ़ और मारवाड़ी समाज के विरोध के बावजूद परदा प्रथा पर प्रहारकर महिलाए सड़को पर उतर आई। छत्तीसगढ़ बहनो में उस समय ब्लाउज न पहनने का भी रिवाज था। मध्य

प्रान्त के राष्ट्रीय जागरण के प्रणेता सुन्दर लाल शर्मा की पत्नी ने सर्वप्रथम ब्लाउज धारण किया था। उसके बाद तो जैसे महिलाओं में आन्दोलन संबंधी कार्य करने की प्रबल प्रेरणा जाग उठी। अब तो महिलाओं के संगठन क्षेत्र और सभास्थल भी बन गए जहाँ उनकी सभाए संबोधित की जाती थी। मोतीलाल कोठारी का बाड़ा महिलाओं का सभा स्थल था। सदर बाजार का जगन्नाथ मंदिर राजनैतिक सत्याग्रह आन्दोलन का केन्द्र स्थल था

बहुत सी महिलाए यद्यपि जेल नही गई, मगर उन्होंने आन्दोलन को सक्रिय रूप से संचालित किया महिलाओं को शिक्षित कर आन्दोलन क्या है? इसमें हमारी भागीदारी क्या है? विस्तार से समझाया। ऐसे ही संचालन का श्रेय जाता है प्रकाशवती मिश्रा अर्थात् प्रकाश जिज्जी को ।

पंडित रविशंकर शुक्ल जी उनके मामा थे फलतः बाल्यावस्था उनके व्यक्तित्व और विचारों से वो प्रभावित थी। गांधी जी के मार्गदर्शन के कारण प्रकाश जिज्जी महिला होने के बावजूद टांगे पर बैठकर खादी बेचने निकल जाती थी। प्रभातफेरी निकालना जिसमें कई औरते और बच्चे होते थे। उनका नित्यकर्म था, चाहे फिर धूप हो, जाड़ा या बरसात। उन दिनो पुरुष जो अपनी पत्नियो, माओ बहनो को पर्दे की सख्त हिदायत में रखते थे प्रकाश जिज्जी के प्रभावी व्यक्तित्व के कारण सभाओं और प्रभातफेरी में जाने से भी न रोकते।

अंग्रेजी विचारधारा को घर घर पहुंचाने का श्रेय प्रकाश जिज्जी को भी है। रामायण की विशेष मिमासां कार जिज्जी स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देती थी। अपने प्रयासो से १६४५ में अपने मामा श्री शुक्ल जी से आग्रह कर उन्होंने प्रथम गर्ल्स स्कूल की स्थापना करवाई जो बूढा बगीचा में स्थापित हुआ। स्वयं खादी पहनना और खादी पहनने की सीख देना उनका कर्त्तव्य था। जीवन पर्यन्त वो कांग्रेस की क्रियाशील सदस्य रही २५ जून १६८३ को उनका देहावसान हो गया।

१६४२ की आन्दोलनकारी महिलाओं में निम्नलिखित महिलाओं ने

भी सक्रिय भूमिकानिभाई एवं कारावास की सजा झेलीः

क्रं.	नाम	जन्मतिथि	पता	कारावास का समय
१.	श्रीमती भवतीन बाई पत्नी श्री सुन्दरदास	1900	बंगाली रायपुर	6 माह
२.	श्रीमती मागवती बाई पत्नी श्री खुमान सिंह	1911	बंगाली रायपुर	6 माह
३.	श्रीमती भवानी बाई पत्नी श्री रुरहा	1925	सारगांव रायपुर	5 माह 22 दिन
४.	श्रीमती दयाबाई पत्नी श्री शिवलाल	1904	बंगोली रायपुर	6 माह
५.	श्रीमती मनमत बाई	—	खुटेरी महासंमुंद	6 माह
			रायपुर	
६.	श्रीमती मन्टोरा बाई	—	बंगोली रायपुर	6 माह 8 दिन
७.	श्रीमती राजकुवंर बघेल पत्नी खूबचंद बघेल	1903	बंगोली रायपुर	6 माह
८.	श्रीमती रामबती वर्मा पत्नी नंदलाल	1911	बंगोली रायपुर	6 माह
९.	श्रीमती सुमति बाई	—	खुटेरी महासंमुद रायपुर	6 माह
१०.	श्रीमती रुकमणी बाई पत्नी जटाशंकर	—	महासंमुद रायपुर	6 माह
११.	श्रीमती इन्द्रवीन बाई पत्नी लल्लूराम	—	तमोरा रायपुर	6 माह
१२.	श्रीमती लीलाबाई पत्नी विश्राम	—	सहसतोड़ा	6 माह

स्त्रोतः मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सैनिक खण्ड ३ भाषा

संचालनाय संस्कृति विभाग मध्यप्रदेश भोपाल प्रथम संस्करण १९८४।

प्रारंभिक आन्दोलनों में महिलाएं सक्रिय होकर अपनी सहयोगी बहनो का मार्गदर्शन करती थी और वही मार्गदर्शन अन्य बहनों को प्रेरित करता था। इसी सिलसिले के दौरान महिलाओं की संख्या आन्दोलन में निरन्तर बढ़ रही थी। १९४२ तक इन्ही आन्दोलनरत महिलाओं ने देवालयों को प्रेरणास्थल में बदल दिया था। महंत लक्ष्मी नारायणदास का पुरानी बस्ती स्थित जैतुदास का मढ़ सत्याग्रह का सत्याग्रह का सबसे बड़ा केन्द्र था जहाँ एकत्रित हो महिलाएं देश की स्थिति के संबंध में विचार विमर्श करती थी मंहत जी वृद्धा माता पार्वती बाई सत्याग्रही महिलाओं को आर्शिवाद देकर जुलुस मे भेजती थी। और नेतृत्व करती थी अंजनी बाई और जानकी बाई पाण्डे एवं अन्य महिलाए।

वामन राव लाखे का बाड़ा जिसकी सभा नेत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जी की पत्नी भवानी बाई शुक्ल थी। कमासीपारा भी एक सत्याग्रह स्थल था जहाँ की सभानेत्री रुकमणी बाई तिवारी थी। इन्ही के साथ महिलाओं की भागीदारी दर्ज कराने वाली थी अन्नपूर्णा देवी शुक्ला, सुशीलाबाई गुजरातिन, गोमतीबाई एवं यशोदाबाई गंगेली।४८

छात्रों की भूमिका

१९४२ की अगस्त क्रांति की ज्वाला ने सारे देश को उद्देलित कर दिया। बंबई में शीर्षस्थ नेताओं की गिरफ्तारीयों में देश भर में संघर्ष की ज्वाला भड़का दी। कांग्रेस जनो की छांट छांट कर गिरफतारियां की जाने लगी। रायपुर क्षेत्र से भी अनेक कांग्रेसी बंदी बना लिए गए। हर स्थान से तोड़ फोड़, हड़तालो, जुलूस की खबरे आने लगी। रायपुर में अब आन्दोलन की बागडोर विद्यार्थियों ने संभाली।

अगस्त के बाद तो आंदोलन विद्यार्थियों एवं नवयुवकों के हाथों में केंद्रित रहा। १७ जून १९४२ को महाकौशल रक्षक दल, रायपुर शाखा का एक प्रशिक्षण शिविर रायपुर में आयोजित किया गया था। जहां सैकड़ो नवयुवको ने भाग लिया। शिविर को दादा धर्माधिकारी पंडित डी. पी. मिश्र

जी ने संबोधित किया। देश की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया और अंग्रेजों के दमनचक्र का मुकाबला करने के लिए नवयुवकों को सचेत किया गया तथा भविष्य में बागडोर संभालने की प्रेरणा भी दी गई।

फारवर्ड ब्लाक गैरकानूनी घोषित कर दी गई। कुंज बिहारी चौबे और डाक्टर सूर घर की तलाशी ली गई। प्रभात फेरिया और जूलूस निकाले जाने लगे। श्रीमती विद्यावतीदेवड़िया स्वामी कृष्णानंद सोखता और पंडित रविशंकर शुक्ल जी के भाषण नवयुवको के प्रेरणा स्त्रोत बन गए। सभा के बाद सोखता जी गिरफ्तार कर लिए गए। विद्यार्थियो पर इसका खासा प्रभाव पड़ा। इतवार केदिन विद्यार्थियो द्वारा जुलूस निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसी बीच एम. डी. छुट्टी पर चले गए। केरावाला ने धमकी दी कि सभी मुहल्ले वासियों पर सामूहिक जुर्माना किया जायगा कपड़ा, गेहूं, चॉवल, शकर, मिट्टीतेल, माचिस एवं समस्त दैनिक उपभोग की वस्तुए महंगी हो गई कुछ का उपलब्ध होना भी मुश्किल था जनता परेशान हो गई समाचार पत्र अंग्रेजी शासन का खुलकर विरोध करने लगे। रायपुर के श्री ईश्वर सिंह परिहार जो नागपुर टाइम्स के सह संपादक थे बाद मे जो राज्य सूचना प्रकाशन के संचालक भी बने। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और दो वर्ष की सजा भी हो गई।

विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी दमन का जवाब देने के प्रयास प्रारंभ हो गए महाविद्यालयों में गुप्त बैठके प्रारंभ हो गई और आंदोलनकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने की योजनाओ पर विचारविमर्श होने लगे।

१० अगस्त को छत्तीसगढ़ महाविद्यालय और अन्य स्कूलों में हडताल हो गई दोपहर को नगर के विद्यार्थियोने जूलूस निकाला जिसका नेतृत्व रणवीर सिंह शास्त्री जी कर रहे थे। गांधी चौक मे आम सभा हुई। इसी दिन धनीराम वर्मा, काकेश्वर चन्द बघेल, बद्रीप्रसाद शुक्ला आदि नवयुवक गिरफ्तार कर लिए गए।

११ अगस्त को बंबई से लौटते हुए रायपुर प्लेटफार्म पर मनोहरलाल श्रीवास्तव, ग्वालदास डागा, लक्ष्मीचंद की गिरफ्तारी एवं १८ अगस्त को

अनंतराम बर्दिहा और मूलचंद बागड़ी जैसे नेताओ की गिरफ्तारियो के बाद तो यह लगने लगा कि अब आन्दोलन की सक्रियता चुपचाप चालू रखनी होगी। जिससे अंग्रेजी दमन से बचते हुए उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। फलतः मार्गदर्शन नेताओ ने नवयुवको को आदेश दिया कि वे गिरफ्तारी से बचें और गांवो देहातों में जाकर अंग्रेज हुकुमत के खिलाफ आन्दोलन को मजबूत बनाए। फलतः घर घर में पर्चा के मजमून तैयार होने लगे। हजारो की संख्या में मजदूर, किसानों और विद्यार्थियों द्वारा अजीब उत्साह की झलक मिल रही थी। उनके बांटे गए पर्चो का रहस्य तो अंत तक पुलिस अपनी पूरी कोशिशो के बाद भी जान न पाई। ३० अगस्त को अग्रदूत के संपादक तथा स्वराज्य प्रसाद त्रिवेदी के निवास स्थान पर पुलिस ने तलाशी ली पर उन्हें कुछ न मिला। इधर महाविद्यालयीन छात्र जुलूस निकालकर शासन को अपनी गतिविधियों से अवगत करवाकर अपनी मांगे पूरी करवाने के नारे लगा रहे थे। १० सितम्बर १९४२ को रणवीर सिंह शास्त्री द्वारा निकाले गए जुलूस के संबंध में हरिठाकुर जी ने बताया कि शास्त्री जी उस समय अजीब नाटकीय मुद्रा में नारे लगा रहे थे जो मुझे आज तक याद हैः

शास्त्री जी : सुन भई सुन
छात्र : क्या मई क्या
शास्त्री जी : मिल जायगी
छात्र : क्या मई क्या
शास्त्री जी : आजादी
छात्र : वाह भई वाह

इस जूलूस में से लगभग ९० छात्रों को गिरफ्तार किया गया।

११ सितम्बर को फिर छात्रों ने जूलूस निकाला जब पुलिस ने जूलूस रोकने का प्रयत्न किया तो छात्रो ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। १५ छात्र गिरफतार कर लिए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया।

२६ सितम्बर को सच्चिदानंद सिंह और शास्त्री जी फिर से

गिरफ्तार कर लिए गए उन पर सरोना रेलवे पाथ, टेलीफोन तार संपर्क तोड़ने का आरोप था।

उसी रात कुम्हारी में आग लगी। पता नहीं आग किसने लगाई पर संदेह हेमनाथ यदु पर किया गया जो एक कवि थे। वे सरोना में शिक्षक थे। वे ही एक ऐसे मास्टर थे जो खादी पहनते थे, फलतः संदेह उन्हीं पर हुआ। हरि ठाकुर जी आगे बताते हैं ब्राह्मणपारा के हमारी टोली के २०–२५ लड़के सप्ताह मे १ या २ बार चर्चिल का जनाजा अवश्य निकालते थे।

यहाँ उल्लेखनीय है कि इस समय रायपुर में आन्दोलन कर्त्ताओ में दो तरह की विचारधाराए पनप रही थी । पहली विचारधारा अहिंसक गतिविधियों की थी, किन्तु दूसरी विचाराधारा जिसमें विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग शामिल था, न चाहते हुए भी हिंसक हो गई थी। नवयुवको को प्रभावित करने वालों में क्रांतिकुमार भारतीय भी प्रमुख थे। कुछ आन्दोलन कर्मियो ने जनता को प्रभावित करने के लिए साहित्यिक दृष्टिकोण भी अपनाया इसमें श्री कुंज बिहारी चौबे, केशवप्रसाद शर्मा, श्यामबाबू आगे थे जो अपनी कविताओं से प्रभावित कर रहे थे चौबे जी की कविताए जिनमे कुछ छत्तीसगढ़ी में भी थी प्रस्तुत हैः

अंग्रेज तै हमला
बना डारे कंगला।
रे गोरा तै ह
लूट डारे हमला।
इसी तरह
आकास म हुए हे पुन्नी के चंदा
हवै हमर गांधी देवता।

हिन्दी मेंः

युवक उर का राग गा तू
कंठ मे विष घोल कर।

तरुण अब निर्भीक बन
विद्रोह वाणी बोल कर।।

रायपुर का छत्तीसगढ़ महाविद्यालय विद्यार्थियों का प्रमुख क्रांति क्षेत्र था। अरुण सेन की पत्नी की बड़ी बहन विमला जनस्वामी भी इनका सहयोग करती थी। इनका दूसरा अड्डा डायमंड होटल (वर्तमान हेड पोस्ट आफिस के पास) था। भांजी भाई की होटल में भी छात्रगण परसराम सोनी के साथ बैठक में शामिल होकर भावी योजना बनाते थे।

केयूर भूषण जी इसी संबंध में आगे बताते है कि मौलाना अब्दुल रऊफ खान के तो हर भाषण में छात्रों की उपस्थिति होती थी। गोल बाजार के बीच की लाइब्रेरी मे नवजवानों की बैठके होती थी लाइब्रेरी में रेडियो द्वारा जब जापान और भारत की लड़ाई में जापानियों की विजय के समाचार आते नवयुवको में एक अनजानी खुशी होती थी, क्योंकि अंग्रेजी हुकुमत से हम खासे असंतुष्ट हो चुके थे। यह लाइब्रेरी मौलाना साहब ने ही स्थापित की थी जहां एक ही मटके और एक ही गिलास से समस्त लोग पानी पीते थे शुरु मे तो मुझे झिझक हुई क्योंकि मैं हिन्दु परिवार का लड़का था किन्तु एक दिन जोरदार प्यास के कारण मैने वहीं पानी पी लिया। मेरी झिझक दूर हो गई। हम सब मौलाना साहब की वाक शैली से बेहद प्रभावित थे वे हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्त्रोत थे।

एक अन्य नवयुवक केजूराम वर्मा के संबंध में केयूर भूषण जी ने बताया कि वह सत्याग्रही इतना प्रभावशाली था, कि वह घटना मुझे आज भी याद है कि सत्याग्रह के दौरान जब रक्षाबंधन का त्योहार आया तो केजूराम अपनी बहन के पास न जा सका। अतः उसका एक मुस्लिम मित्र जो उत्तरप्रदेश का निवासी था ने कहा, कि तुम्हारी जगह मैं तुम्हारी बहन के पास तुम्हारा संदेश पहुंचा देता हूँ । फलतः वह मुस्लिम मित्र केजू की बहन के पास संदेश देने पहुंची तो केजू की बहन में उसे ही राखी बांध दी और एक खादी की धोती भेंट की जिसे लेकर उस मुस्लिम मित्र की आंखों में आंसू आ गए और उसने उसी समय संकल्प किया कि वह सदैव

खादी धारण करेगा। उसने अपनी पुलिस की नौकरी भी छोड़ दी, कांग्रेसी हो गया।

एक बार तो मैं स्वयं २०–२५ लड़कों के जूलूस के साथ जा रहा था कि मुझे करावाला बैठे दिखाई दिए मैंने उनके पास पहुंचकर कहा कि अंग्रेजों की नौकरी छोड़ दीजिए अगर आप नौकरी छोड़ देंगे तो अंग्रेज जिसके बल पर शासन करेंगे, आजादी के बाद आपको इससे भी अच्छी नौकरी मिल जायगी। केरावाला ने कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो अपना भविष्य देखो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो लेकिन मेरे न मानने पर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया।

सितम्बर माह की समस्त गतिविधियां तो जैसे विद्यार्थीगण द्वारा ही संचालित थी हर स्थान पर छोटे बड़े समस्त छात्र आन्दोलनरत् थे चाहे वह कक्षा बहिष्कार हो तोड़फोड़ हो, जूलूस हो, या हड़ताले सभी ओर वे सक्रिय थे। रायपुर के कुछ उत्साही युवको ने अक्टूबर माह में एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठा लिया। बिलखनारायण अग्रवाल, ईश्वरीचरण शुक्ला, नागर दास बाबरिया, नारायणदास राठौर और जयनारायण पाण्डे ने तो जेल की दीवार में सुरंग बनाकर डायनामाइट फिट कर दिया जेल की दीवारे तो नष्ट हो गई लेकिन राजनीतिक बंदियों को निकालपाने में वे असफल हो गए। गहरी पूछताछ हुई भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो यह सोचकर पुलिस ने इसमें गंभीरतापूवर्क जांच की। जयनारायण पाण्डे से पूछताछ के दौरान कुछ न पता चलने पर उन्हें छोड़ दिया गया पर प्रशासन की नींदे अवश्य हराम हो गई और दमन और कठोर कर दिया गया।

१९४४ मे रेल लाइन काटने, लेटर बाक्स जलाने के आरोप में नारायण दास राठौर, ईश्वरी चरण शुक्ल गिरफ्तार कर लिए गए यह प्रयास कुछ स्थानों के साथ –साथ रायपुर में भीआन्दोलन शिथिल हो गया। किन्तु विद्यार्थियों के उपरोक्त कारनामे चिरस्मरणीय है। नागरदास बावरिया तो इस घटना के बाद भूमिगत हो गए इन पर पांच सौ रुपये का

ईनाम रखा गया प्रमुख थानो पर इनकी फोटो प्रदर्शित की गई। १६४५ में जब वे अपने एक मित्र के साथ सागर में थे तब उन्हें गिरफ्तार कर रायपुर लाया गया।

१६४२ की भड़की आग को शांत करने के लिए ब्रिटिश हुकुमत में जितना हिंसात्मक और कड़ा रुख अपनाया। यद्यपि प्रमाणिक आकडे उपलब्ध होना संभव नहीं है फिर भी अनुमानतः लगभग ३६००० लोगों को कारावास का दंड तथा १८००० व्यक्तियों को बिना अभियोग चलाए जेल में रखा गया। मरने वालों का तो स्पष्ट आंकडा उपलब्ध नहीं किन्तु सरकारी रिपोर्ट के अनुसार ५३८ अफसर पर गोलियां चली और ८०० नागरिक मारे गए हजारों जख्मी हुए लाठियों और बेतो का तो कोई हिसाब ही नहीं है। ऐसे अनेक लोग थे जिन्हें दो दो तीन तीन बार जेल की सजा भुगतनी पड़ी।

१६४२ के दौरान हिंसात्मक घटनाएं

डाक घर जलाये गए –१६४५
डाक घर जलाने के मामले दर्ज हुए –१२२८६
सामूहिक जुर्माने स्थान – १७३
जुर्माने की रकम वसूल की गई –६०, ०७, ३८३ रूपये
बम फेके गये –६६४
सड़कें काटी गई –४७४
स्टेशन क्षतिग्रस्त हुए –३८२
रेल पटरियां उखाड़ी गई– ४११
रेल्वे संपत्ति नष्ट हुई– ५२,००,००० रूपये
कोड़े लगाये गए ७२, ५६२ बारे

(**स्त्रोतः** रविवारीय जनसत्ता, ६ अगस्त १६६२ पृष्ठ ६)

रायपुर के जन नेताओं के प्रयास

रायपुर मध्य प्रदेश स्वतंत्रता सेनानी संघ के अध्यक्ष श्री शशिभूषण

का कहना है कि देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले और भी ऐसे क्रांतिकारी है जिन्हें या तो हम भूल गए है या फिर वे सुर्ख़ियों में नहीं है। भूले बिसरे क्रांतिकारियों की भी अपनी एक दास्तान है देश के लिए समर्पित वैसे तो प्राणों की आहुति देने वाले हजारों है। लेकिन बार–बार उन्हें ही सामने लाया गया है। जिन्होने आन्दोलन का नेतृत्व किया है लेकिन उन लोगों की पूरी तरह भूला दिया गया है जो नेतृत्व में पीछे रहे है और अपनो प्राणों को न्यौछावर किया है। उदाहरणार्थ १६४२ के भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान बारह हजार बच्चों को अंग्रेजो ने कोड़े लगाए और उनकी खाल खींच ली गई लेकिन इतिहास में इनका कहीं भी जिक्र नहीं है। इसीतरह लड़ाई में आदिवासियों की भी मुख्य भूमिका रही है लेकिन विस्तार से इन सबका कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता।

यहां उल्लेखनीय है कि हर वर्ग के व्यक्ति में स्वतंत्रता की भावना विद्यमान थी अपने अपने ढंग से हर वर्ग राष्ट्र सेवा से परिपूर्ण था इस भावना का स्पष्ट चित्रण कुछ प्रसंगों से होता है जो इस प्रकार हैः

गांधी जी रायपुर यात्रा के समय जब वे धमतरी से वापस होने लगे तो मकई बंध के पास चलतीकार में किसी ने छोटी सी पोटली फेंकी जो बापू की कनपटी को छूते हुए गिरी। बापू में उस पोटली को देखा एक हल्दी की गांठ, थोड़ा पीला चांवल दो कौड़ी, एक अघन्ना तथा कुछ फूल बंधे थे। बापू बहुत प्रसन्न हुए और कहा यह किसी सच्चे गरीब की भेंट है इसकी नीलामी उन्होंने राजिम नवापारा में की जिसे १०१ रुपये में लिया गया।

एक अन्य प्रसंग के अनुसार बापू ने एक समय मीरा बेन से कहा नाई बुला दो, दाढ़ी बनवाना है। मीराबेन ने हजारी लाल जैन से कहा नापी बुला दो। नापी का अर्थ समझ न पाने के कारण जैन जी चक्कर में पड़ गए और ठक्कर बाबा के पास पहुंचे। बाबा ने हंसकर कहा अरे नाई बुला दो तब जैन जी माखन नाई जो ब्राह्मणपारा में रहते थे दौड़ते हुए साइकिल पर नाई के घर पहुंचे और कहा चलो जल्दी गांधी जी की हजामत बनानी

है। राम के लिए यह केवंट की पुकार की तरह थी। नाई ने आते ही गांधी जी को साष्टांग प्रणाम किया और छत्तीसगढ़ी भाषा मे हजारी लाल जैन से कहाः

बने बलाए मालिक जेखर दरसन बर लाखो मनखे तरस्कथे, तेखर देह ल में आज छुए हवौ।

हजामत के बाद बापू उसे न्योछावर देने लगे तो नाई ने कहा नहीं बापू मुझे माफ कर दो मैं न्योछावर नही लूँगा मुझे न्योछावर मिल गई है। 58

जिन दिनों डॉ. राजेन्द्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे राष्ट्रीय नेता रायपुर आये थे। तब चर्चा चली थी कि शकर में हड्डी के बारीक कण होते हैं, उसी दिन से बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव ने श्क्कर न खाने की प्रतीज्ञा की और जीवन पर्यंत शक्कर न खाई। स्वतंत्रता सेनानियों से. संबंधित ऐसे अनेकों प्रसंग है जिनसे भक्ति भावना की झलक मिलती है गांधी जी के हर वाक्य से प्रभावित व्यक्तिगण भला १६४२ के आंदोलन का शंखनाद होते ही कैसे चुप बैठ सकते थे।

ऐसे ही कुछ आंदोलनकारियों का संक्षिप्त व्यक्तित्व मूल्यांकन प्रस्तुत है।

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाए तथा आंदोलनकारियों का वर्णन पं. रविशंकर शुक्ल के बिना अधूरा है जिन्होंने न केवल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई बल्कि मार्ग दर्शक का भी काम किया।

२ अगस्त १६७७ को जन्मे पंडित जी, गांधी जी के संपर्क में आए सन् १६१४ में वे रायपुर नगर पालिका के सदस्य निर्वाचित हुए। प्रारंभ से ही वे कॉग्रेस के प्रति समर्पित थे ११ अगस्त १६४२ को मल्कापुर में भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत उनकी गिरफ्तारी हुई। मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर कार्य करते हुए इन्होंने हिन्दी में राजकाज करने तथा उच्च शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था की डॉ. रघुवीर से प्रशासनिक शब्दावली तथा

हिन्दी में उच्च स्तरीय पाठ्यग्रंथ तैयार करवाए। राज्य के सर्वोन्मुखी विकास हेतु वे अपने जीवन की अंतिम सांस तक क्रियाशील रहे। ३१ दिस. १९५६ को उनका स्वर्गवास हो गया।

मल्कापुर में गिरफ्तार होने वालों में महंत लक्ष्मीनारायण दास भी थे। २९ मई १९०० को जन्में महंत जी माध्यमिक स्कूल कत शिक्षा ग्रहण की थी। १९३० से वे राजनीतिक आंदोलन में भाग ले रहे थे। ९०अब तक ९२ बसंत देख चुके वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री माणिकलाल जी अपने जीवन कारोमांचक अनुभव सुनाते है कि जब १९३३ में गांधी जी रायपुर आए ती राजकुमार कॉलेज के छात्र उन्हें अपने यहा बुलाना चाहते थे। वे जाना नहीं चाहते थे मगर जब छात्रों ने हट किया तो उन्हें जाना पड़ा। जब वे राजकुमार कालेज पहुंचे तो छात्रों ने खादी की ड्रेस पहनकर उनका स्वागत किया और राष्ट्र कल्याण के नाम पर सात हजार एक रुपये की थैली बापू को भेंट की। चतुर्वेदी जी ने बताया कि १९२३, १९२८, १९४२ में तीन बार जेल जाना पड़ा। ९ अग. १९४२ को भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी मेरी गिरफ्तारी हुई। १९४२ में युसुफ मेयर अली कान्फ्रेंस लेते सागर गए हुए थे। तब विरोध प्रदर्शन के दौरान मुझे पकड़ा गया और एक माह तक हमें जेल में रहना पड़ा।

हमारा नारा थाः 'लगा टोपी शीश पर, चढ़ बैठ जिलाधीश पर'

आजादी के लिए अपना घर फूंकने वालों में एक महत्वपूर्ण नाम अनंतराम बर्छिहा जी का भी है जो जीवनपर्यंत आंदोलन हेतु सक्रिय रहे। सन् १९३६ में जब उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया तो उस समय उनकी 'पांच पवनी' बंद हो गई थी अर्थात् नाई, धोबी, रावत, मैहर, लोहार उनके घर काम नहीं कर सकते थे। इनके बिना विवाह विकट समस्या थी लेकिन जैसे तैसे विवाह निपटा। दहेज में उन्होंने कुछ भी देने से इंकार कर दिया और केवल एक चीज दहेज में दी चर्खा। इसी तरह उन्होंने जेल में ड्रेस पहनने से इंकार कर खादी पहनने की जिद की जब उन्हें खादी न मिली तो उन्होंने अपने नंगे बदन पर कंबल लपेट लिया। अनंतराम अंत

तक झुके नहीं और अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा।

प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में एक महत्वपूर्ण नाम मौलाना अब्दुल रऊफ खान साहब का भी है २७ मार्च १८९४ में रायपुर में जन्में मौलाना साहब के पिता गुलमीर खान थे। मौलाना साहब जब तीन वर्ष के थे तभी उनके पिता का निधन हो गया अतः उनकी शिक्षा पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया फिर भी स्वाध्याय से उन्होंने उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। धारा प्रवाह बोलने में उनकी बराबरी नही थी। मामूली कद और सावले रंग के दुबले पतले रऊफ साहब अपनी शानदार दाढ़ी और सफेद खादी में बेहद आकर्षक लगते थे। जब १९२० में दिसम्बर में नागपुर में विजयराघवाचार्य की अध्यक्षता में गांधी जी का असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ तो रऊफ साब उस अधिवेशन में रायपुर से गए थे और रायपुर लौटकर उन्होंने एक जनमानस तैयार किया। १९२२ में गिरफ्तार हुए।

जेल से छूटकर उन्होंने जनता का आव्हान करने वाली सभा में एक महत्वपूर्ण शेर पढ़ाः

'हकूमत ने लगाकर मुहर
एक सौ आठ की महबी
सनद दी है कि तलवार से
बढ़कर है जुबां मेरी।'

शायरी में रऊफ साहब अपना उपनाम महबी लिखते थे। २५ जून १९३० को ठाकुर प्यारे लाल साहब के साथ मौलाना साहब फिर गिरफ्तार हुए और उनके संबंध में प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा हैः

'रात में पकड़े इन भैयन को
जबकि सोये सकल जहान।
चोरी चोरी इनको बांधे
नाहि तो पार न पावे भाय।

नगर निवासी मालूम होतै
सबेरे निकल पड़े एक बार।
बाल वृद्ध सब शामिल हुई गै
निकल पड़ी मां बहिनि यार।
मिल कर के सब जूलूस निकारे
नगर में ताला दियो लगाय।

१६३२ में पुनः गिरफ्तारी, 1942 में फिर जेल, 1942 में ढाई साल की सजा। जेल में काफी कष्ट भोगते मौलाना साहब बीमार हो गये। अस्पताल में मौलाना साहब की सेवा में नवयुवक दिन रात जुटे रहते, अपनी गतिविधियों एवं वक्तव्य से वे नवयुवकों में भी बेहद लोकप्रिय थे में उनकी हर सभा में नौ जवानों की उपस्थिति होती थी और वे उनसे प्रेरित होते थे।

देश की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने की तमन्ना इन दिनों हर भारतीय परिवार में थी। रायपुर के भगवती चरण शुक्ल भी ऐसे ही सेनानियों में से एक थे मध्यप्रदेश की राजनीति में भीष्मपितामह के नाम से विख्यात स्वर्गीय पं. रविशंकर शुक्ल के द्वितीय पुत्र के रूप में १६१४ में जन्म थे। घर का वातावरण भी राजनितिक था १६३० में उन्होंने स्कूल का त्याग कर दिया इस समय देश में राजनीतिक चेतना व्यापक रूप ले रही थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंदोलन सक्रिय था। बचपन से ही उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना ब्याप्त थी। १६३० में सुंदरलाल जी द्वारा लिखित तथा ब्रिटिश हुकूमत दात प्रतिबंधित पुस्तक 'भारत में अंग्रेजी राज' के कुछ अंशों के परचे बांटते पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया परचे छुड़ाने उनके हाथों में पिन चुभाई गई मगर उन्होंने पर्चे नहीं दिए।

६ अगस्त १६४२ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर के विशाल जुलूस में प्रथम पंकि में चल रहे जिन लोगो की गिरफ्तारी हुई उनमें भगवती चरण शुक्ल भी थे। १६४५ तक उन्हें अनेक नगर के कारावासों में रखा गया और १६४५ में ही वे रिहा हो सके।

राष्ट्रीय प्रेम से ओत प्रोत कविताएं लिखना उनका शौक था वे ओजस्वी वक्ता थे। उन्होंने अपना विवाह भी एक अन्य जाति की कन्या से करना चाहा। पारिवारिक तथा सामाजिक तीव्र विरोध के बाद भी गांधी जी के मार्गदर्शन से उन्होंने अंर्तजातीय विवाह किया। राष्ट्रीय आंदोलन में उनका सहयोग आज और आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणास्पद अध्याय है।

रायपुर के एक अन्य स्वतंत्रता सेनानी डेरहादास सतनामी है। १६ वर्ष की आयु से ही वे सेवादल के सिपाही बने और निःस्वार्थ भाव से कार्य करने लगे। १९४२ के आंदोलन में भी इनकीसक्रिय भूमिका रही। ९ अगस्त की गिरफ्तारी के दौरान उन्हें भी साढ़े छै माह की सजा हुई उन्होंने बताया कि स्कूल हमें २५ किलो गेहूं दिया जाता था। जिसे पीसकर दलिया बनाया जाता था। वही दलिया हमें खाने को दिया जाता था उन दिनों जेल में मेरे साथ लगभग ५५० लोग थे १८५७ के बाद यह दूसरा बड़ा आंदोलन था। हमारी संपत्ति जब्त कर ली गई। जेल में हमारे साथ छबिलाल, सुखचंद दास, हरिसिंह, बख्शी महाराज, झाडूराम, महंत लक्ष्मी नारायणदास, यति यतन लाल, शिवलाल मेहता, विष्णुदास, रोहिणी बाई, मंटोरा बाई, राधा बाई आदि भी थे। जेल जाने पर माता–पिता बेहद नाराज हुए मुझे सरकार से माफी मांगने को कहा गया क्योंकि हमारे परिवार वालों को सताया जा रहा था हमारी सम्पत्ति छीन ली गई थी। मगर मैने माफी नहीं मांगी। हमारा प्रयत्न सफल हुआ और हमें आजादी प्राप्त हो गई।

लगभग तिरासी वर्षीय श्री लखन लाल गुप्ता जिनमें क्रांति का जोश आज भी बाकी है पुरानी यादों को ताजा करते हुए बताते है सातवी तक की पढ़ाई आरंग में समाप्त कर मैं रायपुर चला गया और राजनीति में सक्रिय हो गया। १९४० के व्यक्तिगत सत्याग्रह में मैंने भाग लिया था पर पिताजी की बीमारी के कारण सक्रिय न हो सका और १९४२ में पुनः सक्रिय हुआ।

१२ अगस्त १९४२ को मुझे जेल हो गई और ९ माह की सजा हुई जिसमें ३ माह डिटेंशन और छै माह सजा। डिटेंयू के समय हमारी कड़ाई

से पूछताछ की गई कि हम कोई षड्यंत्र तो नही कर रहे है बम तो नही बना रहे है दोषी न पाकर हमें छोड़ दिया गया आरंग जैसे छोटे से क्षेत्र ने गुप्ता जी के नेतृत्व का लाभ उठाकर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई शहरों में आंदोलन की गतिविधियों की गावों तक पहुचाना और जन आंदोलन के रूप में आंदोलन को परिवर्तित करने का श्रेय गुप्ता जी जैसे आंदोलन कारियों को ही जाता है।

स्वतंत्रता आंदोलन के महत्वपूर्ण सेनानी रणवीर सिंह शास्त्री छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर के विद्यार्थी एवं मार्गदर्शक रहे। १९१९ में जन्में शास्त्री जी ने स्नात्तकोत्तर तक शिक्षा ग्रहण की।

भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण गतिविधियों में शास्त्री जी का सक्रिय योगदान रहा है फिर चाहे वो प्रारंभिक घटनाओं में गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद का रायपुर का भारी भरकम जूलूस हो या भूमिगत आंदोलन की तोड़फोड़ा अपने कार्यों से शास्त्री जी कभी भी न डिगे। बार–बार होने वाली गिरफ्तारियों से भी वे हताश न हुए। विद्यार्थियों के उचित मार्गदर्शन की स्वतंत्रता आंदोलन के समय की वही नीति उन्होंने अपने गरिमामय पद प्राचार्य दुर्गा महाविद्यालय रायपुर में भी निभाई और एक आदर्श शिक्षक और अनुशासनप्रिय संचालक रहे। १० अगस्त १९४२ को भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के छात्रों के जूलूस में नेतृत्वकर्ता शास्त्री जी गिरफ्तार हुए और उन्हें ९ माह का कारावास हुआ किंतु उन्होंने जेल से छूटकर भी अपनी गतिविधिया जारी रखी और अंग्रेजी साधन नष्ट करने हेतु रेल लाइन एवं डाक, तार लाइने नष्ट करने में सक्रिय भूमिका निभाई।

४ दिसम्बर १९०४ को जन्में दानी पारा निवासी नंदकुमार दानी दी ने रायपुर के आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई स्वयं ही नहीं अपितु अपने परिवार का भी मार्गदर्शन कर उन्हें आंदोलन में सक्रिय किया फलतः उनकी पत्नी अंजनी बाई मी आंदोलनरत हुई। १९३० का जंगल सत्याग्रह १९३२ का सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा १९४२ के आंदोलन में उन्होंने

सक्रिय भूमिका निभाई कुल मिलाकर उन्हें १ वर्ष का कारावास हुआ ३० जुलाई १९७९ को उनका निधन हो गया।

श्री बालकिशन के सुपुत्र माधव प्रसाद परगनिहा ने माध्यमिक स्कूल तक की शिक्षा ग्रहण की थी प्रारंभ से ही वे आंदोलनरत रहे १९३२ सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निमाई। १९४२ के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें ७ माह १९ दिन का कारावास हुआ उनके त्याग और समर्पण की भावना से प्रेरित उनकी पत्नी भी आंदोलन में सक्रिय हो गई और आगे चलकर उन्होंने राधा बाई की प्रमुख सहयोगी के रूप में सक्रिय रही और अपनी अन्य बहनों को साथ ले कर आंदोलन को आगे बढ़ाया।

यहां स्वतंत्रता सेनानियों का वर्णन कर उनके नामों की फेहरिस्त गिनाना मेरा आशयकदापि नहीं है तथा सभी का वर्णन करना इस छोटे से अध्याय द्वारा पूर्ण करना भी असंभव है किंतु उन्हें श्रद्धांजली स्वरुप उन्हें अपने मानस पटल पर हम सदा अंकित एवं स्मरित रखे यही मेरा उद्देश्य है। १९४२ के कुछ अन्य स्वतंत्रता सेनानियों की सूची प्रस्तुत की जा रही हैः

रायपुर के स्वतंत्रता सेनानियों की सूची, सन् १९४२

क्रं.	नाम	जन्म	कारावास
1.	अकबर अली	–	15 दिन
2.	अंजोर सिंह	–	6 माह
3.	अन्नाजी पिसोड़े	1922	6 माह
4.	अमर सिंह	1904	7 माह
5.	काकेश्वर बघेला	1922	6 माह 10 दिन
6.	कृष्णकुमार दानी	1912	1वर्ष
7.	कमलनारायण कुर्मी	1913	6 माह
8.	केजूराम भोई	1918	6 माह 12 दिन
9.	कृपाराम	–	8 माह 12 दिन

10.	केजऊराम	—	15 दिन
11.	केशव प्रसाद मिश्रा	1908	14 दिन
12.	केवलसिंह	—	1वर्ष 1माह 1 दिन
13.	कोदूराम	1925	6 माह 12 दिन
14.	गिरवर लाल	1914	7 माह
15.	श्री गुहा	—	6 माह
16.	गेंदराम	1913	5 माह 10 दिन
17.	गोपीनाथ चतुर्वेदी	1916	1वर्ष4माह
18.	गोपीकिषन बागड़ी	1916	2 माह 17 दिन
19.	गंगाधर	—	11 माह
20.	चित्रकूट प्रसाद	1914	6 माह 15 दिन
21.	श्री छोटू	—	1 माह 15 दिन
22.	छबिराम	1918	6 माह
23.	जयसिंह	1911	7 माह
24.	झाडूराम	1907	7 माह
26.	देवचरण लाल वर्मा	1920	6 माह
27.	दिलीपसिंह	1911	6 माह
28.	दीनबंधु द्विवेदी	1921	10—10—42 से 20—03—43 तक
29.	दुलहचंद	1918	3 माह 25 दिन
30.	दुर्गाप्रसाद सिरमौर	1916	1 माह
31.	नत्थूलाल सोनी	1906	1वर्ष 4माह
32.	नत्थूभाई	—	6 माह
33.	नरेंद्र कुमार	1920	6 माह 28 दिन
34.	प्यारे लाल	1924	6 माह
35.	पन्ना लाल	1924	6 माह 13 दिन
36.	पतिराम कंवर	—	6 माह

37.	प्रेमनारायण	1920	6 माह 19 दिन
38.	पुरूसिंह केंवट	1913	3 माह
31.	हीराधन दीवान	1920	2 माह नजरबंद 6 माह कारावास
40.	हजारी लाल	1910	7 माह 9 दिन
41.	राम मनोहराचार्य	1910	6 माह 21 दिन
42.	रामभद्र दुबे	1913	8 माह
43.	रामकुमार दानी	1904	11 माह 21 दिन
44.	हरलाल अग्रवाल	1914	1वर्ष 2माह
45.	हृदयराम कश्यप	1919	6 माह 18 दिन
46.	शीतल प्रसाद मिश्र	1922	10 माह 18 दिन
47.	शुकलाल गोंड	1910	6 माह
48.	सालिगराम पाण्डे	1920	10 माह
49.	सुकलाल	—	4 माह
50.	डॉ. शरणप्रसाद बघेल	1922	10 माह
51.	शांति कुमार चौरसिया	1923	4 माह 20 दिन
52.	लक्ष्मण सिंह वर्मा	1920	7 माह 26 दिन

(**स्त्रोतः** म.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी– खण्ड–३– भाषा संचालनालय संस्कृति विभागमध्यप्रदेश भोपाल १९८४)

संदर्भ सूची

१. १९४२–४३ के उपद्रवों के लिए कांग्रेसका उत्तरदायित्व १९४३.३९

२. होम पालिटिकल फाइल ३.१०. १९४३

3. भूयान ए.सी.–दक्रिट इंडिया मूवमेंट पू. १०४

४. १९४२ ४३ का उपद्रव पूर्वोदत पृ. १७ १८

5. भूयान ए.सी. द क्रिट इंडिया मूवमेंट।

6. होम पालिटिकल फाइल ३,३१,४२,

7. आई.सी.सी. पेपर्स जी २६ १९४२
८. होम पालिटिकल फाइल ३.४४,४३
९. १९४२–४३ के उपद्रव पू. ३९–४०
१०. टाटेन होम आर कांग्रेस रिसपांसबिलिटि फार द डिसटरबेंस आफ १९४२.४३ पृ. ७४७७ गर्वमेंट आफ इंडिया नई दिल्ली।
११. पूर्वोद्धत कांग्रेस का उत्तरदायित्व पृ. २९ एवं १०३
१२. मिश्रा डां. रमेन्द्रनाथ, शांता शुक्ला छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास राष्ट्रीय आन्दोलन १९९१पृ. १३०
१३. चोपरा पी. एन. क्रिट इंडिया मूवमेंट पृ. २३६
१४. होम पालिटिकिल फाइल १८–४४३ पाक्षिक रिपोर्ट अप्रैल १९४३ का द्वितीय पक्ष एवं रायपुर षड़यंत्र केस १९३०–४७ लेखक परस राम सोनी पू. १७
१५. पढ़े ला जाबो– साक्षरता पत्रिका अंक ३२ अगस्त १९९६ का दूसरा पखवाड़ा पृ.५
१६. सूर निखिल भूषण स्वतंत्रता सेनानी साक्षात्कार ३.३.१९९३
१७. होम पालिटिकल फाइल पूर्वोद्वत
१८. साप्ताहिक अग्रदूत स्वतंत्रता विशेषांक संपा. विष्णु सिन्हा १९८४ पृ. १९
१९. वही।
२०. डिस्ट्रिक्ट कैलेंडर पृ. ६४–६५
२१. वही पू. ६८७०
२२. दैनिक नवभारत ९ अगस्त १९९२ योगेश चन्द्र शर्मा का लेख, कैसे हुई थी अगस्त क्रांति, के अंश
२३. होम पालिटिकल फाइल १८.८.४२ पाक्षिक रिपोर्ट सितम्बर १९४२ का प्रथम पक्ष।

२४. साप्ताहिक अग्रदूत, स्वतंत्रता दिवस विशेषांक पूर्वोद्धत पृ. १६–२०

२५. वही

२६. छत्तीसगढ़ के रत्न– हरिठाकुर– त्यागमूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह– लेखक हरिठाकुर अर्ध साप्ताहिक छत्तीसगढ़ संदेश ठाकुर प्यारे लाल सिंह स्मृति विशेषांक एवं अग्रदूत स्वतंत्रता दिवस विशेषांक के आधार पर।

२७. शांत मूर्ति यति जी लेखक नीरव जयशंकर तथा नीख जी से साक्षात्कार दिनांक १५.४.२६ केअंश।

२८. दैनिक अग्रदूत दीपावली विशेषांक १६६२ एवं रायपुर षडयंत्र केस लेखक परस रामसोनी।

२६. नगर पालिका निगम वार्षिक विवरण १६७१–७२ पृ. ४६ एवं अग्रदूत १६८४ स्वतंत्रता दिवसविशेषांक के आधार पर।

३०. सूर निखिल भूषण जी साक्षात्कार दिनांक ३.३६३ के अंश।

३१. त्रिपाठी मोती लाल –साक्षात्कार दिनांक २०.२.२४.

३२. स्वतंत्रता दिवस विशेषांक अग्रदूत १६८४ पृ. ८

३३. पाण्डे मोहन लाल– साक्षात्कार १३.१०.६५

३४. शर्मा कमल नारायण– संस्मरण दैनिक नवभारत ६ अगस्त १६६३ पृ. ४ एवं केयूर भूषण मिश्र (भूत पूर्व सासंद) साक्षात्कार १३.१०.६६

३५. स्वतंत्रता सेनानी, सुधीर मुखर्जी, लेखक केयूर भूषण नवभारत शनिवार१७ दिसम्बर १६६४ पृ. ४

३६. साप्ताहिक अग्रदूत पूर्वोद्धत पृ. १६ ।

३७. वही पृ. १६.

३८. गजेटियर आफ इंडिया रायपुर एम.पी. प्रथम संस्करण १६७३ पृ.४७।

३६. शर्मा कमल नारायण– साक्षात्कार १४.१०.१६६५।

४०. ठाकुर हरि– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी –साक्षात्कार २३.६.६६

४१. मिश्र केयूर भूषण– स्वतंत्रता संग्राम सेनानी –साक्षात्कार १३.१०.६६

४२. अप्रकाशित पाण्डुलिपि– ठाकुर हरि

४३. वही

४४. परगनिहा रोहिणी बाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी साक्षात्कार– १४.४. १६६४।

४५. छत्तीसगढ़ संस्थान की शोध पत्रिका– १६६५५.६१

४६. फाईल नं. आर. 5/3 फ्रिडम मूवमेंट एंड धमतरी तहसील नेशनल आर्काइज नई दिल्ली।

४७. शुक्ल पंडित अशोक (सुपुत्र प्रकाश जिल्झी) साक्षात्कार १६.६.६२

४८. अप्रकाशित पाण्डुलिपि, हरिठाकुर

४६. अमृत संदेश रायपुर ६ अगस्त १६६२ पृ.३

५०. डॉ. शुक्ल अशोक पूर्वदत्त पृ. २०३

५१. ठाकुर हरि साक्षात्कार–२३–६–६६

५२. शुक्ल अशोक पूर्वोदत्त पृ. २०३

५३. मिश्र केयूर भूषण साक्षात्कार १३–१०–६६

५४. वही

५५. शुक्ला अशोक वही पृ. २०३

५६. वही

५७. दैनिक नवभारत दिनांक १६–१२–६४१.६

५८. देशबंधू ५ मार्च १६६३ पृ. ५२

५६. शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ, म. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सैनिक पूर्वोद्वत

६०. चतुर्वेदी माणिक लाल– साक्षात्कार–६–६–१९९३

६१. साप्ताहिक अग्रदूत १५–८–१९८४ पृ.६

६२. वही गणतंत्र दिवस विशेषांक पृ. ६

६३. वही पृ. १६

६४. डेरहादास स्वतंत्रता सेनानी साक्षात्कार दिनांक ११–६–९४

६५. गुप्ता लखन लाल –स्वतंत्रता सेनानी –साक्षात्कार २४–७–९४

६६. म. प्र. में स्वतंत्रता संग्राम सैनिक पूवार्द्वेत्त

६७. अग्रवाल अरबिंद कुमार साक्षात्कार दिनांक१८–४–९६

६८. म. प्र. स्वतंत्रता संग्राम सैनिक पृ. ६१

६९. परगनिहा रोहिणी बाई साक्षात्कार दिनांक १४–४–९४

————::::————

05 उपसंहार

भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में हमें स्वतंत्र भारत की प्राप्ति हुई, जो इस आंदोलन की महत्ता की स्वतः परिचायक है। ब्रिटिश सत्ता पर करारा प्रहार करने वाले इस आंदोलन के संबंध में सरदार पटेल ने स्वाभिमान से कहा था किः

''भारत के ब्रिटिश राज के इतिहास में ऐसा विप्लव कमी नहीं हुआ जैसा कि पिछले तीन वर्षों में हुआ। लोगों की इस प्रतिक्रिया पर हमें गर्व है।''

आंदोलन द्वारा यह तय हो गया कि भारत के लोग अब अंग्रेजी राज सहन नहीं करेंगे। स्वयं इंग्लैंड की संसद में यह स्वीकार किया गया कि ''ताज का सबसे कीमती हीरा'' भारत अब उनके हाथ से जाने वाला है।

घनघोर वर्षा के पूर्व छाए अंधेरे काले बादलों की भांति कुछ समय की शिथिलता आंदोलन की असफलता कदापि नहीं हो सकती अन्यथा क्या स्वतंत्रता प्राप्ति जैसा अनमोल रत्न पानासंभव था?

इस आंदोलन से औपनिवेशिक साम्राज्य की सारी बात जल गई और बस एक हीविकल्परह गया भारत की पूर्ण स्वतंत्रता।

ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि''यह अगस्त क्रांति निरंकुशता तथा अत्याचार के विरुद्ध जनता का विद्रोह था। इसकी तुलना फ्रांस में बास्तिल के पतन तथा रूस में अक्टूबर क्रांति से की जा सकती है। यह जनता में उत्पन्न एक नवीन विश्वास का द्योतक थी।

नेहरू जी ने इस संबंध में लिखा थाः

''जनता की निपट निराशा को साहस व प्रतिरोध में बदलना बहुत ही आवश्यक था। यद्यपि इस गतिरोध का प्रारंभ ब्रिटिश अधिकारियों के स्वेच्छाचारी आदेशों के विरुद्ध होता परंतु आक्रमणकारी के विरोध में भी

बदला जा सकता था। निराशा व दासता की ओर भी इसी दृष्टिकोण व इस प्रकार की दीनता व तुच्छता पैदा करती।''

अगस्त १६४२ को तिलक जयंती के अवसर पर पंडित नेहरू द्वारा स्पष्ट शब्दों मेंघोषणा की गई किः

''संघर्ष एवं निरंतर संघर्ष यह मेरा उत्तर है एमरी और क्रिप्स को।''

अंग्रेजों के तनाव पूर्ण और अत्याचारी दमन क्रूरतापूर्वक रवैये ने गांधी, नेहरू क विशाल हृदय को भी परिवर्तित कर दिया और वे जो कभी नहीं चाहते थे, कि प्रत्येक अंग्रेज अपना बोरिया बिस्तर लपेट ले, उनकी भी सहनशीलता जवाब दे गई और हृदय से आवाज निकलीः

''अंग्रेजो भारत छोड़ो''

फलतः भारतीयों ने साधनाभाव के बावजूद साहसिक कदम उठाया और अंग्रेजों कादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया।

सारे देश में शासन ने बर्बरता पूर्वक आंदोलन को कुचलने की जितनी कोशिशें की वैसे–वैसे हिंसा बढ़ती गई। कहीं भी शांति से जूलूस निकलना और सभाए आयोजित करना मुश्किल हो गया। लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे। सरकारी इमारतों, डाकखानों, रेलपटरियों को क्षतिग्रस्त करने जैसे अप्रत्यक्ष आदेशों की जीखोलकर पूर्ती की जाने लगी। निश्चित नियोजन के अभाव में बिंदुवार सिलसिलेवार कार्य असंभव था। वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी ने इस शेष सिलसिलों को भीतितर बितर कर दिया। फिर विद्यार्थियों और नवजवानों पर भला किसी का अंकुश रहा है। संपूर्ण देश की यही स्थिति थी।

प्रसिद्ध लेखक रोमां रोला ने लिखा था किः

''बिना हिंसा के मानवता में सद्प्रयत्न के लिए सत्याग्रह ही अब एक मात्र उपाय रह गया है। यदि यह विफल हो गया, तो संसार में हिंसा के अतिरिक्त और कुछ नहीं बचेगा।''

जहां तक छत्तीसगढ़ अंचल का प्रश्न है, स्वतंत्रता आंदोलन की

समस्त महत्वपूर्ण घटनाओं में विशेष योगदान रहा तो भला भारत छोड़ो आंदोलन में यह सक्रियता क्यों न दिखाता।

१८५७ के सोनाखान विद्रोह से प्रथम स्वतंत्रता दिवस तक छत्तीसगढ़ की जनता ने विदेशियों से मुक्ति दिलाने के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया।

इतिहास की अनिवार्यता है उसका लिपि बद्ध होना परंतु समकालीन इतिहास लिखा न होने के कारण कठिनाईयां आती है। समय के साथ विस्मृति शायद यही नियति है। घटनाए विलुप्त हो जाती है। पात्र नेपथ्य में चले जाते है और अनजाने में विस्मृति में खो जाते है।

१९४२ का आंदोलन स्वातंत्र्य समर के लेने इतिहास में एक अंतिम प्रहार था जिसनेआजादी के बंद द्वार हमेशा के लिए खोल दिये।

१९४२ के युवा आज अपने जीवन के अंतिम पढ़ाव में है। कुछ घटनाएं धूमिल है तो कुछ इन पात्रों की अपनी स्मृतियां अतः उन्हें सही तौर पर लिखा नही जा रहा है, जो अपने आप में इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ समेटे है।

इस संबंध में कुछ अनेक प्रयास किए जा चुके हैं, कुछ जारी है, और कुछ करने कीआवश्यकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत एवं बाद में कुछ पुस्तकों का प्रकाशन हुआ है। कुछ षोध कार्य भी हुए है। क्षेत्र की व्यापकता के कारण अखिल भारतीय स्तरीय, प्रांतीय, छत्तीसगढ़ स्तरीय तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ क्षेत्र के रायपुर जिले की अपेक्षानुकूल विस्तृत चर्चा नहीं हो पाई है, और उसके आस–पास के क्षेत्र जैसे धमतरी, कुरूद, आरंग, बलौदाबाजार तो जैसे अपरिचित प्रतीत होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी भला अलिखित कैसे रह सकती थी।

अतः प्रस्तुत शोध कार्य में महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानियों से उनके कार्यों को न केवल मूल स्रोत और सहायक तथ्यों से पूर्ण किया गया है अपितु जीवित स्वतंत्रता सेनानियों का साक्षात्कार लेकर उनका जबानी

चित्रण किया गया है, जिससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं जिनका संक्षिप्त विवेचन आवश्यक है, जिससे दिगभ्रमित पाठक एवं छात्रगण सही दिशा प्राप्त कर सके और अध्ययन में सुविधा हो।

धान का कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र छत्तीसगढ़ का हृदय स्थल रायपुर जिला निष्कर्षतः प्रारंभ से ही समृद्ध क्षेत्र रहा है नदियों द्वारा पर्याप्त जल प्रदाय के कारण खेती उन्नतावस्था में रही जिसके फलस्वरूप रायपुर जिले का मोह प्राचीन शासकों से भी न छूट पाया और वे यहां शासन करते रहे। स्वाभाविकतः भारत की विभिन्न क्षेत्रों की पर्याप्त समृद्धि अंग्रेजों को यहां खींच लाई और वे छत्तीसगढ़ अंचल से पूर्ण संतुष्ट हो अपने लाभ की योजनाएं बनाने लगे।

हर क्षेत्र के समृद्धि शाली क्षेत्रों से कर वसूली दिन ब दिन अंग्रेजों को धनवान बनाती रही और उन्होंने रायपुर जिले में भी अपना सिक्का जमाया। धन की अत्यधिक लालसा के कारण किसी भी भारतीय का तनिक भी विरोध वे सहन न कर पाए। फलस्वरूप रायपुर के जमींदार वीरनारायण सिंह के विद्रोह को उन्होंने लूटमार का दर्जा देकर उन्हें जनता का हितैषी कहने की अपेक्षा एक लूटेरा कह कर फाँसी दे दी। अंग्रेजी अत्याचार का प्रतिफल हनुमान सिंह द्वारा अंग्रेज अधिकारी पर हमला करना था।

रायपुर की जनता ने भी यह महसूस कर लिया था कि अंग्रेजों का विरोध नहीं किया गया तो स्वतंत्रता के साथ– साथ उनकी संस्कृति तथा धर्म भी निश्चित रूप से समाप्त कर दिया जायेगा। वास्तविक रूप से १८५७ की क्रांति वह नीव थी जिसने स्वतंत्रता की इमारत निर्मित की। वीर नारायण का बलिदान व्यर्थ नहीं गया और देश को खोखला करने वाली दीमक जल्दी ही नष्ट कर दी गई।

एक के बाद एक व्यक्ति के मन का जनाक्रोश आंदोलन में परिवर्तित हो गया फलतः असहयोग आंदलोन, सविनय अवज्ञा आंदोलन हुए और रायपुर जिले में इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। कण्डेल नहर सत्याग्रह रूद्री

जंगल सत्याग्रह और महासमुंद सत्याग्रहों द्वारा रायपुर के आस–पास के क्षेत्र भी रायपुर के कदम से कदम मिलाकर चलने लगे। अर्थात् अगर रायपुर को आस–पास का उचित सहयोग न मिला होता तो शायद आंदोलन में इतनी सक्रियता न आती।

बार–बार होने वाले अत्याचार असहनीय थे, रायपुर का हर वर्ग घटना से परिचित हो गया युवा वर्ग का गर्म खून खौलने लगा और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नित नई योजना बनने लगा।

फलतः रायपुर षडयंत्र केस हुआ। व्यक्ति परख की अनुचित समझ ने इसे असफल बनाया, किंतु एक बात इससे अवश्य स्पष्ट हो गई कि अब अंग्रेजों को बाहर निकालने का हर प्रयत्न जारी है। इस महत्वपूर्ण घटना ने रायपुर में एक विशिष्ट वर्ग तैयार किया, जिसने एक माह बाद होने वाले आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और एक नया मंच तैयार किया। परसराम सोनी जी के हम कृत्तज्ञ है जिन्होंने यह खतरनाक कार्य करके नवजवानों को उत्साहित किया।

क्रमशः जिले में एक नवीन आक्रोश पनपता रहा। गांधी जी की गिरफ्तारी के प्रथम दिवस ही केवल रायपुर गांधी चौक से ही लगभग ७० लोगों की गिरफ्तारी हुई। धरनो और जूलूसों का तो जैसे हर ओर शोर था। प्राप्त प्रमाणों से पता चलता है कि १९४२ के आस–पास के क्षेत्र में अनेक गिरफ्तारियां हुई। जेल सूची इसकी घोतक है।

गिरफ्तारियों के बाद शीर्षस्थ नेताओं की कमी और सही मार्गदर्शकों के अभाव ने आंदोलन की गति ही मोड़ दी और आंदोलन हिंसक हो गया। स्थान–स्थान पर तोड़फोड़, आगजनी, जुलूसों, सभाओं की भरमार, नित नई घटनाएं, आंदोलन को सक्रिय तो रख सकी किंतु अंग्रेजी हुकुमत इसे कैसे सहन करती फलतः अत्याचारी दमन के साथ–साथ गिरफ्तारियां भी बढ़ने लगी।

इस आंदोलन के संदर्भ में शंकर देव ने कहा थाः

''कुछ छात्र हमारे पास आए और पूछने लगे कि क्या हमें स्कूल

कालेजों का बहिष्कार करना होगा। हमने कहा जैसा गांधीजी का आदेश है करना होगा। हम जानते है कि छात्र सदैव क्रांति पसंद करते आए है और जबकि अब क्रांति उनके पास चलकर आई है, उन्हें इसका आलिंगन करना होगा।''

ऐसे ही संदेशों और जोशीले वक्तव्यों ने छात्रों को एक नई दिशा दी। अगर आंदोलन को आगे भी जारी रखना था तो गिरफ्तारियों से बचना बेहद जरूरी था। अतः अधिकांश नेता भूमिगत रहकर कार्य करने लगे। अंग्रेजी शासन के कड़े पहरे और तीखी नजरों के नीचे से गतिविधियों की समस्त जानकारियां परचों के माध्यम से कस्बों से गांवों तक पहुंचने लगी। यह व्यवस्था इतनी चुस्त थी कि अंग्रेज समस्त साधनों के बावजूद यह पता न लगा पाए कि पर्चे कब कैसे और कहां से वितरित होते हैं।

इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता महिलाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। अंग्रेजों के अत्याचार के शिकार पुरूष तो हुए ही साथ हमारी महिलाएं भी घसीटती हुई जेल तक लाई गई। बालो को पकड़कर खींचना। लाठी की मार झेलने के साथ–साथ जेल की यातनाएं सहने जैसे हृदय विदारक दृश्य क्या कभी हम भुला पाएंगे।

मेरा सुझाव है कि आगे शोध कर्त्ता अपने प्रयास से महिलाओं और छात्रों की भूमिकाका विस्तृत वर्णन का एक पृथक शोध तैयार करें। जिनसे भविष्य में महिलाओं की भागीदारी की स्पष्ट झलक अध्ययनकर्त्ताओं को प्राप्त हो सके। अन्यथा वे शेष महानुभूतियां काल की गोद में समा जायेगी और लोग इस सत्य तथ्य से वंचित रह जायेंगे कि १९४२ में महिलाओं का इतना सक्रिय योगदान रहा था।

इसी कड़ी में परसराम सोनी जी के कार्यों का भी विस्तृत उल्लेख होना चाहिए। जिससे उन्हें उनके कार्यों का प्रतिफल प्राप्त हो सके।

समीक्षात्मक रूप से यह कहा जा सकता है कि अन्य आंदोलनों की भांति १९४२ का आंदोलन भी असफल था यह मानकर चुप बैठना उचित

नहीं। इस आंदोलन की हिंसात्मक गतिविधियाँ ने ही हमें आजादी दिलाई यह स्पष्ट है।

यह सच है किः

''गांधी तू सारे देश का अभिमान बन गया
जिस पर निगाह डाली वो इंसान बन गया।
मुर्दों में रूडे फूंक दी, गीता सुना सुना
भारत का तिलक दूसरा भगवान बन गया।''

किंतु इस आंदोलन के तहत गांधी जी के आदर्शों की अवहेलना हुई। स्वयं गांधी जी ने भी यह स्वीकारा है कि नवयुवकों के हाथों में आते ही आंदोलन दिशाविहिन हो गया। किंतु स्वाधीनता अभी नही तो कभी नही यह मंत्र नसों में प्रविष्ट हो चुका था। शायद आजादी के लिए यह आवश्यक भी था।

हमें यह बताया जाता है कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति अहिंसात्मक मार्ग से प्राप्त की गई। किंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। १६२० के आंदोलन में भी हिंसात्मक घटनाए हुई किंतु १६४२ तक हिंसामें बढ़ोतरी ही हुई। आंदोलन काल में पूर्णरूपेण अहिंसात्मक कार्य नहीं हुए बल्कि जब भी उचित और आवश्यक लगा, हिंसा का सहारा लिया गया और समर्थन किया।

अंततः गांधी जी ने भी माना कि हिंसा हुई है।

परिणामतः १६४२ के आंदोलन की महत्ता सभी स्वीकार करते है। आने वाली पीढ़ी अपने प्रयासों और गूढ़ खोजो से इसे और प्रकाशवान बना सकती है।

१६४२ के युवा आज जीवन के अंतिम पढ़ाव में है। वे अपनी स्मृतिया स्वयं है, काल की गोद में समाकर वे अपना अध्याय स्वयं बंद कर दे, उनके योगदान का केवल यही अंतिम फल न हो जाय, इसके पूर्व ही

उनके कार्यों को उजागर कर भावी पीढ़ी को अवगत कराया जाय। उनके सपनों के आजाद भारत की समस्त स्मृतियों को ताजा किया जाये।

भावी पीढ़ी को १५ अगस्त १९४७ की नई सुबह की रोशनी की तरह हर वर्ष नई दस्तक दे एवं इतिहास में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम अन्वेषण हो।

स्वतंत्रता संग्राम सेननियों से साक्षात्कार

1.	चतुर्वेदी मणिक लाल	01 / 06 / 93
2.	दुबे रामानंद	21 / 01 / 93
3.	डेरहा दास	11 / 06 / 93
4.	शर्मा कमल नारायण	14 / 10 / 95
5.	पाण्डेय मोहन लाल	13 / 10 / 95
6.	सूर निखिल भूषण	03 / 03 / 93
7.	यतियतन लाल (जय शंकर नीरव संपादक महाकौशल प्रेस)	15 / 04 / 96
8.	गुप्ता लखन लाल	04 / 06 / 94
9.	दानी नंद कुमार (पुत्र अरविंद अग्रवाल)	18 / 04 / 96
10.	ठाकुर हरि	23 / 09 / 96
11.	मिश्र केयूर भूषण	13 / 10 / 96
12.	परगनिह रोहिणी बाई	14 / 04 / 94
13.	सोनी परस राम	15 / 08 / 95
14.	त्रिपाठी मोती लाल	20 / 02 / 94
15.	उमाठे पी जी	15 / 08 / 95
16.	शुक्ल रमेश चंद्र (सुपुत्र अम्बिकाचरण शुक्ल)	04 / 01 / 97

संदर्भ सूची

१. होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल फाईल नं. ३–२३–१६३३ रिपार्ट रिगार्डिग्स दि टूर आफ महात्मा गांधी।

२. होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल फाईल नं. ५३–१–४० रिपोर्ट आन नेटिव न्यूजपेपर्स एंड पीरियोडिक्स १६४०

३. होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल फाईल नं. ३–२–४१ लेटर फ्राम सेकेट्ररी आफसी. पी. एंड बरार २६–२–१६४१

४. होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल फाईल नं. ३–१३–४२१६४२

५. होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल फाईल नं. ३–२–४३ सिविल डिस ओबिडियंसमूवमेंट आफ कांग्रेस।

६. होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल फाईल नं. ३–३–४३ मैसेस आफ इंडिपेंडेन्सडे

७. होम डिपार्टमेंट पोलिटिकल फाईल नं. ४५–१–४३ स्टेटमेंट आफ न्यूज पेपर्सएंड पीरियाडिक्स

८. फारेन डिपार्टमेंट सीक्रेट प्रोसिडिग्स फाईल नं. ३१२, ३१३,५३५

————:::————

डॉ. शबनूर सिद्दीकी

जन्म : रायपुर छत्तीसगढ़

शिक्षा : एम.ए. इतिहास, प्रवीण्य सूची में छठवा स्थान, पी.एच.डी. 1997।
अनेक शोध पत्रिका में शोध पत्र एवं आलेख प्रकाशित। अनेक रचनाए एवं ऐतिहासिक आलेख समाचार पत्रों में प्रकाशित।

पंडित रविशंकर शुक्ल केन्द्रीय समिति, पाठ्यक्रम संबंधी इतिहास विषय विशेषज्ञ।

चैक–चौराहो पर महापुरुषो की मूर्ति स्थापना–सदस्य।

संप्रति : विभागाध्यक्ष एवं प्राध्यापक इतिहास
शासकीय पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसींवा (छ.ग), वर्तमान में प्रभारी प्राचार्य, शासकीय पंडित श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवा (छ.ग.)

Aditi Publication
OPP. NEW PANCHJANYA VIDYA MANDIR,
NEAR TIRANGA CHOWK, KUSHALPUR, DIST-
RAIPUR-492001, CHHATTISGARH
shodhsamagam1@gmail.com
+91 9425210308

9 789392 568190
₹ 349